अष्टम माला, खण्ड 46, अंक 6

मंगलवार, 28 फरवरी, 1989
9 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. B 60
Date 17/7/89

सत्यमेव जयते

(खण्ड 46 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 46, तेरहवां सत्र, 1989/1910 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 28 फरवरी, 1989/9 फाल्गुन, 1910 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82, 84 से 86 और 89 से 91	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—238
तारांकित प्रश्न संख्या : 81, 87, 88 और 92 से 100	22—37
अतारांकित प्रश्न संख्या : 768 से 1000	37—238
सभा पटल पर रखे गए पत्र	244—245, 246—251
सामान्य बजट, 1989-90 के प्रस्तुतीकरण के बारे में घोषणा	251
नियम 377 के अधीन मामले	251—253
(एक) सोनीपत में दो रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों या निचले पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री धर्मपाल सिंह मलिक	251
(दो) भारत सरकार की ई० और आई० योजना के अधीन मध्य प्रदेश में कतिपय सड़कों की मरम्मत किए जाने तथा उनको चौड़ा और मजबूत किए जाने की मांग	
श्री प्रताप भानु शर्मा	251—252
(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच किए जाने हेतु एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता	
श्री उत्तम राठौड़	252

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

(चार) दिल्ली में पूर्णतः आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक विशेषज्ञ कैंसर चिकित्सा अस्पताल खोले जाने तथा सरकारी अस्पतालों, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का दर्जा बढ़ाए जाने और सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा 'धूम्रपान से खतरा' विषय पर फिल्में दिखाई जाने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल 252—253

(पांच) उड़ीसा के कालाहान्डी और बोलनगीर आदि जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए समयोचित और प्रभावी उपाय किए जाने की मांग

श्री जगन्नाथ पटनायक 253

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव 253—264, 265—295

श्री उमाकान्त मिश्र 254—257

श्री मोहम्मद अयूब खां (ऊधमपुर) 257—261

श्री गिरधारी लाल व्यास 261—264, 265—267

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 267—270

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) 270—272

श्री निर्मल खत्री 272—275

श्री शांति धारीवाल 275—278

श्री अजीज कुरेशी 278—280

श्री जुझार सिंह 280—283

प्रो० सैफुद्दीन सोज 283—288

श्री ए० चार्ल्स 288—290

श्री पी० ए० एन्टनी 290—292

श्री राम सिंह यादव 292—295

प्रधान मन्त्री द्वारा 27 फरवरी, 1989 को प्रश्नकाल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में वक्तव्य 264—265

श्री राजीव गांधी

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1989-90	296—327
श्री एस० बी० चव्हाण	
वित्त विधेयक, 1989—पुरःस्थापित	327

लोक सभा

मंगलवार, 28 फरवरी, 1989/9 फाल्गुन, 1910 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खाना पकाने की गैस की सप्लाई में विलम्ब

[अनुवाद]

*82. **श्री पी० एम० सईद† :**

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में फरवरी, 1989 के पहले सप्ताह में घरेलू और वाणिज्यक उपयोग हेतु खाना पकाने की गैस की सप्लाई में अत्यधिक कमी आ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) भारतीय तेल निगम और सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या सरकार का विचार लोगों को मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). आई० ओ० सी० में ट्रांसपोर्टरों और औद्योगिक समस्याओं जिसके कारण उत्पाद के आवागमन में विघ्न पड़ा, के फलस्वरूप दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में एल० पी० जी० के रिफिलों की सप्लाई में अस्थाई रूप से बैकलाग उत्पन्न हुआ।

(ग) और (घ). भारत के अन्य स्थानों से एल० पी० जी० भेजने के लिए आई० ओ० सी० ने तत्काल प्रबन्ध किए। औद्योगिक सम्बन्धों के सम्बन्ध मे समस्याओं को सुलझा लिया गया है। सप्लाई और मानीटरिंग के लिए कदम उठाए गए हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यथा आवश्यक मिट्टी के तेल का आबंटन किया जा रहा है।

श्री पी० एम० सईद : अध्यक्ष महोदय, उनके उत्तर से ऐसा लगता है कि इस कमी या संकट का कारण ट्रांसपोर्टरस् की कमी, वाहनों की अनुपलब्धता और औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या है। उन्होंने अपने उत्तर में यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या औद्योगिक सम्बन्धों की समस्या ट्रांसपोर्टरों की समस्या से सम्बन्धित है या आई० ओ० सी० की समस्या से सम्बन्धित है।

किन्तु महोदय, हाल ही में विभिन्न समाचारों में छपी इस खबर में यह कहा गया है, और मैं विशेषत: 2 फरवरी के हिन्दू से उद्धृत कर रहा हूं, कि "शकूर बस्ती और टीकरी कलां — इन संयत्रों में सिलेंडर भरे जाते हैं—संयंत्रों में पूरी तरह काम बन्द हो गया है और इसीलिए यह संकट पैदा हुआ है। कामगारों ने कम्प्यूटर लगाए जाने के विरोध में और उनकी मजदूरी न बढ़ाए जाने के कारण हड़ताल की है।"

प्रेस ने यही कारण बताया है। इसमें आगे यह कहा गया है "जबकि अधिकारी कामगारों की हड़ताल के कारणों पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं हालांकि वे यह स्वीकार करते हैं कि इन दोनों संयंत्रों में एक भी सिलेंडर नहीं भरा गया।"

मन्त्री महोदय ने यह कारण बताया है कि यह संकट ट्रांसपोर्टरों की गलती से उत्पन्न हुआ है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि कामगारों द्वारा बताई गई इन दो बातों को सौहार्दपूर्ण निपटा लिया गया है और भविष्य में भी इस तरह के संकट की स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी ?

श्री ब्रह्म दत्त : ये दोनों बातें सही हैं। ट्रांसपोर्टरों ने भी काम करना बन्द कर दिया था और हम ओ० आई० सी० (आयल इण्डिया कारपोरेशन) के कर्मचारियों के साथ दीर्घ अवधि के लिए समझौता करने हेतु बातचीत कर रहे थे। उन्होंने भी नियमानुसार कार्य करने की हड़ताल कर दी जिसका वास्तविक अर्थ काम बन्द करना था। मैंने भी आयल इण्डिया कारपोरेशन और यूनियन के बीच हुए समझौते में हस्तक्षेप किया था। अब काम ठीक-ठाक शुरू हो गया है और शीघ्र ही पिछला इकट्ठा हुआ कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। यह कार्य तेजी से किया जा रहा है।

श्री पी० एम० सईद : उन्होंने अपने उत्तर में मेरे कम्प्यूटर वाले भाग के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्हें यह भी स्पष्ट करना चाहिए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं द्वारा वितरकों के खिलाफ की गई शिकायतों के बारे में कोई सूचना प्राप्त हुई है ? संकट के कारण, खाना पकाने की गैस के वितरकों ने अनुचित लाभ उठाया और उपभोक्ताओं को और अधिक परेशान किया है। सिलेंडर बुक कराने के बाद उन्हें गैस सिलेंडर प्राप्त करने में 10-12 दिन लग गए। इसलिए क्या मन्त्री महोदय वितरकों की ऐसी गलतियों पर निगरानी रखने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं जो इस समस्या को बढ़ा रहे हैं तथा और अधिक गड़बड़ी फैला रहे हैं ; यदि हां तो राजधानी में खाना पकाने की गैस के वितरकों की कितनी संख्या है और क्या मन्त्री महोदय उनकी डीलरशिप रद्द करने के लिए तैयार हैं। सरकार को उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई अवश्य करनी चाहिए। पहले ही संकट की स्थिति है और ये वितरक और अधिक समस्या पैदा कर रहे हैं। क्या उनके पास उनकी गलतियों पर निगरानी रखने के लिए कोई उपाए है और इसके बाद दोषी वितरकों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ताकि उनकी डीलरशिप रद्द की जा सके ? गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक कालाबाजारी चल रही है।

श्री ब्रह्म दत्त : कम्प्यूटर लगाने के सम्बन्ध में आयल इंडिया कॉरपोरेशन और कर्मचारियों के बीच बात-चीत अन्तिम चरण में है और अब वे ठीक-ठाक कार्य कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह

मामला शीघ्र ही निपटा दिया जाएगा। शिकायतों के बारे में हमने आयल कम्पनियों में शिकायत कक्ष खोल रखे हैं। मैंने आयल कम्पनियों से देश भर में मार्च-अप्रैल के दौरान उपभोक्ता कैम्प लगाने के लिए कहा है जिसमें उपभोक्ता उन कैम्पों में भाग लेगें। तारीख और स्थान की सूचना दे दी जाएगी। वहां एक अधिकारी उपस्थित होगा और वह उपभोक्ताओं की शिकायतों की जांच करेगा तथा यदि कोई वितरक दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री पी० एम० सईद : क्या आप उनकी डीलरशिप रद्द करने के लिए तैयार हैं?

श्री ब्रह्म दत्त : निश्चित रूप से।

श्री पी० एम० सईद : क्या अभी तक आपके पास कोई शिकायत आई है; यदि हां तो क्या आपने दोषी वितरक के खिलाफ कोई कार्रवाई की है?

श्री ब्रह्म दत्त : हमें प्राय: शिकायतें मिलती रहती हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती हैं। यदि शिकायत बार-बार आती है तो फिर हम निश्चित रूप से उनकी डीलरशिप रद्द करने में नहीं हिचकिचाएगें।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी गैस एजेन्सीज के डीलर्स जान-बूझकर शार्टेज पैदा करते हैं ताकि वे ब्लैक में पैसा कमा सकें। इस तरह से वे जान बूझकर लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। डीलर्स खुद गड़बड़ न कर सकें और रेगूलर सप्लाई गैस की हो, उसके लिए सरकार का कोई इस प्रकार का विचार है कि हर गैस एजेन्सी के इलाके में, उसकी जुरिसडिक्शन में जितने सब्क्राइबवर्स जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की एक डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाई जाए और वह डिस्ट्रीब्यूशन के काम की खुद मानीटरिंग करे ताकि डीलर्स किसी प्रकार की गड़बड़ न कर सकें।

इसके साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगा क्योंकि इससे मेरा डाइरेक्ट सम्बन्ध है। एम० पीज को पांच साल में 60 सिलेंडरों का कोटा है एल० पी० जी० कनेक्शन दिलाने का। इसमें बहुत परेशानी होती है। या तो इसको कतई खत्म कर दीजिए या इसको बढ़ाइए क्योंकि हिन्दुस्तान के तमाम लोगों को पता है कि एल० पी० जी० का कोटा है और लोगों को एल० पी० जी० कनक्शन दिलाने में दिक्कत होती है। या तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए या इसको बिल्कुल खत्म कर दिया जाए ताकि हमको परेशानी न हो। (**व्यवधान**) आप इसको एक साल में कम से कम 20 कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका जवाब दूं कि न करने वाली बात बहुत जल्दी मान लेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, उससे जनता को कठिनाई हो जाएगी। इसको तो हम न मानने के लिए ही बाध्य होंगे। (**व्यवधान**) पिछले वर्ष 12 का कोटा था, इस साल में हमने 18 किया है।

मैं माननीय सदस्यों को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे यहां एल० पी० जी० की डिमांड बढ़ रही है और 18 मिलियन टन के करीब हम पैदा कर रहे हैं। अभी हजीरा में, विजय-पुर में और उसके बाद औरैया में भी एक्सटेंशन होगा। हमें थोड़ा इम्पोर्ट भी करना पड़ेगा और इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास कुल दो टर्मिनल्स हैं—एक विजागपट्टनम में है और एक बोम्बे में है। विजागपट्टम में केवल गैस होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें हैं और बोम्बे में कंजेश्चन ज्यादा है। हम इन

दिक्कतों को शार्ट आऊट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में हमें बहुत केअरफुल रहना पड़ेगा। अगर हम यह कर दें कि कोटा बिल्कुल खत्म कर दें तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनकी वाएब्लिटी रहनी चाहिए। हम एक बेलेन्स क्रियेट करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और जानकारी चाहता हूं कि अभी आपने उत्तर में यह बताया है कि वर्क टू रूल के कारण यह गड़बड़ हुई। अगर यह गड़बड़ वर्क टू रूल के कारण हुई तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि अगर इस देश में नियमानुकूल काम करने से एक बहुत बड़ा आतंक पैदा हो जाता हो और नियमानुसार काम करने के कारण से सब गड़बड़ हो जाती हो तो आप क्या इन नियमों को ठीक करेंगे जिससे कि धौंस के तहत काम पर असर न पड़ सके और वर्क टू रूल के अधीन अच्छा काम हो सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है लेकिन यह सबजेक्ट इनका नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी : नियमों के अधीन काम करने से तो काम होना चाहिए। यहां तो नियमानुसार काम करने से काम बन्द हो जाता है, काम में गड़बड़ हो जाती है। क्या आप इस पर पुर्नविचार करेंगे और कब करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, मैंने एक निवेदन और किया था कि वर्क टू रूल का मतलब यह भी निकला कि काम बन्द हो गया। नियम तो ठीक हैं। अगर नियमानुसार काम हो तो उससे कोई परेशानी नहीं होती है। हमारा उनके साथ नेगोशियेसंज चल रही थीं और सहानुभूतिपूर्वक विचार भी हम कर रहे थे लेकिन उसका परिणाम यह निकला कि उससे दिक्कत पैदा हो गई। असल में वर्क टू रूल जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

[अनुवाद]

*84. **श्री राम प्यारे पनिका** † :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य प्राप्त किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या विद्युत परियोजनाओं में पूंजी निवेश बढ़ाने और विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विश्व बैंक से सहायता की मांग की जा रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और विश्व बैंक की सहायता से कौन-कौन सी परियोजनायें आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). 1988-89 के दौरान के श्रेणीवार विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं:

श्रेणी	विद्युत उत्पादन के लक्ष्य (मि० यूनिट)
ताप विद्युत	163000
न्यूक्लीय	5500
जल विद्युत	58000
जोड़	226500

न्यूक्लीय तथा जल विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है जबकि, ताप विद्युत उत्पादन में कुछ कमी होगी। चालू वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य के कार्यक्रम की तुलना में ताप विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण अनुकूल मानसून परिस्थितियों के परिणामस्वरूप भार मांग में कमी होना है।

(घ) और (ङ). विश्व बैंक की सहायता से पन्द्रह विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ब्यौरा अनुबन्ध-एक में दिया गया है। विश्व बैंक की सहायता के लिए जिन विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा अनुबन्ध-दो में दिया गया है।

अनुबन्ध-1

उन निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की सूची जिनके लिए विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की जा रही है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1	2	2
1.	दूसरी सिंगरौली सु० ता० वि० परियोजना	1400
2.	फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना	600

1	2	3
3.	दूसरी फरक्का सु० ता० वि० परियोजना	1000
4	दूसरी रामगुण्डम सु० ता० वि० परियोजना	1500
5.	दूसरी कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना	1500
6.	क्वास, अटा और औरेया में संयुक्त साइकिल गैस परियोजना	1630
7.	अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना	600
8.	इन्दिरा सरोवर जल विद्युत परियोजना	500
9.	चन्द्रापुर ताप विद्युत परियोजना	1000
10.	केरल विद्युत परियोजना	180
11.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-एक	270
12.	राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना	840
13.	तलचेर ताप विद्युत परियोजना	1000
14.	कर्नाटक विद्युत परियोजना-दो	240
15.	[illegible]मी० विद्युत परियोजना	330
	जोड़	12590

अनुबन्ध-2

उन विद्युत परियोजनाओं की सूची जिनके लिए विश्व बैंक की सहायता के लिए विचार किया जा रहा है

क्रम सं०	परियोजना का नाम	क्षमता
1	2	3
1.	नाथपा-झाकरी जल विद्युत परियोजना	1500 मेगावाट
2.	सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना	1450 मेगावाट

1	2	3
	3. चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र (महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड)	1000 मेगावाट
	4. कोयना जल विद्युत परियोजना	1000 मेगावाट
	5. नर्मदा सागर जल विद्युत परियोजना	1000 मेगावाट
	6. उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	1000 मेगावाट
	7. तेनूघाट ताप विद्युत केन्द्र	630 मेगावाट

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पिछले चार-पांच वर्षों में बिजली के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि अब हम 56 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन करने लगे हैं। लेकिन माननीय मन्त्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है उसमें पिछले वर्ष मे बिजली के उत्पादन में, थरमल जेनरेशन में कमी का कारण माननीय मन्त्री जी ने यह बताया है कि इसमें भार मांग में कमी का होना है। यह बात सही नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी हाल में सारे देश के बिजली मन्त्रियों की जो बैठक माननीय मन्त्री जी ने बुलायी थी उसमें बहुत अच्छा विचार हुआ था। उसकी रिपोर्ट हमको भी मन्त्री जी ने दे दी है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र है। उससे भी यह आभास होता है कि देश में जितना बिजली का उत्पादन हो रहा है उसकी खपत के लिए इनके ट्रांसमीशन लाइन्ज नहीं हैं।

परिणामस्वरूप किसानों तक दूसरे राज्यों में आप बिजली नहीं पहुंचा रहे हैं। उसमें राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का निर्णय हुआ था। हमारे यहां सिंगरौली में थर्मल पावर स्टेशन है, उसका उत्पादन इसलिए नहीं हुआ कि बिजली ले जाने की लाइन नहीं मिली। जो उद्योग बिजली उत्पादित कर रहे हैं उनका उपयोग ठीक से करने के लिए क्या आगामी वर्षों में ट्रांसमीशन लाईन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और जो नेशनल ग्रिड बनाने की योजना है उसको क्रियान्वित करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय अध्यक्ष महोदय वर्ष 38-39 के लिए ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य दो लाख छब्बीस हजार पांच सौ मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया। अप्रैल 88 से 89 तक एक लाख 81 हजार 911 मिलियन यूनिट का लक्ष्य था। अच्छी वर्षा होने के कारण एग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली की कमी बढ़ी। जो थर्मल पावर स्टेशन बिजली जनरेट करते थे, उनमें ब्रेक डाउन करना पड़ा। इसीलिए जितना उत्पादन करना चाहिए था उतना हमने नहीं किया क्योंकि एग्रीकल्चर सैक्टर में बिजली की आवश्यकता उतनी नहीं थी। जहां तक ट्रान्समीशन का सवाल है, हम पावर जनरेट कर रहे हैं। उस पावर को इक्वेट करने के लिए जो ट्रान्समीशन है उसको मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 38 हजार मैगावाट का लक्ष्य है उसके लिए निश्चित तौर से 80 हजार करोड़ रुपए की

जरूरत है। वर्ल्ड बैंक भी आठ सौ मिलियन प्रति वर्ष दे रहा है । आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है उसके लिए साधन मुहैया कर पायेंगे या नहीं, हमें सन्देह हो रहा है। आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य है उसके लिए क्या प्राइवेट सैक्टर में भी आप बिजली उत्पादन के लिए व्यवस्था करेंगे जो कम से कम साधन इकट्ठा कर सके। तो क्या बिजली उत्पादन करने की उन्हें इजाजत देंगे ताकि राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुसार जब आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी करें तो बिजली के उत्पादन तक पहुंच सकें।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, उसको हमने पूरा किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 38 हजार मैगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी पूरा किया और अब आठवीं पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य पूरा करेंगे। प्राइवेट सैक्टर के पार्टिसिपेशन की नीति अभी तय नहीं हुई है। यह नीति सरकार के विचाराधीन है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, न्युक्लियर एनर्जी का उत्पादन हाइड्रो इलैक्ट्रीसिटी से प्राप्त करते हैं। न्युक्लियर के बारे में हमारे राजस्थान के अन्दर रावतभाटा में, कोटा में कार्यक्रम भी बना दिया गया है कि इस तरह के अणुबिजली घर स्थापित किए जायेंगे, परन्तु इसके बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। उसकी प्रगति बहुत धीमी है। इस सम्बन्ध में आठवीं पंचवर्षीय योजना में आपका क्या कार्यक्रम है। क्या अणु-बिजली घर स्थापित करके हमारा राजस्थान जो विद्युत की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, उसके लिए ठोस कदम उठायेंगे।

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि न्युक्लियर बिजली उत्पादन का कार्य न्युक्लियर विभाग के अन्तर्गत आता है फिर भी मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारी इच्छा और प्रयास है कि ऊर्जा के जितने स्रोत हैं उन सबका दोहन करना है, उसमें बिजली उत्पादन के लिए न्युक्लियर का भी बड़े पैमाने पर हम प्रयोग करने वाले हैं। यह योजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना में पूरी नहीं हो पायेंगी क्योंकि न्यूक्लियर योजना का जैस्टेशन पीरियड आठ से दस साल होता है इसलिए उम्मीद है कि नौवीं पंचवर्षीय योजना तक हम न्युक्लियर एनर्जी का जो प्रोग्राम है, उसे पूरा कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में, वास्तव में विद्युत की कमी है और इसके कारण उद्योगों को बहुत हानि हो रही है। तमिलनाडु में भी कई दशकों से यही स्थिति है। विद्युत के अन्य सभी स्रोतों में से पन बिजली ही सबसे सस्ती है। बहुत से ऐसे स्रोत हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगाया गया है। उदाहरण के लिए होंगेनक्कल विद्युत परियोजना पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से पड़ी है। माननीय मन्त्री श्री वसन्त साठे भली-भांति जानते हैं कि जब हमारे स्वर्गीय मुख्य मन्त्री जीवित थे तो उन्होंने उस समय कर्नाटक के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री अर्स से बातचीत की थी। किन्तु अभी तक उस परियोजना को मन्जूरी नहीं दी गई है। पानी बेकार जा रहा है। हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय उस क्षेत्र, धर्मपुरी से आए हैं। यह बहुत ही अच्छी परियोजना है। दोनों राज्यों के बीच पानी और विद्युत दोनों का उपयोग करने के लिए एक समझौता हुआ था। उसे अभी तक मन्जूरी क्यों नहीं दी गई? केन्द्रीय सरकार तत्काल विद्युत उत्पादन के उन स्रोतों का पता क्यों नहीं लगाती जिनका अब तक पता नहीं लगाया गया ताकि तमिलनाडु और कर्नाटक में उद्योगों द्वारा

विद्युत का उपयोग किया जा सके ? आप उस योजना को मन्जूरी देने की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक अलग-अलग परियोजनाओं का सम्बन्ध है, मुझे उनके लिए नोटिस की आवश्यकता पड़ेगी और तब मैं वास्तविक स्थिति की सूचना दे सकूंगा। किन्तु सामान्यतः सिद्धान्त यह है कि हम देश के उन सभी पन बिजली स्रोतों का पता लगाना चाहते हैं जिनके स्थान के बारे में निश्चित रूप से पता है। अधिकांश पन-बिजली परियोजनाएं हिमालय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं तथा कुछ दक्षिण में भी हैं। हम उनका उपयोग करने का प्रयास करेंगे। किन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। मुख्य कठिनाई पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति के सम्बन्ध मे है। बहुत से क्षेत्रों मे, जैसा कि हमार माननीय सदस्य जानते हैं, वनों के कटाव, वन क्षेत्रों के तानी में डूब जाने, जन जाति क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास आनि के कारण परियोजनाओं को मन्जूरी नहीं दी गई हैं। इसलिए ये कुछ कठिनाइयां हैं जिनके कारण इन परियोजनाओं को मन्जूरी नहीं दी गई है। हमारी इच्छा पन बिजली और ताप विद्युत के बीच उचित मन्तुलन बनाए रखने की है। विद्युत की व्यस्ततम समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पन विद्युत अत्यधिक अनिवार्य है।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल में यह जानकारी चाही गई थी कि किन-किन साधनों से बिजली का उत्पादन होता है, जवाब में बताया गया है कि कोयला, जल एव परमाणु आदि साधनों से बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें गैस को छोड़ दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि गैस पर आधारित किन किन राज्यों में बिजली उत्पादन करने का कार्यक्रम है।

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, जब हम थर्मल बिजली उत्पादन की बात करते हैं तो उसमें गैस भी आ जाती है, इसलिए अलग से गैस की बात नहीं कही गई है, लेकिन यह बात सही है कि आज देश में गैस अधिक परिमाण में हर क्षेत्र में उपलब्ध हो रही है और इसका कारगर उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे प्राप्त बिजली को क्लीन ऊर्जा कहते हैं, वह इससे मिल सकती है। हमारे पैट्रोलियम मन्त्री जी की भी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन के लिए गैस हमें दी जाए। यदि सदन की भी सम्मति है तो अवश्य इस ओर हम सफल होंगे। गैस से जिन राज्यों को ऊर्जा मिल सकती है वे हैं—गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसाम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन सब राज्यों में अच्छे परिमाण में गैस ऊर्जा तैयार की जा सकती है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया।

श्री वसंत साठे : अभी जम्मू कश्मीर में गैस नहीं मिली है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, अपने उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि पन, ताप और परमाणु से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। क्या उनके विभाग ने ऊर्जा को पुनः प्रयोग में लाने हेतु कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है क्योकि एक बार राज्य मन्त्री ने यह कहा था कि यह उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता। अतः क्या वह कार्यक्रम बन्द कर दिया गया है और क्या उससे विद्युत उत्पन्न करने का कोई और कार्यक्रम नहीं है? दूसरे, आज पर्यावरण के इन खतरों की वजह से सोवियत सघ सहित विश्व भर मे परमाणु कार्यक्रम को तेज नहीं किया जा रहा है और इसका विस्तार भी नहीं किया जा···है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : जी, नहीं। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऊर्जा विभाग इस नए पहलू ध्यान में रख रहा है क्योंकि विश्व भर में परमाणु कार्यक्रम का इतना विस्तार नहीं किया जा रहा है जितना कि पहले किया जाता था।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, इस सदन में यहां तक कि स्वयं प्रधान मन्त्री द्वारा भी इस प्रश्न का उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

श्री वसंत साठे : महोदय, क्या मुझे इसका उत्तर देने की इजाजत है ? प्रथमत: जहां तक ऊर्जा के फिर से प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों का सम्बन्ध है हम ऊर्जा के सदा रहने वाले फिर से प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा आदि के माध्यम से विद्युत उत्पादन पर पर्याप्त बल देना चाहते हैं। जहां तक परमाणु ऊर्जा का सम्बन्ध है मैं एक मिथ्या धारणा दूर कर देना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी प्रदूषण नहीं होता है···(व्यवधान)

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : इसके खतरे के विषय में क्या कहना है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कई बार दिया जा चुका है।

श्री वसंत साठे : परमाणु ऊर्जा, ऊर्जा का एक बहुत ही स्वच्छ स्रोत है। इसके विकिरण खतरे के लिए अब बहुत ऐसे उपाय हैं जिनका सहारा लिया जा सकता है। फ्रांस जैसे कुछ देशों में उनकी ऊर्जा का 80 प्रतिशत भाग परमाणु ऊर्जा द्वारा पूरा किया जाता है और इसमे कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदन में इस प्रश्न का उत्तर प्रधान मन्त्री भी कई बार दे चुके हैं।

श्री वसंत साठे : महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने तो केवल इसे दोहराया है।··· (व्यवधान)

अखबारी कागज का आयात

*85. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटी कागज मिलें समाचार पत्र उद्योग की आवश्यकताओं को सुचित रूप से पूरा करने के लिए बढ़िया किस्म का कागज तैयार करने में समर्थ हैं ;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा अखबारी कागज का लगातार आयात किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख). देश में कागज मिल जिसमें छोटे कागज मिल भी शामिल हैं, बढ़िया लिखाई तथा छपाई कागज उत्पादन करने में सामान्यतया समर्थ हैं। तथापि, समाचार पत्र प्रकाशन उद्योग ने अभ्यावेदन दिया है कि इस किस्म का कागज समाचार पत्र छापने विशेषकर उच्च गति वेब आफसेट मुद्रण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वदेशी अखबारी कागज उत्पादन समाचार पत्र उद्योग की मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है, अखबारी कागज की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तराल को समान करने के लिए कुछ सीमित आयातों के लिए अनुमति दी जाती है।

(ग) और (घ). अखबारी कागज का आयात कम करने तथा लघु कागज मिलों में बेहतर क्षमता उपयोग कर पाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय लघु कागज मिल्स एसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि लघु कागज मिलों द्वारा उत्पादित लिखाई तथा छपाई कागज की कुछ सीमित मात्रा का प्रतिस्थापन आयातित अखबारी कागज के लिए किया जा सकता है। इस एसोसिएशन ने अखबारी कागज के उत्पादन को बढ़ावा दिए जाने हेतु आवश्यक वित्तीय राहत व रियायतों की मंजरी की भी मांग की है। सरकार ने कागज तथा गत्ते के निर्माण में लगे मौजूदा औद्योगिक उपक्रमों को कुछ शर्तों के अधीन अखबारी कागज का उत्पादन करने के लिए पहले ही अनुमति दे रखी है। भारतीय समाचार पत्र रजिस्ट्रार के प्राधिकार की शर्त पर समाचार पत्रों की छपाई में प्रयुक्त लिखाई तथा छपाई के कागज पर पूर्ण उत्पादन शुल्क की भी छूट दी जाती है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, क्या मैं मन्त्री जी से पूछ सकता हूं। इस समय देश मे अखबारी कागज का कितना उत्पादन होता है और प्रति वर्ष कुल कितने अखबारी कागज की आवश्यकता है ; हम कितना टन अखबारी कागज विदेशी मुद्रा खर्च करके आयात कर रहे हैं। अखबारी कागज में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, वर्ष 1988-89 में अखबारी कागज की अनुमानित मांग 593 लाख टन है। अखबारी कागज की हमारी स्थापित क्षमता तीन लाख टन की है और हमारा उत्पादन 2·75 लाख टन है। अखबारी कागज की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए अखबारी कागज आयात किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि देश में अखबारी कागज के उत्पादन की लागत अन्तर्राष्ट्रीय लागत से अधिक है। यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या उत्पादम लागत को कम से कम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक कम करने के लिए कोई निश्चित कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : महोदय, देश में अखबारी कागज की उत्पादन लागत केवल 10,000 रुपये है जबकि आयातित अखबारी कागज की लागत 11,700 रुपये है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, मैं उनकी बात समझ नहीं सका हूं। मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है ? उत्पादन लागत में कितना अन्तर है और उस उत्पादन लागत को कम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री जे० वेंगल राव : देश में अखबारी कागज की उत्पादन लागत लगभग 10,000 रुपये है। आयातित अखबारी कागज की लागत लगभग 11,700 रुपये आ रही है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनमें अन्तर है या नहीं।

श्री जे० वेंगल राव : उसमें लगभग 1000 रुपये का अन्तर है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : इसीलिए, मैं इस प्रश्न को पूछ रहा हूं। तकनीकी जानकारी और उन्नति के बावजूद देश में उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं? महोदय, वह मेरा प्रश्न दोहरा रहे हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, मेरे सहयोगी द्वारा दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट है कि आयातित मूल्य की तुलना में देश में उसका मूल्य कम है।

श्री सी० पी० ठाकुर : जैसाकि मन्त्री जी ने बताया है अखबारी कागज और पेपर की कमी है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि रुग्ण कागज मिलें, विशेषकर बिहार में जो मिलें हैं, उनको पुनरुज्जीवित करने के लिए क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, इस मांग को पूरा करने के लिए, हमने उद्योग में पर्याप्त क्षमता उत्पन्न की है। औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर चल रही है।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, क्या यह सच है कि हमारे देश में कागज का उत्पादन कागज मिलों की विद्यमान संस्थापित क्षमता के अनुकूल नहीं है। यदि हां, तो कृपया हमें बताइये कि क्या यह सच है कि हमारे देश में कागज की खपत कम होने के कारण उद्योगपतियों द्वारा और कागज मिलों द्वारा उनकी संस्थापित क्षमता के अनुसार कागज का उत्पादन नहीं किया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या छोटी कागज मिल संघ द्वारा रखी गई अन्य मांगों में एक मांग यह भी थी कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इन इकाइयों की संस्थापित क्षमता के अनुसार देश में कागज की खपत में भी वृद्धि हो।

श्री एम० अरुणाचलम : जहां तक कागज की खपत का सम्बन्ध है, इसमें वृद्धि हो रही है। उत्पादन भी बढ़ रहा है। हम इसकी मांग को देश में उत्पादन द्वारा ही पूरा कर रहे है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, आप जब भी विदेशों में जाते हैं तो आपने वहां के पेपर पढ़े होंगे, उन पेपरों की क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है, लेकिन हमारे देश में जो इडीजिनस पेपर न्यूजप्रिंट के लिए बनता है, वह काला, पीला और इतनो रद्दी क्वालिटी का होता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अखबारी कागज की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए क्या सरकार की तरफ से प्रयत्न किये जा रहे हैं। आप 11 हजार रुपये की दर से जो पेपर इम्पोर्ट करते है, उसकी तुलना में 10 हजार रुपये की दर से पड़ने वाला यहां का पेपर बहुत रद्दी क्यों है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, क्या सरकार पेपर बनाने वाली इंडस्ट्रीज पर कुछ दबाव डालेगी, क्या क्वालिटी के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ नौर्म्स बनाये है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, देश में तैयार अखबारी कागज आयातित अखबारी कागज के समान ही है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, आयातित अखबारी कागज की तरह अच्छे अखबारी कागज का उत्पादन कर रहा है। ऐसी कई इकाइयां हैं जो थोड़ा घटिया किस्म के अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं, लेकिन हम इस उद्योग को आधुनिक बनाकर कागज की किस्म मे सुधार करने के सभी उपाय कर रहे हैं।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाएं

*86. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कई गांवों में अभी भी घरेलू और कृषि के प्रयोजन के लिए बिजली नहीं पहुंचाई गई है ;

(ख) उड़ीसा में इस समय कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं ; और

(ग) उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किन-किन परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट के आधार पर 1981 की जनगणना के अनुसार 46,553 आबाद गांवों में से दिसम्बर, 1988 के अन्त तक 28451 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। इस प्रकार उड़ीसा राज्य में शेष 18,102 गांवों का विद्युतीकरण और किया जाना है।

(ख) उड़ीसा में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं प्रचालनाधीन हैं :—

1. तलचेर (ताप विद्युत)
2. बलिमेला
3. हीराकुंड
4. रेंगाली
5. अपर कोलाब

(2 से 5 : जल विद्युत)

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार नवम्बर, 1988 के अन्त तक उड़ीसा सरकार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को स्वीकृति हेतु निम्नलिखित परियोजनाएं प्राप्त हुई थी :—

1. बलीमेला चरण-दो
2. भीमकुंड
3. मणिभद्रा
4. मंडोरा बांध
5. हीराकुंड चरण-तीन

(जल विद्युत)

6. एच. एस. डी./एल. एस. एम. एस. गैस टर्बाइन सेट (ताप विद्युत)

7. बार गढ़ नहर (जल विद्युत)

उपरोक्त क्रम संख्या 2 से 7 पर दर्शाई गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को लौटा दिया गया है।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने विवरण में यह उल्लेख किया है कि उड़ीसा सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 46,553 गांवों में से 18,102 गांवो में विद्युतीकरण किया जाना अभी बाकी है। अब, हमें बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि सम्बन्धी क्षेत्र के लिए भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। इस सभी तरह के दबाव आदि को देखते हुए और सभी गावों में जो अभी विद्युतीकरण किया जाना है, वह देश की औसत बिजली से कम बैठती है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें उड़ीसा में बिजली बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा हैं। अतः उड़ीसा सरकार द्वारा एक कार्यकारी दल स्थापित किया है जो इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए साधनों का पता लगाएगा। उनकी रिपोर्ट के अनुसार सातवी योजना के अन्त तक हम 549 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ेगा। मैं भारत सरकार से और मन्त्री जी से जानना चाहता हूं सरकार उड़ीसा जैसे निर्धन राज्य की सहायता कैसे करेगी जहां बहुत से गावों में अभी बिजली लगाई जानी है, कृषि सम्बन्धी क्षेत्र को भी बिजली दी जानी है और इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए भारत सरकार, उड़ीसा सरकार की सहायता करने के लिए क्या योजना बना रही है, क्या वे उड़ीसा राज्य के लिए नई बिजली परियोजनाओं को मन्जूरी देगी। यदि हां, तो इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे कौन सी बड़ी परियोजनाओं को मन्जूरी देंगे?

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, उड़ीसा में बिजली की कमी देश के अन्य भागों से अधिक है। जहां तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं का सम्बन्ध है यहां तक कि उड़ीसा सरकार ने उस लक्ष्य को पूरी नहीं किया है क्योंकि उनमें कई आधारभूत कमियां हैं। उड़ीसा राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सी योजनाओं को मन्जूरी दी गई है और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तालचेर परियोजना के लिए 1000 मेगावाट की मन्जूरी दी गई है और प्रधानमंत्री जी उसकी आधारशिला रखेंगे और यदि एन० टी० पी० सी० की परियोजना पूरी हो जाती है तो उसमें काफी हद तक बिजली की समस्या सुलझ जाएगी। राज्य स्तर पर भी बहुत सी परियोजनाओं की मन्जूरी दी गई है। उड़ीसा में वर्तमान ताप विद्युत केन्द्रों का संयत्र भार घटक (प्लांट लोड फैक्टर) केवल 30 प्रतिशत है भारत में औसत संयत्र भार घटक 53 प्रतिशत है उसके लिए [illegible]करण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है। उड़ीसा सरकार को प्रयास करने होंगे जिससे कि सयंत्र भार घटक में वृद्धि की जा सके। दूसरी तरफ; केन्द्र सरकार को राज्य की मांगों को पूरा करने के लिए परियोजनाओं को मन्जूरी देनी होगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या वर्क टू रूल काम करते हैं?

[अनुवाद]

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : महोदय, मन्त्री जी ने बताया है कि उड़ीसा में संयंत्र भार घटक कम होने के कारण; हमें उड़ीसा राज्य में बिजली की भारी कमी सामना करना पड़ रहा है। उड़ीसा

सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी दल की रिपोर्ट के अनुसार—मेरे विचार से इसे भारत सरकार को भी बनाया जाना चाहिए —उन्होंने उल्लेख किया है कि अगर हम संयंत्र भार घटक में वृद्धि कर भी ले तो भी सातवीं योजना के अन्त तक हमें 549 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ेगा और आठवीं योजना के अन्त तक 693 मेगावाट की कमी रहेगी और नौवी योजना में हमें 1,838 मेगावाट की कमी का सामना करना पड़ेगा अत: क्या मैं जान सकता हूं कि जब हमें इस प्रकार की विद्युत कमी और चुनौती का सामना करना पड़ेगा तो भारत सरकार इस कठिनाई पर काबू पाने के लिए उड़ीसा राज्य को सहायता देने का प्रस्ताव कैसे कर रही है ? क्या हमें परमाणु ताप विद्युत परियोजना की मन्जूरी मिल जाएगी ? इसके अलावा, इन्द्रावती में पन बिजली क्षेत्र में—मैं नहीं जानता इसे कब चालू किया जाना है : लेकिन केवल इसी परियोजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता मिल रही है। क्या मैं जान सकता हूं यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी और यह कब तक चालू की जाएगी ? क्या मैं पन बिजली, परियोजना को पूरा किए जाने में देरी के कारण में जान सकता हूं (व्यवधान)

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक उड़ीसा में बिजली की कमी को दूर करने के लिए अधिक से अधिक जो हम कर सकते है कि हम पड़ी परियोजनाओं को मन्जूरी दे सकते हैं और हमने एल० टी० पी० सी० द्वारा तालचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना और दूसरी इब घाटी में सुपर ताप विद्युत परियोजना को मन्जूरी दे दी है। अत: इन दोनों परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। अब, वास्तव में, वे परियोजनाएं रातोंरात शुरू नहीं की जा सकती हैं। वहां आजकल बिजली की कमी है। मुख्य प्रश्न यह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए ग्रामीणों तक बिजली कैसे पहुंचाई जाए ? उसके लिए हम पर्याप्त धनराशि दे रहे हैं। राज्य सरकार को भी अपने तन्त्र का उपयोग करना चाहिए। हम सहायता करने के इच्छुक हैं। हम किसी व्यक्ति पर दोष नहीं लगाते। यह सुनिश्चित करने के लिए हम सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं कि कुटीर ज्योति कार्यक्रम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से सभी प्रकार की सहायता दी जाए ताकि पम्प सैटों को उर्जित किया जा सके ; गावों का विद्युतीकरण हो सके और ग्रामीण कृषक वर्ग और निर्धन ग्रामीण की सहायता की जा सके। हम इतना ही कर सकते हैं और हम यह कार्य कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका। अब नहीं।

[हिन्दी]

श्री सैफुद्दीन सोज : स्पीकर साहब, मैं आपकी वसातत से साठे साहब का एक शेर सुनाना चाहता हूं। साठे साहब, आप तवज्जह कीजिए, आप उर्दू समझते हैं :—

ऐ गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी,

ऐ खानाबअन्दाजे चमन, कुछ तो इधर भी

साठे साहब ने समझ लिया, कल्पना राय साहब से तो मैं बात ही नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर राज्य की पन विद्युत क्षमता 18,000 से 20,000 मेगावाट है और अब इसकी प्रयुक्त क्षमता 200 मेगावाट से कुछ अधिक है। सलाल परियोजना से राज्य को कुछ राहत

मिली है परन्तु पारेषण लाइनों में कमी के कारण विद्युत को श्रीनगर और कश्मीर घाटी में नहीं ले जाया जा सका। यह किसका दोष है? माननीय अध्यक्ष महोदय इस समय कश्मीर घाटी में एक सप्ताह में चार दिन बिजली बन्द रहती है। कश्मीर घाटी में पूर्णतः अन्धेरा है। इससे कुछ बदमाशों द्वारा उत्पन्न कठिनाई और बढ़ जाती है।

श्री कल्पनाथ राय परिपत्र लिखते रहे हैं जो कि महत्वहीन हैं। परन्तु आप एक समझदार व्यक्ति हैं। श्री साठे कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री राम प्यारे पनिक : मैं उनकी टिप्पणी से सहमत नहीं हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्री साठे व्यस्तता के कारण वहां का दौरा नहीं कर सके। परन्तु श्री कल्पनाथ राय दौरा क्यों नहीं कर सके? (**व्यवधान**) मुझे यह कहते हुए खेद है कि वे अपने काम को गम्भीरता पूर्वक नहीं लेते। परन्तु श्री साठे अपने काम को गम्भीरतापूर्वक लेंगे। कश्मीर घाटी में 4 दिन तक बिजली बन्द रहती है। आपके कनिष्ठ मन्त्री वहां दौरा करके समस्या का समाधान क्यों नहीं कर सके?

श्री वसंत साठे : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य के मन में मेरे सहयोगी श्री कल्पनाथ राय के प्रति विद्वेष की भावना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरे पास इसके कारण हैं।

श्री वसन्त साठे : आपके व्यक्तिगत कारण अवश्य होंगे। जहां तक उनके काम का सम्बन्ध हैं वह अपने काम को अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक करते हैं। जम्मू और कश्मीर समस्या के प्रति उनका रवैया सहानुभूतिपूर्ण है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। परिपत्र का कोई सार नहीं है। मैं कश्मीर में रोशनी चाहता हूं।

[हिन्दी]

महात्मा गान्धी को सन् 1947 में सिर्फ कश्मीर में रोशनी नजर आती थी, आज उसी काश्मीर में बिजली की कमी ने घुप अंधेरा कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सवाल का जवाब लीजिए रोशनी की बात बाद में करे।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : जहां तक कश्मीर घाटी का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पारेषण प्रणाली में कमी के कारण सलाल परियोजना से विद्युत को कश्मीर घाटी में नहीं ले जाया जा सका और इसके लिए हम पहले ही वहां पारेषण लाइनें डालने के लिए सोवियत एजेन्सी को अधिकार दे चुके हैं। इस बारे में समझौता किया जा चुका है और कार्य आरम्भ हो चुका है और हमें यह विश्वास है कि निकट भविष्य में ही इस लाइन के पूरा हो जाने पर, कश्मीर घाटी में में विद्युत समस्या से काफी राहत मिलेगी क्योंकि वहां सलाल परियोजना से विद्युत को ले जाया जाएगा।

केवल यही नहीं, आप इस बार की भी प्रशंसा करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में प्रमुख पन विद्युत परियोजनाओं—उरी, डलहस्ती सवालकोट बगलीहाट आदि की जांच की गई है और वहां कार्य जारी है। जैसाकि आप जानते हैं डलहस्ती और उरी मे आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कार्य बहुत धीमा है।

[हिन्दी]

साठे साहब आप श्रीनगर में तशरीफ लाइए।

श्री वसन्त साठे : श्रीनगर तशरीफ लाकर इस वक्त क्या करूंगा ?

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं महामान्यवर मन्त्री जी का ध्यान (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आज तो साठे जी महामान्यवर हो गए।

डा० कृपासिन्धु भोई : हमारे साठे जी ने हिन्दुस्तान को कल टेलीविजन दे दिए। अब उनकी अनुभूति और सहानुभूति से···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : क्या अब कलर्ड लाइट भी चाहिए ?

डा० कृपासिन्धु भोई : उनके त्याग और तपस्या, अनुभूति और सहानुभूति से सारे हिन्दुस्तान को बिजली मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय : आज तो कृपासिन्धु जी फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं।

श्री बालकवि बैरागी :आज वाकई में कृपासिन्धु जी कृपासिन्धु लग रहे हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे खाली इस बात का डर लग रहा है कि हमारे कल्पनाथ जी जो कल्पना करके बोले, वह कहीं प्रधान मन्त्री जी को उड़ीसा के बारे में गलत खबर न पहुंचायें। मुझे खुशी है कि 1984 में प्रधान मन्त्री जी ने सम्भलपुर रेलवे लाइन और रेलवे डिविजन का फाउंडेशन स्टोन रखा। इसके लिए में प्रधान मन्त्री जी को बधाई देता हू। मेरा मन्त्री जी से आग्रह है कि वह 1989 तक तालचर सुपर थर्मल प्लांट में 500 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन प्रारम्भ करवा दें। एन० टी० पी० सी० जो कि एक पावरफुल और ब्यूटिफुल आर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा यह काम करवाया जा सकता है। इसके अलावा मैं हीराकुंड स्टेज-3 और बरगर कैनाल की क्या प्रपोजल है, के बारे में भी जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इतने मधुर सम्भाषण के बाद महाराज, कुछ मीठा मिश्रित हो जाए।

श्री वसन्त साठे : हीराकुण्ड स्टेज 1 और 2 चल रहे हैं। 198 और 72 मेगावाट के हीराकुंड स्टेज-3 का प्रपोजल आया हुआ है। हमने राज्य सरकार से उसके बारे मे और आवश्यक जो जानकारी चाहिए थी, वह मांगी है। जैसे ही वह आयेगी उसे पूरा करेंगे। जो रंगीन फुलझड़ियां हमारे मित्र ने यहां पैदा की उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हू।

श्री राम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष जी, जितने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं सबकी आर्थिक अवस्था बहुत ही कमजोर हैं। परन्तु ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो लागू की जाती है उसका पूरा लाभ कृषि क्षेत्र में और गांवों में नहीं मिल पाता है और बिजली बोर्ड एक गांव में केवल दो ही कनेक्शन देते हैं विद्युतीकरण के समय, जबकि दरख्वास्त 50 या 100 तक आ जाती हैं। इस प्रकार विद्युतीकरण कागजों पर तो पूरा हो जाता है लेकिन वास्तव में किसानों को उनका लाभ नहीं मिलता है। क्या आप कोई इस तरह की योजना बनायेंगे या फिर वहां स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऋण-पत्र जारी करने का अधिकार देंगे जिससे वह ऋण लेकर अपने आर्थिक व्यवस्था को ठीक कर सकें और अधिक से अधिक बिजली के कनेक्शन ग्रामीण एरियाज में किसानों को मिल सकें।

श्री वसन्त साठे : राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति कैसे ठीक हो उसके लिए अभी कुछ दिन पहले उनके साथ बैठकें हुई और काफी सुझाव उसमें आए। यह एक बड़ा बुनियादी सवाल है और उसके लिए एक सर्वांगीण विकास की योजना पर बिचार करना पड़ेगा। हमारा यह प्रयास चालू है और हम उनको सहायता देने के लिए तैयार हैं। रहा सवाल आर० ई० सी० का। हम मदद के लिए उनको पैसा देते हैं। जहां तक 'कुटीर ज्योति' का सवाल है। हम 200 रुपया हर यूनिट के लिए हर कुटी को पूरा का पूरा देते हैं। राज्य सरकारों पर और बोर्डों पर उनका बोझ नहीं है। लेकिन पम्प सैट आदि के लिए तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों को अपनी व्यवस्था ठीक करनी पड़ेगी। बहुत बार हम, हमारी तरफ से जो पैसा देते है, उसका विनियोग भी राज्य इलैक्ट्रसिटी बोर्ड्स नहीं कर पाते हैं, यह हमने देखा है। इसमें राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को जरा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा।

बम्बई में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती

[अनुवाद]

***89. श्री शरद दिघे :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई नगर में शिव सेना द्वारा संचालित संस्था 'लोकाधिकार समितियों' को सरकारी क्षेत्र के किन्हीं उपक्रमों में भर्ती हेतु सिफारिश भेजने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो लोकाधिकार समितियों के माध्यम से भर्ती की यह प्रणाली सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में विद्यमान है ; और

(ग) इस प्रणाली के कार्यकरण का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). सरकार अथवा सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों ने लोकाधिकार समितियों की बम्बई नगर में स्थित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के लिए सिफारिशों पर विचार नहीं किया है।

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री ने इस बात से इन्कार किया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भर्ती के लिए लोकाधिकार समितियों की सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। मेरा निवेदन यह है कि यह समूचा उत्तर पूर्णत: गलत है। मेरे पास यह निश्चित सूचना है कि बम्बई के अधिकांश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में शिव सेना की लोकाधिकार समितियां हैं और कुछ अनुपात में भर्ती केवल उनके अनुरोध से की जाती है। वे सभी प्रकार की शक्तियों का सहारा लेते हैं जिनमें उन अधिकारियों का घेराव करना भी सम्मिलित है। मेरे पास इस बारे में एक सूचि है जिसमें

स्टील ऑथर्टी ऑफ इण्डिया हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, इन्डियन आयल कारपोरेशन, वेस्टर्न रेलवे और सेन्ट्रल रेलवे, इण्डियन एयरलाइन्स डाक एव तार विभाग तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रम सम्मिलित हैं जोकि इन लोकाधिकार समितियों के माध्यम से कुछ अनुपात में भर्ती कर रहे हैं। यह एक निश्चित सूचना है। क्या माननीय मन्त्री इस बारे में आगे जायं करेंगे और यह पता लगायेंगे कि क्या यह सच है ?

श्री जे० वेंगल राव : हमने निश्चित रूप से इस मुद्दे पर ध्यान दिया है। हम निश्चित रूप से इस बारे में कार्यवाही करेंगे।

श्री शरद दिघे : मैं अपना दूसरा पूरक प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। यदि माननीय मन्त्री महोदय को यह लगे कि यह सच है तो क्या वे इस प्रणाली को रोकने के लिए निर्देश जारी करेंगे और इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री जे० वेंगल राव : मैं माननीय सदस्य की बात से पूर्णतया सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह : स्पीकर सर, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, हकीकत में बिल्कुल गलत है, दिघे साहब ने सही कहा है। लोकाधिकार समिति की ओर से जो रिकमैण्डेशन्स जाती हैं वही निर्णय लेते हैं, जो लिस्ट देते हैं, उन सब का ही एपाइन्टमैण्ट होता है। फिर भी

[अनुवाद]

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या एक वास्तविक नहीं है कि लोकाधिकार समितियां बम्बई में सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से यह आग्रह कर रही कि बम्बई में केवल स्थानीय लोगों की भर्ती की जाए। और यदि यह सच है तो इस बारे में सरकार का क्या विचार है।

श्री जे० वेंगल राव : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह कार्यवाही करेंगे।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के सुपरवाइजरों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल

[हिन्दी]

*90. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के विभिन्न एककों में कार्य कर रहे सुपरवाइजर अपने एककों के समक्ष क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुपरवाइजरों की मुख्य मांगें क्या हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) आई० डी० पी० एल० के केवल हैदराबाद एकक के पर्यवेक्षक दिनांक 30-1-1989 से क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं।

(ख) इन पर्यवेक्षकों की मुख्य मांगें हैं :—

अन्तरिम राहत का भुगतान, पदोन्नतियां देना और समयबद्ध पदोन्नतियों की स्कीम लागू करना। बी० पी० ई० के दिशा निर्देशों के अनुसार आई० डी० पी० एल० के पर्यवेक्षक अन्तरिम राहत के लिए पात्र नहीं हैं। स्वीकृति एवं आपरेटिव खाली पदों की उपलब्धता के अधीन पर्यवेक्षकों को पदोन्नतियां देने के लिए कम्पनी के प्रबन्धकों ने कार्यवाही पहले ही कर दी है।

महोदय, पर्यवेक्षकों के वेतनमान में संशोधन गत वर्ष ही किया गया था जिसके लाभ का भूतलक्षी प्रभाव 1-10-85 से लागू हुआ था जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भारी मात्रा में बकाया राशि का भुगतान किया गया था। अगला वेतन संशोधन 1-10-89 को समाप्त होगा। इसे ध्यान में रखते हुए आई० डी० पी० एल० के पर्यवेक्षक तदर्थ/अन्तरिम राहत की अदायगी के अधिकारी नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सर, आई० डी० पी० एल० के सुपरवाइजर्स की मुख्य मांग है, सैण्ट्रल डी० ए० और इण्डस्ट्रियल डी० ए० के बीच के अन्तर को समाप्त करने के लिए उनको अन्तरिम राहत दी जाए। 31 जुलाई के बी० पी० के डायरेक्शन के बाद भी आपकी मिनिस्ट्री की कई पब्लिक अण्डरटेकिंग्स ने अन्तरिम राहत दी है, कर्मचारियों को। आई० डी० पी० एल० में सुपरवाइजर्स की बहुत छोटी संख्या है, उनको अन्तरिम राहत न देने से कोई बचत तो नहीं रही है, खामखां इण्डस्ट्रियल अनजस्ट हो रहा है, तो मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सुपरवाइजर्स को अन्तरिम राहत देने के मामले में क्या आप आई० डी० पी० एल० के मैनेजमेन्ट से कहेंगे कि वे उनसे बातचीत करें?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : मैंने यह उल्लेख किया था कि उन्होंने 1-10-85 को समझौता किया था। उस समझौते में वे इस बात पर सहमत हुए थे कि वे अन्तरिम राहत के प्रश्न को नहीं उठाएंगे और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया था कि वे निश्चित रूप से इस बारे में विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री जी का बड़ा आभारी हूं कि वे जितना लिखकर लाए उतना ही बतला दिया मेरे सप्लीमेन्टरी के जवाब में। (व्यवधान) आई० डी० सी० एल० को एग्जिस्टेंस में आए हुए 26 साल हो गए और अध्यक्ष जी, पिछले 26 साल से लेकर आजतक आई० डी० सी० एल० ने अपनी प्रमोशन पालिसी नहीं बनाई है। तो मैं जानना चाहता हूं मन्त्री जी से कि

प्रमोशन पालिसी फार्मूलेट न करने के क्या कारण हैं और क्या वे आई० डी० पी० एल० के मैनजमेंट से कहेंगे कि जल्दी से जल्दी एम्पलाईज यूनियन से बातचीत करके प्रमोशन पालिसी फार्मूलेट करें ?

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : मैंने आई० डी० पी० एल० प्रबन्धन को अतिशीघ्र पदोन्नति नीति को अन्तिम रूप देने के लिए कहा है।

श्री के० एस० राव : आई. डी. पी. एल. के पर्यवेक्षकों की संख्या कुल 14,000 कर्मचारियों में से लगभग 1200 है। माननीय मन्त्री महोदय ने बोर्ड स्तर से लेकर श्रमिकों तक सभी व्यक्तियों के लिए तदर्थ राहत की स्वीकृति दी है, परन्तु केवल पर्यवेक्षकों को ही बीच में छोड़ दिया गया है। जैसाकि मेरे माननीय सहयोगी श्री रावत ने कहा है आई. डी. पी. एल. के पर्यवेक्षकों को अदा की जा रही राहत राशि और भारत सरकार के सभी अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पर्यवेक्षकों को दी जा रही राहत राशि में विषमता है। मैं समझता हूं कि कई कारणों से सम्भवतः व्यक्तिगत भावनाओं अथवा अहं के कारण आई. डी. पी. एल. के प्रबन्धक माननीय मन्त्री महोदय को गुमराह कर रहे हैं। श्रमिकों से लेकर बोर्ड स्तर तक विभिन्न अन्य कर्मचारियों के लिए इस राहत राशि की स्वीकृति प्रदान करने और इन पर्यवेक्षकों के लिए भी कुछ तदर्थ राहत की स्वीकृति देने के लिए माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि सम्भवतः उनका यह मत है कि उन्होंने पर्यवेक्षकों के लिए भी स्वीकृति दी है। परन्तु यह एक वास्तविकता है कि वर्ष 1988 में तदर्थ राहत की इस अदायगी से उन्होंने पर्यवेक्षकों को उन अन्य उपक्रमों के उन पर्यवेक्षकों से केवल बराबरी पर ला दिया है जिन्हें वर्ष 1982 से ही अदायगी की जा रही है अर्थात इसमें 6 वर्ष का अन्तर रहा है। अब मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस विषय को अच्छी तरह समझकर यह सुनिश्चित करें कि यह प्रबन्धक मण्डल उन्हें गुमराह नहीं करेगा और 1200 पर्यवेक्षकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्हें यह तदर्थ राहत प्रदान करें। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या माननीय मन्त्री महोदय इस मामले में रुचि लेंगे और इस विषमता को दूर करेंगे ?

श्री जे० वेंगल राव : दोनों ही माननीय सदस्य संगठन के नेता हैं। वे न तो अधिकारी हैं और न ही कर्मचारी हैं। समझौते के अनुसार उन्होंने लिखित रूप में यह कहा है कि वे इसका दावा नहीं करेंगे। विभाग मुझे गुमराह नहीं कर रहा है बल्कि वह स्वयं मुझे गुमराह कर रहे हैं।

खाना पकाने की गैस के उत्पादन और वितरण के लक्ष्य

*91. श्री विजय एन० पाटिल† :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस के उत्पादन और वितरण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग). एल० पी० जी० के उत्पादन तथा वितरण के निर्धारित लक्ष्य तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान इसकी वास्तविक प्राप्तियां इस प्रकार हैं :—

(000 मी० टन)

	1985-86	1986-87	1987-88
उत्पादन			
लक्ष्य	1250	1415	1613
वास्तविक	1230	1489	1588 (अस्थायी)
वितरण			
लक्ष्य	1250	1520	1740
वास्तविक	1241	1497	1686

जैसाकि उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है, उत्पादन और वितरण में आई कमी मामूली है।

श्री विजय एन० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, साक्षात्कार के बाद, पैनल बनाने के बाद 6 महीने तक एजेन्सी आवंटित नहीं की जाती है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या एल० पी० जी० गैस कनैक्शनों की भारी कमी है क्योंकि साक्षात्कार के बाद भी एजेन्सी का आबंटन न होने के कारण लोगों को कनैक्शन नहीं मिल रहे हैं। ऐसे भी ताल्लुक हैं, जहां जनसंख्या 20 हजार से अधिक है किन्तु उन क्षेत्रों में एक भी एजेन्सी नहीं दी गई है। अतः लोगों को एल० पी० जी० सिलैण्डर लाने के लिए साइकिलों पर काफी दूरी तय करनी पड़ती है। इसमें सुरक्षा को खतरा है और दुर्घटना होने की आशंका रहती है।···(व्यवधान)···मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इसके लिए निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में तेल के लिए ड्रिलिंग

[अनुवाद]

*81. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंन्ध्र प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अगले कुछ महीनों में तेल हेतु

ड्रिलिंग के लिए चुने गए क्षेत्रों के नाम क्या हैं ; और

(ख) आंध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी परियोजनाओं में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अगले कुछ महीनों के दौरान आंध्र प्रदेश के कृष्णा, ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी जिलों के कुछ स्थानों पर ड्रिलिंग करने की ओ० एन० जी० सी० की योजना है।

(ख) मार्च, 1988 तक आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा-गोदावरी में ओ० एन० जी० सी० ने 795.85 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

साइकिल के कलपुर्जे और डेरी उपकरणों के उत्पादन का विशेष अधिकार समाप्त करना

***87. श्री विजय कुमार यादव :**

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साइकिल के कुछ कलपुर्जों और डेरी उपकरणों के उत्पादन का विशेषाधिकार समाप्त करने और इनके उत्पादन के लिए मध्यम तथा बड़े उद्योगों को अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकार ने प्रेस नोट एफ० सं० 10/1/89-एल० पी० दिनांक 18 जनवरी, 1989 के द्वारा साइकिल के कुछ कलपुर्जों और डेरी उपकरणों के उत्पादन का विशेष अधिकार 18 जनवरी, 1989 से समाप्त कर दिया है।

(ख) 18 जनवरी, 1989 से अनारक्षित किए गए साइकिल के कलपुर्जों और डेरी उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(1) **साइकल हब और कप साइकिल के कलपुर्जे**

इसके अलावा साइकिल के निम्नलिखित आरक्षित पुर्जों के नाम भी बदले गए हैं :

पुराना नाम	नया नाम
(1) बी० बी० एक्सल	बी० बी० एक्सल कोल्ड फोर्जिंग प्रक्रिया से भिन्न
(2) चेन व्हील और एडजेस्टर-बाइसकल	चेन व्हील और एडजेस्टर बाइसिकलें हल्के वजन की साइकिलों के उपयोग में लाए जाने वाले चेन व्हीलों और एडजेस्टरों को छोड़कर।
(3) क्रेंक फोर्जिंग्स-साइकिल्स	कोल्ड फोर्जड क्रैंकों को छोड़कर क्रैंक, किन्तु सिंगल पीस क्रैंकों सहित-साइकिल।

2. डेरी उपकरणों की वस्तुएं

(1) डबल कैन मिक्सर

(2) माइक्रो पलवेराइजर

(3) रोटेरी ड्रायर

(4) बाल्टी जैसे सेन्ट्रीफ्यूज

(5) दूध को ठंडा करने और घी को जमाने के उपकरण।

(6) वाष्पीकरण पात्र

(7) बटर चर्न

(8) कई मिलें

(9) एजीटेटर

(10) डेरियों के लिए भंडारण टैंक।

अनारक्षण तथा नाम परिवर्तन इसलिए आवश्यक हो गया था ताकि आधुनिक तकनोलोजी अपनाने, गुणवत्ता सुधारने और निर्यात बढ़ाने में आसानी हो सके।

कोयला उद्योग के लिए कनाडा से सहायता

*88. श्री कृष्ण सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1989 के आरम्भ में कनाडा के विदेश मन्त्री के दौरे के दौरान ऐसा समझौता किया गया था जिसमें बिहार में राजमहल खुले मुहाने की खान में कोयला-निष्कासन में वृद्धि करने के लिए कनाडा से उपकरण तथा सेवाएं प्राप्त करने हेतु कोल इंडिया लि० को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). बिहार में स्थित राजमहल ओपेनकास्ट परियोजना की क्षमता में 5 मि. टन से 10.5 मि. टन की वृद्धि किए जाने के लिए जाने के लिए संविदा जनवरी, 1989 में निष्पादित किया गया। यह संविदा कोल इंडिया लि० और कनाडा वाणिज्यिक निगत (सी. सी. सी.), जोकि कनाडा की एक सरकारी कम्पनी है, के बीच निष्पादित हुआ। कनाडा वाणिज्यिक निगम ने इस परियोजना को प्रति व्यक्ति प्रतिपाली के 18 टन की उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के साथ 66 महीनों के अन्दर "टर्न-की" आधार पर पूरा करने की जिम्मेदारी ली है और इस कार्य को निष्पादित करने का आश्वासन दिया है। इस संविदा की विदेशी विनिमय लागत 166 मिलियन कनाडाई डालर है जिसे कनाडा के निर्यात विकास निगम से रियायती ऋण द्वारा पूरा किया जाएगा। ऋण करार पर 31 जनवरी, 1989 को हस्ताक्षर किए गए।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग और इसके बिक्री केन्द्रों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में विसंगतियां

[हिन्दी]

*92. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खादी और ग्रामोद्योग आयोग और इसके बिक्री केन्द्रों के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में विसंगतियों को दूर करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) और (ख). खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नियमित कर्मचारियों और बिक्री काउंटरों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों की सेवा शर्तें अलग अलग हैं।

इन दो वर्गों के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। अतः, विसंगतियों को दूर करने का प्रश्न नहीं उठता।

लो डेंसिटी पोलीइथाइलीन की कीमत

[अनुवाद]

*93. **श्री सम्भाजीराव ककाडे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लो डेंसिटी पोलीइथाइलीन (एल. डी. पी. ई.) की कीमत घटाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) लो डेंसिटी पोलीइथाइलीन की कीमत घटाने से इसके उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगलराव) : (क) से (ग). इस समय इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड (आई. पी. सी एल.) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, देश में एल. डी. पी. ई. का एकमात्र विनिर्माता है। चूंकि एल. डी. पी ई. की स्वदेशी उपलब्धता स्वदेशी मांग से काफी कम है अतः वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए और स्टाक एवं बिक्री के लिए ओ. जी. एल. के अतर्गत इसके आयात की अनुमति दी जाती है। आई. पी. सी. एल. लघु एककों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात करता रहा है, क्योंकि अपने आप आयात करने में वे कठिनाई अनुभव करते हैं। आई. पी. सी. एल. स्वदेशी एवं आयातित एल. डी. पी. ई. को पूलित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाता है जिसे आयातों की अवतरित लागत के आधार पर समय-समय पर समंजित किया जाता है। दिसम्बर, 1988 में पूलित मूल्य लगभग 3 रु. प्रति कि. ग्रा. कम किया गया था।

पूलित मूल्य में इस कमी से देश में एल. डी. पी. ई. के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स का कार्यकरण

***94. श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री अजय विश्वास :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटिरियल्स (एन. सी. बी. एम.) के कार्यकरण में कोई अनियमिततायें पाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या कारंवाई की गई है?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव). (क) से (ग). नेशनल काऊंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल्स (एन. सी. बी. एम.) के प्रबन्धों के विरूद्ध कुछ आरोप प्राप्त हुए हैं। सरकार ने भी यह महसूस किया है कि इस संगठन के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है। अत: एन. सी. बी. एम. के कार्यकरण की गहन पुनरीक्षा करने तथा इसके प्रबन्धकों के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए जनवरी, 1989 में एक-सदस्यीय पुनरीक्षा समिति [जिसमें श्री एस. एस. ग्रनोआ, आई. ए. एस. (सेवानिवृत्त) हैं] का गठन किया गया है।

पंजाब और चंडीगढ़ से प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन

***95. श्री कमल चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने पंजाब और चण्डीगढ़ से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में से प्रत्येक को 1988 के दौरान कितने-कितने विज्ञापन दिए थे ;

(ख) क्या इन समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के मामले में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भेदभाव किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान पंजाब और चण्डीगढ़ से प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन का मूल्य 55,86,138.78 रुपये था। ऐसे समाचारपत्रों की एक सूची दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। अलग-अलग समाचारपत्रों को दी गई राशि का विवरण नहीं बताया जाता है और इसे गोपनीय रखा जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अप्रैल से दिसम्बर, 1988 की अवधि के दौरान पंजाब और चण्डीगढ़ के जिन समाचारपत्र तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने विज्ञापन दिए, की सूची

1. इण्डियन एक्सप्रेस
2. ट्रिब्यून
3. व्यापार उद्योग समाचार
4. आर्ट आफ लिविंग
5. पंजाब मेल
6. चण्डीगढ़ न्यूज लैटर
7. पंजाब स्पीक्स
8. दैनिक ट्रिब्यून
9. वीर प्रताप
10. हिन्दी मिलाप
11. पंजाब केसरी
12. देश प्यार
13. विश्व ज्योति
14. पायलट
15. भारत देश हमारा
16. चण्डीगढ़ टाइम्स
17. मानव सम्पदा
18. अर्थ प्रकाश
19. चण्डीगढ़ दर्शन
20. एम. आर. खबरें
21. संजोगी मेला
22. खामोशी का चिराग
23. जनसत्ता

24. डागर एक्सप्रेस

25. प्रताप

26. मिलाप

27. समाज

28. पंजाब बुलेटिन

29. रोहजन

30. लुधियाना एक्सप्रेस

31. हिन्द समाचार

32. लुधियाना पोस्ट

33. आरोमा

34. नजराना

35. आह्वान

36. डगर

37. जनता संसार

38. हिन्दू

39. मेहनत

40. पंछी

41. अकाली पत्रिका

42. अजीत

43. रंजीत

44. नवां जमाना

45. सूरज

46. चढ़दी कला

47. पंजाबी ट्रिब्यून

48. जगबानी

49. तरिमन

50. कौमी देन

51. जग जोत

52. पड़ल्लेदार

53. नवी सवेर

54. सेनापति

55. इंतकाम

56. दलेर पंजाब

57. सेवादार

58. खालसा समाचार

59. पौ फुट्टी

60. लोक युग

61. सम्राट

62. तीर कमान

63. व्यास

64. सुखराज

65. रूप

66. पंजाब प्रेस

67. निर्भय सेवक

68. जर्मविदर

69. पेंडू दर्पण

70. पंज पानी

71. सन्यासी शक्ति

72. इंतजार

73. आहलूवालिया टाइम्स

74. साडा जमाना

75. पंजाबी जगत

76. समराला टाइम्स
77. दर्शनजीत
78. सच्चा हमदर्द
79. देस परदेस
80. सजरे फुल
81. इंटरनेशनल
82. दलेर खालसा
83. शमशीर-ए-हिंद
84. चढ़दी कला
85. कौमी संपर्क
86. धुरी न्यूज
87. भुल्लर एकता
88. मेहरम
89. तस्वीर
90. पट्टियाला एक्सप्रेस
91. [illegible]रत
92. कौमी बुलारा
93. रंजीत
94. सिरजना
95. शहीद-ए- आजम
96. लोक लहर
97. हारा इंक्लाब
98. पंथ खालसा
99. बब्बर अकाली लहर
100. सर्वोदय संसार
101. मेल मिलाप

102. पंचायत आवाज

103. सामना टाइम्स

104. देग तेग संदेश

105. जंतक लहम

106. निडर

107. पवित्र बोध

108. पाहुल खंडेधर

109. चढ़ता सूरज

110. पटियाला बानी

111. ज्ञानवान

112. रोवर

113. अमर कहानियां

114. मान सरोवर टाइम्स

115. पंथ खालसा

116. पंथक जीवन

117. हार जीत

118. नूरी प्रीत

119. संयोगी मेले

120. वीर अशोक

121. स्वर्ण

122. तीर कमान

विद्युत के विकास विषय पर सेमिनार

*96. श्री टी. बी. चन्द्रशेखरप्पा :

श्री एस. एम. गुरड्डी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउन्सिल ऑफ पावर यूटीलिटीज ने 22 दिसम्बर, 1988 को नई दिल्ली

में "आठवीं योजना में विद्युत का विकास—तत्सम्बन्धी नीतियां, मुद्दे और कार्यवाही" विषय पर दो सेमिनारों आयोजित किए थे ;

(ख) यदि हां, तो सेमिनारों में भाग लेने विशेषज्ञों की संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या उन्होंने कोई सुझाव दिए थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नेशनल काउंसिल ऑफ पावर यूटिलिटीज द्वारा 22 दिसम्बर, 1988 को नई दिल्ली में "आठवीं योजना में विद्युत का विकास-नीतियां, विषय वस्तु तथा विकल्प" विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था ।

(ख) सेमिनार में लगभग 80 व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

(ग) और (घ). सेमिनार में दिए गए महत्त्वपूर्ण सुझावों में से कुछ प्रकार हैं :—

(1) जल विद्युत की अपेक्षा ताप विद्युत के विकास को उच्च प्राथमिकता दिए जाने सम्बन्धी वर्तमान प्रवृत्ति में परिवर्तन करना ।

(2) उपलब्ध विद्युत उत्पादन के इष्टतम समुपयोजन हेतु मजबूत अंतर्क्षेत्रीय पारेषण लाइनों की व्यवस्था किया जाना और प्रभावी भार प्रबंध सम्बन्धी उपायों को लागू करना ।

(3) भार प्रेषण तथा संचार सुविधाओं की पर्याप्त रूप से व्यवस्था किया जाना ।

(4) ताप-विद्युत यूनिटों के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण किए जाने, जल विद्युत यूनिटों की क्षमता में वृद्धि किए जाने और पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी किए जाने जैसी लागत की दृष्टि से प्रभावी स्कीमों के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था किया जाना ।

(5) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा आठवीं योजना में प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम एक बड़ी जल-विद्युत परियोजना आरम्भ करना ।

(6) आठवीं योजना के लिए पारेषण तथा वितरण कार्यक्रम के संबंध में एक निश्चित रूप रेखा तैयार करना ।

(7) ग्राम विद्युतीकरण निगत द्वारा ब्याज-मुक्त आधार पर अथवा अधिक रियायती दरों पर ऋणों की व्यवस्था किया जाना ।

केरल में केन्द्रीय निवेश

*97. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें केरल राज्य के औद्योगिक

क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश की प्रतिशतता बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया है ;

(ख) 31 दिसम्बर, 1988 को केरल में केन्द्रीय निदेश की प्रतिशतता क्या थी ;

(ग) क्या गत कुछ वर्षों से केरल में केन्द्रीय निवेश की प्रतिशतता में कमी आ रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कमी होने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) 31-3-1988, जिस अवधि की ही केवल जानकारी उपलब्ध है, को केरल राज्य में सकल परिसम्पत्ति के रूप में केन्द्रीय पूंजी निवेश की प्रतिशतता 1.6% है।

(ग) 1986 से लेकर कोई कमी नहीं हुई है। परन्तु, इससे पिछली वर्षों में प्रतिशतता अधिक थी।

(घ) समग्र सन्तुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान रखते समय परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता का विचार करते हुए केन्द्रीय पूंजी निवेश किया जाता है।

सिट अल्काटेल और इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज की संयुक्त उद्यम परियोजना

*98. **श्री पी० कुलनदईवेलु** :

श्री के० एस० राव :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की एक बड़ी कम्पनी सिट अल्काटेल और राय बरेली स्थित इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज द्वारा बड़े डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण करने हेतु लगाये जाने वाले सयुक्त उद्यम परियोजना को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिये कोई समिति गठित की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने इस परियोजना के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

संचार मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) से (घ). इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, रायबरेली में बड़े डिजीटल टेलीफोन एक्सचेंजों का विनिर्माण करने के लिए कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है। इस प्रयोजन के लिए किसी समिति की नियुक्ति नहीं की गई है।

विकास केन्द्रों की स्थापना

*५९. श्री प्रतापराव बी० भोसले :

श्री जी० भूपति :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का किन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत कुछ विकास केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इन केन्द्रों की स्थापना के लिए चुने गए स्थानों के राज्यवार/संघ राज्य-क्षेत्रवार नाम क्या हैं ;

(ग) इसके लिए स्थानों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये गये ; और

(घ) यदि कोई मानदण्ड नहीं अपनाये गये, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). सरकार ने अगले लगभग पांच वर्षों में सारे देश में 100 विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। विकास केन्द्रों को, जो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए चुम्बक का कार्य करेंगे, देश में उपलब्ध सर्वोत्तम सुविधाओं के समान, मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। प्रत्येक विकास केन्द्र को 25 से 30 करोड़ रु० की धनराशि दी जाएगी। प्रथम चरण में 61 विकास केन्द्र शुरू करने का निर्णय लिया गया है। विकास केन्द्रों का राज्यवार आवटन निम्न प्रकार है :—

राज्य	विकास केन्द्रों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	[illegible]
2. असम	2
3. बिहार	5
4. गुजरात	2
5. हरियाणा	2
6. जम्मू और कश्मीर	2
7. कर्नाटक	3
8. केरल	2

1	2
9. मध्य प्रदेश	5
10 महाराष्ट्र	4
11. उड़ीसा	3
12. पंजाब	2
13. राजस्थान	4
14. तमिलनाडु	3
15. उत्तर प्रदेश	6
16. पश्चिम बंगाल	3
17. अरुणाचल प्रदेश	1
18. गोवा	1
19. हिमाचल प्रदेश	1
20. मणिपुर	1
21. मेघालय	1
22. मिज़ोरम	1
23. नागालैण्ड	1
24. पांडिचेरी	1
25. त्रिपुरा	1
योग :	61

(ग) और (घ). विकास केन्द्रों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जाएगे:—

(क) विकास केन्द्रों की स्थापना, दूरी के मानदण्ड से बाहर की जाएगी, अर्थात् ये 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 7 शहरों की सीमा से 50 कि० मी० के भीतर, 15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 शहरों की सीमा से 30 कि० मी० और 7.5 लाख वाली परन्तु 15 लाख से कम जनसख्या वाले 12 शहरों की सीमा से 15 कि० मी० के भीतर नहीं होगे।

(ख) ये विकास केन्द्र जिला/उप-मण्डल/ब्लाक/तालुक मुख्यालयों अथवा विकासशील

शहरी केन्द्रों के नजदीक स्थापित किए जाएंगे।

(ग) इन विकास केन्द्रों को निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं होंगी :

(1) रेल शीर्ष, राजकीय अथवा राजमार्ग से निकटता। यदि आस-पास इस प्रकार का कोई राजमार्ग नहीं है तो राज्य सरकार को ऐसी सम्पर्क व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु पक्का और समयबद्ध वचन देना चाहिए।

(2) जल आपूर्ति के पर्याप्त और निर्भर करने योग्य स्रोत से निकटता

(3) बिजली आपूर्ति के पर्याप्त और विश्वसनीय स्रोत से निकटता

(4) दूर संचार सुविधाओं की उपलब्धता। यदि इस प्रकार की सुविधाएं पहले से उपलब्ध नहीं हैं तो इस बात का सुनिश्चय किया जाना चाहिए कि दूर-संचार विभाग अपनी योजनाओं में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यों को पर्याप्त प्राथमिकता देता है।

(5) उपयुक्त शैक्षणिक और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता। यदि ये सुविधाएं नहीं हैं तो राज्य सरकार को पक्के तौर पर यह वचन देना चाहिए कि वह ये सुविधाएं उन्हें निश्चित समय के भीतर उपलब्ध करा देगी।

(6) जहां तक सम्भव हो विकास केन्द्रों के चयन से उपजाऊ और उपलब्ध कृषि भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न कार्यों में अनावश्यक कार्यों में न किया जाए। इसके अलावा आवास सुविधाओं के विकास तथा तृतीय कार्य-कलापों के संवर्धन हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध रहनी चाहिए।

(7) इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि विकास केन्द्र ऐसे स्थानों पर स्थापित न किए जाएं जो पर्यावरण, संतुलन की दृष्टि से नाजुक हों तथा उनकी वजह से वनों को हानि नहीं होनी चाहिए तथा साथ ही यह भी देखना चाहिए कि उक्त नाजुक क्षेत्रों में केवल वही उद्योग लगाए जाएं जिनकी अनुमति पर्यावरण विभाग दे।

(8) विकास केन्द्र का चयन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि इसके प्रभाव क्षेत्र में लगभग 20-25 कि० मी० का स्थान आ जाएगा।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विकास केन्द्र स्थापित करने के अपने प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र अधिमानतः 30 अप्रैल 1989 तक भेज दें।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि का प्रभाव

***100. श्री हेत राम :**

श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में कोयले के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है ; और इस वृद्धि का औचित्य क्या है ;

(ख) उक्त मूल्य वृद्धि कब की गई तथा वह कितने प्रतिशत थी ; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि का अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों तथा थोक मूल्य सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) कोयले की कीमतों में अन्तिम बार हुई वृद्धि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कोल इण्डिया लि०	सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०
कोयले की कीमतें दिनांक 1-1-1989 से 219 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 249 रु० प्रति टन की गई जो कि औसतन 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। संशोधित कीमतों का निर्धारण जून, 1988 तक लागतों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किया गया है।	कोयले की कीमतें दिनांक 24-1-1989 से 270 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 297 रुपये प्रति टन की गई जो कि औसतन 10 प्रतिशत की वृद्धि है। संशोधित कीमतों का निर्धारण मार्च 1989 तक की वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(ख) कोल इण्डिया लि० के सम्बन्ध में कोयले की कीमतों में संशोधन अन्तिम बार दिनांक 23-12-1987 को किया गया था जब इसकी औसत कीमतें 219 रुपये प्रति टन निर्धारित की गई थी। इस संशोधन के समय कोल इण्डिया लि० की मूल कीमत सम्बन्धी वसूली औसतन लगभग 183 रुपये प्रति टन थी। अत: कीमतो मे वृद्धि 19 प्रतिशत की हुई।

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के सम्बन्ध में कोयले की कीमतों में संशोधित अन्तिम बार दिनांक 24-9-1988 को किया गया था जब ये 270 रुपये प्रति टन निर्धारित की गई थी। इस संशोधन के समय सिंगोरानी कोलियरीज कम्पनी लि० की औसतन वसूली कीमत लगभग 250 रुपये प्रति टन थी। अत: कीमतों में वृद्धि 8 प्रतिशत की हुई।

(ग) इस वृद्धि का प्रभाव विद्युत क्षेत्र में थर्मल विद्युत पैदा करने के लिए प्रति किलोवाट घंटा लगभग 3 पैसा और इस्पात के क्षेत्र पर लगभग 150 रुपये प्रति टन प्रभाव पड़ने का अनुमान लगाया गया है। यह दोनों क्षेत्र ही कोयले के बड़े उपभोक्ता हैं। कोयले की कीमतों में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि का थोक मूल्यों के सूचकांक पर तत्काल 0.14 प्रतिशत पड़ेगा, यह इस अनुमान पर आधारित है कि कोयले की कीमतों में हुई प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि का सामान्य कीमतों के स्तर पर 0.01 प्रतिशत की वृद्धि का प्रभाव पड़ता है।

पिछड़े क्षेत्रों में संचार का विकास

[अनुवाद]

768. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पिछड़े क्षेत्रों में संचार का विकास करने हेतु धनराशि निश्चित की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निश्चित किए गए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा राज्य-वार कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). पिछड़े क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास के लिए निधि का आवंटन अलग से नहीं किया जाता है फिर भी, वार्षिक योजना में जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं के विकास के लिए विशेष तौर पर निधि का आवंटन किया जाता है।

इसी प्रकार जहां तक डाक सुविधाओं का सम्बन्ध है, वार्षिक योजना में नए डाक घर खोलने, पत्रपेटियों के संस्थापन तथा वितरण एजेन्टों की नियुक्ति करने के लिए ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों हेतु अलग से निधि का आवटन किया जाता है दूरसंचार तथा डाक नेटवर्क का जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थापना की दृष्टि से दूरसंचार विभाग तथा डाक विभाग में उदारीकृत मानदंड अपनाये जाते हैं।

(ग) दूरसंचार विभाग ने निधि का आवंटन टेरीटोरियल सर्किल के लिए किया जाता है जो कि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के साथ हमेशा को-टर्मिनल नहीं होते। वर्ष 1988-89 के लिए जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास के लिए किया गया सर्किलवार निधि का आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। डाक विभाग से सम्बन्धित यह जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	सर्किल का नाम	संशोधित प्राक्कलन आवंटन 1988-89 (जनजातीय क्षेत्र)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1.07
2.	असम	0.82
3.	बिहार	3.63
4.	गुजरात	4.10
5.	हिमाचल प्रदेश	0.03

1	2	3
6.	कर्नाटक	5.57
7.	केरल (लक्षद्वीप सहित)	1.80
8.	मध्य प्रदेश	6.12
9.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	4.01
10.	उत्तर-पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम नागालैंड व त्रिपुरा)	11.60
11.	उड़ीसा	5.32
12.	राजस्थान	2.46
13.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	0.25
14.	उत्तर प्रदेश	0.01
15.	पश्चिम बंगाल (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह सहित)	2.30
	कुल :	49.09

कांडला में ज्वारीय विद्युत परियोजना

769. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला में ज्वरीय विद्युत परियोजना स्थापित करना सम्भव पाया गया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस परियोजना से बिजली का उत्पादन कब तक होने की सम्भावना है और इस पर कितनी लागत आयेगी तथा परम्परागत ऊर्जा उत्पादन की तुलना में इसका उत्पादन कैसा होगा ;

(ग) इस संयंत्र को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्य समुद्र तटों पर भी कोई परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ;

(ङ) क्या इस क्षेत्र में कोई विदेशी प्रौद्योगिकी अथवा सहायता मांगी गई है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट में कांडला के

समीप कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट की एक ज्वारीय विद्युत परियोजना प्रतिष्ठापित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ख) इस परियोजना से एक वर्ष में 1690 मिलियन यूनिट ऊर्जा के उत्पादन किए जाने की आशा है। दिसम्बर, 1987 की कीमतों के आधार पर विद्युत उत्पादन की लागत 90 पैसे प्रति यूनिट आंकी गई है। इसकी तुलना कोयले पर आधारित नए ताप विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन की लागत से की जा सकती है।

(ग) निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिए जाने तथा डिजाइन एवं निर्माण सम्बन्धी कार्य की रूप-रेखा का ब्यौरा तैयार कर लिए जाने के पश्चात् ही परियोजना को कार्यान्वित किया जा सकता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). परियोजना से सम्बन्धित तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सम्बन्धी अध्ययन कार्य करते समय परामर्श के लिए फ्रेंच विशेषज्ञों को भारत में आमन्त्रित किया गया था। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कुछ इन्जीनियरों को अध्ययन दौरे/प्रशिक्षण के लिए यू० के० और फ्रांस भी भेजा गया था।

सौर ऊर्जा अनुसन्धान पर व्यय

[हिन्दी]

770. **श्री एस. डी. सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसन्धान पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) इसे उपयोग में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) जिन सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, उसका ब्यौरा क्या है और अगले पांच वर्षों में कितने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों/भवनों में इसका उपयोग करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सौर ऊर्जा को विद्युत एवं तापीय ऊर्जा में बदलने के लिए क्रमशः सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी तथा सौर तापीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और विकास हेतु लगभग 45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अतिरिक्त, बायोगैस, बायोमास एवं पवन आदि जैसे सौर ऊर्जा के अप्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास तथा प्रदर्शन पर लगभग 60 करोड़ रु० खर्च हुए हैं। इनके परिणामस्वरूप, देश में निम्न ग्रेड की तापीय प्रौद्योगिकियों का देश में सफलतापूर्वक वाणिज्यकरण किया गया है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी का वाणिज्यिक स्तर तक विकास किया गया है। बायोगैस एक पूर्णरूपेण वाणिज्यकृत तथा व्यापक रूप से प्रयुक्त प्रौद्योगिकी हो गई है। बायोमास प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग आरम्भ हो चुका है।

(ख) सरकार की पूंजी निवेश भागीदारी योजना के अन्तर्गत सौर जल तापक ; सौर वायु तापक/शुष्क, सौर काष्ठ भट्टियां ; सौर विलवणीकरण प्रणालियां तथा सौर कुकर जैसी निम्न ग्रेड वाली सौर तापीय युक्तियां भी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार द्वारा समर्थित राज्य व्यापी कार्यक्रम के अन्तर्गत, रोशनी, जल पम्पन, संचार एवं अन्य उपयोगों के लिए दूर-दराज एवं पहाडी क्षेत्रों सहित, सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की ग्रामों में भी स्थापना की जा रही है। जल पम्पन एवं विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा उपयोग हेतु कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। बायोगैस एवं बायोमास के उपयोग के लिए बड़े कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा चुका है। यदि निधियां उपलब्ध कराई जाए तो इन सबका विस्तार किया जा सकता है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय और राज्य सरकार के भवनों, होटलों अस्पतालों तथा उद्योगों आदि में 2150 से भी अधिक सौर जल तापन प्रणालियों की स्थापना की गई है। सभी केन्द्रीय सरकार के विभागों एवं उपक्रमों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी गरम जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर जल तापन प्रणालियों को अपनाए।

राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश

[अनुवाद]

771. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के किए गए प्रति व्यक्ति पूंजीनिवेश के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार और योजनावार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान उक्त उपक्रमों में राज्य-वार प्रति व्यक्ति पूंजीनिवेश का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु, सकल परिसम्पत्ति के रूप में राज्यवार पूंजी निवेश का ब्यौरा बजट सत्र के दौरान संसद के दोनों सभापटलों पर प्रतिवर्ष रखे जाने वाले लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 में दिया जाता है।

(ग) चूंकि सातवीं योजना 31-3-1990 को ही समाप्त होगी, अतः फिलहाल जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु, 31-3-1988, अर्थात् केवल जिस तारीख तक की ही जानकारी उपलब्ध है ; को सकल परिसम्पत्ति के रूप में किए गए पूंजीनिवेश का राज्यवार ब्यौरा दिनांक 27-2-1989 को संसद के सभापटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 में पृष्ठ 16 पर दिया गया है।

जम्मू व कश्मीर में सवालकोट, बागलियर और उरि परियोजनाओं का निर्माण-कार्य

772. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में सवालकोट, बागलियर और उरि परियोजनाओं का निर्माण-

कार्य आरम्भ हो चुका है ;

(ख) अब तक किए गए निर्माण कार्य का ब्योरा क्या है और प्रत्येक निर्माण कार्य पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना का अनुमानित व्यय कितना है और प्रत्येक परियोजना कितनी अवधि के भीतर पूरी होगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). उडी जल-विद्युत परियोजना मे विभिन्न कार्य-स्थलों तक पहुंच मार्गों, निर्माण कार्यों के लिए विद्युत, संसार सम्बन्धी सुविधाओं जल विज्ञान तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण ड्रिफ्टिंग और ड्रिलिंग कार्य आदि जैसे निर्माण पूर्व प्रगति पर हैं ।

सयालकोट और बगलीहर जल विद्युत परियोजनाओं में अस्थायी निवासीय और गैर-आवासीय भवन, पहुंच मार्गों आदि जैसे आधारभूत और प्रमुख कार्य हाथ में ले लिए गए हैं।

इन तीन परियोजनाओं पर जनवरी, 1989 तक किए गए खर्च का ब्योरा निम्नानुसार है :—

	(करोड़ रु० में)
1. सवालकोट जल विद्युत परियोजना	0.86
2. बगलीहर जल विद्युत परियोजना	2.95
3. उड़ी जल विद्युत परियोजना	11.30

(ग) इन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अनुमानित लागत और निर्माण की अनुमानित अवधि (निवेश सम्बन्धी निर्णय के पश्चात) निम्नानुसार है :—

परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	पूरा किए जाने की अवधि
सवालकोट जल विद्युत परियोजना	608.91 (अगस्त, 1984 की कीमतों के आधार पर)	10 वर्ष
बगलीहर जल विद्युत परियोजना	608.99 (सितम्बर, 1984 की कीमतों के आधार पर)	6 वर्ष
उड़ी जल विद्युत परियोजना	1477.42	6 वर्ष

महाराष्ट्र में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन

773. **श्री प्रकाश बी० पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र के लिए गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत से कितनी उपलब्धि हुई ;

(ग) प्रत्येक मद में कितनी कमी रही ; और

(घ) ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). बायोगैस तथा उन्नत चूल्हा के सम्बन्ध में महाराष्ट्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्न प्रकार से हैं :—

	लक्ष्य	उपलब्धि
बायोगैस संयंत्र	1,35,100	1,96,568 (जनवरी, 89 तक)
उन्नत चूल्हा	2,65,000	2,30,352 (दिसम्बर, 88 तक)

विद्युत के सन्दर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि विद्युत प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन के लिए ही निधियां उपलब्ध कराई गईं।

तथापि पवन ऊर्जा जैसे नए तथा नवीकरणीय स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में विद्युत पैदा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। महाराष्ट्र के सिन्धुदुर्ग जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर 1.1 मेगावाट की एक पवन फार्म परियोजना पहले ही शुरू हो चुकी है। 550 किलोवाट का प्रथम चरण 20 मई, 1986 को चालू हुआ। 12.6 लाख यूनिट से भी अधिक बिजली महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड को दी जा चुकी है। 550 किलोवाट स्टेशन का दूसरा चरण 6 नवम्बर, 1986 को शुरू हुआ। 100 किलोवाट के ग्रिड से जुड़े पवन विद्युत जनित्रों को अलग से स्थापित किया गया है। गांवों तथा छोटे-छोटे आवास समूहों के प्रारम्भिक विद्युतीकरण के एक उपाय के रूप में राज्य में सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी कार्यक्रम को शुरू करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। अभी तक 648 गांवों को सौर प्रकाशवोल्टीय सड़क रोशनी प्रणालियां उपलब्ध कराई गई हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर पेय जल आपूर्ति अथवा लघु सिंचाई के लिए 54 जल पम्पन प्रणालियां ; 45 सामुदायिक/टी वी प्रणालियां और प्रकाशवोल्टीय माध्यम से सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाले 54 घरेलू रोशनी एकक स्थापित किए गए हैं। सौर जल तापन प्रणालियों और सौर स्टिल्स की स्थापना करके कुछ सीमा तक विद्युत को बचाया/प्रतिस्थापित किया गया है। अभी तक महाराष्ट्र में 29 सौर जल प्रणालियां और 85 सौर स्टिल्स स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा लगभग 16,000 सौर कुकर बेचे गए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) वित्तीय अड़चनों को ध्यान में रखते हुए 7वीं योजना के लिए योजना आयोग द्वारा

राज्य क्षेत्र में महाराष्ट्र के लिए 417 लाख रुपए की छोटी सी योजना मन्जूर की गई है। वर्ष 1989-90 के लिए अपारम्परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अधिक वित्तीय नियतनों की सिफारिश की गई है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को हड़ताल का नोटिस

774. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कामगारों और मजदूर संघों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रबन्धकों को हड़ताल का नोटिस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो नोटिस कब दिए गए ;

(ग) हड़ताल के नोटिस भेजने वाले मजदूर संघों के नाम क्या है ;

(घ) कामगारों/मजदूर संघों की मांगे क्या हैं ; और

(ङ) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). भारतीय कोलियरी मजदूर सभा (सीटू) ने दिनांक 25 जनवरी, 1989 को ई. सी. एल. की ए-बी कोलियरी, जमूरिया के एजेंट को हड़ताल का नोटिस दिया।

(घ) मजदूर यूनियन की यह मांग थी कि कोलियरी मे छुट्टी यात्रा रियायत/लम्बी छुट्टी यात्रा रियायत की अदायगी के मामले की अनियमितताओं की जांच की जाए और इस सम्बन्ध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

(ङ) दिनांक 6-2-1989 को हुई समझौता सम्बन्धी बातचीत के परिणामस्वरूप मजदूर यूनियन ने हड़ताल नोटिस को वापस ले लिया। इस मामले को जांच के लिए केन्द्रीय जाच ब्यूरो, धनबाद को सौंप दिया गया है।

खादी का उत्पादन

775. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश मे खादी का उत्पादन बढ़ाने का है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में खादी के और अधिक यूनिट स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो चालू वर्ष में खादी के विकास और उत्पादन के लिए कुल कितनी राशि आबन्टित की गई है ; और

(घ) क्या सरकार खादी के मूल्य कम करने पर भी विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) चालू वर्ष में खादी (सूती, मलमल ऊनी व रेशमी) के विकास का उत्पादन हेतु कुल 80.25 करोड़ रुपए की राशि आवन्टित की गई है, इसमें खादी के विज्ञान और तकनोलोजी कार्यक्रम के अधीन किया आबन्टन भी शामिल है।

(घ) कच्चे माल की कीमतों और कताईकारों व बुनकरों की मजदूरी में हुई वृद्धि को देखते हुए खादी की कीमतें कम करना सम्भव नहीं है।

केरल में नई विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

776 **श्री टी० बशीर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार केरल में किन्हीं नई विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). केरल राज्य में कयामकुलम ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 210 मेगावाट) को सोवियत सहायता से केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।

क्योंझरगढ़, उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्र

777. **श्री हरिहर सोरन :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा में क्योंझरगढ़ में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या क्योंझरगढ़ में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है तथा भूमि प्राप्त कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो वहां दूरदर्शन केन्द्र शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) दूरदर्शन केन्द्र के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). दूरदर्शन की सातवीं योजना में उड़ीसा के क्योंझरगढ़ में एक अल्प शक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल है। इस परियोजना की स्थापना के लिए भूखण्ड का कब्जा ले लिया गया है और ट्रांसमीटर भवन निर्माणाधीन है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस ट्रांसमीटर को 1989-90 के मध्य तक चालू किए जाने की उम्मीद है।

दस शीर्ष व्यापारिक घरानों द्वारा पूंजी निवेश और उत्पादन अनुपात

778. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दस शीर्ष व्यापारिक घरानों का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीनिवेश और उत्पादन का अनुपात कितना है ; और

(ख) गत वित्तीय वर्ष के दौरान इसके अनुपात का ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). वित्तीय वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के लिए वांछित सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 1986-87 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के 10 व्यापारिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की वर्ष 1986-87 (अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष) के दौरान परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त तथा परिसम्पत्तियां : व्यापारावर्त के अनुपात को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं० घराने का नाम	परिसम्पत्तियां	व्यापारावर्त	परिसम्पत्तियां : व्यापारावर्त अनुपात
1. टाटा	4940	4940	1 : 1.0
2. बिरला	4771	4360	1 : 0.9
3. रिलायन्स	2022	951	1 : 0.5
4. जे० के० सिंघानिया	1427	1143	1 : 0.8
5. थापर	1151	1060	1 : 0.9
6. मफतलाल	1050	1231	1 : 1.2
7. मोदी	860	1104	1 : 1.3
8. लारसन एण्ड ट्यूबरो	831	560	1 : 0.7
9. एम०ए० चिदम्बरम	808	432	1 : 0.5
10. बजाज	778	847	1 : 1.1

सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनी द्वारा सस्ती दरों पर औषधों की बिक्री

779. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **उद्योग मन्त्री** सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को सस्ती दरों पर औषध की बिक्री के बारे में 13 अगस्त, 1985 के तारांकित प्रश्न सं० 309 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस कम्पनी का ब्यौरा क्या है जिसे हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा अधिसूचित मूल्य और वास्तविक मूल्य, जिस पर उसे पेन्सिलिन 5 फर्स्ट क्रिस्टल्स की सप्लाई की गई थी, के बीच अन्तर की धनराशि को वापस करने के लिए कहा गया था ; और

(ख) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा कितनी धनराशि वसूल की गई और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० ने पेन्सिलीन वी प्रथम क्रिस्टल अभी तक किसी कम्पनी को नहीं दिया है और इसलिए एच०ए०एल० द्वारा किसी कम्पनी को औषध की अधिसूचित कीमत और वास्तविक कीमत के बीच अन्तर को वापस करने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

खेलों के आंखों देखा हाल का राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारण

780. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी से खेलों का आंखों देखा हाल केवल दिल्ली से ही प्रसारित किया जाता है ;

(ख) क्या यह आंखों देखा हाल सारे देश में विशेषतः पहाड़ी क्षेत्रों में स्पष्ट नहीं सुनाई देता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या खेलों के आंखों देखे हाल को राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, नहीं। आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों से भी खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता है।

(ख) ये आंखों देखे हाल सामान्यतः आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम जोन में ही सुने जाते हैं, जिसमें पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। इसे अधिक स्पष्ट बनाने के लिए, जहां आवश्यक पाया जाता है, वहां शार्टवेव सहायता भी प्रदान की जाती है।

(ग) खेल की प्रकृति, उसका महत्व तथा श्रोताओं की रुचि को देखते हुए खेलों का आंखों देखा हाल राष्ट्रीय नेटवर्क/क्षेत्रीय या स्थानीय स्तरों पर प्रसारित किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों का विक्रय मूल्य निर्धारित करना

781. **श्री परशुराम भारद्वाज :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य के निर्माण के मामले में स्वदेशी कच्चा तेल आयातित कच्चे तेल के बराबर माना जाता है ;

(ख) क्या मूल्य निर्धारण की इस नीति से भारतीय कच्चे तेल के कारण कोई अतिरिक्त राशि प्राप्त होती है ; और

(ग) क्या इस अतिरिक्त राशि को स्वदेशी बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य कम करने के लिए उपयोग में लाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय राजसहायता योजना

782. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

श्री ए० चार्ल्स :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों अथवा लघु उद्योग संघों की ओर से केन्द्रीय राजसहायता सम्बन्धी निवेश, जिसे गत वर्ष केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर दिया था, को बहाल करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पर अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग). सरकार केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना, जिसे 30-9-1988 के बाद बन्द कर दिया गया है, की अवधि बढ़ाने के लिए विचार कर रही है।

विभागेतर कर्मचारी

783. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र की योजना विभागेतर कर्मचारियों के मामले में भी लागू होती है ;

(ख) यदि नहीं, तो लगभग 3 लाख विभागेतर कर्मचारियों को संयुक्त परामर्शदात्री तन्त्र के समान सेवाएं किस संस्था के माध्यम से मिलती हैं ;

(ग) क्या विभागेतर कर्मचारी समिति ने यह सिफारिश की है कि सभी विभागेतर कर्मचारियों को एक विशिष्ट श्रेणी माना जाये और उनके लिए संगठन हो ; और

(घ) किन कारणों से इस सिफारिश को अब तक स्वीकार नहीं किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) मान्यता प्राप्त फेडरेशन/यूनियन/एसोसिएशनों को, जो अन्य कर्मचारियों के साथ-साथ

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का भी प्रतिनिधित्व करती हैं, सर्किल और केन्द्रीय स्तर पर क्रमशः चार-चार माह के अन्तराल पर होने वाली बैठकों के अलावा डिवीजन स्तर पर मासिक बैठकें करने की सुविधाएं भी दी गई हैं। इन बैठकों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं पर भी उपचारात्मक कार्रवाई के लिए विचार किया जाता है।

(ग) और (घ). अतिरिक्त विभागीय प्रणाली पर गठित समिति ने सिफारिश की है कि नियमित कर्मचारियों की यूनियनों/एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के लिए उपलब्ध विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के लिए भी लागू की जाए बशर्ते कि एक श्रेणी के बतौर शामिल किए गए सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटो के लिए एक ही एसोसिएशन हो। इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया तथापि, यूनियनों को, विभिन्न स्तरों पर होने वाली आवधिक बैठकों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि शामिल करने की कतिपय शर्तों के अध्यधीन अनुमति दे दी गई है और उसके स्थान पर रखे गए एवजी कर्मचारी का खर्च सरकार द्वारा किया जाता है।

रसायन निर्माताओं को बेनजीन की सप्लाई

784. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन निर्माताओं को घरेलू खपत के लिए बेनजीन की सप्लाई रोक दी गई है जिसके परिणामस्वरूप बम्बई में और इसके आसपास तथा गुजरात और शेष महाराष्ट्र में अनेक उद्योग बन्द हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का एसोसिएशन आफ स्माल एण्ड मीडियम कैमिकल मैन्यूफैक्चरर्स, बम्बई की ओर से बेनजीन की सप्लाई बहाल करने के बारे में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो बेनजीन की सप्लाई किस तारीख तक बहाल किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ङ). जी, नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र या देश में और किसी स्थान पर उद्योगों के किसी भी क्षेत्र को बेनजीन की आपूर्ति बन्द नहीं की गई है। मे० इण्डियन आयल कार्पोरेशन और मे० भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० की शोधनशालाओं में उत्पादन की कुछ समस्याओं के कारण बेनजीन की कुछ कमी रही है, लेकिन अब पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।

इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार ने बेनजीन का आयात भी किया है और निर्यात उत्पादन को प्राथमिकता देते हुए सभी उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति की जा रही है।

जिला उद्योग केन्द्र

785. **श्री संयद शाहबुद्दीन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए दिए गए ऋण (एस०ई०ई०यू०वाई०) से स्थापित औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों की प्रगति पर निगरानी रखी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के चालू होने के बाद 1 जनवरी, 1989 के अनुसार बिहार के पूर्णिया जिले में स्थापित ऐसे संस्थानों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि सम्पूर्ण देश में ऐसे अनेक एकक बन्द हो गए हैं और सम्बन्धित बैंकों द्वारा ऋणों और उस पर ब्याज की वसूली के लिए उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस योजना में सुधार लाने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) 1983-84 से 1987-88 तक की अवधि के दौरान, बिहार के पूर्णिया जिले में 2839 लाभानुभोगियों को ऋण मन्जूर किया गया।

(ग) विद्यमान डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली के अन्तर्गत उन कार्यरत/बन्द एककों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती जिन पर मुकदमा चल रहा है ।

(घ) इस योजना का नियमित मूल्यांकन किया जा रहा है ।

आटो-वाहन उद्योग में संकट

786. श्री चिन्तामणि जेना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रक की चेसिसों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक उद्योग का वार्षिक उत्पादन क्या है ;

(ख) क्या आटो-वाहन उद्योग संकट की स्थिति में है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या विदेशों में आटो-वाहनों की भारी मांग है ; और

(ङ) यदि हां, तो आटो-वाहनों का निर्यात करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मै० टैल्को, बम्बई, मै० अशोक लिलैण्ड लिमिटेड, मद्रास तथा मै० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड, कलकत्ता, देश में मझौले तथा हैवी ड्यूटी वाणिज्यिक वाहनों, जिनमें ट्रक तथा बसें भी शामिल हैं, के मुख्य निर्माता हैं । इन कम्पनियों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान किया गया उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े नगों में)

	86-87	87-88
1. मैं० टैल्को	44190	47401
2. मैं० अशोक लिलैण्ड	15138	16720
3. मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स	828	693

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ). भारतीय आटो वाहन निर्माताओं ने अभी हाल में संतुलित पैमाने पर निर्यात बाजार मे प्रवेश किया है। टेल्को, अशोक लिलैण्ड, महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा बजाज आटो लिमिटेड जैसे कुछ प्रमुख आटो निर्माता अपने वाहनों का अधिक संख्या मे निर्यात कर रहे हैं। यात्री कार क्षेत्र में, मारुति उद्योग लिमिटेड ने 1987-88 के दौरान 500 कारों का निर्यात करके निर्यात बाजार में प्रवेश कर लिया है। इसी प्रकार, दुपहिए क्षेत्र में, टी० वी० एस० सुजुकी लिमिटेड तथा एल. एम. एल. लिमिटेड ने भी अभी हाल में निर्यात बाजार में प्रवेश किया है। सरकार वाहनों के निर्यात को सुचारु बनाने के लिए वित्तीय तथा राजस्व प्रोत्साहनों, निविष्ट लागत में कटौती, प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा लाइसेंस सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हटाने सहित विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

असम के गांवों में डाक का वितरण

787. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में मनीआर्डर, पार्सल, पत्र आदि का वितरण पखवाड़े में एक बार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गांवों और असम के दूर-दराज के क्षेत्रों में इनके शीघ्र वितरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। वितरण के लिए डाक हर रोज भेजी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) असम में भी डाक रोजाना भेजी जाती है। व्यक्तिगत शिकायतों की निरपवाद रूप से जांच की जाती है।

ऊर्जा खपत

788. श्री राम स्वरूप राम : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊर्जा खपत कम करने तथा इसका अपव्यय रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए और 1988-89 के दौरान क्या परिणाम प्राप्त किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ऊर्जा की खपत कम करने तथा इसके अपव्यय को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं : ऊर्जा का अधिक उपभोग करने वाले उद्योगों के लिए विशिष्ट ऊर्जा खपत का लक्ष्य निर्धारण करना, ऊर्जा की लेखा परीक्षा करना, औद्योगिक कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, विद्युत उपकरणों से संबंधित स्तर में परिवर्तन करना, ऊर्जा बचत उपस्करों पर वित्तीय प्रोत्साहन लागू करना, बेकारगर कृषि पम्प सैटों को ठीक करने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम, बहु-माध्यम अभियान के जरिए जनजागरण बढ़ाना और औद्योगिक इकाइयों द्वारा बेहतर गृह-व्यवस्था के उपायों और प्रौद्योगिकी को अपनाया जाना।

(ख) स्टील, अल्यूमिनियम उर्वरकों, सीमेन्ट रिफाइनरियों कोयला, रेलवे राज्य यातायात निगम आदि जैसी चुनी हुई इकाइयों के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों के परिणामों को मानीटर किया गया जिससे 1987-८८ के दौरान उनके विशिष्ट ऊर्जा खपत के स्तरों में महत्त्वपूर्ण गिरावट पाई गई। 1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्य को भिन्न-भिन्न मात्रा में और सुधार की आवश्यकता है।

लक्षद्वीप में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार

789. श्री शांताराम नायक : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप में दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने और/या उन्हें आधुनिक बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित के संस्थापन की दृष्टि से स्कीम के अन्तर्गत कार्य चला रहा है :—

I. किल्टान अंद्रोथ, काल्पेनी और आगत्ती में नए भू-केन्द्र ; और

II. निम्नलिखित स्थानों के बीच वी. एच. एफ. लिंक :—

(क) अमीनी-कदमात

(ख) कदमात-किल्टान

(ग) किल्टान-चेटलाट

(घ) चेटलाट-बित्रा ; और

2. पंजीकृत मांग को पूरा करने के लिए कावारती, मिनिकाय, अद्रोथ, अगाट्टी, अनीनी, कालपेनी, चेटलाट, कदमात और किल्टान स्थित मौजूदा एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाए जान का प्रस्ताव है।

कम्पनियों द्वारा जमा राशि की अदायगी

790. **श्री के० एस० राव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता से प्राप्त की गई जमा-राशि की अदायगी के लिए कम्पनियों को निर्देश देने के बारे में कम्पनी अधिनियम, 1956 में कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ सरकारी क्षेत्र के एककों, बड़े व्यापारिक गृहों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित अनेक कम्पनियां अदायगी करने में विफल रही है ; और यदि हां, तो अदायगी न करने वाली ऐसी कम्पनियों, आदि के नाम क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार कम्पनी अधिनियम की धारा 58 (क) को लागू करके जमा-राशि अदायगी न किये जाने के सम्बन्ध में त्रुटियों को दूर करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के अन्तर्गत कम्पनी विधि बोर्ड को कम्पनियों द्वारा निक्षेपों या उसके भाग को इस प्रकार के निक्षेपों के निबन्धनों व शर्तों के अनुसार प्रतिसंदाय न कर पाने पर संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है तथा उक्त बोर्ड द्वारा कम्पनियों को जारी किए गए निर्देशों के गैर अनुपालन पर संशोधित उपबन्धों के लागू होने के बाद कारावास तथा जुर्माने दोनों रूप में सजा होगी।

(ग) सरकार को कतिपय कम्पनियों द्वारा परिपक्व तारीख को ब्याज सहित निक्षेपों का प्रति-संदाय न किए जाने से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सूचना संकलित करने में लगने वाला समय तथा प्रयास प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के अनुकूल नहीं होंगे।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में डाक और तार सुविधाएं

791. **श्री एन० टोम्बो सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों के दौरान और वर्ष 1978 तथा 1988 की तुलनात्मक स्थिति के आंकड़े दर्शाते हुए जिला मुख्यालय, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों तथा नगर पालिका वाले शहरों सहित मणिपुर राज्य में डाक और तार सुविधाओं में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार को अपर्याप्त सुविधाओं के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों की जानकारी जिनके कारण राज्य में वितरण और प्रेषण आदि में असामान्य विलम्ब होता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) दिनांक 31-3-1980 को मणिपुर में डाकघरों की संख्या 416 थी जो कि दिनांक 31-1-1989 को बढ़कर 542 हो गई ।

मणिपुर घाटी में सन् 1980 में तारघरों की संख्या पहाड़ी क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों, मैदानी इलाकों के जिला मुख्यालयों, और म्युनिसिपल कस्बों में क्रमशः 5, 3 और 29 थी । सन् 1988 में म्युनिसिपल कस्बे में एक फोनोकॉम तार घर की नाम मात्र वृद्धि हो छोड़कर स्थिति वही है ।

(ख) डाक के निपटान/वितरण में देरी की शिकायतें हुई हैं ।

दिन में तार बांटने और लाइन पर तार पारेषण का कार्य आम तौर पर शीघ्र किया जाता है । दिन छिपने के बाद (1800 बजे) तार बांटने में देरी सुरक्षा कारणों के लिए सीमित आवा जाही और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं के बन्द हो जाने के कारण है ।

(ग) इस सम्बन्ध में, पोस्टमास्टर जनरल ने इम्फाल मुख्य डाकघर की छंटनी और डाक बांटने की शाखाओं जहां मणिपुर राज्य की आवक और जावक डाक इकट्ठी की जाती है, के स्टाफ सदस्यों की संख्या की समीक्षा की है और स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव रखा है । मामले की जांच की जा रही है ।

तार भेजने में और सुधार लाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(एक) और अधिक सिगनलर्स को प्रशिक्षण देने के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

(दो) (क) इम्फाल और उखरूल और (ख) इम्फाल और चुरचंदपुर के बीच टेलीप्रिंटर की योजना है ।

(तीन) 8वीं योजना में और अधिक संयुक्त डाक-तारघर खोलने के प्रस्ताव की समीक्षा की जा रही है ।

(चार) उपग्रह माध्यम पर तार-सेवा सुलभ कराने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रायोगिक आधार पर एक परियोजना आरम्भ की गई है ।

केरल में चित्तूर में डाकघर का दर्जा बढ़ाना

792. **श्री पी० ए० एन्टनी : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में चित्तूर स्थित छोटे डाकघर का दर्जा बढ़ा कर प्रधान डाकघर करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) चित्तूर उप-डाकघर का प्रधान डाकघर के रूप में दर्जा बढ़ाने के लिए फरवरी, 1984 में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) प्रस्ताव औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया क्योंकि यह इस सम्बन्ध में विभागीय मानदण्डों को पूरा नही करता।

केरल के कोट्टायम जिले में नए डाकघर खोलना

793. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 में केरल के कोट्टायम जिले में कितने नए डाकघरों को खोलने का विचार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये डाकघर किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित डाकघर इस प्रकार है :—

(एक) उरकनाडु

(दो) इलमकेड ; और

(तीन) अमोरा

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास मामले

794. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं जिन पर पिछले एक वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की गई है ;

(ख) कितने मामलों में स्थगन दिए गए और किसके अनुरोध पर ; और

(ग) आयोग के पास लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). वर्ष 1988 के दौरान, आयोग ने 907 जांच के मामले संस्थित किए और एसे 733 मामलों का निपटान किया। चूंकि मामलों की संख्या बहुत बड़ी थी और माननीय सदस्य का प्रश्न किसी विशिष्ट मामले से सम्बन्धित नहीं था इसलिए मांगी गई सूचना प्रस्तुत करने में लगने वाला समय तथा प्रयास प्राप्त किए जाने वाले प्रयोजन के अनुरूप नहीं होगा। जांचों की प्रगति एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न-भिन्न होती है जो मुद्दों के स्वरूप, पक्षकारो के आचरण, साक्षियों के व्यवहार आदि पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को एक न्यायिक-कल्प निकाय होने के कारण एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हैं।

महानगर, टेलीफोन निगम लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना

[हिन्दी]

795. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को कितने मामलों में वर्ष 1986 से अब तक नौकरी दी गई है ;

(ख) क्या मृत कर्मचारियों के नौकरी पाने वाले ऐसे आश्रितों को पेंशन या अन्य लाभ दिए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें पेंशन तथा अन्य लाभ नहीं दिए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "इन्स्टीट्यूट आफ रिजर्वायर स्टडीज" द्वारा तेल निकालने की विकसित तकनीकों का विकास

[अनुवाद]

796. **श्री के॰ राममूर्ति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के "इन्स्टीट्यूट आफ रिजर्वायर स्टडीज" द्वारा अब तक तेल निकालने के लिए अब तक विकास की गई विकसित तकनीक का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के तेल भण्डारों में इनके प्रयोग से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने प्रायोगिक आधार पर अधिक तेल निकालन की निम्नलिखित नौ परियोजनाओं को हाथ में लिया है।

क्रम सं०	ई० ओ० आर० प्रायोगिक	क्षेत्र	योजना लागत (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	इन-सितु कम्बशन	लांवा गुजरात	955
2.	स्टीम इन्जेक्शन	बलोल गुजरात	668
3.	पालीमर फ्लड	सन्नाद गुजरात	200
4.	पालीमर फ्लड	झालोरा गुजरात	502

1	2	3	4
5.	कास्टिक फ्लड	सन्नाद गुजरात	355
6.	सी ओ$_2$ मिजीबल फ्लड	कलोल गुजरात	476
7.	मिजलर पालीमर फ्लड	अंकलेश्वर गुजरात	690
8.	इन-सितु-कम्बशन	बलोल गुजरात	875
9.	एल. पी. जी. प्रायोगिक	गेलेकी असम	835

इनमें से निम्नलिखित 3 प्रायोगिक परियोजनाओं को चालू किया गया है :

1.	पालीमर फ्लड प्रायोगिक, सन्नाद	—	अप्रैल, 1985
2.	पालीमर फ्लड प्रायोगिक, झालोरा	—	अगस्त, 1987
3.	कास्टिक फ्लड प्रायोगिक, सन्नाद	—	दिसम्बर, 1987

सनन्द के पोलिमर फ्लड पाइलट के क्षेत्रगत परिणामों के फलस्वरूप तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग इस परियोजना का विस्तार करने में सक्षम हुआ है। शेष परियोजनाओं के परिणामों का पता प्रायोगिक अध्ययनों के पूरा होने के बाद लग सकेगा।

केरल को मिट्टी के तेल की सप्लाई

797. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मिट्टी के तेल की प्रतिमाह कुल कितनी आवश्यकता है ;

(ख) गत छह महीनों के दौरान प्रति माह मिट्टी के तेल की सप्लाई का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या केरल को मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो मांग पूर्णतः पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ). केरल सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की मांग का अनुमान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में किए गए आबंटन में उचित वृद्धि दर जोड़कर लगाया जाता है और उसके अनुसार आबंटन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, सूखा, एल० पी० जी० की कमी आदि विशेष स्थितियों से निपटने के लिए नियमित आबंटन के अतिरिक्त तदर्थ आबंटन भी किया जाता है। पिछले 6 महीनों (अगस्त, 1988 से जनवरी, 1989) के दौरान केरल राज्य को किए गए आबंटन और सप्लाई का ब्योरा इस प्रकार है :—

महीना	नियमित आबंटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	सप्लाई
अगस्त, 1988	18,258	1712	19,970	20,179
सितम्बर, 88	18,258.	1212	19,470	19,735
अक्तूबर, 1988	18,258	2212	20,470	20,951
नवम्बर, 1980	20,923	1212	22,135	20,966
दसम्बर, 88	20,923	1222	22,135	22,039
जनवरी, 89	20,923	1212	22,135	21,830

वर्तमान नीति के अनुसार केरल को मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया है, जो राज्य में सही उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त माना गया है।

झूठे दावे प्रस्तुत करने वाली कम्पनियां

[हिन्दी]

798. **श्री सरफराज अहमद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1989 की "जनसत्ता" में 'झूटे दावे प्रस्तुत करने वाली कम्पनियों पर रोक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान झूठे दावे प्रस्तुत करके धन संग्रह करने का प्रयास किया है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1986 से आज तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने ऐसी कम्पनियों/फर्मों के 147 मामलों की जांच की। ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	जांच संख्या	प्रतिवादी का नाम	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
1.	233/86	श्री फूड्स लिमिटेड	कार्यवाही बन्द की गई
2.	234/86	खेतान कैमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स लि०,	जांच खारिज की गई।
3.	235/86	कोठारी जनरल फूड्स कार्पोरेशन लि०, तथा अन्य	लम्बित
4.	109/86	मैफ्लावर सर्विसेस लि०	जांच की गई। एस. 36-डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
5.	95/86	ला बेला फाइनैंशियर्स	लम्बित
6.	42/86	रॉकलैन्ड लीजिंग लिमिटेड	—यथोपरि—
7.	99/86	भारत ओवरसीज फाइनैंशियर्स एण्ड इन्डस्ट्रीयल इन्वेस्टमैन्ट कार्पोरेशन	जांच की गई। एस-36-डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
8.	101/86	ट्रांस (इन्डिया) वेयर हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड	कार्यवाही बन्द कर दी गई।
9.	1/8/86	रीजेन्सी प्रोपर्टीज लि.	—यथोपरि—
10.	213/86	इन्दा फार्म्स एंड प्रोपर्टीज लि.,	लम्बित
11.	214/86	कृष्णा फार्म्स, लखनऊ	—यथोपरि—
12.	226/86	एस. के. एग्रो एन्टरप्राइजेज	जांच की गई। एस-36डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
13.	241/86	एस. के. आनन्द एंड कम्पनी	लम्बित
14.	245/86	सदानन्द फाइनेंस लि.	—यथोपरि—

1	2	3	4
15.	255/86	महाराष्ट्र कोकोनट ग्रोअर्स (इंडिया) एंड फेमिली काम्पलैक्स	लम्बित
16.	256/86	ए. एल. बी. शेयर ट्रेडिंग कं. लि.	कार्यवाही बन्द कर दी गई।
17.	66/87	इंडियन रेयन कार्पोरेशन लि.	जांच खारिज की गई।
18.	326/87	एम. एस. एन्टरप्राइजेज	—यथोपरि—
19.	4/87	डालमिया रिसोर्टस इन्टरनैशनल	जांच बन्द की गई।
20.	5/87	इंडियन रेयन कार्पोरेशन लि.	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
21.	14/87	आई.ओ. एफ. आई. सी. लीजिंग लि.	लम्बित
22.	27/87	यूनिवर्सल लगेज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि.	—यथोपरि—
23.	54/87	ओरियन्ट फाइनेंस एंड एक्सचैंज कं.	जांच की गई। एस. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
24.	60/87	नेहा लीजिंग एंड होल्डिंग्स लि.	जांच बन्द की गई।
25.	61/87	ऐपल लीजिंग एंड इन्ड. लि.,	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
26.	114/87	ए. एन. लैन्ड एंड फाइनेंश कं.	—यथोपरि—
27.	115/87	मैंगलोर बैंकर्स एंड फाइनेंशियल कार्पोरेशन	जांच की गई। एस. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
28.	125/87	ट्रावनकोर फाइनेंस एंड एक्सचेंज कम्पनी	—यथोपरि—
29.	147/87	एम. एस. रिमोर्ट्स लि.,	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया

1	2	3	4
30.	153/87	कलायमागल सभा	लम्बित
31.	158/87	गोल्ड वैली एग्रो डवलपमेंट प्रा. लि.	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
32.	159/87	साउथ देहली होल्डिंग (प्रा.) लि.	जांच की गई। एस. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
33.	182/87	जयाशक्ति फाइनेंशियर्स	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
34.	195/87	प्रोफेशनल्स फार्मस प्रा. लि.	लम्बित
35.	243/87	समरीआस हाउसिंग फाइनेंस लि.,	कार्यवाही बन्द कर दी गई
36.	247/87	धन्य फाइनेन्स एंड इंडस्ट्रीयल इन्वैस्टमेंट	जांच बन्द कर दी गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
37.	248/87	सूर्या फाइनेंस, मद्रास	जांच निपटा दी गई।
38.	249/87	सूर्योदय फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमैंट कम्पनी	जांच बन्द कर दी गई। एस. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
39.	251/87	न्यू लाइफ जनरल फाइनेन्स एंड इन्वैस्टमैंट कं. लि.	जांच बन्द कर दी गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
40.	265/87	ब्रिजिलैन्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन	लम्बित
41.	280/87	शालीमार फाइनेंशियर	जांच बन्द कर दी गई। एस. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
42.	283/87	औदित्य फाइनेन्स एंड इन्वैस्टमैंट (इंडिया) लि.,	लम्बित

1	2	3	4
43.	285/87	कोहिनूर फाइनेन्स प्रा. लि.	लम्बित
44.	288/87	रैक्सन लीजिंग एंड फाइनेन्स लि.	—यथोपरि —
45.	291/87	कमललोचन कार्पोरेशन (भारत) लि.,	लम्बित
46.	299/87	नहिडको	लम्बित
47.	301/87	उदय फाइनेन्स एंड इन्वैस्टमैंट	कार्यवाही बन्द की गई
48.	310/87	एस. एम. डाइकेम लि.	लम्बित
49.	329/87	न्यू इंडिया फाइनेन्शियल कार्पोरेशन	— यथोपरि—
50.	367/87	सुगेसन फाइनेन्स	—यथोपरि—
51.	368/87	हबीटेन्ट इंडिया एग्रो डेवलपमेंट प्रा. लि.,	—यथोपरि—
52.	376/87	—यथोपरि—	—यथोपरि—
53.	438/87	कन्सौलीडेटड फाइनेन्स कार्पोरेशन	जांच की गई। एम. 36 डी (1) के अन्तर्गत आदेश पारित किए गए।
54.	44[illegible]/87	मलिक एंड कम्पनी	लम्बित
55.	457/87	स्पीरिंग स्टील लि.,	—यथोपरि—
56.	459/87	महाराष्ट्र यूकलिप्टस एंड होर्टीकल्चर डवलपमैंट प्रा. लि.	—यथोपरि—
57.	497/87	सहारा इंडिया सेविंग एंड इन्वैस्टमेंट	—यथोपरि—
58.	506/87	पार्क इन्वैस्टमैंट	—यथोपरि—
59.	507/87	इंडियन मनी सरकूलेटिंग स्कीम	जांच की गई। एस. 36 डी (2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया
60.	73/87	नागार्जुन फर्टीलाइजर्स कैमिकल्स लि.,	कार्यवाही बन्द कर दी गई
61.	74/87	सूर्य प्रोटीन्स लि.	कार्यवाही बन्द कर दी गई

1	2	3	4
62.	75/87	कॉन्टीनेन्टल कैमिकल्स लि.,	कार्यवाही बन्द कर दी गई
63.	76/87	मोदी थ्रैड्स लि.,	—यथोपरि—
64.	77/87	ग्लोरिया लीजिंग लि.,	—यथोपरि—
65.	78/87	प्रशान्त प्रोटीन्स लि.	—यथोपरि—
66.	79/87	अरावली लीजिंग लि.	—यथोपरि—
67.	80/87	यूनाइटेड लीजिंग लि.	—यथोपरि—
68.	81/87	अंकुर इलैक्ट्रोनिक्स लि.	—यथोपरि—
69.	82/87	हाजी मन्जूर आलम इन्डस्ट्रीज लि.	—यथोपरि—
70.	83/87	मोदी कारपेट्स लि.	—यथोपरि—
71.	84/87	मोदी अल्कलीज एंड कैमिकल्स लि.,	—यथोपरि—
72.	85/87	श्री राजस्थान सिनटेक्स लि.	—यथोपरि—
73.	86/87	रामा फाइबर्स लि.	—यथोपरि—
74.	87/87	मेगना हर्डटैम्प लि.	—यथोपरि—
75.	88/87	ऊषा रैक्टीफायर कार्पोरेशन (इंडिया) लि.	—यथोपरि—
76.	89/87	आसाम ब्रुक लि.	—यथोपरि—
77.	90/87	दुग्गल कन्स्ट्रक्शन (इंडिय) लि.	—यथोपरि—
78.	91/87	अजय पेपर मिल्स लि.	—यथोपरि—
79.	92/87	विनोद पेपर मिल्स लि.	लम्बित
80.	93/87	श्रीटॉन इंडिया लि.	—यथोपरि—
81.	94/87	मशरूम लि.	लम्बित
82.	95/87	नागार्जुन सिगनोड लि.	लम्बित
83.	96/87	पंजाब सैरामिक्स लि.,	लम्बित
84.	97/87	लक्ष्मी प्रेसिजन स्क्रूज लि.	लम्बित

1	2	3	4
85.	110/87	मानसरोवर बोटलिंग कं. लि.	कार्यवाही बन्द कर दी गई
86.	180/87	रोज मुरक्का फाइनेन्स	लम्बित
87.	217/87	रॉकलैन्ड लीजिंग लि.	—यथोपरि—
88.	219/87	कमनवाला हाउसिंग डेवलपमैंट फाइनेन्स कं. लि.	—यथोपरि—
89.	219/87	सिनथैक्सो फोयल्स लि.	कार्यवाही बन्द कर दी गई
90.	226/87	डेल क्रेडर बैंकर्स	लम्बित
91.	227/87	—यथोपरि—	कार्यवाही बन्द कर दी गई
92.	228/87	—यथोपरि—	लम्बित
93.	229/87	—यथोपरि—	—यथोपरि—
94.	237/87	समरीज फाइनेंसर्स	लम्बित
95.	262/87	औदित्य फाइनेंस एण्ड इन्वैस्टमेंट (इण्डिया) लि०,	यू०टी०पी०ई० 283/87 के साथ मिला दिया गया जो लम्बित है।
96.	263/87	साज फाइनेंस लीजिंग कं० लि०	लम्बित
97.	26[illegible]/87	मंगलौर बैंकर्स एण्ड फाइनेंस कारपोरेशन	लम्बित
98.	270/87	जयाप्रदा फाइनेंसर्स	कार्यवाही बन्द कर दी गई
99.	273/87	नोबल इंडिया फाइनेंसर्स	लम्बित
100.	282/87	न्यू इंडिया फाइनेंशियल कारपोरेशन	जांच खारिज कर दी गई
101.	290/87	एच०आई०एम० कन्टेनर्स लि०	कार्यवाही बन्द कर दी गई
102.	296/87	जया इण्टरनेशनल एण्टरप्राइजेज	कार्यवाही बन्द कर दी गई
103.	309/87	साज फाइनेंस एण्ड लीजिंग कं० लि०	लम्बित
104.	330/87	चेन्क्या मल्टीपर्पज स्कीम	लम्बित
105.	354/87	अजयमेरू इन्टरनेशनल	—यथोपरि—
106.	356/87	सेन्ट जोंस बैंकर्स	कार्यवाही बन्द कर दी गई

1	2	3	4
107.	363/87	मलिक एण्ड क०	जांच खारिज कर दी गई
108.	380/87	बुगृदियार बैंकर्स	कार्यवाही बन्द कर दी गई
109.	400/87	यूनाइटेड फाइनेंस कारपोरेशन	लम्बित
110.	402/87	सुगेसन फाइनेंस इन्वैस्टमेंट	कार्यवाही बन्द कर दी गई
111.	441/87	डिकेन फाइनेंस एण्ड इंडस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट कं०	लम्बित
112.	463/87	श्री सुभाष बजाज द्वारा फाइनेंस कन्सल्टेन्ट्स	लम्बित
113.	464/87	देवमाता कुरीज एण्ड फाइनेंस लि०	लम्बित
114.	476/87	जी वी० पेरीरा	लम्बित
115.	486/87	यूनीवर्सल स्टील एण्ड एलाय लि०	कार्यवाही बन्द कर दी गई
116.	503/87	मनुभाई रजनीकांत शरोफ	कार्यवाही बन्द कर दी गई
117.	6/88	नार्दर्न लीजिंग लि०	लम्बित
118.	12/88	सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सेन्टर	लम्बित
119.	34/88	मोदी कारपेट्स लि०	लम्बित
120.	43/88	बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०	लम्बित
121.	44/88	रॉकलैंड लीजिंग लि०	लम्बित
122.	53/88	रिलाएबल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट एण्ड रिलाएबल मार्किटिंग एसोसिएट	कार्यवाही बन्द कर दी गई
123.	59/88	फैडरल कन्सोलीडेटेड फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट	लम्बित
124.	61/88	डोस इन्वेस्टमेंट	कार्यवाही बन्द कर दी गई
125.	62/88	अम्बालाल साराभाई एन्टरप्राइज़ेज लि०	लम्बित

1	2	3	4
126.	67/88	सच्चपानी सेविंग्स एण्ड इन्वेस्मेंट (आई०) लि०	लम्बित
127.	86/88	आर० पी० हाइड्रो ऑयल्स लि०	कार्यवाही बन्द कर दी गई
128.	89/88	ओ० टी० ए० इंडिया	लम्बित
129.	91/88	टोनी चेनाकल्लम कं०	जांच की गई। एस०36 डी०(1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
130.	94/88	जनाब शाजहां	लम्बित
131.	105/88	मुक्कदन फाइनेंशियर्स	जांच की गई। एस०36 डी०(1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
132.	124/88	पी०एल०एस० फाइनेंशियर्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स	लम्बित
133.	234/88	सहारा इंडिया लि०	लम्बित
134.	263/88	मावी इन्वेस्टमेंट लि०	लम्बित
135.	267/88	फैवरेट स्माल इन्वेस्टमेंट लि०	जांच की गई। एस०36 डी०(1) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
136.	331/88	नहिडको	लम्बित
137.	342/88	सहारा इंडिया लि०	लम्बित
138.	354/88	ओ०टी०ए० इंडिया लि०	लम्बित
139.	357/88	वारालक्ष्मी नरसिंहा ग्रोथ फंड लि०	कार्यवाही बन्द कर दी गई
140.	360/88	रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्स लि०	जांच की गई। एस० 36 ख (क) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
141.	365/88	टी०वी०आर० फंड्स	लम्बित
142.	376/88	जनप्रिया फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट (आई०) लि०	लम्बित

1	2	3	4
143.	401/88	अरुण गोयल एम० एस० अजयमेरु इन्टरनेशनल	लम्बित
144.	406/88	कोस्टल ट्रालर्स लि०	जांच की गई। एस० 36 ख (ग) के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया।
145.	3:6/88	यू० पी० होटल्स	जांच खारिज की गई।
146.	4/89	दीपक फर्टीलाइजर्स एंड पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०	लम्बित
147.	25/89	त्रुशना मरकेन्टाइल एंड फाइनेंस कम्पनी प्रा० लि०	लम्बित

मारुति कारों का निर्यात

[अनुवाद]

799. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति कारों की विदेशों में भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों को मारुति कारें निर्यात की जा रही हैं ;

(ग) क्या हाल ही में मारुति कारें खरीदने के लिए हंगरी ने क्रयादेश दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो 1988-89 के दौरान हंगरी एवं अन्य देशों द्वारा दिए गए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) कुछ देशों में मारुति वाहनों के निर्यात की सम्भावनाएं बेहतर हैं।

(ख) मारुति कारों का निर्यात हंगरी, बंगलादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मारीशस, माल्टा तथा साइप्रस को किया जा रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मोगर्ट, हंगरी के साथ 200 मारुति कारों की सप्लाई करने के लिए एक करार पर 1989 में हस्ताक्षर किए गए हैं। यूगोस्लाविया ने भी 1989 में सप्लाई की जाने वाली 600 कारों के क्रयादेश की पुष्टि की है।

पैन उद्योग में विदेशी सहयोग

800. **श्री अनिल बसु :**

श्री अजय विश्वास :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैनों का निर्माण करने वाली कुछ विदेशी कम्पनियां भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने की इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विदेशी कम्पनियों और भारतीय फर्मों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पैन उद्योग में किसी विदेशी सहयोग की अनुमति दी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). पैन उद्योग में विदेशी सहयोग के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ग) हाल में सरकार ने पैन के विनिर्माण के लिए किसी विदेशी सहयोग का अनुमोदन नहीं किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महानगर टेलीफोन निगम लि०

801. **श्री कमल नाथ :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लि० का कार्य संतोषजनक पाया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कमियां या त्रुटियां पाई गई हैं : और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं या करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग). महानगर टेलीफोन निगम की वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के लिए इसके कार्य निष्पादन की एक प्रारम्भिक पुनरीक्षा की गई है ।

हालांकि इससे कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है परन्तु नेटवर्क प्रबन्ध समन्वय तथा कार्मिक प्रबन्ध के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयां भी उत्पन्न हुई हैं ।

इस पुनरीक्षा से स्पष्ट होता है कि देश के दूरसंचार नेटवर्क के किसी भाग को अलग करना सिद्धांत रूप से ठीक नहीं है क्योंकि इस नेटवर्क को समग्र रूप में कार्य करना है ।

बिजली की उपलब्धता और आवश्यकता

[हिन्दी]

801. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2000 ई० के अन्त तक देश में कुल कितनी बिजली की आवश्यकता होगी और इस समय कितनी बिजली उपलब्ध है ;

(ख) उस समय बिजली की पूर्ण मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं ; और

(ग) ये योजनाएं कब तक लागू की जाएंगी और उन पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के 13वें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार, सन् 2000-2001 के दौरान देश में विद्युत की कुल मांग 647697 मिलियन यूनिट होगी । अप्रैल, 1988 से जनवरी, 1989 के दौरान विद्युत की उपलब्धता 169739 मिलियन यूनिट थी जबकि इसकी मांग 183969 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) और (ग). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय विद्युत योजना (सन् 1985-2000) के अनुसार, विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए आठवीं तथा नौवीं योजना अवधियों के दौरान 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर 1.10 लाख मेगावाट से अधिक क्षमता जोड़ा जाना अपेक्षित होगा । तथापि, वर्तमान निर्धारण के अनुसार, आठवीं योजनावधि के दौरान अनन्तिम रूप से लगभग 38000 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है । नौवीं योजनावधि के दौरान जोड़ी जाने वाली सम्भावित क्षमता का इस समय निर्धारण करना व्यवहार्य नहीं है ।

पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

[अनुवाद]

803. **श्री बी० तुलसीराम** :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अन्य राज्यों में भी घाटे में चल रहे हैं । यदि हां, तो उन राज्यों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र का केवल एक ही उपक्रम अर्थात सेमी कन्डक्टर कम्पलैक्स लि० है, जिसका पंजीकृत कार्यालय पंजाब राज्य में स्थित है, जो घाटे में चल रहा है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के घाटे में चल रहे उपक्रमों का ब्यौरा 27-2-89 को सभापटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1987-88 के खंड I में पृष्ठ 73 पर दिया गया है।

(घ) उनके कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण के खंड-1 में पृ० संख्या 229 पर दिया गया है।

बिहार में प्रमुख उद्योगों की स्थापना

804. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में कुछ प्रमुख उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नयी योजनाओं की स्थापना करने की अपेक्षा पुनर्निर्माण, उत्पादकता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा विद्यमान एककों का आधुनिकीकरण के जरिए विद्यमान सुविधाओं का अधिकाधिक उपयोग करने पर बल दिया गया है।

बिहार राज्य में केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं (कोयला तथा पेट्रोलियम को छोड़कर) के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 1327.63 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित औद्योगिक परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, बिहार में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बड़े तथा मझोले उद्योगों के स्थापनार्थ 90 करोड़ रुपये का परिव्यय और ग्रामीण तथा लघु उद्योगों के स्थापनार्थ 70 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

विवरण

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए बिहार में केन्द्रीय क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	उपक्रम/एकक/स्कीम का नाम
1	2

1. बोकारो स्टील प्लांट

(क) 4 एम०टी० एक्सपेंशन

(ख) केप्टिव पावर प्लांट

1	2
	(ग) किरिबस आयरन-ओर खान विस्तार
	(घ) मेगाहाटाबस आयरन-ओर प्रोजेक्ट
	(ङ) टैस्ट कोक ओवन काम्प्लेक्स
	(च) परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन एवं नवीकरण, टाउनशिप इत्यादि
	(छ) चल रही अन्य योजनाएं
	(ज) बाधाएं दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रम*
	2. इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०
	(क) चासनाल्ड कोलरी (अपर सी) विकास
	(ख) संतुलन सुविधाएं—चासनाल्ड वाशरी
	(ग) रोपने तथा कोलरी को विद्युत सप्लाई
	(घ) नयी योजनाएं (चासनाल्ड खान, टिटपुर कोलरी इत्यादि का पुनर्निर्माण)—आबंटित
	3. भारत रिफैक्टरीज लि०
	(क) संदारिदाह विस्तार
	(ख) परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन, नवीकरण, टाउनशिप इत्यादि
	4. तेनुघाट डाम प्रोजेक्ट
	5. हिन्दुस्तान कॉपर लि०
	(क) मोसाबनी खान
	(ख) सूरदा खान विस्तार
	(ग) इंडियन कॉपर काम्प्लेक्स स्मेल्टर, आधुनिकीकरण, घाट शिक्षा
	(घ) प्रदूषण नियन्त्रण, टेलिंग डाम, आधुनिकीकरण*
	(ङ) केंदादिह विस्तार*
	(च) मोलेबडेनुम रिकवरी, राका*
	(छ) सम्भाव्यता अध्ययन (सिंहभूम)*

* नयी योजना

1	2
	(ज) कैपिटल माइन डिवलपमेंट
	(झ) परिवर्तन तथा नवीकरण, एस० एंड टी० इत्यादि (आबंटित)
	6. फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि०, सिंद्री
	(क) कोक ओवन बैटरी एंड पावर प्लांट
	(ख) सिन्द्री राशनलाइजेशन
	(ग) परिवर्तन, नवीकरण, इत्यादि
	7. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन, बरौनी
	(क) कैप्टिव पावर प्लांट
	(ख) बरौनी में मरम्मत कार्य (आबंटित)
	(ग) भरे बोरों का भण्डारण, अमोनिया भंडारण सुविधा (आबंटित)
	(घ) परिवर्तन, नवीकरण इत्यादि आबंटित
	8. पाइराइट्स फासफेट्स एंड कैमिकल्स लि०, स्नाइहोर
	(क) माइनिंग प्रोजेक्ट
	(ख) सल्फूरिक एसिड/एस. एस पी. संयंत्र पुनर्स्थापना
	(ग) एस. एंड टी. (आबंटित)
	9. प्रोजेक्टस् एंड डिवलपमेंट इंडिया लि० सिंद्री
	(क) कैटालिस्ट आधुनिकीकरण
	(ख) चल रही योजनाएं (कम्प्यूटर सहित)
	(ग) एस. एंड टी.
	10. आर. एंड डी. हेतु प्रोजेक्ट डिवलपमेंट इंडिया लि० (सिंद्री) को अनुदान
	11. इंडो—ई. ई. सी. फर्टिलाइजर डिविजन प्रोग्राम के अन्तर्गत अनुदान
	12. भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लि० मोकामिह

* नयी योजना

1	2
	13. भारत इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० रांची
	(क) चल रही योजनाएं
	(ख) परिवर्तन, नवीकरण, टाउनशिप तथा अनुसंधान एवं विकास
	(ग) नयी योजनाएं* (टेक्नालॉजी अपडेटिंग क्रैंकशिफ्ट प्रोजेक्ट)
	14. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
	(क) खान, नारवा पहाड़
	(ख) खान तथा मिल, तुरामंडिह
	(ग) चल रही अन्य योजनाएं (उप-उत्पाद रिकवरी प्लांट, मोसा बनी में कॉपर टेलिंग का उपचार, जदुगुडा में मिल विस्तार तथा खान विकास) जदुगुडा में आवास सुविधाएं।
	(घ) तुरा मिडिह* में नयी खानें
	15. आटोमिक मिनरल डिविजन (एक्सप्लोरेटरी माइन डिवलपमेंट)
	16. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन (विभिन्न योजनाएं)

*नयी योजना

सीमेंट उद्योग को घाटा

805. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग को घाटा बढ़ता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग को कब से घाटा हो रहा है और यह कितना है ;

(ग) क्या फालतू सीमेंट निर्यात करने की दृष्टि से सीमेन्ट उद्योग ने सीमेन्ट निर्यात निगम स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार किन उपायों द्वारा सीमेन्ट के निर्यात से सीमेन्ट उद्योग को हो रहे घाटे को पूरा कर सकती है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). सीमेन्ट उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कई सीमेन्ट कारखानों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) सीमेन्ट उत्पादक एसोसिएशन ने सूचित किया है कि उन्होंने सीमेन्ट का निर्यात बढ़ाने के वास्ते, एक सीमेन्ट निर्यात निगम स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(घ) इस समय सीमेन्ट के निर्यात पर कोई नकद प्रतिपूर्ति सहायता नहीं मिलती। तथापि,

वाणिज्य मन्त्रालय ने रसायन और सहायक उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद से अनुरोध किया है कि वे इस उद्योग के लागत आंकड़ों का ब्यौरा इकट्ठा करें ताकि सीमेन्ट के निर्यात पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता देने के विषय में निर्णय लिया जा सके।

उड़ीसा समुद्र तट तथा बंगाल की खाड़ी में तेल और गैस की खोज

806. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के स्रोतों की खोज तथा पहचान से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है तथा इनमें से कितने आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद पाए गए हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा समुद्र तट पर कोई पेट्रोलियम अथवा गैस पाया गया है ;

(ग) क्या बंगाल की खाड़ी में पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास का कोई परिणाम दिखाई दिया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या बंगाल की खाड़ी में तट से दूर किये जा रहे खोज-कार्य के वांछित परिणाम मिल रहे हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष, 1988 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर तेल और गैस मिले हैं।

क्षेत्र का नाम	राज्य	आयल/गैस
1	2	3
तटवर्ती		
बीचरजी	गुजरात	आयल
ननीलम	तमिलनाडु	आयल
चितलापल्ली	आन्ध्र प्रदेश	गैस
आदमटीला	असम	गैस
मन्डापेट्टा	आन्ध्र प्रदेश	गैस
सोनारी	असम	आयल

1	2	3
वैस्ट उन्नावा	गुजरात	आयल
नादा	गुजरात	आयल
मन्सा	गुजरात	आयल
उरीमघाट	असम	आयल
तनोट	राजस्थान	गैस
खरसांग	अरुणाचल प्रदेश	आयल
अपतट		
आर-10	पश्चिमी अपतट	आयल
एस डी-1	पश्चिमी अपतट	आयल
एस डी-4	पश्चिमी अपतट	आयल
पी वाई-3	पूर्वी अपतट	आयल
बी-46	पश्चिमी अपतट	गैस

इन स्थानों पर खोज-चिह्नांकन का काम चल रहा है। खोज/चिह्नांकन कार्य के पूरा होने के बाद ही इन क्षेत्रों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता चल सकेगा। फिर भी बोचरजी, सोनारी, मनसा और वैस्ट उन्नावा में शीघ्र उत्पादन प्रणाली द्वारा उत्पादन आरम्भ हो गया है।

(ख) से (च). पश्चिमी बंगाल, अंडमान, उडीसा के अपतटीय क्षेत्रों में की गई खोज से कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी कृष्णा-गोदावरी (आन्ध्र प्रदेश) और कावेरी (तमिलनाडु) के अपतटीय बेसिनों में हाइड्रोकार्बन मिले हैं।

कोचीन में गैस पर आधारित बिजली परियोजना

807. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन में अपनी गैस पर आधारित बिजली परियोजना को तत्काल मंजूरी देने तथा दक्षिणी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं से राज्य को और बिजली देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). ब्रह्मपुरम, कोचीन में एल. एस. एच. एस./ईंधन तेल/प्राकृतिक गैस पर आधारित 90 मेगावाट के संयुक्त साइकिल विद्युत संयत्र स्थापित करने के बारे में एक सम्भाव्य रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

को केरल राज्य बिजली बोर्ड से अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुई थी। ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने, अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही प्रस्ताव के संबंध में तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

दक्षिणी क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से केरल को विद्युत का आबंटन किया गया है :—

(1) नेवेली दूसरा माइन कट (630 मेगावाट)	63 मेगावाट
(2) रामागुण्डम सु. ता. वि. परियोजना (1100 मेगावाट)	125 मेगावाट
(3) कलपक्कम परमाणु विद्युत कन्द्र (470 मेगावाट)	25 मेगावाट
	213 मेगावाट

इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के "अनाबंटित" उत्पादन में से भी केरल प्रणाली को सहायता प्रदान की जाती है जिसे प्राप्त करने वाले राज्यों के बीच उनकी सापेक्ष प्रतिशत कमी के अनुपात में वितरित किया जाता है। वर्तमान में, केरल दक्षिणी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों के "अनाबंटित" उत्पादन में से 30 प्रतिशत विद्युत प्राप्त करने का हकदार है। अप्रैल, 1988-जनवरी, 1989 की अवधि के दौरान, केरल ने केन्द्रीय केन्द्रों से 1125 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त की जबकि उसकी कुल हकदारी 1087 मिलियन यूनिट की थी (जिसमें "अनाबंटित" भाग में से सहायता शामिल है)।

कल्याण दम्बीवाली, अम्बरनाथ एक्सचेंजों आदि में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

808. श्री एस० जी० घोलप : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्याण को दूरसंचार जिला के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या कल्याण, दम्बीवाली, अम्बरनाथ, केलगांव, आदि में प्रतीक्षा-सूची में काफी व्यक्तियों के नाम हैं ; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो किस सीमा तक और कब ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कल्याण में पहले से ही एक दूरसंचार जिला है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 31-1-89 को प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :

स्टेशन का नाम	एक्सचेंज की किस्म	प्रतीक्षा सूची
(1) कल्याण	एम ए एक्स-I	2249
(2) दम्बीवाली नगर	एम ए एक्स-II	3870
(3) दम्बीवाली एम आई डी सी	एम ए एक्सII	347
(4) अंबरनाथ	एम ए एक्स-II	761
(5) कुलगांव	सी वी एन एम	401

(घ) जी हां, विस्तार कार्यक्रम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	नए/विस्तार	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4
1.	कल्याण—एम ए एक्स-I	(i) 600 लाइनों तक विस्तार (3900-4500)	मार्च, 89 तक
		(ii) अगला विस्तार कार्य 8वीं योजना के प्रारम्भिक चरण में किए जाने की योजना है।	
		(iii) आठवीं योजना अवधि के दौरान उपयुक्त क्षमता के एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है।	
2 और 3.	दम्बीवाली नगर (एम ए एक्स-II)	(i) 3500 लाइनों का नया एक्सचेंज	दिसम्बर 1991 तक
	दम्बीवाली एम आई डी सी (एम ए एक्स-II)	(ii) अगला विस्तार कार्य 8वीं योजना के आरम्भिक चरण में किए जाने की उम्मीद है।	

1	2	3	4
		(iii) आठवीं योजना अवधि के दौरान उपयुक्त क्षमता के एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की भी योजना बनाई गई है।	
4.	अंबरनाथ (एम ए एक्स-II)	(i) 100 लाइनों का विस्तार (900-1000)	मार्च, 1989 तक
		(ii) अगला विस्तार कार्य 8वीं योजना के आरम्भिक चरण में किए जाने की उम्मीद है।	
5.	कुलगांव	600 लाइनों का एक नया (ई एन ए एक्स) एक्सचेंज	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज का प्रस्ताव है। आबं-टन की प्रतीक्षा की जा रही है।

कर्नाटक में बिजली की कमी

809. श्री वी० कृष्ण राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में बिजली की भारी कमी है ;

(ख) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सरकार के पास लम्बित पड़ी विभिन्न बिजली परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 1988-89 की अवधि के दौरान कर्नाटक से 27.5 प्रतिशत विद्युत की कमी थी।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक गैस कारखानों का बन्द होना

810. डा० जी० विजय रामा राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अधिक उत्पादन का बहाना लेकर देश में औद्योगिक एकक कारखाने बन्द होते जा रहे हैं, जैसा कि 29 जनवरी, 1988 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में खबर छपी है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक उत्पादन के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है ; और

(ग) क्या सरकार का उत्पादन के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड लागू करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) औद्योगिक गैसों का विनिर्माण करने वाले एककों के बन्द हो जाने के बारे में किसी विशिष्ट दृष्टान्त की सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

तेल उद्योग में सुरक्षा उपाय

811\. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल उद्योग में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का विचार है ; और

(ख) प्रस्तावित उपाय किस सीमा तक देश में तेल तथा गैस के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने मे सहायक होंगे ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल/गैस उद्योग में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए एक तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय गठित किया गया है । कमजोरियों के क्षेत्रों का पता लगाकर सुरक्षा आडिटों को सुदृढ़ किया जा रहा है । आंतरिक आडिटों के अतिरिक्त उच्च स्तरीय विशेषज्ञ तकनीकी दलों द्वारा बाह्य आडिट का काम भी किया जा रहा है । तेल रिफाइनरियों से आरम्भ करके बाह्य आडिट के अनुधान बाद में तेल/गैस उद्योग के अन्य सभी क्षेत्र स्वतः इस दायरे में लाये जायेंगे।

परिचालन, अनुरक्षण/निरीक्षण प्रक्रियाओं तथा डिजाइन के पहलुओं के बारे में सुरक्षा मानक तैयार किये जा रहे है । इनमें से कुछ मानकों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और लागू करने के लिए उद्योग को भेज दिए गए हैं ।

सुरक्षा संबंधी मामलों में तेल उद्योग के सदस्यों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान नए विकास कार्यों पर बातचीत करने और और अनुभवों का लाभ उठाने के लिए, नियमित तौर पर कार्यशालाएं और बैठकें आयोजित की जाती हैं । इन बैठकों में सबक के तौर पर उद्योग हुई दुर्घटनाओं के पूरे ब्यौरे पर विस्तृत चर्चा की जाती है ताकि भविष्य मे उसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो ।

क्षेत्र स्तर पर आग और सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण को सभी संगठनों द्वारा तेज किया जा रहा है ।

(ख) दुर्घटनाओं से उत्पादन रुक जाता है । सुरक्षा उपायों से दुर्घटनाओं की संभावना बहुत कम रह जाती है, तथा इनके देश में तेल और गैस के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी पर्याप्त सहायता मिलती है ।

पटना में इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज

812. **डा० सी० पी० ठाकुर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पटना में टेलीफोन उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज कब से कार्य करना प्रारम्भ करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) पटना में सितम्बर, 89 तक इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज चालू किए जाने की संभावना है।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

813. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस पर आधारित कुछ और विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का विचार किया गया है ;

(ख) क्या गैस पर आधारित विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विद्युत पर अपेक्षाकृत कम लागत आती है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) देश में, और विशेष रूप से विद्युत की कमी वाले राज्यों में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ). विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पावधि विकल्प के रूप में अतिरिक्त गैस आधारित विद्युत परियोजना प्रतिष्ठापित करना, इस प्रयोजन हेतु गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। गैस आधारित विद्युत केन्द्रों से बिजली के उत्पादन की लागत, संयंत्र की किस्म, यूनिट के आकार, इस्तेमाल किए गए ईंधन की कीमत और गुणवत्त, सप्लाई स्रोतों की दृष्टि से विद्युत केन्द्र के स्थान तथा वर्ष में प्रचालन के घंटों जैसे विभिन्न घटकों द्वारा नियंत्रित की जाती है।

सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान निम्नलिखित गैस टर्बाइन यूनिटों को चालू किए जाने की आशा है:—

क्रम सं० परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	
(1) मैथॉन गैस टर्बाइन (बिहार) (3 × 30मेगावाट)	90	
(2) राखिया गैस टर्बाइन (त्रिरपुरा) (2 × 5 मेगावाट)	10	(5 मेगावाट के यूनिटों के स्थान पर 8 मेगावाट के दो यूनिटों के लिए आर्डर दिए गए है।)
(3) रामगढ़ (राजस्थान)	3	
(4) पम्पौर गैस टर्बाइन जम्मू व कश्मीर (3 × 25 मे० वा०)	75	
(5) औरैया गैस टर्बाइन (उत्तर प्रदेश) (4 × 100 मे० वा)	400	
(6) अंटा गैस टर्बाइन (राजस्थान) (3 × 100 मे० वा०)	300	(पहले यूनिट को जनवरी, 1989 में चालू किया गया)
(7) बारामूरा गैस टर्बाइन (त्रिपुरा) यूनिट-3	6 5	
	884.5	

बड़े औद्योगिक घरानों की परिसम्पत्ति, लाभ तथा कारोबार

814. **श्री चित्त महाता :**

श्री अमर राय प्रधान :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980, 1984 तथा 1988 में सबसे बड़े बीस औद्योगिक घरानों की कुल परिसम्पत्तियां, सकल लाभ तथा कारोबार कितना था ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : 1988 में परिसम्पत्तियों, व्यापारावर्त तथा लाभ सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत 1986-87 मे उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के 20 व्यापारिक घरानों से सम्बन्धित कम्पनियों की वर्ष 1980, 1984 तथा 1986-87 (अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 को समाप्त होने वाला लेखा वर्ष) में कुल परिसम्पत्तियों, कर पूर्व-लाभ तथा व्यापारावर्त दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 1986-87 में उनकी परिसम्पत्तियों के अनुसार श्रेणीबद्ध चोटी के 20 व्यापारिक घरानों की कम्पनियों की 1980, 1984 तथा 1986-87 (अप्रैल, 1986 से मार्च, 1987 को समाप्त लेखा वर्ष) में परिसम्पत्तियां, कर पूर्व लाभ तथा व्यापारावर्त

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं औद्योगिक घराने	परिसम्पत्तियां			करपूर्व लाभ			व्यापारावर्त		
	1980	1984	1986-87	1980	1984	1986-87	1980	1984	1986-87
1. टाटा	1538.97	3120.13	4939.00	110.03	113.35	263.12	1942.90	3461.27	4939.54
2. बिरला	1431.99	3359.04	4771.38	121.15	120.96	131.19	1845.20	3106.66	4359.64
3. रिलायन्स	166.33	672.96	2021.53	11.35	61.37	14.50	290.67	715.49	951.22
4. जे० के० सिघानियां	412.72	585.37	[illegible]	18.21	13.19	21.03	436.63	741.84	1142.95
5. थापर	348.06	699.35	1151.48	28.40	8.79	24.16	485.59	838.99	1059.67
6. मफतलाल	427.54	786.60	1050.50	[illegible]	41.36	54.60	613.61	1028.52	1230.51
7. मोदी	198.82	610.30	860.15	10.66	(—) 6.24	4.08	400.62	[illegible]	[illegible]
8. लारसन एण्ड ट्यूबरो	216.03	480.78	830.55	24.63	36.48	38.58	236.73	332.23	560.23

9. एम० ए० चिदम्बरम	43.81	97.09	807.50*	1.85	1.35	5.06*	28.27	74.09	432.15*
10. बजाज	179.26	425.97	777.79	19.93	39.85	97,95	249.00	474.82	846.55
11. ए० सी० सी०	274.51	654.16	760.68	8.05	16.52	(—) 8.84	217.97	556.03	807.39
12. बांगुर	264.43	508.84	678.49	21.01	(—) 2.08	2.53	397.57	446.17	757.94
13. हिन्दुस्तान लीवर	219.30	381.81	631.89	31.37	47.53	110.00	469.49	807.17	1473.19
14. वालचन्द	150.36	405.01	629.47	6.06	22.94	9.42	166.05	503.27	525.30
15. टी० वी० एस० अयंगर	188.64	387.25	622.77	25.11	14.04	35.10	252.17	368.13	694.18
16. श्री राम	241.00	406.70	590.90	9.24	14.39	6.65	442.51	765.81	801.38
17. आई० टी० सी०	156.29	393.15	552.95	15.94	29.38	31.21	477.81	722.83	1485.72
18. किरलोस्कर	220.37	397.81	474.78	24.29	31.42	21.96	313.77	516.35	592.78
19. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	186.03	408.17	465.87	18.54	13.72	15.30	256.41	571.85	554.30
20. आई० सी० आई०	343.01	425.52	453.52	10.74	24.62	37.50	333.25	368.32	659.67

*इसमें सदरन पैट्रोकैमिकल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि० भी शामिल है, जिसे 1985 में एम० ए० चिदम्बरम समूह में शामिल किया गया है।

मारुति कारों के मूल्यों में वृद्धि

815. डा० दत्ता सामन्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने 16 जनवरी, 1989 से कारों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां , तो इस वृद्धि के पश्चात् कारों का कितना मूल्य हो गया है ; और

(ग) कारों के मूल्य बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां ।

(ख) मारुति कारों की 16-1-89 से कारखाने से निकलते समय का मूल्य (उत्पाद शुल्क और डीलरों का कमीशन सहित) निम्न प्रकार है :—

	16-1-1989 से मूल्य (रुपये में)
मारुति 800 स्टैण्डर्ड	80,000.00
मारुति 800 वातानुकूलित	97,100.00
मारुति 800 डीलक्स	1,12,670.00

(ग) मारुति कारों का मूल्य अमरीकी डालर की तुलना में रुपये के मूल्य में कमी तथा कच्चे माल और खरीदे जाने वाले हिस्से-पुर्जों की लागत में वृद्धि के कारण बढ़ा था ।

सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में आकाशवाणी केन्द्र

816. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में आकाशवाणी से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) आकाशवाणी के विस्तार कार्यों पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ग) विभिन्न राज्यों में उन आकाशवाणी तथा पिछड़े क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है । जहां आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए गए हैं ; और

(घ) उड़ीसा में किन-किन स्थानों का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने हेतु चयन किया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) 700 करोड़ रुपये ।

(ख) 7वीं योजना के अंतर्गत आकाशवाणी की योजनाओं पर दिसम्बर, 1988 तक 317.05 करोड़ रुपये व्यय किय गए हैं।

(ग) आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्र सहित देश में अधिकतम कवरेज उपलब्ध करने के उद्देश्य से तकनीकी और प्रचालन संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए सामान्यतया नगरों में रेडियो स्टेशन स्थापित किए जाते हैं।

(घ) उड़ीसा के आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों को भवारीपटना, बहरामपुर, बारीपाड़ा, राउरकेला तथा बोलनगीर में प्रस्तावित रेडियो स्टेशनों के द्वारा कवरेज उपलब्ध की जाएगी।

कोल इण्डिया लि० के कामगार

[हिन्दी]

817. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड में आवश्यकता से अधिक कामगार कार्यरत हैं ;

(ख) राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कितने कामगार सेवानिवृत्त हुए और कितने नौकरी पर बहाल किए गए ; और

(ग) अब कितने कामगार फालतू हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ग). हाल ही में कोल इंडया लि० ने अपने कामगारों की एक सूची तैयार की है, जो कि सभी तरह से सम्पूर्ण है। इस सूची के अनुसार कोल इण्डिया लि० के पास लगभग 17,000 कामगारों के फालतू होने का अनुमान है।

(ख) कम्पनी-वार सेवा-निवृत्त हुए तथा बहाल किए गए कामगारों की संख्या नीचे दी गई है :

कम्पनी	सेवा-निवृत्त हुए कामगारों की संख्या	बहाल किए गए कामगारों की संख्या
ई० सी० एल० (राष्ट्रीयकरण से)	14,593	2,645
वे० को० लि० (1988)	2,691	170
सी० एम० पी० डी० आई० एल० (राष्ट्रीयकरण से)	43	3
एन० सी० एल० (राष्ट्रीयकरण से)	96	22
बी० सी० सी० एल (1977-88)	10,543	1,692
एस० ई० सी० एल० (राष्ट्रीयकरण से)	1,879	67
सी० सी एल० (1984-88)	3,645	320

विटामिनों के उत्पादन हेतु लाइसेंसशुदा क्षमता

[अनुवाद]

818. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विटामिन बी-1, विटामिन बी-2, विटामिन सी, विटामिन बी-6 फालिक एसिड तथा विटामिन ए का उत्पादन करने के लिए किन-किन एककों को लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) प्रत्येक की लाइसेंसशुदा क्षमता कितनी है तथा प्रत्येक द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कितना उत्पादन किया गया ; और

(ग) इनमें से कितनी औषधियों के मूल्य नियन्त्रित किए गए हैं तथा प्रत्येक के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे०वेंगल राव) : (क) और (ख). विटामिन बी 6 के उत्पादन को छोड़कर पूछे गए ब्यौरे, जिसको इस विभाग द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विटामिन ए और विटामिन सी को छोड़कर सभी विटामिन डी. पी. सी. ओ., 1987 के उपबन्धों के अन्तर्गत मूल्य नियन्त्रण से मुक्त हैं। विटामिन ए और विटामिन सी (18-11-88 से मूल्य नियन्त्रण के अन्तर्गत लाए गए) की कीमतें लागत मूल्य का अध्ययन पूरा होने के बाद बी. आई. सी. पी. की सिफारिशों के आधार पर नियत किए जाएंगे।

विवरण

औषध का नाम/ कम्पनी का नाम	लेखा एकक	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन		
			1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6
विटामिन बी 1					
आई डी पी एल	टन	120	58·41	49.85	64.34
विटामिन बी 2					
आई डी पी एल	टन	24	24·04	8.69	21.52
विटामिन बी 6					
1. आई डी पी एल	टन	50	—	—	—
2. लुपिन लेब्स	टन	50	—	—	—

1	2	3	4	5	6
विटामिन सी					
1. जयन्त विटामिन	टन	770.5	369.01	593.6	612.47
2. साराभाई केमि.		240	282.25	180.38	218.78
विटामिन ए	एम एम यू				
1. रोश प्रोडक्ट्स		59	29.33	40.10	54.17
2. ग्लिडिया लि०		30	16.39	21.50	12.53
3. केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मा०		30	15.32	7.73	9.40
फोलिक एसिड					
आई डी पी एल	टन	7.5	7.65	6.65	7.55

उड़ीसा में स्थापित किए गए उद्योग

819. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा के मध्यम दर्जे के तथा बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं ;

(ख) ये एकक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं ;

(ग) इनमें से कितने उद्योगों में अब तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हो गया है ; और

(घ) वर्ष 1988 के दौरान उड़ीसा में मध्यम दर्जे के तथा बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए नए औद्योगिक लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) निम्नलिखित सारणी में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1989 तक की अवधि में उड़ीसा में औद्योगिक क्षमताएं स्थापित करने हेतु मंजूर किए गए औद्योगिक लाइसेंसों/आशय पत्रों की संख्या दर्शायी गई है :—

वर्ष	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र
1985-86	19	30
1986-87	13	16
1987-88	6	19
1988-89 (जनवरी, 1989 तक)	2	14

(ख) जारी किए गए सभी औद्योगिक लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों से सम्बन्धित ब्यौरे, जैसे उपक्रम का नाम व पता, स्थापना-स्थल (जिले के नाम सहित), विनिर्माण की वस्तु और क्षमता आदि भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) किसी भी औद्योगिक लाइसेंस को दो वर्ष की आरंभिक वैधता अवधि के साथ मंजूर किया जाता है, जिस अवधि में उद्यमी से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की आशा की जाती हैं। तथापि, न्यायोचित आधार पर औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि में और वृद्धि करने की मंजूरी भी दी जा रही है। अतः किसी औद्योगिक परियोजना को फलदायी बनने में प्रायः लगभग चार से पांच वर्ष लग जाते हैं। औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार में उक्त उद्योग से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है। जिन एककों ने उत्पादन शुरू कर दिया है, उनके बारे में उद्योग मन्त्रालय में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती।

(घ) वर्ष 1988 के दौरान उड़ीसा में एककों की स्थापना के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

औद्योगिक विकास

820. **श्री उत्तम राठौड़ : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, औद्योगिक विकास दर कितनी रही ;

(ख) 1988 के लिए औद्योगिक विकास का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या इसे प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्त तक औद्योगिक विकास दर क्या हो जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ). केन्द्रीय सांख्यकीय संगठन द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 1985-86 में 8.7 प्रतिशत, 1986-87 में 9.1 प्रतिशत तथा 1987-88 में 7.4 प्रतिशत थी। अप्रैल-नवम्बर, 1988 में यह 9.4 प्रतिशत थी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 8 प्रतिशत से अधिक एक औसत सामान्य विकास दर की परिकल्पना की गई है।

देश में अभूतपूर्व तथा भयंकर सूखे की परिस्थितियों के कारण 1987-88 में औद्योगिक विकास की दर में गिरावट आयी थी। सरकार ने औद्योगिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कई उपाय किए तथा औद्योगिक नीतियों का एक अधिक उदार पैकेज की व्यवस्था की। उदारीकरण की प्रक्रिया जारी है। औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा

देने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, ब्राड-बैंडिंग, सचालन के न्यूनतम आर्थिक पैमाने के सन्दर्भ में क्षमता का पुनः पृष्ठांकन, परिशिष्ट-I के उद्योगों में संशोधन, लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की समीक्षा, संयत्र तथा मशीनरी के आधुनिकीकरण/प्रतिस्थापन से उत्पन्न क्षमता की मान्यता दिलाने के लिए सरलीकृत क्रियाविधि को अपनाना इत्यादि शामिल हैं। सरकार ने प्रोत्साहन तथा राजसहायता भी प्रदान की है तथा रियायती वित्त तथा मूलभूत विकास की व्यवस्था भी की है।

सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास को बढावा देने के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान देश में 100 विकास केन्द्रों की स्थापना करने का भी निर्णय लिया है। प्रथम चरण में 61 विकास केन्द्रों की स्थापना की जा रही है जिनमें प्रत्येक की लागत 25 करोड़ रु० से 30 करोड़ रु० है।

पर्याप्त मानसून तथा निवेश स्थिति में व्यापत लचीलेपन के कारण सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक उत्पादन के विकास लक्ष्य के प्राप्त किए जाने की संभावना है।

कायमकुलम सुपर ताप बिजलीघर

821. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन :**

प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायमकुलम में सुपर ताप बिजलीघर के प्रथम चरण से सम्बन्धित संभाव्यता रिपोर्ट सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्तर पर लम्बित पड़ी है ; और

(ग) परियोजना को कब तक अन्तिम मन्जूरी प्रदान की जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कायमकुलम ताप विद्युत केन्द्र चरण-I (2 × 210 मेगावाट) के सम्बन्ध मे संभाव्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजी गई है। पर्यावरण और वन मन्त्रालय, केरल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृतियां तथा रेलवे साईडिंग सुविधाओं के बारे में रेलवे प्राधिकारियों की अभिपुष्टि अभी प्रदान की जानी है।

डाक विभाग में भर्ती पर प्रतिबन्ध

[हिन्दी]

822. **श्री राज कुमार राय :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग में नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के फलस्वरूप विभाग के कामकाज में ढील आई है ;

(ख) यदि हां, तो नई भर्ती पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार जनता को बेहतर डाक सुविधा और मुहैया कराने के लिए नई भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ). मितव्ययिता की अत्यन्त आवश्यकता और सरकार के प्रशासनिक खर्च को नियन्त्रित करने के सन्दर्भ में, पदों के सृजन के लिए विभिन्न प्राधिकारियों को प्रदत्त शक्तियां उनसे वापस ले ली गई हैं। तदनुसार, नए पदों का सृजन केवल तभी किया जा सकता है जब ये अपरिहार्य हों और जहां तक सम्भव हो उनसे समान बचत हो। तथापि, जहां तक सम्भव हो उत्पादकता बढ़ाकर और पद्धतियों का सरलीकरण करके यह सुनिश्चित करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि डाक सेवाओं में गिरावट न आने पाए।

बिजली के खतरनाक और घटिया सामान की बिक्री

[अनुवाद]

823. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 दिसम्बर, 1988 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि दिल्ली में बिजली के खतरनाक और घटिया सामान की बिक्री लगातार हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश 1988 के लागू होने के बाद प्रवर्तन एजेंसियों ने बाजार में कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के दौरान बिजली का कितना सामान जब्त किया गया ; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली और देश की अन्य भागों में बिजली के खतरनाक और घटिया सामान की बिक्री रोकने के लिए आदेश को सख्ती से लागू करने के बारे में कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों से इस आदेश के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

भारतीय सिनेमा की प्लैटिनम जयन्ती के दौरान फिल्मों का प्रदर्शन

824. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आयोजित भारतीय सिनेमा की प्लैटिनम जयन्ती के उपलक्ष्य में दूरदर्शन पर, भाषा-वार कितनी फिल्में प्रदर्शित की गईं ; और

(ख) इस अवसर पर कोई कन्नड़ फिल्म प्रदर्शित न करने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). दूरदर्शन द्वारा भारतीय सिनेमा के 75 वर्ष मनाने के लिए आयोजित "सिंहावलोकन" में दूरदर्शन ने चार फिल्म निर्माताओं नामतः गुरुदत्त, ऋत्विक घटक, एस० एस० वासन और राजकपूर की तीन-तीन फीचर फिल्में टेलीकास्ट कीं जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

भाषा	टेलीकास्ट की गई फिल्मों की संख्या
हिन्दी	7
बंगला	3
तमिल	1
तेलुगु	1
	12

फिल्मों का चयन करते हुए दूरदर्शन ने यह ध्यान में रखा कि ये फिल्में सम्बन्धित निर्देशकों की विशिष्ट प्रवृत्तियों और व्यावसायिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। तथापि, इसी अवधि के दौरान एक कन्नड़ फीचर फिल्म (25-12-88 को शंखनाद) और एक मलयालम फीचर फिल्म (30-12-88 को "इराकल") टेलीकास्ट की गई थी।

भंजनगर, उड़ीसा में दूरसंचार भवन

825. **श्री सोमनाथ रथ : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 के दौरान उड़ीसा के भजनगर में दूरसंचार भवन, के निर्माण हेतु धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा ; और

(ग) क्या दूरसंचार भवन के निर्माण हेतु भंजनगर राजस्व विभाग द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि निर्माण कार्य शीघ्र शुरू न किए जाने की स्थिति में विभाग इसे वापस ले लेगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, भंजनगर में चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान दूरसंचार भवन निर्मित करने के लिए आवश्यक निधि उपलब्ध करा दी गई है।

(ख) प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान टेंडर आमन्त्रित किए

जाएंगे तथा उसके बाद ही कार्य सौंपा जाएगा। मामले में तेजी लाने तथा निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ग) जी, नहीं।

बम्बई हाई में ड्रिलिंग प्लेटफार्म पर सुरक्षा के उपाय

[हिन्दी]

826. **श्री जगदीश अवस्थी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई के ड्रिलिंग प्लेटफार्म में सुरक्षा उपायों के सम्बन्ध में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा उपकरण परिरक्षण प्रभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट मे कुछ सिफारिशें की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(घ) जुलाई, 1988 में, बम्बई हाई में लगी आग के कारण जनजीवन और सम्पत्ति को हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए की गई जाँच के क्या परिणाम निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). एस. ई. एस. की सुरक्षा आडेट रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) सुरक्षा और कर्मियों की सुरक्षा के लिए उपकरणों का मानकीकरण।

(2) फायर वाटर पम्पों, अग्नि संरक्षण प्रणाली, ब्रिथिंग उपकरण, हाइड्रोजन सल्फाइड डिटेक्शन सिस्टम/उपस्करों का आवधिक अनुरक्षण/निरीक्षण और अशांकन।

(3) सुरक्षा उपकरणों के प्रयोग में प्रशिक्षण।

(4) सुरक्षा आडेट/निरीक्षण करने के लिए कार्यदल का गठन।

(ग) बम्बई क्षेत्रीय व्यापार केन्द्र द्वारा पहले ही की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं :—

—चार-टीयर सुरक्षा जांच आरम्भ करना और प्लेटफार्मों और रिगों की जांच जो वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर की जानी है।

—हाइड्रोजन सल्फाइड (एच2 एस) के खतरों तथा सामान्य सुरक्षा उपायों पर फिल्म दिखाने जैसे उपायों के द्वारा कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना, एच2 एस आदि के बारे में लघु पुस्तिका का वितरण।

—खरीद के लिए सुरक्षा मदों के विनिर्देशनों का मानकीकरण।

—समुद्र में बचाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।

सुरक्षा विशेषकर अपतटीय प्रतिष्ठानों में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए गोवा में पेट्रोलियम सुरक्षा और पर्यावरण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना करने की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की योजना है।

(घ) जुलाई, 1988 में बम्बई हाई में आग के कारण किसी की जान या सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुंची।

फाफामऊ, इलाहाबाद से सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा

827. श्री राम पूजन पटेल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद के फाफामऊ एक्सचेंज मे सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा की व्यवस्था करने हेतु केबल बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ;

(ग) क्या केबल बिछाने के बाद फाफामऊ के उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकतानुसार टेलीफोन कनेक्शन दिए जाएंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फाफामऊ और इलाहाबाद के बीच सीधी डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा पहले ही उपलब्ध है।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

(ग) और (घ). फाफामऊ एक्सचेंज में फिलहाल कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है और टेलीफोन कनेक्शन मांग होने पर दे दिए जाते हैं।

कोयला क्षेत्रों में कल्याण योजनाएं

828. डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण योजनाओं की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के बिलासपुर मुख्यालय द्वारा वर्ष 1988 के दौरान इन योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई और किस प्रकार के कल्याण कार्य किए गए ; और

(घ) क्या वहां कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए परिव्यय

[अनुवाद]

829. श्री राधाकांत डिगाल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक किया गया व्यय आबंटित धन-राशि से अधिक हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा इस सम्बन्ध में अब तक कैसा कार्य-निष्पादन रहा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) सातवीं योजना के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र के वास्ते 12,920.37 करोड़ रु० के परिव्यय की योजना है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सातवीं योजना के दौरान कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का प्रत्याशित उत्पादन और पहले चार वर्षों के दौरान कार्यनिष्पादन इस प्रकार है :—

	सातवीं योजना के दौरान प्रत्याशित उत्पादन	1985-86 से 1988-89 के दौरान कार्यनिष्पादन (अनुमानित)
1. क्रूड आयल (मिलियन टन)	159.14	123.18
2. प्राकृतिक गैस (बिलियन क्यूबिक मीटर)	59.68	43.37

राज्यों में विद्युत का अभाव

830. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-89 में विद्युत के भारी अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों को विद्युत के भारी अभाव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों को विद्युत उत्पादन बढ़ाने में सहायता पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). अप्रैल, 1988-जनवरी, 1989 के दौरान विद्युत सप्लाई की स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) और (घ). विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए किए जा रहे उपायों में ये शामिल हैं :—नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माणावधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों को कार्यान्वित करना, फालतू ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा की सप्लाई की व्यवस्था करना आदि ।

विवरण

अप्रैल, 1988—जनवरी, 1989 के दौरान राज्यवार वास्तविक विद्युत सप्लाई स्थिति (आंकड़े मिलियन यूनिट निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 1988—जनवरी, 1989			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चडीगढ़	896	399	0	0.0
दिल्ली	5991	5951	40	0.7
हरियाणा	5828	5653	175	3.0
हिमाचल प्रदेश	948	942	6	0.6
जम्मू और कश्मीर	2280	1839	441	19.3
एन. एफ. एफ. सहित पंजाब	11359	11164	196	1.7
राजस्थान	7622	7429	193	2.5

1	2	4	4	5
उत्तर प्रदेश	19970	17792	2178	10.9
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	54396	51168	3228	5.9
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	15364	15174	190	1.2
मध्य प्रदेश	12134	11647	487	4.0
महाराष्ट्र	26615	25795	820	3.1
गोवा	443	443	0	0.0
जोड़ (प. क्षेत्र)	54556	53059	1497	2.7
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	14616	13110	1506	10.3
कर्नाटक	13230	9590	3460	27.5
केरल	5465	4819	646	11.8
तमिलनाडु	15845	14883	902	6.1
जोड़ (द. क्षेत्र)	49156	42402	6754	13.7
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	4675	4279	396	8.5
डी. वी. सी.	5950	5225	725	12.2
उड़ीसा	5950	4891	1055	17.8
पश्चिमी बंगाल	7230	6734	496	6.9
जोड़ (पू० क्षेत्र)	23805	21129	2676	11.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2096	1981	75	3.6
अखिल भारत	183969	169739	14230	7.7

आन्ध्र प्रदेश के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति

831. **श्री मानिक रेड्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन करने सम्बन्धी प्रक्रिया क्या है, इसका कार्यकाल कितना है तथा इस समिति में किस-किस वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व होता है ;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में सैकेण्डरी स्विचिंग क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की समितियों की सूची क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के कारण क्या हैं, तथा इनका गठन कब तक किया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) टेलीफोन सलाहकार समितियों के लिए नामांकन जिसमें महानगर शामिल है, सरकार द्वारा टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष से प्राप्त सिफारिशों तथा निदेशालय एवं मन्त्री जी के सचिवालय में सीधे प्राप्त नामों में से किया जाता है। माननीय संसद सदस्यों का नामांकन संसदीय कार्य मन्त्रालय के साथ परामर्श करके किया जाता है।

प्रत्येक टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होता है।

टेलीफोन सलाहकार समितियों द्वारा निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व किया जाता है :—

(एक) राज्य प्रशासन

(दो) राज्य विधायिका

(तीन) नगर निगम अथवा नगर निकाय

(चार) संसद सदस्य

(पांच) प्रेस

(छः) चिकित्सा व्यवस्था

(सात) विधि व्यवसाय

(आठ) सभी अन्य व्यवसाय जैसे इंजीनियर, वास्तुविद आदि।

(नौ) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग।

(दस) जन सेवक तथा अन्य।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न हीं नहीं उठता।

(घ) इन समितियों का संविधान तैयार किया जा रहा है।

इन्द्रप्रस्थ बिजली संयंत्र, दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रक उपकरण

832. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्द्रप्रस्थ-ताप बिजली संयंत्र में प्रदूषण नियन्त्रक उपाय पर्याप्त नहीं हैं ;

(ख) क्या इस संयंत्र के आस-पास के स्थानों के निवासियों को इस विद्युत संयत्र से निकलने वाले धुएं के कारण अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) प्रदूषण नियन्त्रक उपकरण वहां पर कब तक स्थापित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र में दिल्ली विद्यत प्रदाय संस्थान द्वारा वायु प्रदूषण नियन्त्रण के लिए किए गए उपाय सभी प्रकार से उपयुक्त हैं। इस केन्द्र की चिमनी का उत्सर्जन केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्ड के अनुरूप है।

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार उनको इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). उपरोक्त (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

दूरदर्शन नेटवर्क और बड़े कार्यक्रमों का विस्तार

833. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान प्रस्तावित दूरदर्शन नेटवर्क का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कौन से बड़े कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाएंगे ; और

(ख) इनका औचित्य क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). दूरदर्शन की अनुमोदित सातवीं योजना के भाग के रूप में 30 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, 31 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर और 117 अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर एवं ट्रांसपोजर स्थापित करने की स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है। इन स्कीमों से बहुत सी स्कीमों के वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान पूरी हो जाने की उम्मीद है। उक्त स्कीम का कार्यान्वयन अपेक्षित उपकरणों की आपूर्ति की स्थिति, निधियों के वार्षिक आबंटन, विभिन्न स्थानों में आधारभूत सुविधाओं और अन्य ऐसे घटकों को ध्यान में रखने के बाद अन्तिम रूप दिए गए अनुमोदित चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार है।

मध्यप्रदेश की विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

[हिन्दी]

834. **श्री कम्मोदी लाल जाटव :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जिन विद्युत परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा निवेश की मंजूरी दी गई थी उनके कार्यान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और धनराशि कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं, जिन्हें योजना आयोग द्वारा पिछले 3 वर्षों के दौरान निवेश सम्बन्धी मजूरी दे दी गई थी उनके लिए स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपए में)		
		1986-87	1987-88	1988-89
1.	बिरसिंघपुर ज०वि०प० (1 × 20 मेगावाट)	—	1.0	7.0
2.	मिनी/माइक्रो हाइडल (18.3 मेगावाट)	2.0	4.60	6.44
3.	पेंच ताप विद्युत केन्द्र (2 × 210 मेगावाट)	—	1.0	5.0

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले के नए भण्डारों की खोज

[अनुवाद]

835. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कोयले के नए भंडारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा और अन्य स्थानों में पाए गए कोयले के नए भंडारों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां । देश में कोयले के नए भंडारों का पता लगाने के लिए क्षेत्रीय अन्वेषण भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा किए जाते हैं ।

(ख) और (ग). पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा मूल्यांकन किए कोयले के भंडारों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(आवर्ती भंडार मि० टन में)

राज्य	1986	1987	1988
(क) आंध्र प्रदेश	10296.60	10435.50	10086.20
(ख) अरुणाचल प्रदेश	90.23	90.23	90.23
(ग) असम	280.03	280.03	280.03
(घ) बिहार	56612.30	57570.90	59132.24
(ङ) मध्य प्रदेश	23856.44*	26852.93*	29876.82*
(च) महाराष्ट्र	5075.40	5075.40	5271.84
(छ) मेघालय	458.94	458.94	458.94
(ज) नागालैंड	12.05	12.05	12.05
(झ) उडीसा	34463.01	39662.82	41556.64
(ञ) पश्चिम बंगाल	28154.16	30021.74	29565.36
जोड़ :	159299.16	170460.54	176330.35

* इसमें 1988 में उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ने वाले कोयले के अनुमानित 1062.21 मि०टन के भंडार शामिल हैं।

तेल की खोज में सोवियत संघ से सहयोग

836. श्री शांतिलाल पटेल :

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ ने देश में प्रत्याशित बेसिनों में तेल के भंडारों का पता लगाने हेतु उन्नत भूकम्पन्न प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए एक समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रौद्योगिकी के विकास में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों की सहायता के लिए सोवियत संघ के विशेषज्ञों के एक दल ने जनवरी, 1988 में भारत की यात्रा की थी ; और

(ग) यदि हां, तो तेल की खोज करने में भारत को इस प्रौद्योगिकी से कहां तक सहायता मिलेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठते।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कृष्णा-गोदावरी, कावेरी तथा अण्डमान की घाटियों में सुदूर संवेदी (रिमोट सेंसिंग) सर्वेक्षण

837. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में कृष्णा-गोदावरी, कावेरी और अण्डमान को घाटियों के भागों में एक अपूर्व सुदूर घाटियों के भागों में एक अपूर्व सुदूर संवेदी सर्वेक्षण कराने की आजमाइश की है ;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जिन तरीकों की आजमाइश की गई उनकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) इस तरीके से क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है ; और

(घ) यह तरीका पूरे देश में कब तक अपनाए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस पद्धति में वायुवाहित सिंथेटिक एपरचर रेडार (एस०ए०आर०) के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव के क्षेत्र में कल्पना करना निहित है।

(ग) विस्तृत भूगर्भीय विवेचना के लिए संभार तन्त्र की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों के हाई रिजोल्यूशन क्लाउड और वेजिटेशन फ्री टेरेन इमेज प्राप्त किए गए थे। प्राप्त किए गए आंकड़े प्रो-प्रोसेसिंग स्तर पर हैं।

(घ) देश के अन्य भागों में इस तकनीक का अपनाया जाना कावेरी और अन्डमान बेसिनों के ऊपर पहले से प्राप्त किए गए आंकड़ों की विवेचना करने और उनकी क्षमता का अनुमान लगाने के बाद ही निर्धारित किया जा सकेगा।

तमिलनाडु में डाकघर खोलना

838. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में वर्ष 1989 के दौरान कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ; और

(ख) दक्षिण एरकोट, उत्तरी एरकोट, सलेम, तंजोर, रामनाथपुरम और कोयम्बतूर जिलों

में किन-किन गांवों में डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अभी तक विचार किए गए प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु में 55 डाकघर खोले जाने की सम्भावना है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दे दी गई है।

विवरण

दक्षिणी अर्काट, उत्तरी अर्काट, सलेम, तंजौर, रामनाथपुरम और कोयम्बटूर जिलों के उन ग्रामों के नाम जहां 1989 में डाकघर खोलने का प्रस्ताव है

ज़िला	ग्राम
1	2
दक्षिणी अर्काट	कारत
	पल्लियानपुर
	अडावलीकुथम
	ब्रह्मदेशम
	कानिसापक्कम
	थट्टामपालयम
	अलगापेरूमल कप्पम
	वडापलाई
	कट्टालाई
उत्तरी अर्काट	पल्लावली
	चिन्नाथोट्रवलम
	आतीवाडी
	पुडुरचक्केडी
	पालयम.
	पनाइयूर
	आरंगलदुर्गम

1	2
	तुम्बेरी
	थोट्टोथुर्रामोट्टूर
	पेरीयागराम
	मन्डापराई
	चिक्कनाकुप्पम
	कनानूर
सलेम	मारंगम
	वहटावतट
कोयम्बटूर	जामिन कोट्टमपट्टी
	जोथमपट्टी
तंजोर	शून्य
रामनाथपुरम	शून्य

भारत कोकिंग कोल लि० के अधिकारियों द्वारा हड़ताल

8.9. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० के अधिकारियों ने हाल में एक सप्ताह हड़ताल की थी ;

(ख) हड़ताल से कोयले के उत्पादन में कितनी क्षति हुई ; और

(ग) गैरकानूनी हड़ताल में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध क्या कारंवाई की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) भारत कोकिंग कोकिंग कोल लि० के कुछ अधिकारी 26-8-1988 से 2-9-1988 तक काम पर गैर-हाजिर रहे।

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोयले के उत्पादन में 1.11 लाख टन की हानि हुई।

(ग) इन गैर-हाजिर अधिकारियों को, उस अवधि के लिए जिसमें ये अपने काम से गैर-हाजिर रहे 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर, वेतन की अदायगी नहीं की गई।

जम्मू में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 'ड्रिलिंग'

840. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू क्षेत्र में तेल और गैस भंडारों की सम्भावना का पता लगाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वहां कुओं की खुदाई आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और वहां से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) सुरिनसर, जम्मू में मार्च, 1970 में पहली बार ड्रिलिंग आरम्भ की गई थी और सुरिनसर-1 नामक कूप को 6000 मीटर तक खोदने की योजना थी किन्तु तकनीकी समस्याओं के कारण 3665 मीटर की गहराई पर इस कुएं की खुदाई को रोक देना पड़ा। सुरिनसर-2 नामक कुएं को 7000 मीटर तक खोदने का लक्ष्य था इसकी ड्रिलिंग 18-5-87 को आरम्भ की गई। इस बहुत अधिक गहराई वाले कुएं को 5371 मीटर तक खोदा गया है।

इनके परिणामों का पता ड्रिलिंग कार्य के पूरा होने और उसके पश्चात जांच करने के बाद ही चल सकेगा।

तेल और गैस की खोज में ब्रिटेन से सहयोग

[हिन्दी]

841. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 में ब्रिटेन के ऊर्जा राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में चालीस सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने दिल्ली की यात्रा की थी ;

(ख) यदि हां, तो भारत और ब्रिटेन के बीच तेल, गैस और पेट्रोरसायन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिनिधि मण्डल के साथ क्या बातचीत की गयी और क्या समझौता किया गया ; और

(ग) समझौते को कब तक कार्यान्वित किए जाने का विचार है और इस पर कितना व्यय होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) और (ख). ब्रिटिश ऊर्जा राज्य मन्त्री श्री पीटर मोरिसन की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश शिष्ट मण्डल ने जनवरी, 1989 में भारत का दौरा किया था जिसमें तेल और गैस उद्योग में लगी बड़ी ब्रिटिश कम्पनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर ब्रिटिश ऊर्जा उद्योग परिषद और भारतीय इन्जीनियरी उद्योग परिसंघ ने तेल, गैस और पेट्रोरसायनों पर दो गोष्ठियों का आयोजन किया। भारतीय और ब्रिटिश उद्योगों के बीच बातचीत हुई और ब्रिटिश मन्त्री ने उद्योग मन्त्री और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री से भी भेंट की। ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दौरान तेल, गैस और पेट्रोरसायनो के क्षेत्रों

में विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिला। दौरे पर आए प्रतिनिधिमंडल के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृष्णा-गोदावरी बेसिन में बेनुदुरु में तेल की खोज सम्बन्धी छिद्रण कार्य

[अनुवाद]

842. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन में स्थित बेनुदुरु नामक स्थान पर तेल की खोज सम्बन्धी छिद्रण कार्य कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) जी, हां।

(ख) वेनुदुरु-1 नामक एक कुएं को 1986-87 के दौरान 3138 मीटर गहराई तक खोदा गया और शुष्क पाया गया। रिग और उपकरणों के मूल्यह्रास सहित इस कुएं पर 395.56 लाख रुपए की लागत आई।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सोया की खपत का प्रचार

843. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अच्छे स्वास्थ्य के लिए सोया की खपत के बारे में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यक्रम को आरम्भ करने के लिए सम्भावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों पहले ही समय-समय पर सोया की खपत के लाभों और पौष्टिक मूल्यों पर कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट कर रहे हैं और वे ऐसा करते रहेंगे।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वणी क्षेत्र उपकार्यालय की स्थापना

844. **श्री उत्तमभाई ह० पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणी उप क्षेत्र (महाराष्ट्र) के लोगों ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वाणी क्षेत्र उप कार्यालय की केवल वणी में स्थापना की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख). वाणी उप क्षेत्र (नामक) के नाम से कोई उप क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। लेकिन वाणी में महा प्रबन्धक, वाणी क्षेत्र के कार्यालय की स्थापना किए जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में उपयुक्त स्थान का चयन किए जाने के लिए गठित समिति ने चन्द्रपुर जिले में तदाली के स्थान पर वाणी क्षेत्र के क्षेत्रीय मुख्यालय को स्थापित करने की सिफारिश की है। तदाली में आवासीय कम्पलेक्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

वैशाली कालोनी, नई दिल्ली में स्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था

845. **श्री गंगा राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैशाली कालोनी, डाबरी एक्सटेंशन, पालम रोड़, नई दिल्ली में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा अब तक स्थायी विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए हैं जबकि इस कालोनी के निवासियों ने धनराशि की पूरी अदायगी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो स्थायी विद्युत कनेक्शन मन्जूर करने में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस कालोनी में स्थायी विद्युत कनेक्शनों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कितने समय के भीतर की व्यवस्था कर दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). डेसू के अनुसार वैशाली कालोनी (मुख्य) का पहले ही विद्युतीकरण हो चुका है और वहां स्थाई विद्युत कनेक्शन अग्रदर्शी उपभोक्ताओं द्वारा वाणिज्यिक औपचारिकताओं को पूरा कर लिए जाने के बाद दिया जा रहा है। फिर भी उस क्षेत्र के एक अलग-थलग पड़े हुए भाग का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। 25 प्रतिशत प्लाट-धारियों द्वारा विकास खर्च जमा करने की अनिवार्य शर्तें 21-2-89 को ही पूरी कर ली गई हैं। इस भाग के विद्युतीकरण के लिए डेसू द्वारा एक कार्यक्रम बनाया गया है।

ब्रह्मपुरम, कोचीन में तेल पर आधारित डीजल बिजली उत्पादन केन्द्र

846. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ब्रह्मपुरम, कोचीन में तेल पर आधारित एक डीजल बिजली केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को मन्जूरी दे दी है ;

(ग) क्या इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ). ब्रह्मपुरम, कोचीन में एल० एस० एच०/ईंधन तेल/प्राकृतिक गैस पर आधारित 90 मेगावाट के संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र स्थापित करने के बारे में एक सम्भाव्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को केरल राज्य बिजली बोर्ड से अप्रैल, 1988 में प्राप्त हुई थी। ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित किए

जाने, अपेक्षित निवेश सुनिश्चित किए जाने और राज्य बिजली बोर्ड द्वारा आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त किए जाने के बाद ही प्रस्ताव के सम्बन्ध में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु कार्यवाही की जा सकती है।

केन्द्रीय सहायता ब्लॉक ऋणों तथा ब्लॉक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है और यह किसी विशेष परियोजना/कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं होती है।

नये टेलीफोन कनेक्शनों हेतु कम्प्यूटरीकृत सेवा

847. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा ग्राहक सेवा मे सुधार करने हेतु नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए अपनी पंजीकरण योजना को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कम्प्यूटरीकरण की क्या विशेषताए हैं ;

(ग) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा अपने कार्यकरण में सुधार करने हेतु और कौन से अन्य कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का अन्य राज्यों में भी नए कनेक्शनों हेतु कम्प्यूटरीकृत सेवा उपलब्ध कराने का विचार है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन से प्राप्त सुविधाएं—

(एक) सभी औपचारिकताओं का एक ही स्थान पर निपटान ;

(दो) आटोमेटिक जनरेशन और एकमात्र रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा कोड नम्बर ;

(तीन) रजिस्ट्रेशन पर्ची/भुगतान रसीद का काउण्टर पर ही शीघ्रता से जारी किया जाना तथा परिणामस्वरूप प्रतीक्षा समय का पर्याप्त कम हो जाना ; और

(चार) रजिस्ट्रेशन पर्ची में प्रतीक्षा सूची के निप्टान के सम्बन्ध में सूचना देना।

(ग) खुर्शीदलाल भवन तथा नेहरू प्लेस एक्सचेंज परिसर में दो कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोल दिए गए हैं। ईस्टर्न कोर्ट परिसर में नॉन-वायस-सेवा के लिए एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र खोला गया है।

(घ) से (च). इन केन्द्रों के कार्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् उन स्थानों पर, जहां प्रतीक्षा सूची में अनेक व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं, इस प्रकार के केन्द्र खोले जाएंगे।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन तथा मांग

848. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में स्वदेशी पेट्रोलियम उत्पादों का कितना उत्पादन होता है ;

(ख) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी है ;

(ग) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की कमी को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). वर्ष 1988-89 के लिए मांग और उत्पादन क्रमश: 49.788 और 45.295 मिलियन टन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ). इस समय पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और उत्पादन के बीच के अन्तर को आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है।

नगर पालिकाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम शक्ति की ट्रांसमिशन सेवा की पेशकश

849. श्री हुसैन दलवाई : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक नगर पालिकाओं ने शहरी क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से कम शक्ति की ट्रांसमिशन सेवा की लागत वहन करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या दूरदर्शन विभाग ने देश के किसी भाग में इस प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). सरकार ने 1985 में "टी० वी० ट्रांसमीटरों के लिए राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी सगठनों, निजी संस्थानों इत्यादि से "धन जुटाने" की स्कीम घोषित कर इन एजेंसियों से उनकी पसन्द के कवर न हुए क्षेत्रों में टी० वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे। उसके बाद नगर परिषदों सहित विभिन्न एजेंसियों से स्कीम के ब्यौरे और सम्बद्ध सूचना के बारे में समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। तथापि, बाकारो, मैनपुरी और रामगुण्डम, प्रत्येक में एक-एक अल्पशक्ति (100 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर तथा केवल मनकापुर में एक अति अल्पशक्ति (2 × 10 वाट) ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए ठोस पेशकशें प्राप्त प्राप्त हुई हैं। बोकारो, मैनपुरी तथा मनकापुर में इस स्कीम के अन्तर्गत ट्रांसमीटर चालू हो गए हैं और रामगुन्डम में ट्रांसमीटर के चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) के अन्त तक स्थापित और चालू हो जाने की उम्मीद है। इनमें से किसी भी ट्रान्समीटर के लिए धन की व्यवस्था नगर परिषदों ने नहीं की है।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए मंजूरी

850. **श्री मट्टम श्रीराम मूर्ति :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु विचाराधीन आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले में मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). 15-2-1989 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए आशय पत्रों की मंजूरी हेतु, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपलबन्धों के अधीन 70 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जो प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। सरकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय लेने तक लम्बित प्रस्तावों के ब्यौरे बताये नहीं जाते हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहता है कि सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाया जाए।

छोटे और मझोले समाचारपत्रों की समस्याएं

[हिन्दी]

851. **श्री शान्ति धारीवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान छोटे और मझोले समाचारपत्रों की समस्याओं की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ;

(ग) सरकार के पास पंजीकरण हेतु लम्बित आवेदनों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार पंजीकरण के लिए लम्बित आवेदनों को निपटाने के लिए प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम, 1867 में संशोधन करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सलाहाकार श्री सुमन दुबे की अध्यक्षता में विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गयी है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ). प्रेस और पुस्तक पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 1988, 5-12-1988 को

राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था। इससे अन्य बातों के साथ-साथ, पंजीकरण के लिए आवेदनों को शीघ्र निपटाने में आसानी होगी।

विवरण

31-12-88 की स्थिति के अनुसार पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों की राज्यवार सूची

1. आन्ध्र प्रदेश	82
2. असम	36
3. अरुणाचल प्रदेश	1
4. बिहार	46
5. गुजरात	69
6. गोवा	10
7. हरियाणा	51
8. हिमाचल प्रदेश	11
9. जम्मू और कश्मीर	9
10. कर्नाटक	94
11. केरल	84
12. मध्य प्रदेश	77
13. महाराष्ट्र	138
14. मणिपुर	10
15. मेघालय	4
16. मिजोरम	33
17. नागालैंड	1
18. उड़ीसा	75
19. पंजाब	79
20. राजस्थान	35
21. सिक्किम	1

22. तमिलनाडु	65
23. त्रिपुरा	8
24. उत्तर प्रदेश	90
25. पश्चिम बंगाल	78
संघ शासित क्षेत्र	
26. अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5
27. चण्डीगढ़	36
28. दिल्ली	69
29. लक्ष द्वीप	2
30. पांडिचेरी	4
	1303

केरल में बिजली की कमी

[अनुवाद]

852. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या इस कमी को पूरा करने हेतु कोई अल्पावधि उपाय करने का विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). अप्रैल-जनवरी, 1989 के दौरान, केरल में 11.8 प्रतिशत विद्युत की कमी थी ।

(ग) और (घ). केरल में केवल जल-विद्युत उत्पादन होता है, अतः वास्तविक उत्पादन मुख्य रूप से जलाशयों के जल-स्तर पर निर्भर करता है। विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए केरल को दक्षिणी क्षेत्र में स्थिति केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से यथासभव सहायता प्रदान की जा रही है । किए जा रहे अन्य उपायों में नई क्षमता और सम्बद्ध पारेषण लिंक को शीघ्र चालू करना आदि शामिल हैं ।

बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

853. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और ग्रेटर बम्बई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदन हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए ;

(ग) शेष प्रतीक्षारत आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाएगा ;

(घ) क्या आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य टेलीफोन सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु पहले की अपेक्षा अधिक टेलीफोन सुविधा को उपकरण बनाने लिए सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में भावी विकास योजनाओं के संदर्भ में प्राप्त हुए वित्तीय योगदान का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) बम्बई में 31-1-1989 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार है :—

बम्बई	—	203495
न्यू बंबई	—	8838

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतीक्षा सूची में से जितने व्यक्तियों को वर्ष-वार कनेक्शन दिए गए उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

प्रतीक्षा सूची में से दिए गए कनेक्शन		
1985-86	:	39,031
1986-87	:	43,517
1987-88	:	56,933

(ग) औसन 30-9-86 से पहले जिन व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था उन्हें 31-3-1990 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की आशा है बशर्ते कि समय पर उपस्कर तथा इस कार्य के लिए संबद्ध स्टोर उपलब्ध हो जाए ।

(घ) और (ङ) . बम्बई टेलीफोन, महानगर टेलीफोन निगम लि० की एक यूनिट है जो कि पूर्णरूपेण भारत सरकार का प्रतिष्ठान है । निगम के इक्विटी कैपीटल में जनता की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है। जनता के लिए 1986 के बाद से ब्याज वाले टेलीफोन बांड जारी किए गए हैं।

महाराष्ट्र में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

854. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988-90 के दौरान महाराष्ट्र के छोटे शहरों में बेहतर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया गया है ;

(घ) इन एक्सचेंजों से किस तरह की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी ; और

(ङ) इन पर कितना पूंजी निवेश करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह समय पर उपस्कर उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा।

(घ) (1) मेनुअल एक्सचेंज का स्वचलीकरण,

(2) जहां कहीं तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य हो एस. टी. डी./आई. एस. डी. सुविधायें और

(3) सेवा की गुणता में सुधार।

(ङ) लगभग दस करोड़ रुपये।

विवरण

(क)

क्र० सं०	स्वचल एक्सचेंजों में बदले जाने वाले मेनुअल एक्सचेंजों के नाम
1.	अलीबाग
2.	परभनी
3.	पालघर
4.	चिपलून
5.	पंढरपुर

क्र. सं.	एक्सचेंज का नाम	जिले का नाम
1	2	3
(ख) इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों-एम. आई. एल. टी-64 पोर्ट में बदले जाने वाले एक्सचेंजों के नाम		
1.	वजाली	रायगढ़
2.	खालापुर	,,
3.	पोलडपुर	,,
4.	डिगी	,,
5.	कादर	,,
6.	तलसेठ	,,
7.	अम्बेट	,,
8.	चानेरा	
9.	पडोली	,,
10.	बारपाड़ा	,,
11.	टेलगा[illegible]	,,
12.	नन्दगांव	,,
13.	सरोंचा	गढ़चिरोली
14.	केलजर	वर्धा
15.	तलाडीबेलपुर	चन्द्रपुर
16.	चिमूर	,,
17.	घाट-नानन्धुर	बीड़
18.	शिरूर	,,
19.	कट्टा	सिन्दुदुर्ग
20.	वडा	,,
21.	भालवानी	अहमदनगर
22.	रवांडा	,,
23.	कमरगांव	अकोला

1	2	3
24.	बरसी-तकाली	अकोला
25.	रामनवाडथाल	अमरावती
26.	नन्दगवांपेठ	,,
27.	परसोडा	औरंगाबाद
28.	पिशोर	,,
29.	अदियार	भण्डारा
30.	भण्डार एम० आई० डी० सी०	,,
31.	बडी बदगांव	बुलडाना
32.	महसवाद	धुले
33.	धीवाला	,,
34.	खीरवाड	जलगांव
35.	साकली	,,
36.	राजुर	जालना
37.	शेवाली	,,
38.	अकीवात	कोल्हापुर
39.	वालवा	,,
40.	जलकोट	लातुर
41.	देवनी	,,
42.	नीमखेरा	नागपुर
43.	पाटनसवांगे	,,
44.	बरबदा	नांदेड
45.	बोथरोड	,,
46.	करछल	नासिक
47.	सोमथाण	,,

1	2	3
48.	औधनगनाथ	परभनी
49.	जारी	,,
50.	कादुस	पुणे
51.	लोनी बेवकारे	,,
52.	खोपो	रत्नगिरि
53.	न्यारी	,,
54.	नगाई	सांगली
55.	तंग	,,
56.	उमाडी	,,
57.	डिघांची	,,
58.	येलावे	,,
59.	मसुचिपाडी	,,
60.	नेमझोड	सतारा
61.	उंडाले	,,
62.	मंडरूप	सोलापुर
63.	ब्रह्मपुरी	,,
64.	कसारा	ठाणे
65.	पड़ाहा	,,
66.	फुलस्वानही	यवतमाल
67.	अकोला बाजार	,,
68.	केलवाड	बुंलडाना

(ग) 512 पोर्ट आई० एल० टी० एक्सचेंजों द्वारा बदले जाने वाले एक्सचेंजों के नाम

1.	केरजेठ	रायगढ़
2.	श्रीवर्धन	,,

1	2	3
	3. नगोठाणे	रायगढ़
	4. कटोल	नागपुर
	5. उमरेर	"
	6. राजगुरूनगर	पुणे
	(घ) 128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स द्वारा बदले जाने वाले एक्सचेंजों के नाम :	
	1. सोमेश्वर नगर	पुणे
	2. लसूना	"
	3. बोरी	"
	4. खेडलजुनसे	नासिक
	5. वरसाई जिटे	कोलबा (रायगढ़)
	6. कोलाड	"
	7. पाराली	"
	8. बोर्ग्ली मांडला	"
	9. चौक	"
	10. अजीवाली	"
	11. कालम्ब	"
	12. अपरटुडिल	"
	13. अहेरी	गढ़चिरोली
	14. अल्लापल्ली	"
	15. अरमोरी	"
	16. चमोरसी	"
	17. हुम	उस्मानाबाद
	18. वासी	"
	19. पराना	"

1	2	3
20.	मारूम	उस्मानाबाद
21.	फोंडागट	"
22.	थेडशी	"
33.	तलवाड	"
24.	रेडी	"
25.	विजयादुर्ग	"
26.	पुलामबेरी	औरंगाबाद
27.	खलदाबाद	"
(ङ)	ई० एस० ए० एक्स (पी० ए० एम०) स्विचों द्वारा बदले जाने वाले एक्सचेंजों के नाम	
1.	वालचन्दनगर	पुणे
2.	कोरगांवभीमा	"
3.	खेडशिवापुर	"
4.	कमसेठ	"
5.	भवानीनगर	"
6.	मथेरा	रायगढ़
7.	गोरेगांव	"
8.	मुरूड	"
9.	सेवाग्राम	वर्धा
10.	अकोला एम० आई० डी० सी०	"

स्पीड पोस्ट सेवा

855. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान किन्हीं नए शहरों या नगरों में स्पीड पोस्ट सेवा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन शहरों और नगरों के राज्यवार नाम क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) स्पीड पोस्ट सेवा और शहरों/कस्बों के लिए प्रारम्भ करना सम्भावित परियात के लिए सुविधाजनक हवाई/रेल सेवाओं आदि जैसे मापदण्डों पर निर्भर करेगा। इन मानदण्डों को मद्देनजर रखते हुए ही वर्ष 1989 के दौरान शहरों/कस्बों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। इस समय यह वादा कर पाना सम्भव नहीं है कि 1989 के दौरान कितने नए केन्द्र खोले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में दादरी ताप विद्युत परियोजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

856. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में दादरी ताप विद्युत परियोजना के लिए ऋण मन्जूर किया है ;

(ख) क्या सबसे अधिक अनुकूल बोली लगाने वाले को पाइप लाइन बिछाने का काम सौंपा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हां।

(ख) दादरी ताप विद्युत परियोजना हेतु निम्न दाब की पाइप लाइन बिछाने के कार्य के लिए ठेका कम से कम आंकी गई बोली लगाने वाले को दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

857. **श्री टी० बशीर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) आवेदकों को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) एक जनवरी, 1989 को केरल में एल० पी० जी० कनेक्शनों के लिए लगभग 82,300 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

(ख) केरल सहित पूरे देश में तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से नए कनक्शन देने का कार्यक्रम किया जाता है, बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

उड़ीसा में ऊर्जा के पुन: प्रायोज्य स्रोत सम्बन्धी एजेंसी

858. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन सी एजेन्सियां हैं जो विभिन्न राज्यों में ऊर्जा के पुन: प्रायोज्य स्रोत सम्बन्धी कार्यक्रम का कार्यान्वियन और संवर्धन कर रही हैं ;

(ख) क्या उड़ीसा में ऐसी कोई एजेन्सी स्थापित की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में ऊर्जा के प्रायोज्य स्रोत सम्बन्धी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा बढ़ाने में उक्त एजेन्सी द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में ये कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए गए नोडल विभाग/एजेन्सियों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा इनका सम्वर्धन किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारों ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोता के क्षेत्र में कार्यक्रमों को प्रोन्नत करने एवं कार्यान्वित करने के लिए ही नोडल एजेन्सियो की स्थापना की है। इस प्रकार की एजेन्सियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी हां, उड़ीसा राज्य में इस प्रकार के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा सम्वर्धन के लिए उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी की स्थापना की गई है।

(ग) उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी द्वारा उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा के नवकरणीय स्रोतों पर आधारित उन प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र परीक्षण का व्यापक रूप से उपयोग करना शामिल है। जो प्रदर्शन क्षेत्र परीक्षण तथा जनता मे जन जागृति पैदा करने के माध्यम से परिपक्व हो चुकी हैं। 57 से अधिक सौर जल तापन प्रणालियां, 208 सौर भभके, एक सौर वायु तापन प्रणाली, 830 परिवार आकार के सौर कुकरों, 64 सौर प्रकाशवाल्टीय जल पम्पन प्रणालियां, 25 सौर प्रकाश वोल्टीय समुदायिक प्रकाश/टैलीविजन प्रणालियां, 145 जल पम्पन पवन चक्कियां तथा एक 4 किलोवाट पवन बैटरी चार्जिंग यूनिट पहले ही स्थापित की जा चुकी है। उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयत्र इस प्रकार है :

1986-87	4301
1987-88	6005
1988-89	4933 (जनवरी 1989 के अन्त तक)

उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी ने कई प्रकार के उन्नत चूल्हों की भी स्थापना की है जिनकी पिछले तीन वर्षों में संख्या निम्न प्रकार है :—

1986-87	34239
1987-88	37023
1988-89	23377 (जनवरी 1989 के अन्त तक)

25 किलोवाट का एक प्रयोगात्मक विद्युत सौर प्रकाशवोल्टीय संयंत्र लुलुंग के फारेस्ट लॉज में स्थापित किया जा रहा है और ग्रामीण टेलीफोन केन्द्रों को विद्युत सप्लाई करने के लिए 2 किलोवाट के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत स्टेशन की स्थापना की जा रही है।

पूरी में एक 1.1 मेगावाट पवन विद्युत परियोजना शुरू की जा चुकी है। 550 किलोवाट का प्रथम चरण 1-5-86 तथा दूसरा 6 दिसम्बर 1988 को स्थापित किया गया। विद्युतघर को 9 लाख यूनिट से अधिक बिजली दी जा चुकी है।

उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी के माध्यम से 6 ऊर्जाग्रामों का कार्य भी पूरा किया गया है।

उडीसा राज्य विद्युत बोर्ड के सहयोग से 206 ग्रामों में सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क रोशनी प्रणालियां स्थापित की गई हैं।

विवरण

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के कार्यान्वयन एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई एजेन्सियों का नाम

क्रम सं०	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एजेन्सी का नाम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	आंन्ध्र प्रदेश अपारम्परिक ऊर्जा विकास निगम लि०, हैदराबाद।
2.	बिहार	बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी, पटना।
3.	गुजरात	गुजरात ऊर्जा विकास एजेन्सी, बड़ोदरा।
4.	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिए परिषद, बंगलौर।
5.	केरल	अपारम्परिक ऊर्जा एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए एजेंसी, त्रिवन्द्रम।

1	2	3
6.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०, भोपाल।
7.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेन्सी, बम्बई।
8.	मेघालय	मेघालय अपारम्परिक एवं ग्रामीण ऊर्जा विकास एजेंसी, शिलांग।
9.	उड़ीसा	उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी भुवनेश्वर।
10.	राजस्थान	राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी, जयपुर।
11.	तमिलनाडु	तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी, मद्रास।
12.	उत्तर प्रदेश	अपारम्परिक ऊर्जा विकास एजेंसी, लखनऊ।
13.	दिल्ली	दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी, दिल्ली।

दूसरे चैनल पर टी० वी० विज्ञापनों से आय

859. **श्री परसराम भारद्वाज :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूरदर्शन के दूसरे चैनल पर वाणिज्यिक कार्यक्रम शुरू करने से लेकर अब तक वाणिज्यिक विज्ञापनों से हुई आय का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : दूरदर्शन द्वारा अपने दूसरे चैनल की सेवा के आरम्भ होने की तारीख से दिसम्बर, 1988 तक अर्जित वाणिज्यिक राजस्व का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

दिल्ली	—	12,51,836 रुपए
बम्बई	—	9,35,750 रुपए
कलकत्ता	—	शून्य
मद्रास	—	60,000 रुपए

विभागेत्तर कर्मचारियों का वेतन

860. **श्री सी० जंगा रेड्डी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों का वेतन उनके कार्यभार के आधार पर निर्धारित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के विभागेत्तर कर्मचारियों का कार्यभार निर्धारित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ; और

(ग) उनके कार्यभार को निर्धारित करने की अवधि क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) प्रत्येक श्रेणी के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के कार्यभार की गणना नियमित विभागीय कर्मचारियों की सम्बन्धित श्रेणियों के लागू मानदण्डों के आधार पर की जाती है। इसमें अतिरिक्त विभागीय शाखा कर्मचारी शामिल नहीं हैं जिनके कार्यभार की गणना चालू प्वाइंट-प्रणाली के आधार पर की जाती है।

(ग) वास्तविक कार्यभार के आधार पर भत्तों की पुनरीक्षा की अवधि अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर/उप पोस्टमास्टरों के मामले में 2 वर्ष और अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट-मास्टर/उप पोस्टमास्टरों के अलावा सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के सम्बन्ध में 5 वर्ष है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्स कोड पद्धति पर तारघर खोलने हेतु मानदण्ड

861. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में मोर्स कोड पद्धति के आधार पर तारघर खोलने हेतु क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) क्या योजना आयोग द्वारा निर्धारित विशेष श्रेणी के राज्यों तथा अन्य पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में ऐसे तारघर खोलने के लिए मानदण्डों में कोई छूट दी जाती है और किस प्रकार की छूट दी जाती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और क्या ऐसे क्षेत्रों में ऐसे तारघर खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करने हेतु कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्रों, बिखरी हुई जनसंख्या तथा प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई छूट दी जाती है ; और

(घ) क्या इस प्रकार के तारघरों के लिए स्वीकृति प्रदान करने और इन्हें स्थापित करने हेतु किन्हीं स्टेशनों को "स्पेशल कैटेगरी स्टेशनों" के रूप में मान्यता दी गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) लम्बी दूरी का पी० सी० ओ० खोलते समय ग्रामीण क्षेत्रों में फोनोकाम आफिस के रूप मे तारघर खोला जाता है। फोनोकाम कार्यकरण को मोर्सकोड कार्य पद्धति में उस स्थिति मे बदला जाता है जब रोज निपटाए जाने वाले तारो की औसत सख्या 18 तक पहुच जाती है।

(ख) और (ग). पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों आदि में फोनोकाम तारघर खोलने के लिए मानदण्डो मे वही छूट दी जाती है जो लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन दरों के मामले में लागू होती है। इस प्रकार क तारघरों को मोर्स प्रणाली म बदलने के लिए मानदण्डो मे ढील नही दी जाती।

(घ) मोर्स कोड तारघर खोले जाने के लिए मन्जूरी पूर्णतया संचालित परियात के आधार पर उपर्युक्त भाग (क) में दिए गए मानदण्ड के अनुसार दी जाती है ।

स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ताओं का रिकार्ड किया जाना

862. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंटकर्ताओं का रिकार्ड किये जाने के बारे में 24 अगस्त, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न भाषाओं/बोलियों में रिकार्ड किये गये और अधिक स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ताओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या आगामी वर्षों में गैर प्रतिनिधित्व क्षेत्रों/भाषाओं अथवा बोली समूह से सम्बन्धित और अधिक स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंटवार्ता की जाएगी ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) भविष्य में विशेष अवसरों के लिए विभिन्न शैक्षिक और अन्य संस्थाओं हेतु इन भेंटवार्ताओं को सुरक्षित रखने और इनका प्रयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी ने 1-4-87 से 31-10-88 तक 1297 से अधिक स्वतन्त्रता सेनानियों के साक्षात्कार रिकार्ड किए हैं जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भाषा/बोलीवार समेकित विवरण केन्द्रीय रूप से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जब भी आकाशवाणी के केन्द्रों को स्वतन्त्रता सेनानियों का पता चलता है वे उनको रिकार्ड करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं।

(ग) अभिलेखी मूल्यों की रिकार्डिंग की जाती है और केवल प्रसारण के उद्देश्य से उन्हें संरक्षित किया जाता है। अनुबन्ध की बाध्यता के कारण ये अन्य प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा 1-4-87 से 31-10-88 तक रिकार्ड किये गए स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या

1. आन्ध्र प्रदेश	98
2. असम	12
3. बिहार	55
4. गोवा	29
5. गुजरात	45
6. जम्मू और कश्मीर	12

7.	कर्नाटक	46
8.	केरल	39
9.	महाराष्ट्र	144
10.	मणीपुर	12
11.	नागालैंड	—
12.	उड़ीसा	90
13.	पांडिचेरी	9
14.	पंजाब	14
15.	राजस्थान	67
16.	तमिलनाडु	148
17.	उत्तर प्रदेश	350
18.	त्रिपुरा	2
19.	पोर्ट ब्लेयर	1
20.	पश्चिम बंगाल	13
21.	मध्य प्रदेश	73
22.	हरियाणा	6
23.	हिमाचल प्रदेश	6
24.	मेघालय	2
25.	दिल्ली	24
	कुल	1297

आकाशवाणी द्वारा संसद सदस्यों और विधानमण्डलों के बारे में प्रसारित किये गए समाचार आदि

863. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्र अपने समाचार बुलेटिनों में संसद सदस्यों के बारे

में कम तथा राज्य सरकार के कार्यक्रमों और राज्य विधान मंडलों के बारे में अधिक समाचार देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य के मुख्य-मुख्य आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संसद और राज्य विधान मंडलों को क्रमश: कितना-कितना समय दिया ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सन्तुलन सुनिश्चित करने हेतु आकाशवाणी द्वारा अब आबंटित समय की समीक्षा की जाएगी ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार केन्द्र, केन्द्रीय विधान मंडलों में जन प्रतिनिधियों को जब कभी वे प्रादेशिक केन्द्रों द्वारा कवर किए गए किसी समारोह आदि मे कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हैं या भाग लेते हैं तो उन्हें उचित कवरेज प्रदान करते हैं। जब कभी भी क्षेत्र के हित के विषय होते हैं क्षेत्र के बाहर की भी उनकी टिप्पणियों पर ध्यान दिया जाता है। आकाशवाणी द्वारा समाचारिक महत्व सम्बन्धी मानदंडों का अनुसरण किया जाता है। राज्य सरकार के कार्यक्रमों तथा राज्य विधान मंडलों की कार्यवाहियों को, जो अत्यन्त स्थानीय रुचि के होते हैं, क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों में उनके कवरेज को अधिक स्थान दिया जाता है।

प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में ऐसे कवरेज के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य विधान मंडलों के लिए समय का पृथक आबंटन प्रदान करना सम्भव नहीं है। दिए गए समय का अलग-अलग ब्यौरा केन्द्रीय समेकित रूप में नहीं रखा जाता है।

(ग) समाचार की उपयोगिता के अनुसार किसी समाचार बुलेटिन में प्रत्येक मद के चयन की वर्तमान पद्धति पूर्णतया सन्तोषजनक है तथा इनकी पुनरीक्षा करने की अपेक्षा नहीं है।

भाखड़ा और पोंग जलाशयों के कारण पंजाब में बाढ़

864. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार और पंजाब के लोगों को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दिये बिना ही भाखड़ा और पोंग जलाशयों से पानी छोड़ दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब के गांवो और नगरो में बाढ़ आ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच का स्वरूप और क्षेत्र क्या है और जांच के लिए क्या विषय दिए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस विषय में क्या प्रभावशाली उपाय किए गए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) भाखड़ा और पोंग जलाशयों से जल छोड़ने के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला प्रशासन सहित सम्बन्धित

प्राधिकारियों को सूचित कर दिया गया था।

(ख) से (घ). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

तेल और गैस की खोज

865. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988 के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस के किन मुख्य साधनों की खोज की गई है ;

(ख) क्या इन स्थानों से तेल और गैस निकालने का कार्य चालू हो गया है ; और

(ग) इन साधनों की अनुमानित निकासी क्षमता क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1988 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर तेल और गैस मिले हैं :—

स्थान का नाम	राज्य	तेल/गैस
तटपर		
बीचरजी	गुजरात	तेल
नानीलम	तमिलनाडु	तेल
चिन्तलप्प-अली	आंध्र प्रदेश	गैस
आदमटिला	असम	गैस
मंडापेट्टा	आंध्र प्रदेश	गैस
सोनारी	असम	तेल
वेस्ट उनावा	गुजरात	तेल
नाडा	गुजरात	तेल
मंनसा	गुजरात	तेल
उरीमघाट	असम	तेल
तनोट	राजस्थान	गैस
खारसंग	अरुणाचल प्रदेश	तेल

स्थान का नाम	राज्य	तेल/गैस
अपतट		
आर०-10	वेस्ट अपतट	तेल
एस०डी०-1	वेस्ट अपतट	तेल
एस०डी०-4	वेस्ट अपतट	तेल
पी०वाई०-3	ईस्ट अपतट	तेल
बी०-46	वेस्ट अपतट	गैस

(ख) और (ग). इन स्थानों पर खोज/चिह्नांकन का काम चल रहा है और यहां पर अनुमानित उत्पादन का पता खोज कार्य के पूरा होने के बाद ही चल सकेगा। बीचरजी, सोनारी, मनसा और वेस्ट उनावा नामक चार स्थानों पर शीघ्र उत्पादन प्रणाली के द्वारा उत्पादन आरम्भ हो गया है।

रसोई गैस की खपत

866. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस की कुल खपत क्या है ;

(ख) क्या खाना पकाने के माध्यम के रूप में रसोई गैस का उपयोग करने वाले लोगों की राज्यवार संख्या का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो केरल में खाना पकाने के माध्यम के रूप में रसोई गैस का उपयोग कर रहे उपभोक्ताओं की संख्या क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 1.97 मिलियन टन एल०पी०जी की कुल खपत होने का अनुमान है।

(ख) और (ग). जी, हां। 1 जनवरी, 1989 को केरल में एल०पी०जी० के लगभग 4.31 लाख उपभोक्ता थे।

कच्चे पेट्रोलियम का उत्पादन और आयात

867. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन का और नवीनतम अनुमान और सामरिक कारणों को छोड़कर देश में इसकी मांग का अनुमान कितना है, मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में आयात करने का अनुमान है ;

(ख) वर्तमान वर्ष मे रुपया-बीजक के आधार पर समस्त विदेशी अपरिष्कृत पेट्रोलियम के लिए आयातकर्ता एजेंसी द्वारा सी०आई०टी०, बम्बई को प्रति टन कितना शुद्ध (नेट) मूल्य अदा किया गया ; और

(ग) तेल उत्पादक देश या सप्लाई करने वाले देश से देश में अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रति टन औसत मूल्य में कितना अन्तर पाया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1988-89 के लिए देश में 32.18 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

1988-89 में 49.79 मिलियन टन पेट्रोलियम उत्पादों की मांग होने का अनुमान है। 1988-89 के दौरान 17.3 मिलियन टन कच्चे तेल के आयात का अनुमान है।

(ख) और (ग). कच्चे तेल के आयात के लिए संविदा एफ०ओ०बी० के आधार पर किए जाते हैं और बम्बई सहित भारत के विभिन्न बंदरगाहों पर कच्चे तेल की ढुलाई का प्रबन्ध भारतीय झंडे वाले जहाजों द्वारा किया जाता है। विभिन्न देशों से कच्चे तेल के आयात की व्यवस्था कीमतों से सम्बन्धित बाजार के आधार पर की जाती है तथा चूंकि अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अलग-अलग होती हैं इसलिए जहाज की प्रत्येक लदान के वास्ते अलग-अलग कीमतें होती हैं। कच्चे तेल की विशेषता के अनुसार बाजार में विभिन्न कच्चे तेलों की कीमतें भी अलग-अलग होती हैं। वांछित सूचना को तैयार करने में लगने वाले प्रयास प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे।

सोडा ऐश का उत्पादन और आयात

868. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा ऐश उत्पादक औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एकक में कितना उत्पादन होता है ;

(ख) क्या देश में मांग के अनुरूप सोडा ऐश का उत्पादन नहीं हो रहा है और मांग को पूरा करने के लिए इसका आयात किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितना सोडा ऐश आयात किया जाता है और इस पर कितनी धन-राशि खर्च होती है ; और

(घ) देश में सोडा ऐश के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

(आंकड़े हजार टनों में)

क्र०सं०	एकक का नाम	1988 के दौरान अनुमानित उत्पादन
1.	मे० टाटा केमिमल्स	617.29
2.	मे० सौराष्ट्र केमिकल्स	231.82
3.	मे० धारंगधरा केमिकल्स वर्क्स लि०	51.79
4.	मे० हरी फर्टिलाइजर्स लि०	*9.81 (जुलाई, 88 तक)
5.	मे० तुतीकोरिन अलकली केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	57.39
6.	मे० पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि०	30.75
7.	मे० गुजरात हैवी केमिकल्स लि०	150.02

* संयंत्र अगस्त, 1988 में बन्द हुआ

(ख) और (ग). जी नहीं। अप्रैल, 1988 में 3.3 लाख टन की वार्षिक क्षमता से मे०गुजरात हैवी केमिकल्स लि० के संयंत्र के चालू हो जाने से चालू वित्त वर्ष के दौरान आयात में काफी कमी आई है। तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास आयात हेतु केवल 3190 टन की मात्रा पंजीकृत की गई है। वास्तव में जी०एच०सी०एल० द्वारा पूरा उत्पादन किए जाने पर आयात की बिलकुल आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) भावी मांग को पूरा करने के लिए स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार ने सोडा ऐश के उत्पादन को लाइसेंस मुक्त कर दिया है।

रानीखेत, उत्तर प्रदेश में कम शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर

[हिन्दी]

869. **श्री हरीश रावत :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को रानी खेत, (उत्तर प्रदेश) में एक कम शक्ति का टी० वी० ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु भूमि हस्तांतरण का एक संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृति कब प्रदान की गई और यदि नही तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग). रानीखेत में प्रस्तावित टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए चुना गया भूखंड दूरदर्शन को हस्तांतरित करने के लिए रक्षा मन्त्रालय सहमत हो गया है बशर्ते कि पर्यावरण और वन मन्त्रालय इसकी स्वीकृति दे दे क्योंकि यह भूखंड वनभूमि के रूप में वर्गीकृत है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मन्त्रालय से सिफारिश की है कि वह टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना हेतु इस जमीन की स्वीकृति प्रदान करें। इस बीच, दूरदर्शन ने प्रस्तावित ट्रांसमीटर भवन की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है और सिविल निर्माण कार्यों के प्राक्कलन को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

[अनुवाद]

870. श्री चिन्तामणि जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान प्रत्येक राज्य को मिट्टी के तेल का राज्यवार कितना कोटा सप्लाई किया गया ; और

(ख) राज्यों की मांग पूरी करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा का मिट्टी के तेल की सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान किए गए आबंटन में उपयुक्त वृद्धि करके मिट्टी के तेल का आबंटन किया जाता है। नियमित आबटन के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवात एल. पी. जी. की कमी आदि की स्थिति से निपटने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर तदर्थ आधार पर आबंटन किए जाने पर भी विचार किया जाता है और दिया जाता है। 1988-89 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल के मासिक आबंटन को दर्शाने वाला और दिसम्बर, 1988 तक की गई सप्लाई का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण-पत्र को देखने से पता चलेगा कि मिट्टी के तेल की सप्लाई आमतौर पर आबंटन के अनुरूप रही है और सही उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने लिए यह मात्रा पर्याप्त समझी गई है। चालू वर्ष के दौरान भी उपर्युक्त नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है।

विवरण

(टन)

राज्य	मूल आबटन	तदर्थ आबंटन	कुल आबंटन	दिया गया	मूल आबटन	तदर्थ आबटन	कुल आबटन	दिया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अप्रैल, 1988				मई, 1988		
1. आन्ध्र प्रदेश	39820	2000	41820	41374	39820	—	39820	38911
2. अरुणाचल प्रदेश	650	150	800	700	650	150	800	845
3. असम	16730	1770	18500	18924	16730	1770	18500	18847
4. मणिपुर	1425	175	1600	1556	1425	175	1600	1648
5. मिजोरम	460	—	460	477	460	—	460	403
6. बिहार	33962	—	34747	34747	33962	—	33962	34550
7. दिल्ली	16145	—	16145	16016	16145	—	16145	14822
8. गोआ	1950	—	1950	1950	1950	1950	1950	1701
9. गुजरात	55540	—	55540	56383	55255	—	55255	56214

10. दादर और नगर हवेली/द्वीयू/दमण	355	—	355	324	355	—	355	310
11. हरियाणा	10625	—	10625	10625	10625	—	10625	10480
12. पंजाब	22325	—	22325	22358	22325	—	22325	22449
13. हिमाचल प्रदेश	2265	—	2265	2304	2365	135	2400	2433
14. चण्डीगढ़	1365	—	1365	1194	1365	—	1365	991
15. जम्मू और कश्मीर	3865	785	4650	4644	3865	408	4265	4326
16. कर्नाटक	30490	2010	32500	32406	30490	2010	32500	32617
17. केरल	18137	200	18337	18637	18137	200	18337	19263
18. मध्य प्रदेश	27882	—	27882	27334	27882	—	27882	27240
19. मेघालय	1035	310	1345	1430	1035	310	1345	1328
20. महाराष्ट्र	101875	—	101875	105817	101875	—	101875	102065
21. नागालैण्ड	710	100	900	891	710	190	900	971
22. उड़ीसा	10785	215	11000	11029	10785	415	11900	10267
23. राजस्थान	18346	—	18346	18209	18346	—	18346	18133
24. सिक्किम	390	—	390	429	390	—	390	355

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. तमिलनाडु	45420	—	45420	43163	45420	—	45420	45796
26. पांडिचेरी	975	—	975	954	975	—	975	986
27. उत्तर प्रदेश	64763	—	64763	65652	64763	—	64763	64310
28. त्रिपुरा	1295	305	1600	1647	1295	305	1600	1636
29. पश्चिम बंगाल	53770	—	53770	54477	53770	—	53770	54478
30. अंडमान	230	—	230	271	230	—	230	273
31. लक्षद्वीप	70	—	70	16	70	—	70	16
		जून, 1988				जुलाई, 1988		
1. आन्ध्र प्रदेश	39820	—	39820	39643	41730	—	41730	40696
2. अरुणाचल प्रदेश	650	150	800	751	610	—	610	808
3. असम	16730	2270	19000	19695	17560	—	17560	19224
4. मणिपुर	1425	175	1600	1653	1355	—	1355	1112
5. मिजोरम	460	—	460	572	310	—	310	296
6. बिहार	33962	—	33962	24690	35705	—	35705	38054

7. दिल्ली	16145	—	16145	14590	16875	—	16875	15499
8. गोआ	1950	—	1950	1732	2100	—	2100	1904
9. मद्रास	55255	—	55255	56361	54715	—	54715	54048
10. दादर/द्वीयू/दमण	355	—	355	323	495	—	495	463
11. हरियाणा	10625	—	10625	10508	11140	—	11140	11201
12. पंजाब	22325	—	22325	22353	24495	—	24495	24576
13. हिमाचल प्रदेश	2265	235	2500	2489	2780	—	2780	2730
14. चंडीगढ़	1365	—	365	913	1525	—	1525	1108
15. जम्मू और कश्मीर	3865	—	3865	3887	4550	—	4550	4900
16. कर्नाटक	30490	1010	31500	31500	32025	—	32025	32473
17. केरल	18137	700	18837	18579	19470	—	19470	19678
18. मध्य प्रदेश	27882	—	27882	27024	26770	1000	27770	26610
19. मेघालय	1035	310	345	1434	1120	—	1120	1363
20. महाराष्ट्र	101875	—	101875	102491	109685	—	109885	109511
21. नागालैण्ड	710	190	900	894	685	—	685	862
22. उड़ीसा	10785	—	10785	11052	11515	—	11515	11172

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. राजस्थान	18346	—	[illegible]346	18073	19155	—	19155	19180
24. सिक्किम	390	—	390	383	345	—	345	282
25. तमिलनाडु	45420	—	45420	45576	48045	—	48045	47258
26. पांडिचेरी	975	—	975	958	960	—	960	969
27. उत्तर प्रदेश	64763	—	64763	64432	64888	—	64285	68993
28. त्रिपुरा	1295	305	1600	1679	1290	—	1290	1785
29. पश्चिम बंगाल	53770	3000	56770	54166	51590	—	51590	52185
30. अंडमान	230	70	200	311	280	—	280	303
31. लक्षद्वीप	70	—	70	18	65	—	65	—
		अगस्त, 1988				सितम्बर, 1988		
1. आन्ध्र प्रदेश	41730	—	41730	40947	41730	—	41730	42456
2. अरुणाचलम प्रदेश	610	190	800	853	610	190	800	821
3. असम	17560	440	18000	20200	17560	2440	20000	20409
4. मणिपुर	1355	—	1355	1530	1355	—	1355	1739

5. मिजोरम	310	400	710	785	310	200	510	602
6. बिहार	35705	1000	37105	30244	35705	3000	38705	37910
7. दिल्ली	16875	—	16875	16392	16875	—	16875	16633
8. गोआ	2100	—	2100	2078	2100	—	2100	2160
9. मद्रास	55000	—	55000	55645	55000	—	55000	55645
10. दादर/द्वीयू/दमण	495	—	495	503	495	—	495	478
11. हरियाणा	11140	—	11140	11160	11140	—	11140	11474
12. पंजाब	24495	—	24495	24537	24495	—	24495	23905
13. हिमाचल प्रदेश	2780	—	2780	2875	2780	900	3680	2918
14. चंडीगढ़	1525	—	1525	1304	1525	—	1525	1303
15. जम्मू और कश्मीर	4550	200	4750	4690	4550	200	4750	4837
16. कर्नाटक	32025	500	32525	32939	32025	500	32525	33456
17. केरल	19470	500	19970	20179	19470	—	19470	19735
18. मध्य प्रदेश	26770	2500	29270	28550	26770	2500	29270	28820
19. मेघालय	1120	280	1400	1447	1120	240	1400	1518
20. महाराष्ट्र	109685	—	109685	110456	109685	—	109685	110368

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. नागालैण्ड	685	—	685	842	685	115	800	910
22. उड़ीसा	11515	—	11515	12223	11515	389	11904	12340
23. राजस्थान	19155	—	19155	19292	19155	—	19155	19265
24. सिक्किम	345	—	345	373	345	—	345	522
25. तमिलनाडु	48045	—	48045	47694	48045	—	48045	48198
26. पांडिचेरी	960	—	960	991	960	50	1100	1010
27. उत्तर प्रदेश	69285	—	79285	69140	69285	—	69285	69439
28. त्रिपुरा	1290	210	1500	1923	1290	210	1500	1950
29. पश्चिम बंगाल	51590	1000	52590	53026	51590	3000	54590	55276
30. अंडमान	280	120	400	400	280	120	400	337
31. लक्षद्वीप	65	—	65	—	65	—	65	—
		अक्तूबर, 1988				सितम्बर, 1988		
1. आन्ध्र प्रदेश	41730	500	42230	43758	49580	—	49580	45745
2. अरुणाचल प्रदेश	610	190	800	727	820	—	820	852

3. असम	17560	1440	19000	19452	20965	—	20965	20823
4. मणिपुर	1355	—	1355	1173	1850	—	1950	2171
5. मिजोरम	310	270	580	489	580	70	650	630
6. बिहार	35705	—	35705	34778	36615	500	37115	37066
7. दिल्ली	16875	—	16875	16465	20410	—	20410	18391
8. गोआ	2100	—	2100	2104	2245	—	2245	2244
9. मद्रास	55000	—	55000	54666	65000	—	65000	62749
10. दादर/द्वीयू/दमण	495	—	495	480	510	—	510	479
11. हरियाणा	11140	2200	14340	14340	12050	—	12050	22190
12. पंजाब	24495	5000	29495	27074	24660	—	24660	24382
13. हिमाचल प्रदेश	2780	1000	3780	3722	3215	—	3215	3414
14. चण्डीगढ़	1525	—	1525	1276	1795	—	1795	1386
15. जम्मू और कश्मीर	4550	500	5050	5191	5970	300	6270	6374
16. कर्नाटक	32025	575	32600	33380	36850	—	36850	36844
17. केरल	19470	1000	20470	20951	23135	—	23135	21966
18. मध्य प्रदेश	26770	1230	28000	29071	31450	—	31450	30933

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19. मेघालय	1120	380	1400	1501	1250	150	1400	1499
20. महाराष्ट्र	109685	—	109685	110401	120530	—	120530	119134
21. नागालैण्ड	685	115	800	875	855	—	855	895
22. उड़ीसा	11515	—	11515	13017	12915	585	13500	12632
23. राजस्थान	19155	—	19155	19505	22430	—	22430	22650
24. सिक्किम	345		345	385	925	—	925	858
25. तमिलनाडु	48045	2000	50045	50333	53290	—	53290	52978
26. पांडिचेरी	960	—	960	1009	1330	—	1330	1298
27. उत्तर प्रदेश	69285	—	69285	69506	70910	—	70910	72054
28. त्रिपुरा	1290	610	1900	2064	2070	—	2070	1921
29. पश्चिम बंगाल	51590	3000	54590	54379	58900	—	58000	58654
30. अंडमान	280	120	400	364	280	70	350	365
31. लक्षद्वीप	65	—	65	—	60	—	60	8

			दिसम्बर, 1988				जनवरी, 1988	
1. आन्ध्र प्रदेश	49580	—	49580	44655	49580	—	49580	—
2. अरुणाचल प्रदेश	820	—	820	904	820	100	920	—
3. असम	30965	—	20965	21443	20965	—	20965	—
4. मणिपुर	1850	—	1850	2130	1850	—	1850	—
5. मिजोरम	580	70	650	739	500	70	650	—
6. बिहार	36615	500	37115	37128	32753	3862	36615	—
7. दिल्ली	20410	—	20410	18969	20410	—	20410	—
8. गोआ	3245	—	2245	2260	2244	—	2245	—
9. मद्रास	65000	—	65000	65141	64715	285	65000	—
10. दादर/द्वीयू/दमण	510	—	510	466	510	—	510	—
11. हरियाणा	12050	—	12050	12152	12050	—	12050	—
12. पंजाब	24660	—	24660	25522	24660	—	24660	—
13. हिमाचल प्रदेश	3215	—	3215	3576	3015	200	3215	—
14. चंडीगढ़	1795	—	1795	1435	1795	—	1795	—
15. जम्मू और कश्मीर	5970	1000	6970	6928	5970	800	6770	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. कर्नाटक	36850	—	36850	36823	36850	—	36850	—
17. केरल	22135	—	22135	22039	20923	1212	22133	—
18. मध्य प्रदेश	31450	—	31450	31232	28918	2532	31450	—
19. मेघालय	1250	150	1400	1417	1450	150	1400	—
20. महाराष्ट्र	120530	—	120530	120773	120530	—	220530	—
21. नागालैण्ड	855	—	855	949	855	—	855	—
22. उड़ीसा	11515	—	11515	13317	11650	1265	12915	—
23. राजस्थान	22430	250	22680	22687	20684	1996	22680	—
24. सिक्किम	925	—	925	1276	925	—	925	—
25. तमिलनाडु	53390	—	53390	52517	53290	—	53290	—
26. पांडिचेरी	1330	—	1330	1343	1330	—	1330	—
27. उत्तर प्रदेश	70910	1000	71910	73763	65062	7348	72410	—
28. त्रिपुरा	2070	—	2070	2034	2070	—	2070	—
29. पश्चिम बंगाल	58900	—	58900	59362	58900	—	58900	—

30. अंडमान	280	70	350	362	280	70	350	—
31. लक्षद्वीप	60	—	60	16	60	—	60	—
		फरवरी, 1988				मार्च, 1988		
1. आन्ध्र प्रदेश	49580	—	49590	—	41810	—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	820	100	920	—	685	—	—	—
3. असम	20965	—	20865	—	17565	—	—	—
4. मणिपुर	1850	—	1850	—	1495	—	—	—
5. मिजोरम	580	70	650	—	485	—	—	—
6. बिहार	32751	3862	36615	—	35465	—	—	—
7. दिल्ली	20410	—	20410	—	16950	—	—	—
8. गोआ	2245	—	2245	—	1820	—	—	—
9. मद्रास	64715	285	65000	—	58020	—	—	—
10. दादर/द्वीयू/दमण	510	—	510	—	370	—	—	—
11. हरियाणा	12050	—	12050	—	11155	—	—	—
12. पंजाब	24660	—	24660	—	23440	—	—	—
13. हिमाचल प्रदेश	3015	200	3215	—	2370	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.	चंडीगढ़	1795	—	1795	—	1435	—	—	—
15.	जम्मू और कश्मीर	5970	500	6470	—	4060	—	—	—
16.	कर्नाटक	36850	—	36850	—	32015	—	—	—
17.	केरल	20923	1212	22135	—	18985	—	—	—
18.	मध्य प्रदेश	28918	3532	32450	—	29150	—	—	—
19.	मेघालय	1250	250	1500	—	1085	—	—	—
20.	महाराष्ट्र	120530	—	120530	—	106970	500	—	—
21.	नागालैण्ड	855	—	855	—	745	—	—	—
22.	उड़ीसा	4650	1265	12915	—	11260	—	—	—
23.	राजस्थान	20684	1996	22680	—	19175	—	—	—
24.	सिक्किम	925	—	925	—	410	—	—	—
25.	तमिलनाडु	53290	—	53290	—	47690	—	—	—
26.	पांडिचेरी	1330	—	1330	—	1025	—	—	—
27.	उत्तर प्रदेश	65062	6848	71910	—	67710	1000	—	—

28. त्रिपुरा	2070	—	2070	—	1360	—	—	—
29. पश्चिम बंगाल	58900	—	58900	—	56460	—	—	—
30. अंडमान	280	70	350	—	240	—	—	—
31. लक्षद्वीप	60	—	60	—	75	—	—	—

सरकारी क्षेत्र के एककों का कार्य-निष्पादन

871. **श्री एस० डी० सिंह : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ख) इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा 27-2-1989 को संसद के दोनों सभापटलों पर रखे गए उद्यम सर्वेक्षण, 1987-88 के खण्ड-I मे पृष्ठ 229 पर उल्लिखित है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुल मिलाकर लाभकारिता मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। 1987-88 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने कुल मिलाकर 2183.35 करोड़ रुपए का निवल लाभ कमाया है, जो अब तक की सर्वाधिक राशि है।

विदेश निवेश बोर्ड द्वारा मंजूर की गई परियोजनाएं

872. **श्री सांभाजीराव ककाडे : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश निवेश बोर्ड ने हाल ही में अनेक परियोजनाओं को मंजूरी दी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1988 के दौरान मंजूर की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ग्लास शैल के लिए कोई परियोजना बोर्ड के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम०अरुणाचलम) : (क) और (ख). वर्ष 1988 के दौरान सरकार ने विदेशी सहयोग के 926 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के विवरण अर्थात भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता, विनिर्माण की वस्तु, सहयोग का स्वरूप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मासिक न्यूजलैटर के अनुपूरक के रूप में मासिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं, इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) लम्बित पड़े आवेदनों के ब्यौरे प्रकट नहीं किए जा सकते जब तक सरकार उन पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं ले लेती।

सरकारी क्षेत्र के मजदूर संघों के साथ वेतन के बारे में बातचीत

873. **श्री पी० एम० सईद : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ मजदूर संघों ने वेतन के बारे में हुई असन्तोषजनक बातचीत के विरोध में अनिश्चित हड़ताल की धमकी दी है ;

(ख) क्या सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने कुछ उद्योगों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या प्रभाव होंगे ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) एक मजदूर संघ ने सरकार को सूचित किया है कि यदि मंजूरी समझौतों को अन्तिम रूप देने के लिए तत्काल उपाय नहीं किए गए तो यह अपने सम्बद्ध संघों की सीधी कार्रवाई करने का आह्वान करने के लिए बाध्य हो जाएगा। उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का कोई विशेष उल्लेख नही है।

(ख) सरकारी उद्यम कार्यालय ने मंजूरी समझौतों के बारे में निर्दिष्ट उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध लागू नहीं किए हैं। सरकारी उद्यम कार्यालय ने मंजूरी परिशोधन के लिए केवल प्राचल ही सूचित किए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों के विदेश दौरों पर व्यय की गई राशि

[हिन्दी]

874. **श्री हरीश रावत** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार, सरकारी उपक्रमों के वरिष्ठ प्रबन्धको द्वारा विदेशी दौरों पर उपक्रम-वार कितनी राशि व्यय की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यपालक ऐसे वरिष्ठ प्रबन्धकों, जो निदेशक मंडल से निम्न स्तरीय अधिकारी हैं, की विदेश यात्राओं को अनुमोदित एवं स्वीकृत करने के लिए सक्षम हैं। अतः, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ऐसी यात्राओं के लिए सरकार की स्वीकृति नहीं लेनी पड़ती है। चूंकि सरकारी उद्यम वाणिज्यिक स्तर पर काम करते हैं, इसलिए उनके प्रबन्धकों को अपने विभिन्न प्रचलनात्मक मामलों के सम्बन्ध में बार-बार विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। पिछले दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान की गई ऐसी सभी यात्राओं के बारे में जानकारी एकत्र करना इतना बड़ा कार्य होगा जिसके प्राप्तव्य परिणाम उसके अनुरूप सिद्ध न होंगे।

केरल में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना

[अनुवाद]

875. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केरल में एक ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध मे क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए स्थल/स्थलों का निर्धारण किया जा चुका है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस विद्युत संयंत्र की कुल अनुमानित लागत और अनुमानित क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). प्रस्तावित कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना चरण-एक (2 × 210 मेगावाट) को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वित किए जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चरण-एक की व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) से (ङ). व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार विद्युत केन्द्र को केरल के अल्लेपेय जिले के अराथूपुझा गांव में प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना के चरण-एक तथा सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की लागत लगभग 810.83 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

पुन:प्रयोज्य संसाधनों के उपयोग के लिए कार्यक्रम

876. **श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा :**

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुन: प्रयोज्य संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूक्ष्म स्तरीय आयोजना कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई पंचवर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यह कहां तक लाभप्रद सिद्ध होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग). जी हां, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग बायोमास, बायोगैस सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि, जैसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ग्रामस्तर एकीकृत परियोजनाओं (ऊर्जा ग्रामों) के लिए सातवीं योजना में पहले ही एक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। मूलरूप से इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्राम स्तर पर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। पहले किए गए स्थानीय ऊर्जा संसाधनों तथा उपभोग पद्धतियों के एक सर्वेक्षण के आधार पर प्रणाली संरूपण को अन्तिम रूप दिया गया है। इस परियोजना में केवल मूल न्यूनतम आवश्यकताओं को ही नहीं बल्कि कृषि, कुटीर उद्योग तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

अगली पंचवर्षीय योजना में भी इस कार्यक्रम को जारी रखने तथा इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। सातवीं योजना अवधि के लिए 50 लाख रुपए का वास्तविक परिव्यय बनाया गया था लेकिन इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए पहले चार वर्षों के लिए 200 लाख रुपए का व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 1989-90 के लिए, 25 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। अब तक 200 से अधिक ऊर्जा सर्वेक्षण पूरे किए जा चुके हैं। इसमें बिना बिजली वाले क्षेत्रों तथा अन्य दूरदराज तथा पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

शुरू में, देश के प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम एक ऊर्जा ग्राम की स्थापना करने का लक्ष्य विचार किया गया है। 85 ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं तथा 146 और

परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, तकनीकी निष्पादन, मूल्यांकन अध्ययनों तथा प्रणाली डिजाइन बनाने तथा संकरण में सुधारों/संशोधनों के लिए अवसर प्रदान करने के विचार से 4 गांवों में, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा तथा तमिलनाडु प्रत्येक के एक-एक गांव में प्रयोगात्मक/सन्दर्भ ऊर्जा ग्राम परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

(घ) ऊर्जा ग्राम का यह कार्यक्रम हमारे ग्रामीण समुदायों की, उनके अपने स्थानीय रूप से उपलब्ध नवीकरणीय संसाधनों से ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लाभप्रद है। पर्यावरण सुधार-वन संरक्षण महिलाओं के नीरस श्रमसाध्य कार्य को कम करने तथा गांवों में जीवन-स्तर को तेजी से सुधारने की दृष्टि से भी यह कार्यक्रम लाभप्रद है।

"बम्बई हाई" में विस्फोट

877. **श्री ई० अय्यपू रेड्डी :**

श्री कृष्ण सिंह :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1989 में बम्बई हाई के "जैक-अप रिग" में विस्फोट हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो मृत और घायल व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसके लिए क्या किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(ङ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(च) दुर्घटना से प्रभावित लोगों को क्या सहायता दी गई है ?

पट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी हां।

(ख) तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें से एक ओ० एन० जी० सी० का था। अन्य दो व्यक्ति किराए पर लिए गए रिग सेडको-252 के ठेकेदार और कैंटीन के ठेकेदार के कर्मचारी थे।

(ग) से (ङ). उचित कार्यवाही करने के उद्देश्य से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने धमाका होने और कुएं में आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया है। जांच कार्य पूरा नहीं हुआ है।

(च) प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त सांविधिक दायित्वों के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कर्मचारी को एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी अदायगी की है। इसके अतिरिक्त मृत कर्मचारी की पत्नी को भी उसकी योग्यता के अनुसार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग में नौकरी दी गई है। ठेकेदार के दो व्यक्तियों के प्रति तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कोई दायित्व नहीं है। मैसर्स सेडको फ़ोरेक्स ने ठेके के अधीन उनके द्वारा व्यवस्थित दायित्व के अनुसार प्रतिपूर्ति देने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है।

दूरसंचार आयोग की स्थापना

878. श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

श्री वृद्धि चन्द्र जैन :

श्री एच० बी० पाटिल :

श्री हरिहर सोरन :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी दूरसंचार आयोग की स्थापना का विचार किया गया है तथा दूरसंचार बोर्ड को समाप्त किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या अतिरिक्त फायदे होंगे तथा इस नई व्यवस्था से क्या सुधार होंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित दूर संचार आयोग में अध्यक्ष तथा चार पूर्वकालिक सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयों से अंशकालिक सदस्य होंगे। जब आयोग एक कनसालिडेटिड बॉडी के रूप में कार्य करेगा, तो ऐसी सम्भावना है कि दीर्घकालिक विस्तार परियोजनाओं तथा दुरसंचार सेवाओं के उन्नयन का कार्य तत्परता से निपटाया जा सकेगा।

बारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भाग लेना

879. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भाग लेने वाले देशों के नाम क्या हैं ;

(ख) फिल्मोत्सव में प्रत्येक देश की कितनी फिल्में प्रदर्शित की गई ; और

(ग) क्या कलकत्ता में आयोजित फिल्मोत्सव की तुलना में इस फिल्मोत्सव के प्रति जनात ने बहुत कम उत्साह दिखाया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कलकत्ता में अन्तिम फिल्म समारोह (फिल्मोत्सव) जनवरी, 1982 में आयोजित किया गया था। 1982 से दिल्ली तथा अन्य स्थानों मे सभी समारोहों के दौरान थिएटरों में लोगों द्वारा औसत उपस्थिति निम्नानुसार रही :—

समारोह	लोगों के लिए खोले गए थियेटरों में औसत उपस्थिति
1. फिल्मोत्सव '82, कलकत्ता	91%
2. 9वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, नई दिल्ली, 1983	52.4%
3. फिल्मोत्सव' 84, बम्बई	57%
4. 10वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, नई दिल्ली, 1985	42%
5. फिल्मोत्सव' 86, हैदराबाद	71.25%
6. 11वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, नई दिल्ली, 1987	49.26%
7. फिल्मोत्सव' 88, त्रिवेन्द्रम	50.8%
8. 12वां भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, नई दिल्ली, 1989	65%

विवरण

बारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग लेने वाले देशों के नाम और फिल्म

क्रम सं०	भाग लेने वाले देश	प्रदर्शित फिल्मों की संख्या		अभ्युक्तियां
		फीचर	वृत्तचित्र	
1	2	3	4	5
1.	अर्जेनटीना	2		
2.	आस्ट्रेलिया	5	1	
3.	आस्ट्रिया	1		
4.	बेल्जियम	1		
5.	ब्राजिल	2		

1	2	3	4	5
6.	बुल्गारिया	1		
7.	कनाडा	5		
8.	चैकोस्लोवाकिया	10	1	(वेरा चेतिलोवा सिंहावलोकन की 7 फीचर फिल्मों और 1 लघु/वृत्तचित्र सहित)
9.	चिली	1		
10.	चीन	12		(चीन पर फोकस की सभी फिल्में)
11.	मिस्र	1		
12.	फ्रांस	12		(फिट्जलेंग सिंहावलोकन की एक फिल्म सहित)
13.	जर्मन जनवादी गणराज्य	8		(फिट्जलेंग सिंहावलोकन की चार फिल्मों सहित)
14.	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य	1		
15.	ग्रीस	2		
16.	हांगकांग	1		
17.	हंगरी	3		
18.	डेनमार्क	1		
19.	भारत	43		(भारतीय पैनोरमा-1 फीचर, 10 गैर-फीचर, मुख्यधारा भारतीय सिनेमा-13, राजकपूर सिंहावलोकन-14)
20.	आयरलैंड	1		
21.	इटली	17		(जिनमें लिना वेटमुल्लर सिंहावलोकन की 13 फिल्मों सहित)
22.	जापान	1		
23.	कम्पूचिया	1		

1	2	3	4	5
24	पोलैंड	1		
25.	फिलीपिन्स	1		
26.	लोकतान्त्रिक जनवादी गणराज्य कोरिया	1		
27.	गणराज्य कोरिया	3		
28.	मैक्सिको	1		
29.	मैडगास्कर	1		
30.	माली	1		
31.	नीदरलैंड	3		
32.	न्यूजीलैंड	1		
33.	दक्षिणी अफ्रीका/ब्रिटेन/आस्ट्रेलिया	1		
34.	स्पेन	4		
35.	स्वीडन	—	2	
36.	श्रीलंका	1		
37.	स्विट्जरलैंड	2		
38.	सीरिया	1		
39.	ताइवान प्रदेश, चीन	1		
40.	टर्की	1		
41.	ब्रिटेन	23		(जॉन सक्लेसिंगर रिट्रों की 2 फिल्मों सहित)
42.	अमरीका	41	12	(ब्लेक अमेरिकन फिल्में-10 फीचर और 10 वृत्तचित्र, फिट्ज लॉग सक्लेसिंगर रिट्रो की 10 फिल्में, जॉन सक्लेसिंगर रिट्रो की 6 फिल्में) विश्व खण्ड की सिनेमा की 12 फीचर और 2 वृत्तचित्र)

1	2	3	4	5
43.	सोवियत संघ	4		
44.	वेनजुला	1		
45.	युगोस्लोविया	2		
		217 + 26 = 243 फिल्में		

बारहवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव

880. **श्री ई० अय्यप्प रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी हाल में समाप्त हुए बारहवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव का क्या उद्देश्य था ;

(ख) क्या यह फिल्मोत्सव फिल्म व्यवसाय के संगठनों और देश के विभिन्न भागों से आये प्रतिनिधियों द्वारा विरोध प्रकट किए जाने के कारण विवाद का विषय बन गया था ;

(ग) क्या भारतीय फिल्म फेडरेशन ने भारतीय सिनेमा के 75 वर्ष के इतिहास की गलत तस्वीर प्रस्तुत किए जाने पर फिल्मोत्सव निदेशालय से विरोध प्रकट किया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फिल्मोत्सव का उद्देश्य भारतीय फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म तकनीशियनों को विश्व सिनेमा में नवीनतम सामग्री देखने का अवसर प्रदान करना था और विश्व के फिल्म निर्माताओं को परस्पर आकर्षित करने तथा नवीनतम रीतियों पर उनके विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना था। इसका उद्देश्य फिल्म बाजार द्वारा भारतीय फिल्मों के निर्यात तथा विदेशी फिल्मों के आयात के लिए अवसर प्रदान करना भी था।

(ख) जी नहीं। मन्त्रालय को उत्सव के बारे में इस प्रकार का विरोध प्रकट किए जाने की कोई जानकारी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गलत बिलों के विरुद्ध शिकायत सुनने हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में शिकायत-कक्ष की स्थापना

881. **श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने गलत बिलों के विरुद्ध शिकायतों के निपटान के लिए शिकायत-कक्ष स्थापित किया है ;

(ख) ऐसे कितने कक्ष स्थापित किए गए हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ग) क्या इन शिकायत-कक्षों में जनता की अन्य शिकायतों की भी सुनवाई की जायेगी ; और

(घ) क्या इन शिकायत-कक्षों के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने के लिए प्रचार माध्यमों के जरिये पर्याप्त प्रचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में क्षेत्रीय और जिले स्तर पर दो प्रकार की विशेष शिकायत समितियों का गठन किया है। क्षेत्रीय स्तर की समितियों के अध्यक्ष सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (टी० एण्ड डी०) होते हैं जोकि 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रत्येक मास में 7वें तथा 22वें दिन मुलाकात करते हैं, जिले स्तर की समितियों के अध्यक्ष सम्बन्धित जिले के कार्यपालक अभियन्ता होते हैं जो कि सभी 24 जिलों के कार्यालयों में प्रत्येक मंगलवार को मुलाकात करते हैं ताकि बिजली के बिल जारी न किये जाने, अनुचित मूल्यांकन किए जाने, अधिक राशि की वसूलियां किए जाने, नये कनेक्शन, करन्ट न होने सम्बन्धी शिकायतें, सड़क रोशनी, खराब मीटरों को बदलना और/अथवा उपभोक्ता की अन्य कोई शिकायत की जांच करने से सम्बन्धित उपभोक्ताओं की शिकायत सुन सकें।

(घ) जी, हां।

पंजाब में आकाशवाणी के माध्यम से जन-शिकायतें दूर करना

882. **श्री पी० एम० सईद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी के माध्यम से आम जनता की शिकायतें शीघ्र दूर करने के लिए एक नई प्रणाली आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या सरकार का दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में भी यही प्रणाली आरम्भ करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). हाल ही में पंजाब सरकार ने इस आशय की प्रैस रिलीज जारी किया है। लोग अपनी शिकायतों को केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, जालंधर को भेज सकते हैं जो उसके बाद विहित राज्य सरकारों के प्राधिकारियों से सम्पर्क करेंगे और शिकायतों के साथ-साथ उनके उत्तरों को प्रसारित करेंगे। प्रसारण की प्रणाली को अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है। पंजाबी में कार्यक्रम 2 अप्रैल, 1989 से शुरू करने का प्रस्ताव है जिसका शीर्षक "कुछ शिक्वे कुछ हल" है। एल०पी०जी० की आपूर्ति की शिकायतों में

सुधार पर एक स्वतन्त्र कार्यक्रम 12-3-89 को प्रसारित करने का कार्यक्रम है।

(ग) इस योजना में लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया हुई है।

(घ) दिल्ली केन्द्र पहले ही ऐसा एक कार्यक्रम सप्ताह में तीन दिन रविवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रात: 7.30 बजे से प्रात: 7.50 बजे तक प्रसारित करता है। जिसका शीर्षक 'आज सुबे' है। कुल मिलाकर 79 स्टेशनों ने ऐसे कार्यक्रम आरम्भ किए हैं।

तेल और गैस की खोज

883. श्री पी० एम० सईद : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को किन-किन स्थानों पर तेल तथा गैस होने का पता चला है ;

(ख) क्या हाल ही में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में तेल का पता लगा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) अगस्त, 1988 से निम्नलिखित स्थानों पर ओ०एन०जी०सी० को तेल और गैस मिली है :—

स्थान का नाम	राज्य	तेल/गैस
तटपर		
मंडापेट्टा	आंध्र प्रदेश	गैस
सोनारी	असम	तेल
वेस्ट उनावा	गुजरात	तेल
नाडा	गुजरात	तेल
मनसा	गुजरात	तेल
उडियमघाट	असम	तेल
बांटुमिल्ली	आंध्र प्रदेश	तेल
अपतट		
एस०डी०-4	पश्चिमी अपतट	तेल
आर-10	पश्चिमी अपतट	तेल

स्थान का नाम	राज्य	तेल/गैस
बी०-46	पश्चिमी अपतट	गैस
बी०-121	पश्चिमी अपतट	गैस
पी०वाई०-3	पूर्वी अपतट (कावेरी बेसिन)	तेल

(ख) और (ग). जी, हां। पी०वाई०-3 क्षेत्र में पी०वाई०-3-2 कुएं में आरम्भिक परीक्षण के दौरान ½" की चोक से 3086 बैरल तेल और 97570 घनमीटर गैस का उत्पादन हुआ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्रों का लम्बित होना

884. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों के लिए भेजे गए राज्यवार कितने आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों को स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) कितने आवेदन-पत्र अस्वीकार किए गए ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण सलग्न है।

(ख) और (ग). कलैंडर वर्ष 1986 से 1988 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/उपक्रमों से प्राप्त हुए कुल 674 औद्योगिक लाइसेंस, आवेदनों में से 29 आवेदन प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जबकि अब तक 279 आवेदन अस्वीकृत किए जा चुके हैं।

विवरण

राज्य सरकारों, उपक्रमों (रा०औ०वि० निगमों सहित*) से प्राप्त हुए ऐसे औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाली तालिका जो 22-2-1989 की स्थिति के अनुसार प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं में हैं

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	आवेदनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	बिहार	1
3.	गोआ	1
4.	गुजरात	1
5.	हरियाणा	1
6.	हिमाचल प्रदेश	4
7.	केरल	1
8.	मेघालय*	1
9.	उड़ीसा	6
10.	पंजाब	6
11.	राजस्थान	1
12.	तमिलनाडु	2
13.	उत्तर प्रदेश	3
	योग :	29

* रा०औ०वि०नि० = राज्य औद्योगिक विकास निगमें।

रसोई गैस का आयात तथा उत्पादन

885. श्री राम प्यारे पनिका :

श्री विजय एन० पाटिल :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान रसोई गैस के आयात का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) रसोई गैस के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में ही इसका उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) चालू वर्ष, के अप्रैल-दिसम्बर की अवधि के दौरान लगभग 167000 टन एल०पी०जी० की मात्रा का आयात किया गया ।

(ख) एल०पी०जी० और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से कोयाली और मथुरा स्थित वर्तमान रिफाइनरियों का विस्तार करके और विजयपुर में एल०पी०जी० निकालने के संयंत्र की स्थापना के अतिरिक्त मंगलूर, करनाल और असम में ग्रास रूट रिफाइनरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

कोयले के मूल्यों में वृद्धि

886. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में कोयले के मूल्यों में वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) विभिन्न श्रेणी के कोयले के मूल्यों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां । कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में दिनांक 1-1-1989 से तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित कोयले की कीमतों में वृद्धि दिनांक 24-1-1989 से की गई ।

(ख) कोयले की कीमतों में वृद्धि किया जाना निम्नलिखित की उत्पादन लागत में वृद्धि होने के कारण आवश्यक हो गया—यथा परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के कारण मजदूरी, भण्डारों की लागत, पंजी लागत, आदि में हुई वृद्धि ।

(ग) कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित विभिन्न श्रेणी के कोककर कोयले की खान मुहाना कीमतों में संशोधन किए जाने के बाद इसकी कीमतें 280 रुपये से 651 रुपये प्रति टन तक हैं जबकि इससे पूर्व ये कीमतें 246 रुपये से 573 रुपये प्रति टन के बीच की रेंज में थीं । कोल इण्डिया लि० द्वारा उत्पादित 'क' से 'छ' श्रेणी के अकोककर कोयले की कीमतें 114 रुपये से 460 रुपये प्रति टन के बीच हैं जबकि इसमे पूर्व ये कीमतें 100 रुपये से 405 रुपये प्रति टन के बीच थीं । उपर्युक्त कीमतों के अलावा, कोल इण्डिया लि० के रानीगंज तथा कोरिया रेवा क्षेत्रों द्वारा उत्पादित किए जाने वाले 'क' से 'ग' श्रेणी के अकोककर कोयले पर 10 प्रतिशत का प्रीमियम लिया जा रहा है । सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी के मामले में 'ग' से 'छ' श्रेणी के अकोककर कोयले की कीमतें 173 रुपये से 396 रुपये प्रति टन के बीच हैं जबकि इससे पूर्व इसकी कीमतें 157 रुपये से 360 रुपये प्रति टन के बीच थीं ।

बल्क ड्रग उद्योग में रुग्णता

887. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बल्क ड्रग उद्योग के रुग्ण होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं अथवा करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्यों में विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशों में ऋण का उपयोग

888. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्यों को विद्युत स्टेशनों की स्थापना हेतु विदेशी सप्लायर्स से ऋण अथवा विदेशी ऋण का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों को कोई निर्देश जारी किये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय ले लिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). विद्यमान नीति के अनुसार, राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए जापान के ओवरसीज इकोनोमिक कोआपरेशन फण्ड सहित बहुपक्षीय एजेन्सियों से विदेशी सहायता प्राप्त करने के बारे मे विचार किया जा रहा है । सामान्यतया विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं के क्रेडिट की सुविधा राज्य क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध नहीं कराई जाती ।

"इण्डियन आयल कारपोरेशन" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

889. **श्री विजय कुमार यादव** :

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में "इण्डियन ऑयल कारपोरेशन" के कर्मचारियों ने हाल ही में हड़ताल कर दी थी जिसके परिणामस्वरूप सिलेंडर में गैस भरने के संयंत्र बन्द हो गए और उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की सप्लाई में रुकावट आ गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी माँगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समस्या के समाधान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). फरवरी, 1989 के पहले सप्ताह में इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के कर्मियों के एक भाग ने वेतनमानों के संशोधन और बेहतर सेवाशर्तों के लिए अपनी मांग के समर्थन में नियमनुसार काम" करने का सहारा लिया। इससे कुछ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० की सप्लाई में अस्थाई विघ्न आया।

(ग) प्रबन्धकों और कर्मियों के बीच यह मामला सुलझा लिया गया है और स्थिति सामान्य हो गई है।

ऊर्जा संरक्षण का आयोजन और प्रबन्धन

890. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का उद्‌घाटन करते हुए इस बात का उल्लेख किया था कि उचित आयोजन तथा प्रबन्धन से प्रयोग की जा रही ऊर्जा की 20 से 30 प्रतिशत तक बचत की जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के उचित आयोजन और प्रबन्धन हेतु, विशेषतः पारेषण और वितरण के कारण होने वाली क्षति को कम करने के बारे में क्या विशेष कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) ऊर्जा संरक्षण सप्ताह का उद्‌घाटन करते हुए ऊर्जा लेखा परीक्षा अध्ययनों का उल्लेख किया गया जिससे यह बात सामने आई कि विभिन्न क्षेत्रों में 20 से 30% ऊर्जा बचत की क्षमता विद्‌यमान है।

(ख) ऊर्जा के उचित प्रबन्ध तथा पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में ये शामिल हैं : ऊर्जा प्रबन्धकों को प्रशिक्षित करना, ऊर्जा सरक्षण 'सल' स्थापित करना, विशिष्ट ऊर्जा संरक्षण के लक्ष्य को निश्चित करना, ऊर्जा का लेखा-परीक्षा करना, सतर्कता बरतना, बिजली की चोरी को सज्ञेय अपराध का दर्जा देना, चोरी के मामलो का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा विशेष सतर्कता दल बनाया जाना, कैपासिटर्स की प्रतिष्ठापना, प्रणाली सुधार योजनाओं का कार्यक्रम 'टैम्पर' प्रूफ मीटरों की व्यवस्था करना और पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए प्रोत्साहन-योजना लागू करना।

ऊर्जा के गैर-पारम्परिक संसाधनों की खोज

891. **श्री कृष्ण सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश मामलों में ऊर्जा के गैर-परम्परागत संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया है या बहुत कम उपयोग किया है, और ऐसे नये संसाधनों के बारे में खोज भी नहीं की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के कितने गैर-परम्परागत संसाधनों का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है और कितनों का कम उपयोग किया जा रहा है ; और

(ग) ऊर्जा के ऐसे ससाधनों का बेहतर उपयोग करने और ऐसे नये संसाधनों की खोज के

लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना के कुछ वर्ष पूर्व ही अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के दोहन का कार्यक्रम शुरू किया गया था।

इस विभाग मे अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए पहले ही एक सुसमन्वित योजना शुरू कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखत बातें शामिल हैं :—

(1) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित परिपक्व प्रौद्योगिकियों का व्यापक उपयोग।

(2) प्रदर्शन, क्षेत्रीय परीक्षण, जन-जागृति आदि के मध्यम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत प्रणालियों का संवर्धन।

(3) दीर्घावधि आसार के क्षेत्र में विकास कार्यकलापों का तीव्रीकरण।

इस प्रकार अबतक 10.70 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र, 54.21 लाख उन्नत प्रकार के चून्हे, 338 सामुदायिक बायोगैस संयंत्र/संस्थागत बायोगैस संयंत्र, 2294 जल पम्पन पवन चक्कियां, 30 पवन बैटरी चार्जर, 6.85 मेगावाट के पवन विद्युत फार्म, 2554 घरेलू गर्म जल प्रणालियों, 39 सौर काष्ठ भट्टियां, 1801 वृहदाकार जल तापन प्रणालियां, 33 सौर फसल शुष्कक, 7133 सौर आसवन प्रणालियां, 5000 गांवों में सौर सड़क बत्ती प्रणालि iां, 954 सौर जल पम्पन प्रणालियां, 1,000 सौर घरेलू बत्ती प्रणालियां, 576 सौर सामुदायिक तथा टेलीविजन प्रणालियां, 631 सौर बैटरी चार्जिंग यूनिटें, 69 सौर प्रकाशवोल्टीय ट्रांसमीटर (वी. एल. पी. टी.) 90 स्टर्लिंग इन्जन, 256 गैसी फायर तथा 85 ऊर्जा ग्राम आदि प्रारंभ किए जा चुके हैं। यदि इस क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि प्रदान की जाए तो जिस ऊर्जा का अभी दोहन नहीं किया गया है उसका दोहन करने के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार किया जा सकता है तथा इसकी गति को बढ़ाया जा सकता है। अपारंरिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने सन् 2001 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो के विकास के लिए एक भावी योजना बनाई है जिसमें 250 मिलियन टन से अधिक कोयले के स्थान पर (एम. टी. सी. आर.) (1500 मेगावाट की विद्युत क्षमता सहित) वार्षिक ऊर्जा उत्पादन/बचत का विचार है जो परियोजित समग्र ऊर्जा की मांग का लगभग 20 प्रतिशत होगी। यदि पर्याप्त वित्तीय आबंटन उपलब्ध कराया जाए तो यह प्राप्य हो सकती है।

गठिया रोग का उपचार करने के लिए औषध का उत्पादन

892. श्री कृष्ण सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि० गठिया रोग का उपचार करने के लिए एक नये औषध का उत्पादन कर रही है :

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रभावोत्पादकता की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इसका उत्पादन और विपणन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) फिलहाल आई. डी. पी. एल. द्वारा ऐसी किसी औषध का विनिर्माण नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का पुनर्गठन

893. **श्री शरद दिघे :** क्या उद्योग मन्त्री नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और उसके मजदूर संघों के बीच हुए मंजूरी समझौते के बारे में 6 दिसम्बर, 1988 के तारांकित प्रश्न संख्या 362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बाइसिकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के सम्बन्ध में कोई निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे. वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) कोई निश्चित तिथि बता पाना सम्भव नहीं है।

पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए लम्बित विद्युत परियोजनाएं

894. **श्री शरद दिघे :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति नहीं मिली है, हालांकि उन्हें तकनीकी आर्थिक दृष्टि से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ;

(ख) इनकी क्षमता और निवेश संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऐसा अनुदेश जारी करने का है जिससे विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृति न मिलने के कारण बिलम्ब न हो ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत उन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिनके संबंध में पर्यावरण एवं वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जानी है।

(ग) पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाओं को विद्युत विभाग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समुचित रूप से मानीटरिंग की जा रही है ताकि उपर्युक्त स्वीकृति शीघ्र प्राप्त की जा सके।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की सूची जिनके संबंध में पर्यावरण तथा वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त की जानी है

क्र० सं०	परियोजना तथा राज्य का नाम	क्षमता (मेगावाट में)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
	जल विद्युत		
1.	रंजीत सागर बांध (थीन बांध) पंजाब	4×150	1182.04
2.	खेड़ा (उत्तर प्रदेश)	3×24	171.62
3.	जाखम (राजस्थान)	1×5.5	8.18
4.	हसदेव बांगो (मध्यप्रदेश)	3×40	64.87
5.	बाण सागर टोंस (मध्य प्रदेश)	3×105 +2×15 +3×20	445.70
6.	कोयला चरण-चार (महाराष्ट्र)	4×250	384.30
7.	अपर इन्द्रावती (उड़ीसा)	4×150	380.65
8.	पोरेस्तेरू (उड़ीसा)	2×3	.46
9.	तोअर बोरपाना (असम)	2×50	105.34
10.	उमियम उमतरू (मेघालय)	2×30	117.67
11.	थौबाल (मणिपुर)	3×2.5	4.93
12.	यू. एच. एल. चरण-तीन (हिमाचल प्रदेश)	4×17.5	97.66
13.	राजघाट (उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश)	3×15	37.47
14.	चेलाकुड़ी (केरल)	2×80 +2 60	85.00

1	2	3	4
15.	धोली गंगा (उत्तर प्रदेश) (एन. एच. पी. सी.)	4×70	514·69
16.	सवाल कोट (जम्मू व कश्मीर) (एन. एच. पी. सी.)	3×200	686.91
17.	बगलिहार (जम्मू व कश्मीर) (एन. एच. पी. सी.)	3×150	608.89
18.	कोल बांध (हिमाचल प्रदेश)	4×200	942.51
19.	लोहरी नाग पाला (उत्तर प्रदेश)	3×94	177.20
20.	पालमनेरी (उत्तर प्रदेश)	4×100	383.40
21.	विष्णु प्रयाग (उत्तर प्रदेश)	4×120	345.95
22.	मनेरी भेली (उत्तर प्रदेश)	4×76	338.66
23.	टिसेहरी बाँध चरण-एक (उत्तर प्रदेश)	4×250	1373.50
24.	टिहरी बांध चरण-दो (उतर प्रदेश) (पी. एस. एस.)	4×250	531.02
25.	बोध घाट (मध्य प्रदेश)	4×125	612.85
26.	घाट गढ़ (पी. एस. एस) महाराष्ट्र	2×125	179.66
27.	मंगावली (कर्नाटक) (बेधनी)	2×105	250.00
28.	पारशन घाटी (तमिलनाडू)	1×30	13.73
29.	पुयानकुट्टी (केरल)	2×120	250.00
30.	कोयला कारी (बिहार) (एन. एच. पी. सी.)	4×172.5 +1×20	710·00
31.	रगांनदी चरण-एक (आन्ध्र प्रदेश) (नीपको)	3×135	312.78
32.	धलेश्वरी (मिजोरम)	3×40	274.98
33.	लीकम रो (नागालैण्ड)	3×8	46.48

1	2	3	4
	ताप विद्युत		
34.	नेवेली-1 ता. वि. केन्द्र विस्तार (तमिलनाडु)	2×210	558.59
35.	फरक्का सु. ता. वि. केन्द्र चरण-3 (प. बगांल) (एन. टी. पी. सी.)	1×500	449.00
36.	रिहन्द सु. ता. वि. केन्द्र चरण-2 यूनिट 3 और 4 (एन. टी. पी. सी.)(उत्तर प्रदेश)	2×500	1021.85
37.	बिध्याचल सु. ता. वि. चरण दो (एन. टी. पी. सी.) मध्य प्रदेश	2×500	975.40
38.	मथान दायां तट ता. वि. केन्द्र (डी. वी. सी.) बिहार	4×210	1205.80
39.	चन्द्रपुर सु. ता. वि. केन्द्र (महाराष्ट्र) (एन. टी. पी. सी.)	2×500	1155.45
40.	अंटा चरण-2 गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल परियोजना (एन. टी. पी. सी.) (राजस्थान)	430	339.94
41.	संजय गांधी विस्तार यूटिन 3 और 4 बीरसिंहपुर (मध्य प्रदेश)	2×210	493.00
42.	चन्द्रपुर विस्तार यूनिट-7 (महाराष्ट्र) (महाराष्ट्र रा. वि. बोर्ड)	1×500	582.94
43.	उत्तरी करनपूरा सु. ता. वि. केन्द्र (एन. टी. पी. सी.) बिहार चरण-1	2×500	405.25
44.	अम्बयूरी (असम) में गैस पर आधारित संयुक्त साईकिल विद्युत केन्द्र	8×30 जी. टी. +4/30 एस. टी.	408.25
45.	पानीपत ता. वि. केन्द्र विस्तार यूनिट-6 चरण-चार (हरियाणा)	1×210	238.27
46.	दादरी में गैस पर आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र एन. टी. पी. सी. चरण-एक उत्तर प्रदेश	4×131.3 जी. टी. +2×146 एन. टी.	593.96

1	2	3	4
47.	बरसिंगरसार लिग्नाईट पर आधारित ता. वि. केन्द्र- नेवली लिग्नाइट निगम (राजस्थान)	2×210	421.69
48.	कहलगाँव (बिहार)	4×210	1292.50
49.	बकरेश्वर (प. बंगाल)	3×210	682.58

रानीखेत और भिक्यासेण में उप-मंडलीय टैलीफोन कार्यालय खोलना

[हिन्दी]

895. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें उत्तर प्रदेश के रानीखेत और भिक्यासेण तहसीलों में उप-मण्डलीय टेलीफोन कार्यालय खोलने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां उप-मंडलीय टेलीफोन कार्यालय कब तक खोलने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनुरोध केवल रानीखेत के लिए प्राप्त हुआ है न कि भिक्यासेण के लिए।

(ख) उत्तर प्रदेश के रानीखेत तथा भिक्यासेण में उप-मण्डल कार्यालयों के सृजन का मौजूदा कार्य के आधार पर औचित्य नहीं पाया गया।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के विक्रय कार्यालयों में प्रबन्धकों की नियुक्ति

896. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मन्त्री खादी ग्रामोद्योग आयोग के कार्यालयों में व्यापार संवर्ग प्रबन्धकों के बारे में 23 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग आयोग के विक्रय कार्यालयों में व्यापार संवर्ग प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में कार्यवाही कब तक किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). आयोग ने इस सम्बन्ध में हाल में एक विज्ञापन जारी किया है और सेवा बोर्ड द्वारा

उम्मीदवार का चयन किये जाने के बाद आवश्यक तैनाती आदेश जारी होंगे।

खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा अन्य स्रोतों से कार्य कराया जाना

897. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा सिलाई और रंगाई का काम अन्य स्रोतों को टेंडर आमन्त्रित करने के उपरांत सौंपा जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन पार्टियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान यह काम सौंपा गया और टेंडर आमन्त्रित करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना उन्हें यह काम सौंपने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेन उद्योग

[अनुवाद]

898. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पेन उद्योग ने भारी निर्यात क्षमता विकसित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारतीय पेन उद्योग द्वारा निर्यात निम्नलिखित है :—

वर्ष	निर्यात
1985-86	1,72,09,160 रु०
1986-87	2,81,83,437 रु०
1987-88	3,56,82,605 रु०

उपर्युक्त से, यह देखा जायेगा कि इस उद्योग द्वारा निर्यात में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग). सी०सी०एस०एवं आर०ई०पी० सहित निर्यात करने वाले एककों के लिए पेन उद्योग सामान्य प्रोत्साहनों का पात्र है।

पंजाब में जिला टेलीफोन सलाहकार समितियां

899. **श्री कमल चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां टेलीफोन सलाहकार समितियां नहीं हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इन जिलों के लिए टेलीफोन सलाहकार समितियों की स्थापना कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक दूरसंचार सलाहकार समिति और प्रत्येक टेलीफोन जिले में एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है ।

पंजाब के तीनों टेलीफोन जिलों अर्थात अमृतसर, जालंधर एवं लुधियाना की सलाहकार समितियों का क्रमशः 30 अप्रैल, 1990, 30 सितम्बर, 1989 एवं 30 जून, 1990 तक के लिए पुनर्गठन किया गया है ।

पंजाब में अधिक शक्ति वाले रेडियो ट्रांसमीटर

900 **श्री कमल चौधरी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1988 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब में लगाये गये अधिक शक्ति वाले रेडियो ट्रांसमीटरों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पंजाब में 31 दिसम्बर, 1988 तक स्थापित रेडियो ट्रांसमीटरों की श्रेणीवार संख्या क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाब मे कोई उच्च शक्ति रेडियो ट्रांसमीटर नहीं लगाया गया है। तथापि, अनुमोदित सातवीं योजना में जालंधर में वर्तमान 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति को 300 किलोवाट मीलियम वेव तक बढ़ाने की एक परियोजना शामिल है ।

(ख) पंजाब में आकाशवाणी, जालंधर में तीन मीडियम वेव रेडियो ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं, अर्थात् :

(1) 100 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (उर्दू सेवा)

(2) 50 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (मुख्य चैनल)

(3) 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर (विविध भारती/वाणिज्यिक)

बंगलौर में दूसरी डिजिटल आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज फैक्टरी

901. श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डिजिटल आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज का उत्पादन करने के लिए बंगलौर में एक दूसरी फैक्टरी स्थापित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में फ्रांस के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(ग) यह फैक्टरी कब तक स्थापित की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अभी यह बतला पाना सम्भव नहीं है कि किस समय तक फैक्ट्री संस्थापित कर दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया-राशि

902. श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को राज्य बिजली बोर्डों द्वारा देय बकाया राशि के अत्यधिक होने के कारण इसे और वित्तीय सहायता देने में हिचकिचाहट दिखा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) बकाया राशि के अधिक होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग). विश्व बैंक का एक दल जो कि हाल ही में भारत में था, इस दल ने राज्य बिजली बोर्डों द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को लौटाई जाने वाली बकाया राशियों के लिए अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सम्बन्धित राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे बकाया राशियों का शीघ्र भुगतान करें, केन्द्रीय योजना सहायता में से भी बकाया राशियों का कुछ अंश वसूल किया जा रहा है। बकाया राशियों के भुगतान में विलम्ब का मुख्य कारण, राज्य बिजली बोर्डों में वित्तीय कठिनाइयां बताया गया है।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र के निजी क्षेत्र की भागीदारी

903. श्री टी० बी० चन्द्रशेखरप्पा :

श्री जी० एस० बासवराजू :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के बारे में के०पी०

राव समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

एडामलायर पन-बिजली परियोजना

904. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एडामलायर पन-बिजली परियोजना टैनल में व्याप्त खामियों की, विशेषज्ञों से जांच/अध्ययन करवाने के आदेश दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन कार्य कब से प्रारम्भ किया जाएगा ;

(ग) क्या परियोजना का अध्ययन प्रारम्भ होने तक इसके कार्य करते रहने की अनुमति से सम्बन्धित जोखिम के बारे में विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में व्यक्त विचारों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). दिसम्बर, 1985 के दौरान इदामलगार जल-विद्युत परियोजना (2 × 37.5 मेगावाट) की विद्युत सुरंग में हुई लीकेज के कारणों का पता लगाने के लिए केरल सरकार द्वारा जांच का आदेश दिया गया था जिसे पूरा किया जा चुका है और इस सम्बन्ध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ). जब जुलाई, 1985 मास में हैड रेस सुरंग को चालू किया गया था मुख्य रूप से प्रवेश पारगमन क्षेत्र में कुछ लीकेज का पता चला था और तत्पश्चात हैड रेस सुरंग को बन्द कर दिया गया था। केवल राज्य बिजली बोर्ड के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के विशेषज्ञों ने कार्य-स्थल का दौरा किया था और उनका विचार था कि सुरंग की कंक्रीट लाइनिंग में कुछ दरारें आने के कारण लीकेज हुई थी। राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए हैड रेस सुरंग में किए जाने वाले सभी सुधार कार्य पूरे कर लिए गए थे और परियोजना को दिनांक 24-1-87 को चालू किया जा चुका है। यह अब बिना किसी समस्या के प्रचालनाधीन है।

औद्योगिक प्रौद्योगिकी का आयात

905. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने कुछ क्षेत्रों में आयातित प्रौद्योगिकी अपनाने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन परिस्थितियों में आयातित प्रौद्योगिकी अपनाने की आवश्यकता पड़ी ;

(घ) किन-किन भारतीय उद्योगों को अपने एककों के लिए प्रौद्योगिकी आयात करने की अनु-

मति दी गई है ;

(ङ) किन-किन देशों से औद्योगिक प्रौद्योगिकी आयात की जाएगी ; और

(च) सरकार का ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है जिनसे भविष्य में आयातित औद्योगिक प्रौद्योगिकी को अपनाये जाने की प्रवृत्ति को नियन्त्रित किया जा सके ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्यगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क), (ख), (घ) और (ङ). भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा विदेशी सहयोग स्वीकृतियों से सम्बन्धित भारतीय पक्षकार का नाम, विदेशी सहयोग-कर्ता का नाम, विनिर्माण वस्तु इत्यादि, के ब्यौरे अपने "मथली न्यूज लैटर" में अनुपूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ग) प्रौद्योगिकी के आयात को शासित करने वाला मूल सिद्धान्त यह है कि इसके आयात के लिए अनुमति चयन के आधार पर तभी दी जाती है जब कि इसकी आवश्यकता उद्योगों के लिए प्रोद्योगिकियों का उन्नयन करने और आधुनिकीकरण करने के लिए होती है अथवा जब देश में प्रौद्योगिकी विद्यमान नहीं होती है अथवा जब स्वदेशी तौर पर प्रौद्योगिकी सृजित करने में लगने वाले समय से विकास लक्ष्यों आदि की प्राप्ति में देरी होती होती है।

(च) सरकार की प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और प्रौद्योगिकी सृजन प्रक्रिया की स्थापना करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास, विलय, अनुकूलन तथा आयातित प्रौद्यगिकी का सुधार करने के लिए अनेक योजनाओं को पहले से हाथ में लिया है। इन योजनाओं से औद्योगिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और इसके फलस्वरूप भविष्य में आयातित प्रौद्योगिकियों को लगाने की आवश्यकता में कमी लाने की सम्भावना है।

सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पुनर्गठन

906. **श्री अनिल बसु** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पुनर्गठन करने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों पर सामान्यत: यथालागू कोई विशिष्ट योजना सरकार द्वारा तैयार नहीं की गई है। किन्तु, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के एककों का पुनर्गठन प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर अलग-अलग किया जाता है। सरकार इस विषय में सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्यकरण को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सदुपाय करती रही है, जैसे कुछ क्षेत्रों में धारक कम्पनियां बनाना, अन्य कम्पनियों में मिलाना, आदि।

हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण में ब्रिटिश सहयोग

907. **श्री कमल नाथ** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने तटीय और अपतटीय दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिए विशेषज्ञता की पेशकश की है ;

(ख) क्या ब्रिटेन की सहयोग की पेशकश में आर्थिक सहायता देना भी सम्मिलित है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक आर्थिक सहायता देने की पेशकश की गई है तथा केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं। ब्रिटिश तेल कम्पनियों ने भारत में हाइड्रोकार्बन की खोज करने में अपनी रुचि दिखायी है। हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के साथ मिललर हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में सम्भाव्यता का अध्ययन करने में तकनीकी सहयोग देने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग). इस अध्ययन को ब्रिटिश पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन के खर्चे पर किया जाना प्रस्तावित है। इस पेशकश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन के कार्यकरण की पुनरीक्षा

908. **श्री बी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्सट्रक्शन कारपोरेशन के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने और इसके कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है ; और

(ग) समिति द्वारा कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

सुपर ताप विद्युत केन्द्र

909. **श्री बी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन सुपर ताप विद्युत केन्द्रों ने वर्ष 1988 के अन्त तक पूरी भार क्षमता प्राप्त कर ली है, और किन-किन सुपर ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा वर्ष 1989 के मध्य तक उक्त भार क्षमता प्राप्त करने की सम्भावना है ; और

(ख) विद्युत की मांग, विशेष कर महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में, कहाँ तक पूरी हो पायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के सिगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट) ने 1988 के अन्त तक अपनी पूर्ण भार क्षमता (इष्टतम क्षमता) प्राप्त कर ली थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना (2100 मेगावाट) द्वारा 1989 के मध्य तक अपनी पूर्ण भार क्षमता प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

(ख) कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र द्वारा 1989 के मध्य तक अपनी पूर्ण भार क्षमता प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात् महराष्ट्र अपने हिस्से की 610 मेगावाट की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने का हकदार होगा। आन्ध्र प्रदेश, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत का कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

शीरे के भण्डारण में समस्याओं की जांच के लिए कार्यबल

910. **श्री बी० तुलसीराम :**

श्री बालासाहिब विखे पाटिल :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी कारखानों द्वारा शरीर के भण्डार में उत्पन्न समस्याओं की जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यदल गठित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार अल्कोहल की नई कीमतों पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) यह दल कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां। शीरे के भण्डारण की समस्याओं की जांच करने के लिए एक कार्यदल गठित करने का प्रस्ताव है।

(ख) कार्यदल के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) जी, हाँ। अल्कोहल के मूल्यों में किसी प्रकार का संशोधन करने का प्रश्न औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) के पास भेजा जा रहा है।

(घ) कार्य दल के गठन और रिपोर्ट में शीघ्रता करने के प्रयास किए जाएंगे।

वीडियो चोरी को रोकने के लिए कानून बनाना

911. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चोरी-छिपे वीडियो कैसेट तैयार करने के कारण फिल्म स्टूडियो को भारी नुकसान उठाना पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो फिल्म स्टूडियो को कितना नुकसान हुआ है ;

(ग) इस चोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का विचार है, यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). फिल्म निर्माण चूंकि अनियमित है और अधिकांशतः पूरी तरह से निजी क्षेत्र में है, अतः फिल्म स्टूडियो में बनी फिल्मों के सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। सरकार ने इस विषय पर कोई वैज्ञानिक अध्ययन भी नहीं किया है। तथापि, वर्ष में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित फिल्मों की संख्या को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म स्टूडियो को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

(ग) और (घ). वीडियो पाइरेसी का मुकाबला करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार ने सिनेमाटोग्राफी अधिनियम, 1952 और कापीराइट अधिनियम, 1957, में पहले ही संशोधन किया है ताकि इन अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों से सम्बन्धित अपराधों के लिए बढ़ाई गई और कम से कम सजा (कारावास और जुर्माना दोनों) की व्यवस्था की जा सके। तथापि, इन अधिनियमों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों आदि का है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों को वीडियो पायरेसी विरोधी कानूनों के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के लिए अनेक बार लिखा है। सूचना और प्रसारण मन्त्रालय का वीडियो पायरेसी का मुकाबला करने के लिए कोई और कानून बनाने का विचार नहीं है।

असम में रसोई गैस के कनेक्शन

912. **श्री भद्रेश्वर तांती :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अब तक रसोई गैस के कितने कनेक्शन प्रदान किए गए हैं ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान असम में रसोई गैस के कितने कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 31 दिसम्बर, 1988 तक असम में लगभग 2.04 लाख एल. पी. जी. कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ख) असम सहित पूरे देश में तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप में नए कनेक्शन देने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल. पी. जी. की उपलब्धता में वृद्धि हो।

बिहार में दूरदर्शन केन्द्र

913. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1989 से पहले बिहार में कई दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख). रांची में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के अलावा बिहार में तीन उच्च शक्ति ट्रांसमीटर यथा पटना, रांची और मुजफ्फरनगर प्रत्येक में एक-एक तथा ग्यारह अल्प शक्ति ट्रांसमीटर यथा धनबाद, जमशेदपुर, गया, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया, बेतिया, दरभंगा, बोकारो, मोतीहारी और बेगुसराय प्रत्येक में एक-एक पहले से ही कार्यरत हैं। मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम निर्माण सुविधा केन्द्र तथा चार अल्पशक्ति ट्रांसमीटर यथा गिरिडीह, सहरसा, सासाराम और सिवान, प्रत्येक में एक-एक के चालू वित्तीय वर्ष (1988-89) के अन्त तक राज्य में चालू हो जाने की उम्मीद है।

नन्दीकुंड, कर्नाटक में बहुईंधनीय उच्च ताप विद्युत केन्द्र
(मल्टी फ्यूल सुपर थर्मल पावर स्टेशन)

914. **श्री एच० बी० पाटिल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने नन्दीकुंड, कर्नाटक के बहुईंधनीय उच्च ताप विद्युत केन्द्र (मल्टी फ्यूल सुपर थर्मल पावर स्टेशन) के लिए अन्तिम रूप से मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). नन्दी कुंड में बहुईंधन द्वारा प्रचालित किए जाने वाले प्रस्तावित ताप विद्युत केन्द्र (2×210 मेगावाट चरण-एक) का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सोवियत सहायता से किया जाना है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को अन्यत्र ले जाना

915. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित कर बिहार में मेथन में ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). दामोदर घाटी निगम के मुख्यालय को निगम के प्रचालन के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के बारे में एक सुझाव दिया गया है। इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सीमेन्ट से नियंत्रण हटाना

916. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री हरिहर सोरन :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेन्ट से नियन्त्रण पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). सरकार सीमेन्ट उद्योग पर मूल्य व वितरण नियन्त्रणों को उत्तरोत्तर कम करती रही है। तथापि, सीमेंट को पूर्णतः नियन्त्रण मुक्त करने के लिए अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

थाणे जिले के लिए टेलीफोन समिति

917 श्री एस० जी० घोलप : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाणे जिले के लिए बहुत समय पहले एक नई टेलीफोन समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस समिति की, जिसके क्षेत्राधिकार में थाणे, न्यू बाम्बे आदि क्षेत्र आते हैं, अभी तक एक भी बैठक नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या इस समिति के सदस्यों को बम्बई टेलीफोन समिति में शामिल करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) ठाणे एस०एस०ए० के लिए अप्रैल, 1988 में एक दूरसंचार सलाहकार समिति का गठन किया गया था।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रिफैम्पिसीन की कमी

918. डा० जी० विजय रामा राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिफैम्पिसीन की सप्लाई कम है जिससे टी० बी० तथा कुष्ठ रोगियों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, पर गम्भीर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसकी सप्लाई सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). रिफैम्पिसीन प्रपुंज औषधों की कथित अनुपलब्धता की रिपोर्ट कुछ प्रपुंज सूत्रयोग निर्माताओं से प्राप्त हुई हैं। मे० आई०डी०पी०एल० को सावधान कर दिया गया है कि कम आपूर्ति, यदि कोई हो, को पूरा करने के रिफैम्पिसीन के पर्याप्त भण्डार बनाए रखें। 2,500 रु० प्रति कि०ग्रा० के वर्तमान बिक्री मूल्य में वृद्धि करने के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं किन्तु अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करना

919. **श्री जी० भूपति :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार तथा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा अपने संकाय में अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के समान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य वेतनमान लागू नहीं किए जाते हैं ;

(ख) क्या अन्य राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा अपनाए गए पैटर्न पर सेवानिवृत्ति की आयु सहित वेतनमानों तथा अन्य सेवा शर्तों में संशोधन करने के लिए इसके संकाय सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) लघु उद्योग विस्तार और प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान, उद्योग मन्त्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है और इसमें यू०जी०सी० के वेतनमान न लागू होकर भारत सरकार के वेतनमान ही लागू होते हैं । चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें इस संस्थान ने संकाय कर्मचारियों तथा गैर-तकनीकी स्टाफ दोनों के लिए 1-1-86 से अपना ली हैं ।

(ख) और (ग). कुछ कर्मचारियों ने आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करके प्रार्थना की है कि उनके वेतनमान बढ़ाकर उद्यमिता और लघु व्यापार विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान के वेतनमानों के बराबर कर दिए जाएं। यह मामला अभी न्यायाधीन है ।

दिल्ली में दूरदर्शन का केन्द्रीय निर्माण केन्द्र

920. **श्री जी० भूपति :**

श्री मानिक रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थापित दूरदर्शन के नए केन्द्रीय निर्माण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इस केन्द्र में उपलब्ध अतिरिक्त सुविधाओं का ब्योरा क्या है ;

(ख) इसकी स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ग) दूरदर्शन के हैदराबाद स्थित केन्द्र में निर्माण तथा स्टूडियो आदि की उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) दिल्ली में दूरदर्शन का केन्द्रीय निर्माण केन्द्र, कार्यक्रमों की रोजमर्रा की अपेक्षाओं से मुक्त होने के कारण, नियमित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के विपरीत उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रमों के निर्माण में बिना किसी रुकावट के ध्यान दे सकता है। इस केन्द्र में दो बड़े स्टुडियो हैं (प्रत्येक का 'फ्लोर एरिया' करीब 400 वर्ग मीटर है) जो निर्माण-कार्य के बाद के काम के लिए स्टेट ऑफ दी आर्ट, चार कम्प्यूटरीकृत कैमरों, डिजिटल पेन्ट बॉक्ट, डिजिटल वीडियो इलैक्ट्स जैनरेटर, डिजिटल लाइब्रेरी, उच्च स्तर रिकार्डिंग मशीनों, फिल्म स्केनर्स और कम्प्यूटरीकृत सम्पादन प्रणाली सहित आधुनिक निर्माण सुविधाओं के साथ कम्प्यूटर नियन्त्रित प्रकाश प्रणाली से सुसज्जित हैं। क्षेत्रीय उपयोग के लिए उच्च स्तर के उपकरणों की भी केन्द्र में व्यवस्था है।

(ख) यह केन्द्र 49.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया गया है।

(ग) हैदराबाद में नवम्बर, 1988 में चालू किए गए दूरदर्शन केन्द्र का बड़ा स्टुडियो है जिसका फ्लोर एरिया 350 वर्ग मीटर है और जो चार व्यावसायिक ग्रेड रंगीन कैमरों और सह-निर्माण सुविधाओं जैसे उच्च स्तरीय रिकार्डिंग मशीनों, फिल्म स्केनरों इत्यादि से सुसज्जित है। प्रेषण के प्रयोजन के लिए आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक कन्टिन्यूटी स्टुडियो भी स्थापित करने का विचार है। इसके अलावा केन्द्र में क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के निर्माण के लिए एक रंगीन ओ०बी०वैन, एक ई०एफ०पी०वैन की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना स्कीम के भाग के रूप में केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत निर्माणेत्तर सुविधाओं की भी व्यवस्था करने का विचार है। ये सुविधाएं राज्यों की राजधानियों में स्टुडियो केन्द्रों में लगाई गई सुविधाओं के समान हैं।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद बनाना

921. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :**

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निरन्तर घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को लाभप्रद बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) घाटे में चल रहे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार का उन्हें लाभप्रद बनाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्नवीयन करना एक सतत प्रक्रिया है और हानि उठाने वाले उद्यमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए उद्यम-विशेष के अनुरूप उपाय किए जाते हैं ।

(ख) 1987-88 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के घाटा उठाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा दिनांक 27-2-1989 को संसद के दोनों सभापटलों पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1987-88 के खण्ड-1 में पृष्ठ 73 पर दिया गया है ।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित लोक उद्यम सर्वेक्षण के पृष्ठ 229 पर दिया गया है ।

राज्य विद्युत बोर्डों में घाटा

922. प्रो० रामकृष्ण मोरे :

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में अपने विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों के संचित घाटे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) घाटा रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) 31-3-88 की स्थिति के अनुसार, संचयी लाभों/हानियों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिए गए संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने हेतु किए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार है :—

1. राज्य बिजली बोर्डों को निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण किए जाने सम्बन्धी निदेश जारी किए गए हैं, जैसाकि विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखे नियम, 1985 में प्रावधान है ।
2. राज्य सरकारों से राज्य बिजली बोर्डों को इक्विटी सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनकी वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्यता सुनिश्चित की जा सके ।
3. राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि वे राज्य बिजली बोर्डों को ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी आर्थिक सहायता नियमित रूप से तथा पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराएं ।

4. ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम आरम्भ की गई है।

5 विद्युत की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है जिसके अन्तर्गत अपराध करने तथा उसमें सहयोग करने के लिए कड़े दण्ड की व्यवस्था की गई है।

6. पारेषण और वितरण हानियों में कमी के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम लागू करना।

7. विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण श्रमिकों को प्रशिक्षित करना।

8. राज्य सरकारों द्वारा इक्विटी सहायता प्रदान करना।

विवरण

31-3-1988 की स्थिति के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के संचयी अधिशेष/घाटे का विवरण

क्रम संख्या	राज्य बिजली बोर्डों के नाम	अधिशेष/घाटा (करोड़ रु० में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	169.40
2.	बिहार	—356.60
3.	गुजरात	54.40
4.	हरियाणा	—607.80
5.	हिमाचल प्रदेश	—129.30
6.	कर्नाटक	10.20
7.	केरल	26.80
8.	मध्य प्रदेश	161.50
9.	महाराष्ट्र	48.90
10.	उड़ीसा	—102.80
11.	पंजाब	—123.60

1	2	3
12.	राजस्थान	—300.90
13.	तमिलनाडु	248.20
14.	उत्तर प्रदेश	—516.80
15.	पश्चिम बंगाल	—271.00
16.	असम	—339.90
17.	मेघालय	—26.60
	जोड़	—2055.90

टिप्पणी :—1. ऋणात्मक आंकड़े कमी/घाटे के सूचक हैं।

2. वर्ष 1987-88 के दौरान पूंजीकृत निर्माण के दौरान ब्याज।

3. ऊपर दिए गए आंकड़े अनन्तिम हैं।

पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता

923. प्रो० रामकृष्ण मोरे :

श्री एच० एन० नन्जे गोडा :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए गत कुछ महीनों के दौरान कोई नए उपाय किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता का कितना लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). आगामी वर्षों में पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए मथुरा और कोयाली रिफाइनरियों की शोधन क्षमता को क्रमश: 6.0 से बढ़ाकर 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा 8.1 से बढ़ाकर 9.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम० टी० पी० ए०) किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त करनाल, मंगलूर और असम में क्रमश: 6.0 एम० टी० पी० ए०, 3.0 एम० टी० पी० ए० और 2.0 एम० टी०

पी० ए० की तीन ग्रासरूट रिफाइनरियां भी स्थापित करने की योजना है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है क्योंकि निश्चित रूप से यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी।

तेल शोधक कारखाने

924. श्री चिन्तामणि जेना :

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने तेल शोधक कारखाने हैं और वे कहां कहां स्थित हैं तथा प्रत्येक तेल शोधक कारखाने की वार्षिक तेल शोधन क्षमता कितनी है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक तेल शोधक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष तेल की कितनी मात्रा का शोधन किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि विद्यमान तेल शोधक कारखाने मांग पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विद्यमान तेल शोधक कारखानों की तेल शोधन क्षमता बढ़ाने अथवा कुछ और तेल शोधक कारखानों की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). पेट्रोलियम उत्पादों के देशी उत्पादन और मांग के बीच काफी अन्तर है जिसे पेट्रोलियम उत्पादों के आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इण्डियन ऑयल कारपोरेशन की मथुरा और कोयाली रिफाइनरियों की क्षमता को बढ़ाकर क्रमशः 7.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 9.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। करनाल, मंगलूर और असम में क्रमशः 6.0, 3.0 और 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली तीन ग्रासरूट रिफाइनरियां भी लगाने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम सं०	रिफाइनरी/कम्पनी का नाम	स्थान	1-4-88 को वार्षिक स्थापित क्षमता (मिलि० टन प्रतिवर्ष)	वास्तविक क्षमता उपयोग हजार टन		
				1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6	7
1.	आई० ओ० सी०, दिग्बोई	दिग्बोई, असम	0.50	529	551	547
2.	बी० पी० सी० एल० बम्बई	बम्बई	6.00	6389	5580	6539
3.	एच० पी० सी० एल०, बम्बई*	बम्बई	5.50	4375	5011	5457
4.	एच० पी० सी० एल०, विशाख	विशाख, आंध्र	4.50	2659	3715	3621
5.	आई० ओ० सी०, गोहाटी	गोहाटी, असम	0.85	766	802	815
6.	आई० ओ० सी०, बरोनी	बरोनी, बिहार	3.30	2766	2860	2638
7.	आई० ओ० सी०, कोयाली	कोयाली, गुजरात	8.10	7830	7835	8444
8.	आई० ओ० सी०, मथुरा	मथुरा, उ० प्र०	6.00	6075	6353	6535
9.	आई० ओ० सी०, हल्दिया	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	2.50	2822	2623	2808
10.	सी० आर० एल०, कोचीन	कोचीन, केरल	4.50	2749	4166	4111

1	2	3	4	5	6	7
11.	एम० आर० एल०, मद्रास	मद्रास, तमिलनाडू	5.60	5057	5192	5120
12.	बी० आर० पी० एल०, बोंगाईगांव	बोंगाईगांव, असम	1.35	893	1011	1109
		कुल	*48.70	42910	45699	47744

*एच० पी० सी० एल० की बम्बई रिफाइनरी में 2 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्विंग क्षमता शामिल है।

टेलीफोन सेवाओं में प्रगति

[हिन्दी]

925. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नए टेलीफोन कनेक्शन देने, नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और अधिक शहरों को टेलीफोन व्यवस्था से जोड़ने के कार्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	1985-86	1986-87	1987-88
1. दिए गए नए कनेक्शन	267352	322694	313078
2. खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंज	768	604	845
3. टीएएक्स से सम्बद्ध किए गए नए स्टेशन	71	65	88

टेलीफोन लगवाने हेतु उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता

926. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन लगवाने, टेलीफोन करने तथा इसे रखने का व्यय इस समय तीन साल पहले की तुलना में कहीं अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपभोक्ताओं पर कब-कब और कितनी बार यह आर्थिक भार डाला गया तथा प्रत्येक बार उन्हें कितनी अधिक धनराशि का भुगतान करना पड़ा और किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत शुल्क बढ़ाया गया ; और

(ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं को कोई अधिक सहायता देने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). समान दर (फ्लेट रेट) प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन प्रभार 1982 से संशोधित नहीं किए गए हैं ।

मापित दर प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन प्रभार, संस्थापन शुल्क, तथा स्थानीय कालों के प्रभार जो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रचलन में रहे उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ग) किराया तथा कालप्रभार में वृद्धि सेवाएं प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेशों तथा प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत में बढ़ोत्तरी के कारण की गई थी । यह उल्लेखनीय है कि टेलीफोन प्रभार में वृद्धि थोक मूल सूचकांक की तुलना में कम रही । टेलीफोन काल प्रभार में 1-12-1986 से वृद्धि करते समय द्विमासिक अवधि के लिए अनुज्ञेय निःशुल्क कालों की संख्या 200 से बढ़ाकर 275 कर दी गई है । इन प्रभारों में संशोधनों का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विवरण

मापित दर प्रणाली के अन्तर्गत शुल्क

	मार्च, 1983 से नवम्बर, 1986 तक	दिसम्बर, 1986 से
1. संस्थापन फीस :		
(किसी एक्सचेंज प्रणाली में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए)		
(क) 500 लाइनों से कम	300 रु०	कोई परिवर्तन नहीं ।
(ख) 500 लाइनों से अधिक	300 रु०	800 रु०

2. टेलीफोन किराया :

मार्च 82 से मार्च 88 तक		अप्रैल, 1988 से	
एक्सचेंज प्रणालियां	द्विमासिक किराए की दरें	एक्सचेंज प्रणालियां	द्विमासिक किराए की दरें
1. 10,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	125 रु०	1. 100 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	125
		2. 100 लाइनों से अधिक परन्तु 1000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	140
		3. 1000 लाइनों से अधिक परन्तु 10,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां	160
2. 10,000 लाइनों से अधिक परन्तु 30,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां।	150	4. 10,000 लाइनों से अधिक परन्तु 30,000 लाइनों से कम की एक्स-चेंज प्रणालियां।	200
3. 30,000 लाइनों से अधिक परन्तु 1,00,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां।	175	5. 30,000 लाइनों से अधिक परन्तु 1,00,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां।	250
4. 1,00,000 लाइनों से अधिक की एक्सचेंज प्रणालियां।	200	6. 1,00,000 लाइनों से अधिक परन्तु 3,00,000 लाइनों से कम की एक्सचेंज प्रणालियां।	300
		7. 3,00,000 से अधिक की एक्सचेंज प्रणालियां।	330

3. एक काल यूनिट के लिए प्रभार

(क) मार्च 1982 से दिसम्बर 1986 तक	
(i) नि:शुल्क कॉलें (द्विमासिक)	200 कॉलें
(ii) 200 से 3000 कॉलों तक (द्विमासिक)	40 पैसे
(iii) 3000 से अधिक कॉलों के लिए द्विमासिक)	50 पैसे
(ख) दिसम्बर 1986 से	
(i) नि:शुल्क कॉलें (द्विमासिक)	275 कॉलें
(ii) 273 से 2000 कॉलों तक (द्विमासिक)	60 पैसे
(iii) 2000 कॉलों से ऊपर (द्विमासिक)	80 पैसे
(ग) अप्रैल 1988 से	
(i) नि:शुल्क कॉलें (द्विमासिक)	275 कॉलें
(ii) 275 से 2000 कॉलों तक (द्विमासिक)	80 पैसे
(iii· 2000 से 5000 कॉलों तक (द्विमासिक)	1 रुपया
(iv) 5000 से अधिक (द्विमासिक)	1.25 रु०

सभी जिलों को एस० टी० डी० की सुविधा से जोड़ने की योजना

927. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी जिलों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने की एक योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना को किस अवधि तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) क्या देश के कमजोर और पिछड़े वर्गों तक इस सुविधा का विस्तार करने के लिए संचार के इस माध्यम को कम मूल्य पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुल 447 जिला मुख्यालयों में से अब तक 296 जिला मुख्यालय को एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं। शेष जिला मुख्यालयों को सातवीं योजना के अन्त तक एस० टी० डी० द्वारा जोड़ दिया जाएगा।

(घ) और (ङ). फिलहाल, अलग दरें निश्चित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में भर्ती

928. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक औद्योगिक एककों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, ऐसे रिक्त पदों की संख्या क्या है ;

(ग) क्या पब्लिक इन्टरप्राइजेज सैलेक्शन बोर्ड ने इन रिक्तियों को भरने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इन सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकारियों के "श्रेणी-1" तथा "श्रेणी-2" जैसे पदों का कोई वर्गीकरण नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाना पकाने की गैस एजेन्सियों तथा पेट्रोल पम्पों का आबंटन

929. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या एक वर्ष के दौरान कुछ पेट्रोल पम्प तथा गैस एजेन्सियां आबंटित करने के लिए कोई प्रावधान है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए नए पेट्रोल पम्पों और गैस एजेन्सियों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). पेट्रोल/डीजल पम्प तथा एल. पी. जी. वितरण केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानों का निर्धारण के

के वास्ते तेल उद्योग लगातार आधार पर स्थानों का निरीक्षण करता रहता है। इन स्थानों को वार्षिक आधार पर तेल उद्योग का विपणन योजनाओं में शामिल किया जाता है। निर्धारण प्रक्रिया के अनुसार बाद में डीलरशिपों/वितरण केन्द्रों की नियुक्ति की जाती है।

(ग) पिछले तीन बर्षों के दौरान तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं के अन्तर्गत चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों और एल. पी.जी. वितरण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	चालू किए गए खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या	चालू की गई एल. पी. जी. वितरण केन्द्रों को संख्या
1985-86	409	535
1986-87	470	362
1987-88	406	229

उत्तरी बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

930. श्री चित्त महाता :

श्री अमर राय प्रधान :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में औद्योगिक विकास के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में जयगढ़ में पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना

931. डा० दत्ता सामन्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में जयगढ़ में एक पेट्रो-रसायन परियोजना की स्थापना हेतु मंजूरी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). मै० फाइनोलैक्स पाइप्स प्रा० लि० को जयगढ़, महाराष्ट्र में प्रति वर्ष 1,00,000 टन पी० वी० सी० के विनिर्माण हेतु एक परियोजना स्थापित करने के लिए दिनांक 13-6-88 को एक आशय पत्र जारी किया गया था। यह आशयपत्र 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। तथापि, आमतौर पर ऐसी परियोजनाएं स्थापित करने में चार से पांच वर्ष का समय लग जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 200 करोड़ रुपए है।

ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड द्वारा यूनियन कारबाइड इंडिया लि० के चेम्बूर एकक की खरीद

932 **डा० दत्ता सामन्त** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मै० ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड को यूनियन कारबाइड आफ इंडिया लि० के चेम्बूर एकक को खरीदने की अनुमति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वामित्व के इस हस्तांतरण में क्या-क्या विभिन्न शर्तें रखी हैं ; और

(ग) स्वामित्व के इस हस्तांतरण के बारे में यूनियन कारबाइड आफ इंडिया लि० के कर्मचारियों के संघ द्वारा सरकार को दिए गए अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार मै० यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० और मै० ओसवाल एग्रोमिल्स लि० के बीच दिनांक 12-10-88 को एक समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर किए गए थे। एम० ओ० यू० में सभी कर्मचारियों को उनकी सेवा में किसी व्यवधान के बिना ऐसी शर्तों पर जो कि उन सेवा शर्तों से कम अनुकूल न हों जो उन्हें फिलहाल मिल रही हैं, पर सेवा में खपाने और सभी कर्मचारियों के हितों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने की व्यवस्था है। यह एम० ओ० यू० विभिन्न सांविधिक एवं अन्य अनुमोदनों के अधीन है। यू. सी. आई. एल. को यह सलाह दी गई है कि उनके चेम्बूर एकक की बिक्री से प्राप्त राशि को वे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से उपयोग अथवा ऋणग्रस्त नहीं करेंगे। उन्हें पर्यावरण सम्बन्धी संतुलन बनाये रखने, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोखिम नियन्त्रण करने के उपायों और कर्मचारियों के हितों की पूर्ण सुरक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी सलाह दी गई है।

कर्मचारी यूनियन यह अभ्यावेदन देती रही है कि कर्मचारियों के हितों से सम्बन्धित सभी मामले इस संयंत्र को मै० ओस्वाल एग्रोमिल्स को अन्तरित करने से पूर्व तय किए जाने चाहिए।

सरकार को इस बिक्री करार में एक प्रत्यक्ष पार्टी होना चाहिए ताकि कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके, कर्मचारियों की प्रबन्ध में भागीदारी की आवश्यकता है, आदि। हाल ही में यूनियन ने अभ्यावेदन दिया है कि चूंकि अब भोपाल समझौता हो चुका है अतः सरकार द्वारा चेम्बूर एकक का अधिग्रहण किया जाना चाहिए।

एम. ओ. यू. में निहित कर्मचारियों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित विशेष उपबन्धों की ओर उनका ध्यान दिलाते हुए यूनियन को एक उत्तर भेजा गया था। यूनियन की अन्य मांगों के बारे में उन्हें प्रभावी उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत इस मामले को सम्बन्धित प्राधिकरणों के समक्ष उठाना होगा।

हाजिरा पेट्रो-रसायन परियोजना

933. डा० दत्ता सामन्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की हाजिरा पेट्रो-रसायन परियोजना को स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कौन-कौन सी शर्तें लगाई गई हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). मै० रिलायन्स इन्डस्ट्रीज लि० को गुजरात राज्य के सूरत जिले में चौरासी तहसील में एक नयी पेट्रो-रसायन परियोजना स्थापित करने के लिए 25-11-88 को एक आशयपत्र जारी किया गया था। परियोजना की कुल लागत 748.22 करोड़ रुपए है। यह आशयपत्र, प्रदूषण सम्बन्धी स्वीकृति, पर्यावरण के दृष्टिकोण से स्थल की मंजूरी, सरकार द्वारा वित्त की योजना की स्वीकृति, इस परिसर द्वारा उत्पादित विभिन्न उत्पादों का अन्य, अनुप्रवाही एककों के लिए उपयोग, सरकार की संतुष्टि के अनुसार विदेशी सहयोग करार, पूंजीगत माल का आयात आदि से सम्बन्धित अनेक शर्तों के अधीन है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवा शर्तों के सम्बन्ध में मिश्र समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट

934. डा० दत्ता सामन्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विभिन्न सेवा शर्तों के संशोधन के सम्बन्ध में न्यायमूर्ति मिश्र की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब प्राप्त हुई थी और समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). न्यायमूर्ति श्री आर० बी० मिश्र की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24-11-1988 को सरकार को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने यह सिफारिश की है कि केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन आयोग का केन्द्रीय सरकारी महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। समिति द्वारा अनुशंसित वेतनमान चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुशंसित वेतनमानों के तुलनीय हैं। समिति ने छुट्टी की अवधि का नकद भुगतान, छुट्टी यात्रा रियायत आदि जैसे कतिपय अनुलाभों को युक्तिसंगत बनाने की भी सिफारिश की है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अधिक उत्पादन

935. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में वर्ष 1988-89 के दौरान अधिक उत्पादन किया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के उक्त उपक्रमों ने वर्ष 1988-89 में पिछले वर्ष (1987-88) की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन किया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). 1988-89 के दौरान उत्पादन का ब्यौरा वित्तीय वर्ष 1988-89 की समाप्ति के बाद ही उपलब्ध होगा।

बिजली की मांग में वृद्धि

936. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी क्षेत्रों में बिजली की मांग में पर्याप्त वृद्धि हो जाने के कारण बिजली का उत्पादन बढ़ाना आवश्यक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना-अवधि के दौरान बिजली का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) उस योजना-अवधि में उत्पादन क्षमता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय करने का विचार है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 38,000 मेगावाट की क्षमता अनन्तिम रूप से जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। विद्युत उत्पादन की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ विद्यमान ताप विद्युत तथा जल विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने, पारेषण और वितरण हानियों को कम करने, कुशल भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण जैसे कुछ अन्य उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). अभिज्ञात विद्युत परियोजनाओं को पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करने, तथा अन्य अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने के लिए विद्युत विभाग मे उच्च स्तर पर मानीटरिंग की जा रही है पर्यावरण एव वन सम्बन्धी दृष्टि से शीघ्र स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय तथा परियोजना प्राधिकारियों के साथ पारस्परिक सम्पर्क हेतु विभाग में एक समन्वय समिति का भी गठन किया गया है। इसके अलावा विद्युत परियोजनाओ के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए राज्य/परियोजना प्राधिकारियों की सहायता करने हेतु कुछ उपाय भी किए गए हैं। इन उपायों में यह शामिल है, उपस्कर एवं सामग्री शीघ्र सप्लाई किए जाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरिंग किया जाना, समस्याओं का समाधान करने तथा सम्बन्धित एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन करने, परियोजना के समन्वित क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इन्जीनियरों द्वारा परियोजना स्थल का दौरा किया जाना।

राज्यों में गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र

937. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में गैस पर आधारित अब तक कितने विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं ;

(ख) इन विद्युत संयंत्रों में से प्रत्येक संयंत्र द्वारा कुल कितने मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है ;

(ग) क्या देश में विद्युत की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए ऐसे विद्युत संयंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ). वर्तमान में प्रचलनाधीन गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र के नाम, उनकी क्षमता और अप्रैल, 1988-जनवरी, 1989 के दौरान उनके द्वारा ऊर्जा उत्पादन का विवरण इस प्रकार है :—

केन्द्र का नाम	राज्य	क्षमता (19-2-89 की स्थिति के अनुसार मे० वा०)	अप्रैल, 1988-जनवरी, 1989 के दौरान ऊर्जा उत्पादन (मे० वा० आवर)
(1) दि० वि० प्रदाय संस्थान	दिल्ली	180	190
(2) अन्ता	राजस्थान	88	1
(3) धुवारन	गुजरात	54	—
(4) उतराण	गुजरात	61	243
(5) उरन	महाराष्ट्र	672	1570
(6) प० बंगाल जी० टी०	प० बंगाल	100	50
(7) नामरूप जी० टी०	असम	11.5	220
(8) लकवा (9) गोलकी (10) कठलगुंडी	असम	81	211
(11) बारामूरा	त्रिपुरा	10	31
		1357.5	

विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए अल्पकालिक विकल्प के रूप में गैस पर आधारित अतिरिक्त विद्युत संयंत्रों की स्थापना, इस उद्देश्य के लिए गैस की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

डाक विभाग के लिए मुद्रणालय

938. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग के लिए मुद्रणालयों की स्थापना करने का विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मुद्रणालय स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(ग) ये किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग). विभाग मार्च, 1987 में पहले ही भुवनेश्वर में अपना मुद्रणालय स्थापित कर चुका है।

कोयला खान क्षेत्रों में वृक्षारोपण

[हिन्दी]

939. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कितने वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है और कितने वृक्ष लगाए गए हैं ;

(ख) क्या यह कार्य ठेकेदारों द्वारा कराया गया है अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा ; और

(ग) इस कार्य में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी०के०जाफर शरीफ) :(क) से (ग). वर्ष 1988-89 की अवधि में कोयला खानों में 56.20 लाख पौधा रोपण किए जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 1989 तक लगभग 62 लाख पौधे लगाने का कार्य वास्तव में कर लिया गया है ; इस कार्य पर 3.13 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस कार्य को कोयला खान कम्पनियों द्वारा विभागीय रूप में तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे राज्यों के वन विभागों, वन निगमों और ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया है।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पपड़वार परियोजना के लिए सुपर ताप विद्युत संयंत्र

940. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया द्वारा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की पपड़वार परियोजना क्षेत्र में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक नए स्थान पर कोयला निकालने का काम शुरू किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के मुहाने पर सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना तैयार की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग). सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पिपरवाड़ क्षेत्र में आस्ट्रेलिया के सहयोग से एक एकीकृत खान एवं कोयला परिष्करण परियोजना स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से परिष्कृत अकोककर कोयले की नेशनल केपिटल रीजन थर्मल पावर स्टेशन, दादरी (4×210 मे. वा.) को आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है। ये विद्युत केन्द्र खान-मुहानों पर अवस्थित नहीं है।

विभिन्न संगठनों पर कोल इण्डिया लिमिटेड की बकाया राशि

941. **श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनेक केन्द्रीय और राज्य संगठनों पर कोल इण्डिया लिमिटेड की कितनी बकाया देय राशि है और यह देय राशि कितने वर्षों से बकाया पड़ी है ;

(ख) इस बकाया राशि के न मिलने के कारण कौन-कौन सी परियोजनायें अधूरी पड़ी हैं ; और

(ग) इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य सगठनों से बकाया कुल राशि 1,586.19 करोड़ रुपए थी। इस बकाया राशि का समयावधिवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रु० में)

	सम्पूर्ण बिल	विवादग्रस्त राशि
(एक) एक महीने से कम की राशि	221.94	23.15
(दो) एक महीने से अधिक किन्तु तीन महीने से कम की राशि	172.28	40.83
(तीन) तीन महीने से अधिक की राशि	1191.97	683.92
जोड़	1586.19	747.90

(ख) और (ग). कोयले के विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कोल इण्डिया की देय राशि की समय पर अदायगी न किए जाने के कारण कई वर्षों से काफी बकाया राशि एकत्रित हो गई है और इसका समग्र रूप से कोयला कम्पिनियों की अर्थोपाय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बात का मूल्यांकन करना कठिन है कि इसके कारण परियोजनाएं किस हद तक प्रभावित होती हैं ; क्योंकि बकाया राशि तो राजस्व प्रकृति की होती है, जबकि परियोजनाओं के लिए आवश्यक निवेश पूंजीगत स्वरूप का होता है।

बकाया देय राशि का परिसमापन करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे उपायों को नीचे दिया गया है :—

(क) कोल इण्डिया और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा विभिन्न उपभोक्ताओं, विशेषकर राज्य बिजली बोर्डों, जिन्हें अन्य के मुकाबले काफी बकाया राशि देनी है, बकाया शेष राशि को वसूल किए जाने के संबंध में नियमित रूप अनुवर्ति कार्रवाई की जा रही है।

(ख) कोयला विभाग द्वारा नवम्बर, 1988 में विभिन्न संबद्ध राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्यों के नियंत्रणाधीन विद्युत बोर्डों को बकाया देय राशि की अदायगी करने के अनुदेश दें और वे भविष्य में की जाने वाली कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला कंपनी क पक्ष में "रिवाल्विंग सेन्टर आफ क्रेडिट" खोलें।

(ग) कोयला कम्पनियां राज्य सरकारों तथा राज्यों के विद्युत बोर्डों के साथ शीघ्र "रिवालविंग लेटर आफ क्रेडिट" खोले जाने के मामले पर गम्भीरता से कार्य कर रही हैं और इस बारे में उनके साथ सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(घ) वर्ष 1987-88 के दौरान राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा आबंटित की जाने वाली राशि में से 74.17 करोड़ रुपए की राशि कम कर दी गई और इस राशि को, राज्य बिजली बोर्डों से बकाया राशि के एवज में समायोजित करके कोल इंडिया को अदायगी कर दी गई।

कोयल-कारो पनबिजली परियोजना को अन्यत्र स्थापित करना

942. **श्री सरफराज अहमद :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयल-कारो पन-बिजली परियोजना को वर्ष 1981 में मन्जूरी दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार का इस परियोजना को अन्यत्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे किस स्थान पर स्थापित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इण्टरमीडिएट स्टेजों से औषधों का उत्पादन

[अनुवाद]

943. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधों के नाम क्या हैं जिनका देश में इण्टरमीडिएट स्टज से उत्पादन किया जाता

है और जिनके सम्बन्ध में केलकर समिति ने मूल्य नियन्त्रण समाप्त किये जाने अथवा उनकी श्रेणी बदले जाने की सिफारिश की है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक औषध का गत दो वर्षों में, वर्षवार, कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) प्रत्येक औषध पर से मूल्य नियन्त्रण उठाने अथवा उसकी श्रेणी बदलने के मानदण्ड क्या हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). अपेक्षित ब्यौरे, जो भी उपलब्ध होंगे, एकत्र किए जाएंगे और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

औषधों पर मूल्य नियन्त्रण समाप्त करना

944. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन कितने औषधों को शामिल किया गया है ;

(ख) औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1987 के अधीन कुल कितने औषधों को शामिल किया गया है ; और

(ग) उन औषधों के नाम क्या हैं जिनका उत्पादन अपने देश में नहीं किया जाता है और जिनका औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 की सूची से मूल्य नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) डी. पी. सी. ओ., 1979 के अन्तर्गत 350 से अधिक प्रपुंज औषधें शामिल थीं।

(ख) डी. पी. सी. ओ., 1987 के अन्तर्गत इस समय कुल 146 प्रपुंज औषधें शामिल की गई हैं। इनमें से विटामिन ए और सी को छोड़कर सभी विटामिन मूल्य नियन्त्रण से मुक्त हैं जैसा डी. पी. सी. ओ., 1987 के पैरा 3 में अपेक्षित है।

(ग) उपलब्ध सीमा तक अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किए जाएंगे और लोक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

[हिन्दी]

945. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनपत्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए पंजीकृत व्यक्तियों की वर्तमान संख्या कितनी है और उन्हें टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ; और

(ग) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पृथक-पृथक किस वर्ष तक पंजीकृत किए गए व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 1-2-89 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या क्रमश: 69,389 और 2,24,448 है। उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली की वर्तमान प्रतीक्षा सूची आठवीं योजना के दौरान उत्तरोत्तर निपटाई जानी है।

(ग) सामान्य श्रेणी में (जनरल कैटेगरी) दिल्ली में लोधी रोड एक्सचेंज 25-3-88 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कनेक्शन दे दिए गए हैं जबकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई एक्सचेंज हैं जहां प्रतीक्षा सूची नहीं है और मांग करने पर टेलीफोन कनेक्शन मिल जाते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 और दिल्ली में (शाहदरा एक्सचेंज) मई, 1979 से लोग प्रतीक्षा सूची में हैं और प्रतीक्षा सूचियों में सबसे पुराने आवेदक इन्हीं वर्षों के हैं।

मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना

946. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोगों को मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने की कोई योजना तैयार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है और उसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार सभी पंजीकृत व्यक्तियों को किस प्रकार टेलीफोन उपलब्ध कराने का है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी हां। सन 2000 तक व्यावहारिक रूप से मांग किए जाने पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की दृष्टि से 1987-88 के मूल्यों के आधार पर आठवीं और नवीं योजना के लिए क्रमशः 19,900 करोड़ रुपए तथा 28,600 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से, एक सापेक्ष योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा की बिजली परियोजनाओं में ब्रिटेन की भागीदारी

[अनुवाद]

947. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन ने सहयोग देने की इच्छा प्रकट की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई निर्णय

लिया है, तो वह क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला खानों में सुरक्षोपाय

948. **डा० कृपासिन्धु भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने विभिन्न कोयला कम्पनियों को कोयला खानों में सुरक्षोपाय अपनाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न कोयला खानों में विभिन्न कोयला कम्पनियों द्वारा अपनाए गए सुरक्षोपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख). ऊर्जा मन्त्री की अध्यक्षता के अन्तर्गत कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति में, अन्य सदस्यों के साथ-साथ इसमें केन्द्रीय मजदूर संघों और श्रम मन्त्रालय के सदस्य होते हैं। यह समिति नियमित रूप से कोयला खानों की सुरक्षा स्थिति पर निगरानी रखती है और कोयला खनन क्रियाकलापों में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए आवश्यक दीर्घावधि/अल्पावधि उपायों पर सुझाव देती है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला कम्पनियों को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सुरक्षा उपायों को अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं :—1. कोयला काटने वाली मशीनों की पुनः शुरुआत तथा जहां तक सम्भव हो ठोस विस्फोटों का समापन, 2. लोडरों की पालियों को परिवर्तित करना तथा लोडरों के लिए अपेक्षित खान मुहानों के मुकाबले में 1½ गुणा खान मुहाना तैयार करना ताकि नए खान मुहानों से कोयला एकत्रित करने के सम्बन्ध में श्रमिकों द्वारा अनावश्यक भीड़-भाड़ से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा जा सके, 3. बहु कुशल कर्मीदल का गठन, 4. भूमिगत खानों में सपोर्ट योजना की शुरुआत और उसकी निरंतरता, 5. यात्रा परिवहन में सुधार, 6. वाहनों के सुरक्षित वापस आने के लिए भारी मिट्टी हटाए जाने वाली मशीनों (हैम), विशेषकर डंपरों में दृश्य-श्रव्य अलार्मों का लगाया जाना।

न्यू बम्बई में टेलीफोन व्यवस्था

949. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू बम्बई की टेलीफोन संचार व्यवस्था का विस्तार करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो न्यू बम्बई में स्थानीय टेलीफोन व्यवस्था में सुधार करने, नये टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने, नये टेलीफोन केबिल बिछाने और केबिल मार्ग बनाने आदि के बारे में बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). न्यू बम्बई में तथा न्यू बम्बई से बम्बई और अन्य स्थानों के लिए टेलीफोन

सेवाओं में सुधार की दृष्टि से एक व्यापक विकास योजना तैयार की गई है और यह योजना मैसर्स आई०टी०आई मनकापुर से डिजिटल स्विचन उपस्कर की सप्लाई स्थिति के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। यह विकास योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना, भूमिगत केबिल डक्ट और टेलीफोन केबिल बिछाना, सब्सक्राइबर्स फिटिंग्स आदि शामिल हैं। विकास योजना के इन संघटकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

न्यू बम्बई की विकास योजना

न्यू बम्बई के विभिन्न क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करने का वर्षवार कार्यक्रम नीचे दिया गया है। जहां तक 1988-89 का सम्बन्ध है, कार्यक्रम निश्चित है, जबकि 1989-90 के मामले में यह एक्चेंज उपस्कर के समय से सप्लाई पर निर्भर करता है।

1. वर्ष 1988-89—चालू किया गया/मार्च, 1989 में चालू किए जा रहे एक्सचेंज

क्र०सं०	एक्सचेंज	क्षमता	टिप्पणी
(i)	तुर्भे (पी. सी. क्रासबार)	1000 लाइनों का विस्तार	
(ii)	कलामबोली (पी. आर. एक्स.)	1000 लाइनों का विस्तार	तालोजा एम. ए. एक्स.-II की 500 लाइनें बदली गईं
(iii)	कौसा (एम. ए. एक्स.-II)	400 लाइनों का विस्तार	
(iv)	उरान (एम. ए. एक्स.-II)	500 लाइनों का नया एक्सचेंज	300 लाइनों के सी.बी.एफ. को बदलना। मार्च 1989 तक चालू किए जाने की आशा है।

2. वर्ष 1989-90—चालू किए जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज

क्र०सं०	एक्सचेंज	क्षमता	टिप्पणी
(i)	शीव (आई. एल. टी.)	384 लाइनों का नया एक्सचेंज	100 लाइनों के वर्तमान एम. ए. एक्स.-II को बदलना।
(ii)	न्हावा (सी-डॉट-आर. ए. एक्स.)	128 लाइनों का नया एक्सचेंज	50 लाइनों के वर्तमान एस. ए. एक्स. को बदलना।

क्र० सं०	एक्सचेंज	क्षमता	टिप्पणी
(iii)	तुर्भे-2 (ई.-10 बी.)	2000 लाइनों का नया एक्सचेंज	
(iv)	रबाले आर. एल. यू. (ई.-10 बी.)	2000 लाइनों का नया एक्सचेंज	1000 लाइनों के वर्तमान एम. ए. एक्स.-II को बदलना।
(v)	पनवेल आर. एल. यू. (ई.-10 बी.)	3000 लाइनों का नया एक्सचेंज	1600 लाइनों के वर्तमान एम. ए. एक्स.-II को बदलना।

3. 1989-90 के लिए डक्टिंग योजना

पनवेल	—	कलामबोली	4.145 कि. मी.
कलामबोली	—	तलोजा	3.680 कि· मी.
वाशी	—	तुर्भे	3.425 कि. मी.
तुर्भे	—	बेलापुर	6.000 कि. मी.

विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगें

950. **डा० ए० के० पटेल :**

श्री विष्णु मोदी :

क्या संचार मन्त्री विभागेत्तर कर्मचारियों की मांगों के बारे में 8 दिसम्बर, 1987 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4845 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1987 से विभागीय समितियों की अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करनेवाली डाक सेवा यूनियन के साथ कितनी बैठकें हुई हैं तथा इन बैठकों में हल की गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कर्मचारियों को स्थायी करने तथा अतिरिक्त विभागीय अधिकारियों की समीक्षा करने का कार्य, जो सरकार के विचाराधीन है, इस समय किस चरण मे है ;

(ग) क्या सरकार ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में शामिल करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या डाक सेवा यूनियनों के साथ अखिल भारतीय स्तर पर सर्वाधिक बैठकें आयोजित की जा रही हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा अगली बैठक कब तक आयोजित किये जाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कोई विभागीय समिति नहीं है लेकिन यूनियनों के साथ अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए एक आंतरिक अतिरिक्त विभागीय समिति है। अब तक इस समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जाती है और जिन पर समझौता हो जाता है, उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ख) जिन अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों ने 3 वर्ष से अधिक सेवा कर ली है उन्हें डाक-तार अतिरिक्त विभागीय एजेंट (आचरण एवं सेवा) नियमावली, 1964 के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति अपनाए बिना हटाया या बर्खास्त नहीं किया जा सकता और उनके रोजगार की गारंटी इसी सीमा तक होती है। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को स्थाई नही किया जाता।

(ग) इस प्रस्ताव पर अभी कंसलटिंग एक्चुअरि के साथ विचार किया जा रहा है। यदि इस योजना को व्यावहारिक और आर्थिक पहलू से व्यवहार्य पाया जाता है तो इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

(घ) जी हां, केवल कुछ गैर-संघबद्ध यूनियन/एसोसिएशनों ने कार्यसूची में शामिल करने हेतु मदें भेजी हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है और इन यूनियनों/एसोसिएशनो की आवधिक बैठक शीघ्र ही आयोजित की जाएगी। डाक संगठन के राष्ट्रीय फैडरेशन (एफ. एन. पी. ओ.) ने आवधिक बैठक की कार्यसूची में शामिल करने के लिए कोई मद नहीं भेजी है। अतः इन फैडरेशनों की आवधिक बैठक आयोजित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा बिजली क्षेत्र में पूंजीनिवेश

951. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में बसे कुछ अनिवासी भारतीयों ने देश में बिजली परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का बिजली के क्षेत्र में, विशेष रूप से जबकि धन की कमी के कारण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है, अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजीनिवेश को प्रोत्साहन देने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). उपलब्ध सूचना के अनुसार अमरीका में बसे एक अनिवासी भारतीय ने महाराष्ट्र राज्य में एक विद्युत परियोजना प्रतिष्ठापित करने में इच्छा व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई सन्दर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) विद्युत उत्पादन और वितरण से संबंधिय नीति, औद्योगिक नीतिसंकल्प, 1956 के द्वारा नियन्त्रित की जाती है, जोकि विद्यमान निजी स्वःमित्व वाली यूटिलिटीज के विस्तार अथवा राष्ट्रीय हित में यदि अपेक्षित हो तो निजी क्षेत्र में नई यूनिटों की स्थापना के बारे में किसी प्रकार से बाधक नहीं है। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की सुविधा तथा इससे सम्बन्धित पहलुओं से सम्बन्धित प्रश्न ध्यान आकर्षित करता रहा है और इस सम्बन्ध में प्रतिमानों की समीक्षा की जा रही है।

डाक वितरण

[हिन्दी]

952. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य डाक के शीघ्र वितरण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि जिला स्तर पर डाक छंटाई कार्य के कारण डाक वितरण में एक सप्ताह से अधिक समय लग जाता है ; और

(ग) डाक में देरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) साधारण डाक का शीघ्रता से वितरण करने के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं :—

(एक) सभी सुविधाजनक हवाई सेवाओं का भरपूर उपयोग ।

(दो) रेलों का पूर्ण उपयोग ।

(तीन) तेज रफ्तार की रेल गाड़ियों का पर्याप्त उपयोग ।

(चार) जहां कहीं सुविधाजनक हो, रात्रिकालीन बसों का उपयोग आदि ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

डाक छंटाई प्रणाली

953. श्री राज कुमार राय : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक छंटाई की वर्तमान प्रणाली पुरानी प्रणाली की अपेक्षा अधिक बोझिल है ;

(ख) क्या यात्री रेलगाड़ियों में डाक छंटाई कार्य के बन्द हो जाने के कारण डाक में देरी हो जाती है ;

(ग) यदि हां, तो प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दूरदर्शन धारावाहिकों का चयन

954. श्री राज कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों का स्तर सुधारने के लिए दूरदर्शन ने क्या नीति अपनाई है ;

(ख) इन धारावाहिकों के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ;

(ग) क्या बेहतर धारावाहिकों की तुलना में कुछ निरर्थक धारावाहिकों का चयन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) धारावाहिकों का स्तर सुधारने तथा उनका संचालन, कला तथा फिल्मों के क्षेत्र में रचनात्मक व्यक्तियों के हाथ में सौंपने के क्रम में, सरकार द्वारा एक नई योजना बनाई गई है। इस योजना के अनुसार, टी०वी० धारावाहिकों के निर्माण के लिए निर्माताओं तथा निर्देशकों का दूरदर्शन के साथ पंजीकरण होगा। इस सम्बन्ध में आवेदन, राष्ट्रीय दैनिकों के जरिए आमन्त्रित किए गए थे। निर्माताओं/निर्देशकों का पैनल बनाने के लिए सभी आवेदनपत्रों की जांच चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है। जिसमें फिल्म तथा संचार क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भविष्य में धारावाहिकों के निर्माण और उनको प्रायोजित करने के लिए प्रस्ताव केवल उन्हीं से आमन्त्रित किए जाएंगे जो दूरदर्शन के साथ पंजीकृत हैं। अब केवल इस क्षेत्र के अनुभवी या निपुण व्यक्तियों द्वारा ही प्रायोजित धारावाहिकों का निर्माण किया जायेगा, अतः इस योजना द्वारा कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार की आशा है।

(ख) कार्यक्रमों के चयन के लिए बोर्ड की प्रणाली इस प्रकार की है जिससे सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि हो जैसे—मानव एकता तथा मैत्री, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान, हिंसा का विरोध, सांप्रदायिक प्रतिस्पर्द्धा और तनाव, अन्धविश्वासों तथा पूर्व-धारणाओं से मुक्ति आदि। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि धारावाहिक, परिवार के साथ देखने योग्य हो और साथ-ही-साथ मनोरंजन, शिक्षा/सूचना भी दें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर

955. श्री राज कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989-90 के दौरान कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भोपाल (मध्य प्रदेश) में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलने का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो इस ट्रांसमीटर से कितने किलोमीटर दूर तक के गांवों/शहरों के दर्शक का र्यक्रम देख सकेंगे ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) भोपाल में अक्तूबर, 1984 से पहले ही एक उच्च शक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (10 कि. वा.) है। इस ट्रांसमीटर की स्थापना उस समय के मौजूदा अल्पशक्ति टी. वी. ट्रांसमीटर (100 वाट) के स्थान पर की गई थी।

(ग) भोपाल का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर करीब 120 किलोमीटर की परिधि में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध कराता है। इसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जहां कमजोर सिगनल प्राप्त होते हैं जिनके लिए ऊंचे डायरेक्शनल एंटीनों इत्यादि से स्पष्ट संग्रहण सम्भव है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मिले क्रयादेश

[अनुवाद]

956. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बिजली उपकरणों हेतु मिले क्रयादेशों की संख्या की वर्ष 1988 के अन्त में क्या स्थिति थी और इन क्रयादेशों की पूर्ति कब तक हो जाएगी ;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को बिजली उपकरणों के क्रयादेशों के अभाव के कारण भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सरकार का स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). बी. एच. ई. एल. को 1988 के अन्त तक अनुमानत: कुल 12000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन उपकरण के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए थे। इसके प्रमुख भाग को 1988-89 और 1989-90 के दौरान पूरा किया जाएगा। कारखानों के पर्याप्त कार्यभार हेतु बी. एच. ई. एल. को अतिरिक्त क्रयादेश प्राप्त कराने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जा रहे हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के कार्यकरण सम्बन्धी समिति

957. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगातार घाटे में चल रहे दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सम्पूर्ण कार्यक्रम की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या सरकार को समिति की रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ग) समिति के निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की विद्युत की बढ़ती हुई मांग तथा इस क्षेत्र की दीर्घकालीन विद्युत सम्बन्धी आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन, सप्लाई, वितरण और प्रबन्ध की जांच करने और सर्वश्रेष्ठ संगठनात्मक ढांचे के लिए सिफारिश करने हेतु सरकार ने मार्च, 1986 में श्री ए० एन० सिंह, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी।

(ख) और (ग). संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के समग्र प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई सरकारिया समिति को श्री ए० एन० समिति के निष्कर्षों को भेज दिया गया है।

पोटेशियम पेनिसिलीन-V के आयात हेतु लाइसेंस

958. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 ए. पी. ए. का उत्पादन करने वाली यूनिट का अन्तर विभागीय तकनीकी निरीक्षण दल ने 8 अप्रैल, 1986 को निरीक्षण करने से मना किया था ;

(ख) क्या इस एकक को, तकनीकी निरीक्षण से पहले पेनिसिलीन-V के निर्यात हेतु अनेक निर्यात लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ग) क्या तकनीकी निरीक्षण सरकारी अधिकारियों द्वारा नहीं बल्कि सरकारी क्षेत्र के एकक द्वारा किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ). अब तक केवल एक एकक, मेसर्स जगसन पाल फार्मास्युटिकल्स लि० को पेनिसिलिन वी० का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस जारी किया गया है। मे० आई. डी. पी. एल. के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा इनके संयत्र का निरीक्षण किया गया था।

चिन्तामणि, कर्नाटक में कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर

959. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिंतामणि, कर्नाटक में ग्रामीण लोगों के लाभ हेतु कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का चिंतामणि में एक कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर शीघ्र ही स्थापित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) कर्नाटक के कोलार जिले का चितामणि सहित, पर्याप्त हिस्सा बंगलौर में कार्यरत उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है। इस क्षेत्र में तथा देश के ऐसे ही अन्य हिस्सों में दूरदर्शन सेवा को इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन के विस्तार की भावी योजनाओं में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढग से सुदृढ़ किया जा सकता है।

बंगलौर टेलीफोन डायरेक्टरी

960. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर टेलीफोन विभाग ने बंगलौर शहर के लिए पीले पृष्ठों सहित एक नई टेलीफोन डायरेक्टरी प्रकाशित की है, यदि हां, तो कब ;

(ख) बंगलौर शहर में कितने टेलीफोन उपभोक्ता हैं और कितनी प्रतियां मुद्रित कराई गई हैं ;

(ग) इस डायरेक्टरी के मुद्रण पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) विज्ञापनों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ;

(ङ) क्या इस डायरेक्टरी में प्रयोग किये गए कागज की किस्म घटिया होने के सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(च) यदि हां, तो इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। एक बड़ा ठेका देकर विज्ञापनों के साथ न्यू बेंगलूर टेलीफोन डायरेक्टरी छप गई है तथा इसे 28-10-88 को जारी कर दिया गया है।

(ख)	—बेंगलूर में उपभोक्ताओं की संख्या	1,30,000
	—प्रतियों की संख्या जिनके मुद्रण के लिए आदेश दिए गए	1,52,000

(ग) विभाग ने इस डायरेक्टरी के मुद्रण पर कोई व्यय नहीं किया।

(घ) विभाग को विज्ञापन दाताओं से धन नहीं मिलता। वैसे, ठेकेदारों से विज्ञापन राजस्व का हिस्सा प्राप्त होता है।

(ङ) और (च). जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अगले संस्करण में डायरेक्टरी की क्वालिटी में सुधार हो, इस दृष्टि से उपाय किए गए है।

विभागेत्तर डाक कर्मचारियों को पेंशन लाभ

961. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभागेत्तर डाक सेवा कर्मचारियों (श्रेणी-III) से उन्हें पेंशन लाभ उपलब्ध कराने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) इस समय कितने विभागेत्तर डाक सेवा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार को विभागेत्तर डाक सेवा कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। इस संबंध में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 31-3-88 की स्थिति के अनुसार विभागीय एजेंटों की सं. 2,98,320 है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

टीपू सुल्तान पर दूरदर्शन धारावाहिक

962. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर ऐतिहासिक टीपू सुल्तान दूरदर्शन धारावाहिक का प्रसारण कब से किया जायेगा ;

(ख) क्या इस धारावाहिक का निर्माण कर्नाटक में श्रीरंगपटना और मैसूर में किया जा रहा है ;

(ग) क्या बंगलौर दूरदर्शन इस धारावाहिक के कन्नड़ में "सब-टाईटिल" दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) क्या विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा इस धारावाहिक के सम्बद्ध क्षेत्रीय भाषाओं में "सब-टाईटिल" देने का भी विचार किया गया है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) धारावाहिक को टेलोकास्ट करने की अनंतिम तारीख 29-4-89 नियत की गयी थी। किन्तु जहां धारावाहिक की शूटिंग हो रही थी उस स्टूडियो में आग लगने और श्री संजय खान के घायल होने तथा कई लोगों का देहान्त होने के कारण धारावाहिक के टेलीकास्ट होने में देरी होने की सम्भावना है।

(ख) धारावाहिक के निर्माता ने दूरदर्शन को सूचित किया था कि शूटिंग मैसूर में शुरू होगी और उसके बाद वास्तविक स्थानों में होगी।

(ग) और (घ). जी, नहीं।

उड़ीसा में ब्रह्मपुर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करना

963. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के गंजम जिले में ब्रह्मपुर में आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई राशि मंजूर की गई है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर दिया जायेगा तथा इसकी प्रसारण सीमा कितनी होगी ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) बेहरामपुर में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिए एक स्थल का कब्जा ले लिया गया है। सिविल कार्य चल रहा है और उपकरण के लिए आदेश दे दिए गए हैं ।

(ख) इस प्रयोजन के लिए 184.20 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गयी है और दिसम्बर, 1988 तक इस स्कीम पर 52.90 लाख रुपये खर्च किए गए हैं ।

(ग) इस स्कीम को वर्ष 1989-90 तक चालू करने के लिए तैयार किए जाने का विचार है और इससे बेहरामपुर के 68 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र में कवरेज की व्यवस्था होगी ।

औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण

964. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण तथा संबंधित पहलुओं के संबंध में ऊर्जा लेखा-परीक्षा तथा संभाव्यता अध्ययन किए गए हैं ;

(ख) यदि हां तो गत दो वर्षों के दौरान किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने नई नीति तैयार करने तथा वित्तीय उपाय करने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार किया है जो औद्योगिक क्षेत्र के लिए ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान अल्यूमीनियम, उर्वरक, वस्त्र उद्योग, पेपर, सीमेंट, स्टील, डेरी एवं खाद्य संसाधन, कोल्ड स्टोरेज, ढलाई-यूनिटें, इलेक्ट्रिक आर्क भट्टियां, खाद्य तेल तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा के अध्ययन कार्य किए गए हैं। इन अध्ययनों से यह पता चला है

कि लघु, मध्यम तथा दीर्घकालीन उपायों को अपनाकर इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ऊर्जा शक्यता की बचत की जा सकती है।

(ग) कुछ औद्योगिक यूनिटों ने ऊर्जा संरक्षण के लिए कार्यवाही योजनाएं तैयार कर ली है/तैयार कर रहे हैं। कुछ ऊर्जा बचत पद्धतियों के लिए आयकर नियम के अन्तर्गत पहले वर्ष में आयात शुल्क तथा 100% मूल्य ह्रास भत्ते में छूट दिए जाने जैसे वित्तीय प्रोत्साहन की भी अनुमति दी गई है। ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा आर्थिक सहायता स्कीम तथा उपस्कर वित्त पोषण स्कीम की शुरुआत की है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है।

रसोई गैस की उपलब्धता में कमी

965. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस की उपलब्धता में असाधारणा रूप में कमी आयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की उपलब्धता मे हुई कमी को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). चूंकि यह साफ सस्ता और सुविधाजनक खाना पकाने का ईंधन है इसलिए इसकी मांग की पूर्ति की अपेक्षा अधिक बनी हुई है। वर्ष 1988-89 के दौरान लगभग 1.97 मिलियन टन कुल एल. पी. जी. की मांग होने का अनुमान है जबकि देश में इसका उत्पादन 1.75 मिलियन टन होने की संभावना है। इसकी कमी को आयात के द्वारा पूरा किया जा रहा है। देश में एल. पी. जी. का अधिकतम उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है।

टेलीफोन बिल

[हिन्दी]

966. **डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं को कितनी समय अवधि के बाद टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं ;

(ख) क्या टेलीफोन बिलों में अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो ये अनियमितताएं किस प्रकार रोकी जाती हैं ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण बिल न भेजे जाएं क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उपभोक्ताओं को दो महीने में एक बार टेलीफोन बिल भेजे जाते हैं।

(ख) जी, हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु देश भर में इतनी मात्रा में जारी किए जा रहे टेलीफोन बिलों की संख्या को देखते हुए इन शिकायतों की संख्या असामान्य नही है।

(ग) प्रत्येक शिकायत की जांच निम्नलिखित को मद्देनजर रखते हुए की जाती है।

(एक) कहीं बिल में हिसाब-किताब की गलती तो नहीं है।

(दो) बिल में दर्शाए गए प्रभार मौजूदा नियमों और दरों के अनुसार है।

(तीन) कम्प्यूटर में फीड किए गए आंकड़ों में कोई पंचिंग-एरर तो नहीं है।

(चार) मीटर रीडिंग के लिए यंतरण में तो कोई गलती नहीं है।

(घ) विभाग द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कुछ बड़े तथा प्रमुख नगरों में टेलीफोन बिल बनाने और उनकी गणना की पद्धति का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इससे लिखा-पढ़ी की गलतियां काफी कम होंगी।

(2) किसी प्रकार का कदचार न हो इस दृष्टि से विभाग ने निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय किए हैं :—

(एक) मीटर सील करना (दो) मीटर कक्ष में ताले लगाना (तीन) मुख्य वितरक फ्रेम कक्ष में प्रवेश पर रोक। (चार) डी. पी. को ऊंचा उठाना (पांच) डी पी में ताले लगाना (छः) मोबाइल सतर्कता दस्तों का गठन।

उड़ीसा के जनजाति तथा पिछड़े जिलों में दूरसंचार सुविधायें

[अनुवाद]

967. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के जनजाति बाहुल जिलों में पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के पिछड़े तथा जनजाति बाहुल जिलों में पर्याप्त दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) सामान्यतः दूरसंचार सुविधाएं निश्चित न्यूनतम मांग के आधार पर प्रदान की जाती है। वैसे जहां तक जनजातीय क्षेत्र का संबंध है, उड़ीसा सहित देश भर में जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार के विकास के लिए विभाग ने एक जनजातीय उप-योजना तैयार की है। सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में, विभाग ने देश भर में 32,815 लाइनों की क्षमता वाले एक्सचेंज 228 खोले हैं और 24270

चालू कनेक्शन प्रदान किए हैं। जहां तक उड़ीसा राज्य का संबंध है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रथम तीन वर्षों (1985-88) की उपलब्धि इस प्रकार है :—

12325 लाइनों की क्षमता वाले 107 टेलीफोन एक्सचेंज और 10503 चालू कनेक्शन, 406 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और 411 तार घर। 7वीं योजना के शेष दो वर्षों (1988-90) के दौरान उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में 25 छोटे आटोमेटिक एक्सचेंज, 100 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और 4 एसटीडी रूट भी प्रदान किए जाने की योजना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नई लेखा नीतियां

968. श्री राधाकांत डिगाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नई लेखा नीतियां तैयार की जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) लेखा नीतियां किस तारीख से लागू किए जाने की संभावना है ; और

(घ) कुछ उद्यमों की वार्षिक रिपोर्ट में उनकी विशिष्ट लेखा नीतियों के बारे में उल्लेख न किए जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए एक समान लेखा नीतियां तैयार करने के प्रयोजनार्थ सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

(घ) कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टों में विशिष्ट लेखा-नीतियों के बारे में उल्लेख करना कोई सांविधिक अपेक्षा नहीं है।

टेलीफोनों की सघनता

969. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन की सघनता के संबंध में भारत की विकसित देशों की तुलना में क्या स्थिति है ;

(ख) प्रति हजार जनसंख्या पर टेलीफोनों की जितनी संख्या विकसित देशों में है उसके बराबर पहुंचने के लिए भारत को, कितना समय लगेगा ; और

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1988-89 में बजट में इस मद के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अधिकतर विकसित देशों में प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे 500 से भी अधिक टेलीफोनों की तुलना में भारत में टेलीफोनों का घनत्व प्रति हजार जनसंख्या के पीछे लगभग पांच है।

(ख) दूरसंचार विभाग ने शताब्दी के अंत तक मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करने के लिए एक सापेक्ष योजना 2000 एडी तैयार की है। इससे 100 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के लिए घनत्व बढ़कर प्रति हजार के पीछे 20 टेलीफोन हो जाने की संभावना है।

(ग) 2400 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्राक्कलन की तुलना में 2200 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

हैदराबाद की दूरभाष निर्देशिका का वितरण

970. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद की दूरभाष निर्देशिका वितरित कर दी गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और यह विवरण के लिए कब तक तैयार हो जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) हैदराबाद टेलीफोन डायरेक्टरी का विवरण नवम्बर, 1986 में किया गया था।

(ख) अगला संस्करण छप रहा है जिसके मार्च, 1989 तक जारी कर दिए जाने की आशा है।

दिल्ली में सुपर ताप विद्युत केन्द्र

971. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी ग्रिड पर आश्रित न रहने और डेसू की बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए दिल्ली में और अधिक सुपर ताप विद्युत केन्द्रों की स्थापना की तत्काल आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राजधानी में बिजली की स्थिति में सुधार के लिए और सुपर ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राजधानी में बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार का अन्य कौन-कौन से उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ). दिल्ली में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक है। दिल्ली की विद्युत संबंधी आवश्यकताएं इसके अपने विद्युत संयंत्रों, इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र तथा गैस टर्बाइन केन्द्रों और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में विद्युत उत्पादन और उत्तरी ग्रिड की सहायता से पूरी की जाती है। दिल्ली में विद्युत की सप्लाई में बढ़ोतरी करने के लिए इन्द्रप्रस्थ और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करने, दिल्ली में पारेषण और वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने, राजघाट ताप विद्युत केन्द्र में 135 मेगावाट की क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी विद्युत परियोजना (840 मेगावाट)

भी स्थापित की जा रही है। दादरी में 600 मेगावाट की गैस परियोजना की भी परिकल्पना की गई है।

नई तेल और गैस परियोजनाएं

972. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री जी० एम० बासवराजू :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक परियोजनायें मंजूर की हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं पर कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी ;

(ग) ये परियोजनायें किन स्थानों पर आरम्भ की जायेंगी ; और

(घ) इन परियोजनाओं से कितनी मात्रा में तेल और गैस का उत्पादन होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). सातवीं योजना के दौरान अभी तक सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थान	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये)	तेल और गैस का अतिरिक्त उत्पादन
1	2	3	4	5
1.	सब सी कम्पलीशन	बम्बई हाई	13.97	10000 बीओपीडी
2.	पन्ना क्षेत्र के लिए शीघ्र उत्पादन प्रणाली	बम्बई अपतट	61.50	2000 बीओपीडी
3.	साउथ बेसिन गैस क्षेत्र चरण-II का विकास	—वही—	246.48	10 एम एम एस सी एम डी गैस
4.	बंबई हाई साउथ के लिए अतिरिक्त आयल रिकवरी परियोजना	बम्बई हाई	781.54	2000 तक 53.09 एम एम टी

1	2	3	4	5
5.	बंबई हाई नार्थ का अतिरिक्त विकास	बम्बई हाई	218.12	15 वर्षों में 11.28 एम एम टी
6.	हीरा विकास चरण-II	बम्बई अपतट	682.02	2000 तक 18.53 एम एम टी 1 आयल
7.	गंधार चरण-I का विकास	गुजरात	326.68	0.64 एम टी पी ए आयल और 1.626 एम एम सी एम डी गैस का उत्पादन
8.	बम्बई हाई से गैस उठान की सुविधाएं	बंबई हाई	561.30	2000 तक 49.38 एम एम टी आयल
9.	बी-131 संरचना का विकास	बंबई अपतट	52.14	12 वर्षों के लिए 0.881 एम एम टी आयल और 342.37 एम एम 3 गैस
10.	बी एच-22 संरचना का विकास	बंबई अपतट	76.49	11 मे 2.225 एम एम टी आयल और 343.12 एम एम 3 गैस
11.	बी एच-25 संरचना का विकास	बंबई अपतट	74.96	12 वर्षों में 2.116 एम एम टी आयल और 241.59 एम एम 3 गैस
12.	बी-57 संरचना का विकास	बंबई अपतट	76.03	10 वर्षों में 1.53 एम एम टी आयल और 92[illegible].67 एम एम 3 गैस
13.	4 ड्रिलिंग रिगों की खरीद	असम और अरुणाचल प्रदेश	74.33	ड्रिलिंग रिग के जुड़ने मात्र से क्रूड तेल/गैस में हुई वृद्धि को मात्रा में बताना संभव नहीं है ।
14.	एन ई सी अपतट में अन्वेषणात्मक खुदाई (6 कुएं)	बंगाल की खाड़ी	89.79	अब तक परियोजना से वाणिज्यिक मात्रा में तेल या गैस की प्राप्ति का पता नहीं चला है ।

1	2	3	4	5
15.	अंडमान बेसिन में अन्वेषणात्मक खुदाई (3 कुएं)	बंगाल की खाड़ी	62.42	अब तक परियोजना से वाणिज्यिक मात्रा में तेल या गैस की प्राप्ति का पता नहीं चला है।
16.	राजस्थान में अन्वेषणात्मक खुदाई (6 कुएं)	राजस्थान	51.43	गैस भंडार के संभावित उत्पादन के बारे में बताना संभव नहीं है।
17.	महानदी में अन्वेषणात्मक खुदाई (8 कुएं)	उड़ीसा	12.20	इस स्थिति में तेल और गैस भण्डार के संभावित उत्पादन के बारे में बताना संभव नहीं है।

कर्नाटक में अगरबत्ती इकाइयों को सहायता

973. **श्री एस० एम० गुरड्डी :**

श्री ओ० एस० बासवराजू :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित अगरबत्ती इकाइयां दिसम्बर, 1988 के दौरान कच्ची सामग्री उपलब्ध न होने के कारण बन्द हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन इकाइयों को बन्द होने से बचने के लिये नकद सहायता देने को सहमत हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कच्चे माल की कमी के कारण कर्नाटक में अगरबत्ती बनाने वाले एक एकक दिसम्बर 1988 के दौरान केवल दो दिनों के लिए बन्द रहे थे।

(ख) एककों के बन्द होने का एक कारण "जिगत" की कमी होना भी बताया गया है।

(ग) और (घ). अगरबत्तियों और धूप के निर्यात पर एफ. ओ. बी. मूल्य के 5% की दर से नकद प्रतिपूर्ति सहायता देना मंजूर किया गया है। यह निर्णय उन वस्तुओं के केवल उसी निर्यात पर लागू होगा जो 17-11-1988 के बाद प्राप्त हुए तथा अंतिम रूप से निपटाये गये आफरों/क्रयादेशों/ठेकों के अनुसरण में किया गया हो तथा यह 31-3-1989 तक ही लागू रहेगा।

राजधानी में बिजली की कटौती

974. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 जनवरी, 1989 को राजधानी और इसके आस पास के क्षेत्रों में भारी मात्रा में बिजली की कटौती की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली की इस कटौती का उत्तरी भारत में अत्यधिक प्रभाव पड़ा था ;

(ग) बिजली की इस कटौती के मुख्य कारण क्या थे ; और

(घ) भविष्य में बिजली की ऐसी कटौतियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख). 8-1-1989 को उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड की बड़ी गड़बड़ी हो जाने के कारण दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ क्षेत्र में बिजली की सप्लाई बन्द हो गई थी ।

(ग) ग्रिड की गड़बड़ी का मुख्य कारण बिजली का उतार-चढ़ाव था जो भार में अचानक वृद्धि होने तथा उप-पारेषण प्रणाली में गड़बड़ी होने और उस समय बन्दी के कारण कतिपय पारेषण लाइनों की अनुपलब्धता के कारण हुआ था ।

(घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस प्रकार की गडबड़ी होने से बचने के लिए अनेक उपाय सुझाएं हैं। इन उपायों में प्रचालित कार्यों की समीक्षा, क्षत्रीय ग्रिड संचालन में प्रभावकारी समन्वय, पारेषण/अंतरण क्षमताओं को मजबूत करना, पारेषण प्रणाली घटकों की गड़बड़ी का विश्लेषण आदि उपाय शामिल हैं।

टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डाट) को प्रौद्योगिकी के सहयोग से ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों के निर्माण के लिए सोवियत संघ के साथ सहयोग

975. **श्री एस० एम० गुरड्डी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सोवियत संघ के सहयोग से ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंजों का निर्माण करने के लिए एक एकक स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दिसम्बर, 1988 में सोवियत संघ से कोई उच्च स्तरीय दल भारत की यात्रा पर आया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सोवियत संघ ने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो के लिये सी-डाट प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई थी ।

(ख) जी हां, दिसम्बर, 1988 में तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने सी-डाट का निरीक्षण था।

(ग) जी नहीं। इसके बाद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में पेट्रो-रसायन परियोजना

976. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में औरिया में स्थापित की जाने वाली पैट्रो-रसायन परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में डाक-संबंधी सुविधाएं

977. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान अब तक देश में कितने नये डाकघर अथवा उप डाकघर खोले गए हैं तथा इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) इस संबंध में बिहार से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 31 मार्च, 1988 को बिहार में जिला-वार विद्यमान सुविधाओं का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1988-89 के दौरान कितने अतिरिक्त डाकघर खोले गये अथवा खोले जाने है ;

(घ) राज्यों को तथा राज्यों के भीतर जिलों को और जिलों के भीतर ब्लाक को नये डाकघर आवंटित करने के लिए क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं ; और

(ङ) पूर्णिया जिले के किन-किन ग्राम-पंचायतों में डाक सुविधा उपलब्ध नहीं है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वार्षिक योजना 1988-89 के दौरान अब तक 249 शाखा डाकघर और 36 उप-डाकघरों को मंजूरी दी गई है। इन डाकघरों को वर्ष के समाप्त होने से पहले खोल दिये जाने की संभावना है। वार्षिक योजना 1988-89 में यह अंतर्निहित है कि वित्त मंत्रालय की सहमति से 2900 शाखा डाकघर और 100 विभागीय उप-डाकघर खोले जा सकते हैं।

(ख) वर्ष के दौरान अब तक बिहार में एक उप-डाकघर खोला गया है।

(ग) फिलहाल बिहार में कार्य कर रहे डाकघरों की जिलेवार संख्या एकत्रित की जा रही है

और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान बिहार में और खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) डाक निदेशालय प्रत्येक राज्य (या केन्द्र शासित क्षेत्र) में प्रति डाकघर सवित औसत क्षेत्र और जनसंख्या का हिसाब लगाकर राज्य वार लक्ष्यों को निश्चित करता है। जनजातीय जनसंख्या की सीमा को भी जनजातीय उप-योजना (टी. एस. पी.) के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया जाता है। तत्पश्चात्, डाक सर्किलों के अध्यक्ष उसी मानदण्ड के आधार पर जिले वार लक्ष्य बनाते हैं। जिला स्तर से नीचे कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते।

(ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान बिहार में खोले जाने वाले प्रस्तावित शाखा डाकघर

क० सं०	जिला	ग्राम
1.	पटना	नसरतपुर, कौसरी
2.	नालन्दा	माटगांव, गौरबनगर, सुहावेनगर, अम्बा, बेलछी, पलतपुर
3.	भोजपुर	जेलपुर. शिवपुर, लहरीबाद, जिगे,
4.	औरंगाबाद	रिलची, औकुरी, काण्डी, खैरा-मेहझौली, कुरमेहा, बिजौली, धानगेन
5.	भागलपुर	धानी, बेलारी, मुसकीपुर, मेझाली-मातिहेनी, लखरौरी, कादमा, दियारे, लक्ष्मीपुर, गिरधर
6.	धनबाद	पचारी, नारायणपुर, मदनपुर
7.	देवगढ़	कर्रासल, कनकी, बड़वान
8.	दुमका	कजलीडेहा, निश्चिंतपुर, कुरते
9.	गिरीडीह	तारंगा, टोंगटोम, हजारी, पारसबनी, अरजुवा, पोब्डे, परबतपुर
10.	गया	चरख बरोखरीगढ़, डुमरा, अएरा, माझीयावन, सिलौंजा
11.	जहानाबाद	मुथेर, बेरका, नारगे, जगदारी
12.	नवादा	अमेठी, दोहारा, मेहेनन्दपुर
13.	हजारीबाग	यादवनगर, गोबिन्दपुर कलां, कुरम, बनजो, पाक्षी, हुरीहरपुर, गेम्मे

क्रम सं०	जिला	ग्राम
14.	सिंहभूम	रेलाडीह, हेरेलकुटी, ऊंचीबिटा, करम
15.	पलामू	चंपिकाला, चातकपुर, बीरबल, डोल, मायापुर, आन, कांते
16.	रांची	महेशपुर, जारगो, उलीहान, माहिल
17.	गुमला	जनावल, काडोपनी, हस्सा मलसरा,
18.	लोहरडेगा	जोकरीगुटना, दारु
19.	रोहतास	सुजायतपुर, कंचनपुर, सिकरौरा, उषेनी
20.	सहरसा	मानौर, सकरा, पहाड़पुर, खेजुरी, मेतीहानी, तेलहर
21.	माधोपुर	मुरौत, बिशनपुर, अरेर, हनुमान नगर,
22.	सिवान	मोहम्मदपुर, सैफियाबाद, रिहुनी, तेघाली, चैनपुर
23.	गोपालगंज	खालगांव, भेदेया, जिगने दुबे, बारीपेटा
24.	बेगूसराय	निगा, बाबहनगामा, कुसमौत, सकरौली
25.	खगरिया	झांजरे, आमौसी, संसारपुर, मेलिग
26.	दरभंगा	तेलहन, बारही, लाधो, शेखपुर, केवरिया खुटवारा, बाषिया
27.	समस्तीपुर	इटहार, खण्डौली, बिलंदुआ, खैरी
28.	पूर्णिया	शिशाबारी, सादीपुर भुटाला, लालगंज, बारेमासिया, मझुवा
29.	कटिहार	आम्रेल
30.	सारन	मंगोलपुर, नेजीरेगंज, नौटन, जगरनाथपुर
31.	मधुबनी	लोहनी, बासेनिया, पेसटन, जेनेयूर, तिलेथ, माधोपुर
32.	सीतामढ़ी	मालीपोखर, भिण्डा
33.	मुजफ्फरपुर	सिनो, किशनपुर मोहन, किशनपुर तेल्लोर

सीमेंट उद्योग की क्षमता

978. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सीमेंट उद्योग की स्वीकृत क्षमता क्या है ;

(ख) तदनुरूपि अधिष्ठापित क्षमता क्या है ;

(ग) वर्ष 1986-87 और 1987-88 के दौरान कितनी क्षमता का उपयोग किया गया और वर्ष 1988-89 के दौरान अनुमानतः कितनी क्षमता का उपयोग किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) इन तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में सीमेंट का निर्यात और/अथवा आयात किया गया ; और

(ङ) इस अवधि के दौरान खुली बिक्री के लिए सीमेंट का फैक्ट्री मूल्य क्या था ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). संगठित क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की स्वीकृत एवं अधिष्ठापित क्षमता क्रमशः 889.4 लाख मी. टन तथा 574.1 लाख मी. टन है ।

(ग) 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान क्षमता उपयोग क्रमशः 79 प्रतिशत तथा 71 प्रतिशत था । 1988-89 के लिए अनुमानित क्षमता उपयोग 76 प्रतिशत है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान एस. टी. सी. के जरिये आयातित सीमेंट के ब्योरे निम्न प्रकार हैं :—

	वर्ष	मात्रा (मी० टन)
ग्रेड-I—सामान्य किस्म का पोर्टलैण्ड सीमेंट (ओ. पी. सी.)	1986-87	1,77,000
	1987-88	शून्य
	1988-89	शून्य
ग्रेड-II—रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैण्ड सीमेंट/एफ. ओ. एन. डी. यू.	1986-87	537
	1987-88	507
	1988-89	339

नेपाल तथा भूटान को निर्यात की गई सीमेंट की कुछ मात्राओं के अलावा इस अवधि के दौरान सीमेंट का निर्यात नहीं किया गया था ।

(ङ) मुक्त बिक्री सीमेंट पर मूल्य नियंत्रण की कोई शर्त नहीं है तथा इसके लिए कारखाने से निकलते समय का भी निर्धारित मूल्य नहीं है ।

अंतर्धार्मिक शादियों संबंधी कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण

979. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1988 में अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक शादियों को बढ़ावा देने

हेतु अथवा प्रोत्साहित करने हेतु कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया था ; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1988 में अंतर सामुदायिक भाई-चारे को बढ़ावा देने हेतु धार्मिक उत्सवों के दौरान कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1988 में भारतीय इतिहास का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया था, यदि हा, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ; और

(घ) क्या दूरदर्शन द्वारा वर्ष 1988 में संयुक्त राष्ट्रीय कल्याण विकास (एवोल्यूशन आफ ए कमजोजिट नेशनल वेलफेयर) को प्रस्तुत करने हेतु कोई कार्यक्रम प्रसारित किया था, यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ). दूरदर्शन अपने कार्यक्रमों में अन्तर्जातीय विवाह जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक घटनाओं को दिखाता है । अन्तर-समुदाय भ्रातृत्व को दर्शाने, भारतीय इतिहास को प्रतिबिम्बित करने और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करना दूरदर्शन की एक सतत गतिविधि है । 1988 के दौरान विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा कतिपय कार्यक्रम टेलीकास्ट किए गए थे । दूरदर्शन द्वारा अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में टेलीकास्ट कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

वार्षिक समारोहों के दौरान अंतर सामुदायिक बन्धुत्व को बढ़ावा देने संबंधी टेलीकास्ट कार्यक्रम	भारतीय इतिहास की धर्म निरपेक्षता के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करने वाले वर्ष 1988 में टेलीकास्ट कार्यक्रम	मिश्रित राष्ट्रीय संस्कृति के विकास को प्रक्षिप्त करने संबंधी वर्ष 1988 में टेलीकास्ट कार्यक्रम
1	2	3
1. ईद मुबारक : ईद पर विशेष कार्यक्रम	1. रिमेम्बरिंग दी मा 'रूस—विशेष कार्यक्रम	1. स्वामी हरिदास समारोह
2. मो. खुवेनी : मुहर्रम पर विशेष कार्यक्रम	2. यू. किंग नोन बॉन—स्वतंत्रता सेनानियों पर एक वृत्तचित्र	2. लद्दाखी ट्रेडिशनल फोक सांग्स
3. रेमत-ए-आलम-ईद-ए-मिलादुनबी	3. चिल्ड्रन प्रोग्राम—स्वतंत्रता सेनानियों से वार्ता	3. युवा महोत्सव कार्यक्रम
4. अजमेर उर्स पर टी. वी. रिपोर्ट	4. जमाना अपना अपना—आजाद हिन्द फौज के सिपाहियों से मुलाकात	4. दक्षिणोत्सव
5. वि मैसेज—क्रिसमस पर एक कार्यक्रम	5. बादशाह खान—महान स्वतंत्रता सेनानी पर कार्यक्रम	5. अजमेर उर्स पर रिपोर्ट
6. दि रियल क्रिसमस—क्रिसमस पर संगीत कार्यक्रम	6. दि नेशन रिमेम्बर—बाबू जगजीवन राम	6. तेलुगू-उर्दू-भाषा साहित्य
7. अजमेर उर्स-775 दि उर्स आफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती—एक रिपोर्ट	7. ज्ञान पुंज: डा. बी. आर. अम्बेडकर—वृत्तचित्र	7. दि ग्रेट फ्रीडम रन
8. जीओ और जीने दो—भगवान महावीर के संदेश पर एक फीचर	8. प्रोफेट आफ होप : गुरु तेग बहादुर पर एक कार्यक्रम	8. सिम्बल आफ कम्पोजिट कल्चर : फतेहगढ़ साहबी
9. अमीर खुसरो		
10. स्वामी हरिदास—जयंती समारोह		

11. दशहरा समारोह पर रिपोर्ट
12. दीप से दीप जले—दीपावली के अवसर पर संगीत और नृत्य कार्यक्रम
13. जहार पीर जगत गुरु बाबा—बाबा गुरु नानक जी पर विशेष कार्यक्रम

9. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस
10. लाला लाजपत राय : फिल्म प्रभाग का वृत्तचित्र
11. फखरुद्दीन अली अहमद की याद में
12. नमक आंदोलन : फिल्म प्रभाग का वृत्तचित्र
13. अबुल कलाम आजाद : फिल्म प्रभाग का वृत्तचित्र
14. जवाहर लाल नेहरू : वृत्तचित्र
15. श्रीमती इन्दिरा गांधी पर विशेष कार्यक्रम
16. तमस—हिन्दी धारावाहिक
17. संघर्ष के साथी
18. ट्रिब्यूट्स टु बादशाह खान्स सर्विसेज टु मैनकाइंड सर्विस टु गॉड
19. मुशायरा इन मेमोरी आफ पंडित जवाहरलाल नेहरू
20. महाराज रंजीत सिंह—एक फीचर
21. आजादी की लड़ाई—काकोरी घटना और क्विट इंडिया आंदोलन को प्रतिबिम्बित करने वाला कार्यक्रम

1	2	3
	22. कन्वरसेशन—बाबा आमटे के साथ साक्षात्कार	
	23. सर सैय्यद अहमद खान—स्वतंत्रता सैनानी	
	24. मौलाना मोहम्मद अली जौहर—स्वतंत्रता सेनानी	

निष्क्रिय तेल कुएं

980. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने तेल कुओं से तेल नहीं निकाला जा रहा है तथा ये कितने स्थानों पर स्थित हैं ;

(ख) ये कुएं कब से निष्क्रिय पड़े हैं तथा इन पर कितनी वार्षिक धनराशि खर्च की जा रही है ;

(ग) क्या सरकार वर्तमान तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन तेल कुंओं को पुनः चालू करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-1-1989 को 367 कुएं प्रयोग में नहीं थे । उनमें सर्विसिंग की जरूरत थी । उनके स्थान इस प्रकार हैं :—

पूर्वी क्षेत्र	133
पश्चिमी क्षेत्र	228
बम्बई अपतट	15
	376

(ख) वर्कओवर रिगों द्वारा कुओं की 'सर्विसिंग का काम चक्रीय रूप में चलता रहता है । कुओं की सर्विसिंग रिजरवायर प्रबन्ध का एक भाग है और ऐसे कुओं पर केवल परिचालन संबंधी खर्च ही होता है ।

(ग) और (घ). जी, हां । विवरण इस प्रकार है :—

(1) शिफ्ट आधार पर सदा चलने वाले सभी वर्कओवर रिगों का लगाना

(2) वर्कओवर रिगों की संख्या बढ़ाना

(3) तेजी से वर्कओवर कार्य करने के लिए नई और जटिल प्रोद्योगिकी का प्रयोग ।

रसोई गैस की अपर्याप्त सप्लाई

981. **श्री मोहनभाई पटेल :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में रसोई गैस की सप्लाई में गिरावट आयी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सप्लाई की स्थिति किन राज्यों में सबसे खराब है ; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ). आवागमन, औद्योगिक संबंधों तथा परिचालन संबंधी अन्य समस्याओं के अतिरिक्त एल. पी. जी. की बड़ी मात्रा में उपलब्धता में कमी आने के परिणामस्वरूप हाल में देश के अनेक भागों में अस्थायी रूप से एल. पी. जी. सिलिन्डरों की सप्लाई में बैकलॉग उत्पन्न हुआ । उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के कुछ भागों में उपभोक्ताओं को सिलिंडरों की सप्लाई में अस्थायी रूप से विघ्न पड़ा। पहले से ही उठाए गए कदमों के फलस्वरूप स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। देश में एल. पी जी. के अधिकतम उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं और व्यवहार्य सीमा तक आयात के द्वारा भी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तल उद्योग स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

केरल में कायमकुलम में ताप बिजली परियोजना

982. **श्री के. पी. उन्नीकृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत विशेषज्ञों ने केरल में कायमकुलम को ताप बिजली घर की स्थापना हेतु एक उपयुक्त स्थान के रूप में स्वीकृति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना को मंजूरी दे दी गई है ;

(ग) इस सबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) परियोजना का प्रथम चरण कब तक पूरा होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) प्रस्तावित कायमकुलम ताप विद्युत परियोजना चरण-I (2 × 210 मेगावाट) को सोवियत सहायता से कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त पाया गया है। सोवियत विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विचार-विमर्श जारी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा चरण-I से संबंधित व्यवहार्यता रिपोर्ट को तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया है। वर्तमान अनुमान के अनुसार चरण-I के पहले और दूसरे यूनिट को क्रमशः सितम्बर, 1994 और मार्च, 1995 में चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है।

जालंधर में रबड़ उद्योग में संकट

[हिन्दी]

983. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि जालंधर (पंजाब) स्थित रबड़ उद्योग इन दिनों संकट में है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या-क्या कारण हैं ; और

(ग) रबड़ उद्योग में संकट दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग). सरकार को जालंधर में रबड़ उद्योग में किसी संकट की जानकारी नहीं है।

सातवीं योजना के दौरान कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

[अनुवाद]

984. **श्री के. प्रधानी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि में कोयले के उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा गया था ;

(ख) कोयले के उत्पादन की अब तक की उपलब्धियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है : और

(ग) कोयला उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किये गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. के. जाफर शरीफ) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1989-90) के लिए कोयले का लक्ष्य उत्पादन 210 मि. टन है।

(ख) 7वीं योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान कोयले के हुए उत्पादन का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(मि० टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उत्पादन
1985-86	154.50	154.20
1986-87	166.80	165.77
1987-88	183.50	179.75
1988-89	196.28	1:3.08 (जनवरी, 1989 तक)

(ग) उपर्युक्त स्थिति को देखने से पता चलता है कि सातवीं योजना की अवधि में अभी तक हुआ कोयले का उत्पादन लगभग लक्ष्यों के अनुरूप रहा है। इस दशा में किए गए प्रयासों में निम्नलिखित शामिल हैं—नई खानों को खोला जाना, विद्यमान खानों को आधुनिकीकृत करना और कोयले के उत्पादन को अधिकतम करने के संबंध में आवश्यक आधारभूत ढांचा सुविधाओं को मुहैया कराया जाना।

उड़ीसा के शहरों को डायरेक्ट ट्रंक डायलिंग सिस्टम द्वारा दिल्ली से जोड़ना

985. **श्री के. प्रधानी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन से शहर अभी तक डायरेक्ट ट्रंक डायलिंग सिस्टम द्वारा दिल्ली से जुड़े हुए नहीं हैं ;

(ख) क्या वर्ष 1989 के दौरान इन शहरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) उड़ीसा के बोलनगीर तथा भवानीपटना दो ऐसे जिला मुख्यालय हैं जहां अभी एसटीडी सुविधा प्रदान नहीं की गई है। वैसे आपरेटर ट्रंक डायलिंग (ओ. टी. डी.) सुविधा प्रदान करने के लिए भवानी पटना में एक आपातकालीन उपग्रह टर्मिनल की स्थापना की गई है। इसे 24 फरवरी, 1989 से चालू कर दिया गया है।

(ख) इन दोनों जिला मुख्यालयों को मार्च, 1990 तक यह सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) बोलनगीर संबलपुर माइक्रोवेव लिंक को 1989-90 में चालू किए जाने का कार्यक्रम है। एस. टी. डी. सुविधा प्रदान करने के लिए भवानी पटना मे एक उपग्रह भू-केन्द्र चालू किया जाना है।

भुवनेश्वर में दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र

986. **श्री के. प्रधानी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में एक दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; यदि हां, तो कब ;

(ख) इस परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भुवनेश्वर मे पहले ही एक सर्किल दूरसंचार केन्द्र है, जो कि किराये के भवन में स्थित है।

(ख) भुवनेश्वर स्थित मौजूदा सर्किल दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र के लिए विभागीय भवन का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक अनुमानित लागत 165,69,000 रुपये है।

(ग) परियोजना का प्रारंभिक प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया है। प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय मंजूरी जारी कर दी गई है। परियोजना चालू करने के लिए कार्यवाई की जा रही है।

सेल्यूलर टेलीफोनों का आयात

987. **श्री के. प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर टेलीफोन को उपयोग में लाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा किन-किन स्थानों पर ;

(ग) क्या इन टेलीफोनों का आयात किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो किस देश से तथा कितनी राशि से ऐसे कितने टेलीफोनों का आयात किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख). बंबई में प्रायोगिक आधार पर, शुरू में 1200 लाइनों की क्षमता का एक सेल्यूलर मोबाइल रेडियो टेलीफोन प्रणाली संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है।

(ग) जी हां। उपर्युक्त संदर्भित प्रयोगिक प्रणाली के आयात किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। 1200 लाइनों की आरंभिक क्षमता के एक्सचेंज की कीमत अनुमानतः 7 करोड़ रुपए एफ. ओ. बी. होगी।

राज्यों में सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश

988. **श्री मोहम्मद अयूब खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में सरकारी क्षेत्र में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है ; और

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में कुल पूंजी निवेश की तुलना में कितना पूंजी निवेश किया गया है और इसकी प्रतिशतता क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख). 31-3-1988 को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में कुल 82,150.16 करोड़ रुपए की पूंजी लगी थी और इसमें जम्मू एवं कश्मीर राज्य का हिस्सा 174.51 करोड़ रुपये था, जो कुल पूंजीनिवेश का 0.21% था। पूंजीनिवेश का राज्यवार ब्यौरा 27-2-1989 को संसद के दोनों सभापटलों पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1987-88 के खण्ड-I में पृष्ठ 16 पर उल्लिखित है।

ताप विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण

989. **श्री शान्ति लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताप विद्युत ग्रहों के नवीकरण और आधुनिकीकरण की योजना वर्ष 1984-85 में शुरू की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या इस योजना को वर्ष 1987-88 में पूरा किया जाना अपेक्षित था ; और

(घ) यदि हां, तो इन विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण का कार्य पूरा किए जाने में विलंब के क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ). केन्द्र द्वारा प्रायोजित नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण स्कीम, जिसमें देश के 34 ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं, को 3-4 वर्षों की अवधि मे कार्यान्वित किए जाने के लिए सितम्बर, 1984 में मंजूरी दे दी गई थी। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की अनुपूर्ति के लिए 500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

केन्द्र द्वारा वित्त पोषित नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के कार्य मे प्रगति कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। राज्य क्षेत्र के क्रियाकलाप के प्रगति पर अन्य बातों के साथ साथ प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और सप्लाई के लिए आर्डर देने में शुरू में ही विलम्ब हो जाने, सप्लाईकर्ताओं द्वारा पदार्थ/ उपस्कर सप्लाई किए जाने और वास्तविक कार्य निष्पादन मे देर कर दिये जाने और सूखे की स्थिति के कारण 1987-88 में बंद करने संबंधी कार्यक्रमों को स्थगित कर देने से भी विपरीत प्रभाव पड़ा।

कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य और उत्पादन

990. **श्री शान्ति लाल पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 में कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन होने की आशा है ;

(ख) क्या वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा ; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). वर्ष 1988-89 के लिए देश में 32.18 मिलियन टन कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जिसके आम तौर पूरा कर कर लिए जाने की आशा है।

(ग) 1989-90 के लिए 34.51 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।

नजर बढ़ाने वाले शीशे का विकास

991. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिक रक्षा और नाभिकीय क्षेत्रों में प्रयोग के लिए उपयुक्त नई नजर बढ़ाने वाले शीशे की कई किस्मों का विकास कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनके विकास से इस मद का आयात बन्द हो जायेगा और स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां। केन्द्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, कलकत्ता में इनका विकास किया जा रहा है।

(ख) और (ग). ये विशेष प्रकार के आप्टीकल ग्लास अधिकतर रक्षा न्यूक्लियर रियेक्टर खिड़कियों में उपयोग के लिए हैं। यह विकास, यदि सफल रहा तो देश मुख्य रूप से रक्षा और न्यूक्लियर प्रयोगों के लिए किस्म के ग्लास के उत्पादन में आत्म-पर्याप्त हो जाएगा तथा इन ग्लासों का आयात पर्याप्त सीमा तक कम करेगा।

तेल शोधन (रिफाइनिंग) क्षमता में वृद्धि

992. **श्री शांति लाल पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1989 के दौरान देश में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है ;

(ख) क्या वर्ष 1987 की तुलना में वर्ष 1988 में तेल शोधन क्षमता में भारी सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो 1987 और 1988 के दौरान कुल तेल शोधक क्षमता कितनी थी और 1989 में इसमें कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग). 1987 से 1988 के दौरान देश में 48.7 मिलियन टन की शोधन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 1989 के मध्य तक देश में शोधन क्षमता के बढ़कर 51.6 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाने की सम्भावना है।

ऊर्जा संरक्षण

993. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के दौरान देश में ऊर्जा की खपत में 5 प्रतिशत कमी करने का लक्ष्य हाल ही में निर्धारित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऊर्जा के संरक्षण एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1989-90 तक विशिष्ट ऊर्जा उपभोग में वर्ष 1987-88 के दौरान उपभोग स्तर की अपेक्षा 5% की कमी की जाए।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को लक्ष्य प्राप्त करने हेतु उपाय करने के लिए कहा गया है। विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले प्रस्तावित उपायों में ये शामिल हैं—ऊर्जा संरक्षण सेल का सृजन करना, विभिन्न यूनिटों में विशिष्ट ऊर्जाउपभोग के संबंध में लक्ष्य निर्धारित करना, ऊर्जा संबंधी लेखा-परीक्षा करना, कार्मिकों को ऊर्जा प्रबंधकों के रूप में प्रशिक्षित करना,

प्रदर्शन कार्यक्रम करना, दोषयुक्त कृषि पम्पसैटों में सुधार करना, वैद्युत उपकरणों के संबंध में लागू मानकों में संशोधन करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी विकसित विधियों को अपनाना, उन्नत प्रौद्योगिकों का प्रयोग करना, उद्दीप्त लैम्पों के स्थान पर ऊर्जा का समुचित रूप से उपयोग करने वाली रोशनी की व्यवस्था करना और जन जागरण अभियान आरम्भ करना।

दिल्ली में एल पी जी बाटलिंग प्लांट

994. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा एल. पी. जी. बाटलिंग प्लाट चालू किया जा रहा है और यदि हां, तो विश्व के अन्य बाटलिंग प्लांटों से इसकी किस प्रकार तुलना की जाती है ;

(ख) क्या इस संयंत्र का डिजाइन और निर्माण पूरी तरह देश में ही किया गया है ; और

(ग) क्या इसके लिए तत्संबंधी अग्नि शमन व्यवस्था का भी प्रबंध किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन के महानतम बाटलिंग संयंत्रों में से एक दिल्ली के पास टिकरीकलां में चालू किया गया है। अन्य देशों की बाटलिंग संयंत्रों की तुलना में इसकी क्षमता के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) कुछ उपकरण जैसे कोरोफिल, कम्पैक्ट/इलेक्ट्रानिक वाल्व टेस्टर आदि के आयात को छोड़कर इस संयंत्र का डिजाइन और निर्माण देश में ही किया गया है।

(ग) इस संयंत्र में अग्निशमन सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की गई है।

तमिलनाडु में कागज का उत्पादन

995. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कितने कागज उत्पादक एकक हैं ; और

(ख) तमिलनाडु में कागज का अनुमानतः वार्षिक उत्पादन कितना है तथा इसकी वार्षिक मांग कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). तमिलनाडु राज्य में इस समय कागज तथा गत्ता निर्माण में कार्यरत एककों की संख्या 18 है, जिनका उत्पादन लगभग 1.54 लाख मी. टन है। केन्द्र सरकार द्वारा कागज तथा गत्ते की राज्य-वार मांग की सूचना नहीं रखी जा रही है।

राज्यों को डीजल की सप्लाई

[हिन्दी]

996. **श्री आर० एम० भोये :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में कृषि की आवश्यकता पूरी करने के लिये केन्द्रीय सरकार से डीजल की सप्लाई में वृद्धि करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख). राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को डीजल के आबंटन किये जाने की ऐसी कोई प्रणाली नहीं है यह मुक्त बिक्री के आधार पर उपलब्ध है और तेल कम्पनियों को इस बात के अनुदेश हैं कि वे यथ संभव इसकी संपूर्ण मांग को पूरी करें ।

केलकर समिति की सिफारिशें

[अनुवाद]

997. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रेणी-II औषधियों का पता लगाने के लिए गठित केलकर समिति का कार्यालय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतगत अधिसूचित औषधो की सूची में त्रुटियों/अनियमितताओं के बारे में सरकार द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों की संवीक्षा करने के लिए बढ़ाया गया था ;

(ख) क्या समिति ने कुछ औषधों को मूल्य नियंत्रण से अलग करने तथा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1987 के अंतर्गत श्रेणी-I के कुछ औषधों को श्रेणी-II में रखने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). 18 जनवरी, 1989 को घोषित औषध (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1989 द्वारा केलकर समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल्य नियंत्रण से निकाली गई 15 औषधों और डीपीसीओ, 1987 की अनुसूची 1 से अनुसूची 2 में अन्तरित 4 औषधों के नाम संलग्न विवरण में दिये जाते हैं ।

(घ) समिति द्वारा की गई कुछ अन्य सिफारिशों की अभी जांच की जा जा रही है ।

विवरण

क्रम सं०	मूल्य नियंत्रण से बाहर किए गए औषधों के नाम
1.	अमीलोराइड
2.	एमीट्राइपटाइलिन
3.	क्लोरप्रोमाजाइन

क्रम सं०	मूल्य नियंत्रण से बाहर किए गए औषधों के नाम
4.	डाएजापाम
5.	फल्यूरोजेपाम
6.	ग्लाइंनक्लेमाइड
7.	इमीप्रीमाइन
8.	लोराजीपाम
9.	मेन्थोल
10.	निट्राजिपाम
11.	आक्साजीपाम
12.	प्रोक्लोरोप्रोजीन
13.	ट्रिफल्यूप्रोमाजाइन
14.	ट्रिफल्यूप्रोमाजाइन
15.	ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट (ओआरएस)

क्रम सं०	अनुसूची 1 से अनुसूची 2 अन्तरित औषधें
1.	पैरासिटामोल
2.	रिफाम्पिसीन
3.	टिमोलोल
4.	सल्फासिटामाइड सोडियम

बिना आई० एम० आई० मार्क वाले घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली उपकरणों की बिक्री पर प्रतिबन्ध

998. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो के बिना आई. एस. आई. मार्क वाले घरेलू उपयोग में आने वाले बिजली उपकरणों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा घरेलू उपयोग हेतु बिजली का समान (गुणवत्ता

नियंत्रण) सम्बन्धी आदेश जारी किये जाने के बावजूद, निर्माताओं द्वारा घटिया किस्म के बिजली के सामान बड़ी मात्रा में बाजार में भेजे जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय मानक ब्यूरो का घटिया किस्म के बिजली के सामान का निर्माण तथा बिक्री करने वालों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि हा, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ). सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम की धारा 3 के उपबंध के अधीन विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1988 जारी किया है। इस आदेश में घरेलू उपयोग के निम्नलिखित बिजली के 7 उपकरणों पर प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से अनिवार्य आई. एस. आई. मार्किंग की व्यवस्था है :—

वस्तु	दिनांक
1. विद्युत इमर्सन वाटर हीटर	1-7-1988
2. बिजली की प्रेस	1-7-1988
3. बिजली के स्टोव	1-7-1988
4. विद्युत रेडिएटर	1-7-1988
5. घरेलू और इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए स्विच	1-9-1988
6. घरेलू और इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिए 2 ए० एम० पी० स्विच	1-9-1988
7. 3 पिन, प्लग तथा साकेट आउटलेट	1-9-1988

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उक्त आदेश के कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

प्रदूषण रोकथाम के लिए छह सूत्री कार्यक्रम

999. **श्री शांति लाल पटेल :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

श्री एस० एम० गुरड्डी :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक छह सूत्री कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या है ;

(ग) इस कार्यक्रम को किन-किन राज्यों में लागू किया जायेगा ; और

(घ) यह कार्यक्रम कब तक प्रारंभ किया जायेगा और देश में प्रदूषण की रोकथाम के लिये इससे कितनी सहायता मिलेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख). जी हां, अपनी आन्तरिक नियोजन प्रक्रिया के एक अंग के रूप में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली ने छह औद्योगिक क्षेत्रों अर्थात्—(1) इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग, (2) खाद्य संसाधन उद्योग (3) स्टोन क्रशर्स (4) लघु लुगदी और कागज मिलों (5) चीनी उद्योग (6) लघु कांच व सिरेमिक एककों में प्रदूषण को रोकने व नियंत्रित करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है।

(ग) चूंकि उपर्युक्त छह क्षेत्रों से संबंधित उद्योग देश भर में फैले हुए हैं इसलिए इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु किन्ही विशिष्ट राज्यों का चयन नही किया गया है। देश में कहीं भी स्थिति कोई भी एकक जो राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की सेवाएं प्राप्त करना चाहे, उसे इस परिषद की विशेषज्ञता की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

(घ) आन्तरिक रूप से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के भीतर इन छह क्षेत्रों में काम करने के लिए दो वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। कार्यक्रम आरम्भ होने के बाद एक वर्ष बीत चुका है और चार क्षेत्रों में काफी प्रगति की जा चुकी है। चीनी उद्योग तथा कांच उद्योग एवं सिरमिक एककों के शेष दो क्षेत्रों में कार्स आरम्भ हो गया है। दो वर्ष बीत जाने के बाद भी इन क्षेत्रों में उद्योगों को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की सेवाएं मिलती रहेंगी।

इन्सुलीन की कमी

1000. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में इन्सुलीन की निरन्तर कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कितनी प्रतिशत मांग देश में उत्पादित इन्सुलीन से पूरी की जाती है तथा मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष इसका कितना आयात करना पड़ता है ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए देश में इन्सुलीन का उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगलराव) : (क) से (ग). राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त सावधिक रिपोर्टों के आधार पर यह मंत्रालय सभी महत्वपूर्ण जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता को मानीटर करता है उपलब्ध जानकारी के अनुसार देश में इन्सुलीन की निरंतर कमी नहीं है। जहां भी कमी की सूचना मिलती है वह कुछ विशेष स्थानों से संबंधित होती है।

———————

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सदस्य। मैंने श्री लाहा का नाम पुकारा है, वह बोल रहे हैं।

श्री आशुतोष लाहा (दमदम) : महोदय, यह एक गहरी चिन्ता का विषय है। कल पश्चिम बंगाल विधान सभा में पश्चिम बंगाल के दो निर्वाचित विधायक श्री सुब्रोतो मुखर्जी और श्री सुल्तान अहमद की सदन के अन्दर पिटाई की गई।

अध्यक्ष महोदय : हम यहां क्या कर सकते हैं ?

श्री आशुतोष लाहा : वे अस्पताल में पड़े हुए हैं···**(व्यवधान)** हमें सुरक्षा चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझने दो।

···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप सभी क्यों नहीं बोल रहे हैं ? और सुनते क्यों नहीं ? मुझे बता दीजिए कि हम क्या सहायता कर सकते हैं।

श्री आशुतोष लाहा : महोदय, आप परिरक्षक हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट कृपया सुनिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सबको क्या हो गया है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताइए। आप माननीय सदस्य हैं, आप नियम पढ़िए और मुझे बताइए कि हम क्या कर सकते हैं।

श्री आशुतोष लाहा : उन्हें वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे वक्तव्य दे सकते हैं ?

श्री आशुतोष लाहा : यह किन परिस्थितियों में हुआ। वे अस्पताल में भर्ती हैं। यह लोकतन्त्र का अन्त है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब आपने प्रश्न उठाया है। मुझे अब कहना ही है। यह मन्च चर्चा के लिए ही है। हमें यहां बैठना है—चाहे यहां इस संसद में बैठें या राज्य विधान सभाओं में मैंने सदा विधान सभाओं के सदस्यों और संसद सदस्यों से यह निवेदन किया है कि यह वह मन्च है जहां हमें एक-दूसरे की रक्षा करनी है और सदन का आदर भी करता है। सभी संबद्ध राज्य विधान सभाएं और संसद स्वायत्त-शासी निकाय हैं। सदस्यों के अधिकारों की रक्षा और उनकी सुरक्षा करना उनका काम है। बेहतर यही होगा कि यह मामले सम्बद्ध सदनों में उठाए जाएं वहां के सदस्यों को यह मामले सदन में उठाने चाहिए चाहे वे संसद सदस्य हों या विधायक उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि यह आज का प्रश्न ही नहीं है ; यह भविष्य की भी समस्या है। इसका सम्बन्ध लोकतान्त्रिक अधिकारों और लोक-तान्त्रिक परम्पराओं के भविष्य से है। अतः बेहतर यही है कि मैं उन सीमाओं का अतिक्रमण न करूं जो आपने मुझ पर लागू की है। आपने जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं जानता हूं। किन्तु मैं भी असहाय

हू। मै कवल इतना कह सकता हूं कि सभी सदनों में सद्भावना बनी रहे। हमें अपने हितों की सुरक्षा करनी चाहिए और ऐसा करने से आप लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं, लोकेतान्त्रिक परम्पराओं और जनता के अधिकारों की सुरक्षा करें क्योंकि इनके द्वारा ही देश का संचालन होना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गोकुल सैकिया (लखीमपुर) : महोदय, 23 दिसम्बर 1988 को असम पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया था।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गोकुल सैकिया : मुझे रात भर हवालात मे रखा गया।··· **(व्यवधान)**···मैं भी तो संसद सदस्य हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री गोकुल सैकिया : मुझे इस प्रकार क्यों परेशान किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पर भी एक साधारण नागरिक की भांति मुकदमा चलाया जा सकता है अथवा गिरफ्तार किया जा सकता है।

श्री गोकुल सैकिया : उन्हें मुझे न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था; किन्तु उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को वहां उठाया जाना चाहिए। मैं यहां इस मामले को नहीं उठा सकता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सब लोग क्या कर रहे हैं। आप ऐसा मत किया कीजिए।

[अनुवाद]

यह बहुत खराब बात है। आपको भी···व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : महोदय, मैंने ठण्डे दिमाग से आपकी बात सुनी। यदि कोई विशेष राज्य सरकार निष्ठुर है और विधायकों और संसद सदस्यों की हत्या करती है··· **(व्यवधान)** तो क्या संसद कुछ नहीं कर सकती है, और इस पर चर्चा भी नहीं कर सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए, मेरे पास आइए और जो मैं नहीं जानता मुझे समझाइए और जो कुछ आप कहेंगे यदि यह उचित है तो मैं उसका जवाबदेह हू।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन के अन्दर बिहारी स्टडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है। उनके सलेक्शन मे 10 परसेन्ट मार्क्स काट लिए जाते हैं।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है मेरे लिए नहीं।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : यह बहुत बड़ा मसला है।···(व्यवधान)···यह बहुत जरूरी मसला है।

अध्यक्ष महोदय : अभी मैंने आपको समझाया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसको यू० पी० गवर्नमेंट करेगी।

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : वहां का वाइस चांसलर डिक्टेटर बना हुआ है। यह यहां का मसला है।

अध्यक्ष महोदय : अगर यहां का है तो आप नोटिस दीजिए, मैं पता करवा लूंगा।

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : यह तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है।···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए, मैं पता करवा लूंगा।

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी : मैंने लिखकर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्बलपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा लम्बी में और सेन्ट्रल हाल में एक डायरी बांटी गई, जिसमें भारत के मानचित्र मे जम्मू व कश्मीर को नही दिखाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : परसों 26 फरवरी को एक अत्यन्त भीषण रेल दुर्घटना हुई।

[हिन्दी

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट आ गया है।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : आप दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात कैसे सुन सकता हूं ?

श्री अजय मुशरान : मैं एक अलग मुद्दा बता रहा हूं। कल रेलवे मन्त्री के साथ मैं भी दुर्घटना-स्थल पर गया। अन्य सभी कार्यवाहियां की जा रही हैं। मैं इसके लिए रेल मन्त्री को बधाई देता हूं किन्तु पांच वर्ष में यह दूसरी बड़ी दुर्घटना है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं और क्या कर सकता हूं ?

श्री अजय मुशरान : हमने चर्चा की थी किन्तु कृपा करके आप मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह अनुचित है।

श्री अजय मुशरान : किन्तु मैं अलग मुद्दा बता रहा हूं। आपके द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि वह रेलमार्ग जिसके कारण दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई जिसमें 150 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई, रेल मन्त्री जी का कहना है कि वह मोदिया से जबलपुर तक के इस खण्ड के सम्बन्ध कुछ नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई चर्चा नहीं है। आपको यह सारी जानकारी देने के लिए चर्चा आरम्भ करानी होगी।

श्री अजय मुशरान : दुर्घटना के सम्बन्ध में नहीं हुई किन्तु भविष्य में दुर्घटना न हो इसके लिए···

अध्यक्ष महोदय : कर्नल साहब, इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

श्री अजय मुशरान : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसे नहीं हो सकता है।

श्री अजय मुशरान : मैं नहीं चाहता कि यह ऐसे होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके लिए नियम नहीं तोड़ूंगा।

एक माननीय सदस्य : आप रेल बजट पर चर्चा के दौरान इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

श्री अजय मुशरान : इसका रेलवे से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इसका सम्बन्ध फिर किससे है ? क्या यह सदन के नियमों को तोड़ने से सम्बन्धित है ?

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैं सदन के नियम नहीं तोड़ रहा हूं किन्तु आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। आप मेरे क्षेत्र के लोगों की शिकायतें नहीं सुन रहे हैं। योजना आयोग का कहना है कि हम किसी नई परियोजना की स्वीकृति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु मैं इस प्रकार कुछ नहीं कर सकता हूं। आप अत्यन्त शिक्षित व्यक्ति हैं। आप बहुत ही अनुशासित भी हैं। आपको इन बातों पर चर्चा करने का अधिकार है।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : 377 में क्यों नहीं करते।

श्री अजय मुशरान : 377 में आता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं आता, आपने लिखकर नहीं दिया।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, आप मुझे आश्वासन दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे कल पेश करें तो मैं आपको अनुमति दूंगा किन्तु इस प्रकार नहीं।

[हिन्दी]

मैं तो आपसे ज्यादा उम्मीद करता हूं।

[अनुवाद]

आप एक अनुशासित सैनिक हैं। आप एक अनुशासित सैनिक रहे हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आपको और अनुशासित होना चाहिए। आप को और अधिक उचित ढंग से नियमों का पालन करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस देश में हर व्यक्ति को आवश्यक सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए। वह प्रशिक्षित होना चाहिए और भली प्रकार अनुशासित होना चाहिए। किन्तु यदि आप ही छल ऐसा करेंगे तो भगवान ही हमारी रक्षा करे।

श्री बिपिन पाल दास (तेजपुर) : क्या इसी प्रकार का प्रशिक्षण है ?

अध्यक्ष महोदय : हां। यही तो मैं भी कह रहा था ?

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आप इस सदन के कर्ताधर्ता है।···(व्यवधान)···मैं एक खूबसूरत बात कहना चाहता हूं।···(व्यवधान)···

[پروفیسر سیف الدین سوز (بارامولا) : میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں - آپ اس سدن کے کرتا دھرتا ہیں۔۔۔(انٹرپشن)۔۔۔ میں ایک خوبصورت بات کہنا چاہتا ہوں - ۔۔۔ (انٹرپشن)۔۔۔]

12.09 म० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा; भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7372/89]

(ख) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7373/89]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 7372-7373/89]

चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इण्डिया, बम्बई का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : श्री एच० के० एल० भगत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इण्डिया, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) (क) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इण्डिया, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा (ख) उपर्युक्त (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-7374/89]

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं एक उम्दा बात कहना चाहता हूं।

[پروفیسر سیف الدین سوز : میں ایک عمدہ بات کہنا چاہتا ہوں -]

अध्यक्ष महोदय : बात हो गई, मेरे बस की बात नहीं है। आप क्यों काम खराब कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप इस सदन के कर्ताधर्ता हैं, इसलिए आप से कह रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर साहब यह नहीं कह सकते कि हमारे अपोजीशन के दोस्त खालिस्तान को सपोर्ट देते हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता। तशद्दुद या खालिस्तान के नारे की हिमायत किसी तरफ से नहीं हो सकती लेकिन जजबात में आकर में आकर कुछ कहा जा सकता है और इसका इनको गिला हो गया है। आप इस सदन के कर्ताधर्ता हैं और आप अमन कीजिए इस सदन में। सवाल यह है कि जो ज्यादा वोट लेंगे, वे उधर बैठेंगे और जो कम वोट लेंगे, वे इधर बैठेंगे। लेकिन दोनों को हिन्दुस्तान बनाना है, (व्यवधान) दोनों तबकों को हिन्दुस्तान बनाना है। आज आपकी कोशिश हो। यह खाली रहना ठीक नहीं है। इनका गिला, शिकवा है। आप भी···

[پروفیسر سیف الدین سوز : آپ اس سدن کے کرتا دھرتا ہیں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں - پرائم منسٹر صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اپوزیشن کے دوست خالصتان کو سپورٹ دیتے ہیں - ایسا کوئی نہیں کر سکتا - تشدد یا خالصتان کے نعرے کی حمایت کسی طرف سے نہیں ہو سکتی ہے - لیکن جذبات میں آکر کچھ کہا جا سکتا ہے اور اسکا ان کو گلہ ہو گیا ہے - آپ اس سدن کے کرتا دھرتا ہیں اور آپ امن قائم کیجئے اس سدن میں - سوال یہ ہے کہ جو زیادہ ووٹ لیں گے وہ ادھر بیٹھیں گے اور جو کم ووٹ لیں گے وہ ادھر بیٹھیں گے - لیکن دونوں کو ہندوستان بنانا ہے - ... (انٹرپشن) ... دونوں طبقوں کو ہندوستان بنانا ہے - آج آپکی کوشش ہو - یہ خالی رہنا ٹھیک نہیں ہے - ان کا گلہ شکوہ ہے - آپ بھی ...]

[अनुवाद]

महोदय, आप स्थिति का सामना कर सकते हैं और हम मिलकर लोकतन्त्र का निर्माण कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, मैं तो एक ही बात कहता हूं···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इनको गिला, शिकवा है।

[پروفیسر سیف الدین سوز : اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یہ خالصتان کو سپورٹ کرتے ہیں ۔ لیکن ان کو گلہ شکوہ ہے ۔]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लें। मैं आप से इत्तफाक रखता हूं कि हम सबको मिलकर काम करना है। कभी इधर से भी कहा जाता है, कभी उधर से भी कहा जाता है। तो कोई बात ले दे के होनी चाहिए। इस तरीके से मैं तो आप दुःखी हूं। मुझे हाउस चलाने में मजा नहीं आता जब तक आप सारे नहीं होते। समझे कि नहीं। मैं तो सबसे अपील करता हूं कि आपस में बैठकर ऐसी बातों पर इतनी नाराजगी नहीं करते। आप ही करिये यह काम। आपकी बात भी मानी जाएगी। आप समझदार हैं, आप प्रोफेसर हैं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अच्छे उद्देश्यों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं तो सबसे हाथ जोड़ कर यही कहता हूं कि यह अपना काम है, अपनी पार्लियामेंट है, अपनी डेमाक्रेटिक इंस्टीच्युशन है। इसको उसी हिसाब से चलाना है। गुस्सा-गुस्सा खत्म करें।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं चाहता हूं कि वे यहां आएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। मैं भी आपकी प्रशंसा करता हूं और आपसे सहमत हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं ही सारा कर करा लेता हूं, मैं हाथ जोड़ लेता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

—[जारी]

तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7375/89]

भारतीय तार अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत 26 जुलाई, 1988 की अधिसूचना का शुद्धि पत्र

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1169 (अ), जो 12 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 25 जुलाई, 1988 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 812 (अ), का शुद्धि पत्र दिया हुआ है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-7376/89]

विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण; विद्युत वित्त निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1986-87 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एकक विवरण।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7377/89]

(ख) (एक) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल॰ टी॰-7378/89]

(ख) (एक) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड, के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड, का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-7379/89]

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) भाग में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7380/89]

(3) पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (iv) के साथ पठित विद्युत, (प्रदाय) अधिनियम, 1984 की धारा 69 की उपधारा 5 के अन्तर्गत पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, पटियाला के वर्ष 1987-88 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-7381/89]

(4) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7377 से 7379/89]

चण्डीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा ; केन्द्रीय हस्त-औजार संस्थान जालन्धर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम॰ अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चण्डीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ के

वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) चण्डीगढ़ औद्योगिक तथा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-7381/89]

(2) (एक) केन्द्रीय हस्त-औजार संस्थान, जालन्धर के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय हस्त-औजार सस्थान, जालन्धर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे मे एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-7382/89]

(3) (एक) विद्युत माप यंत्र डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युत माप यंत्र डिजाइन संस्थान, बम्बई के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-7383/89]

(4) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी.-7384/89]

(5) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत पैटेन्ट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न महानियन्त्रक के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी.-7385/89]

(6) व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 126 के अन्तर्गत

पेटेन्ट, डिजाइन तथा व्यापार चिह्न महा-नियन्त्रक के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7386/89]

(7) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7387/89]

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

जल, भू-तल परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी० नामग्याल) : श्रीमती शीला दीक्षित की ओर से मैं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 23—चौदहवां सत्र, 1984 — सातवीं लोक सभा

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7388/89]

(दो) विवरण संख्या 21—पांचवां सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7389/89]

(तीन) विवरण संख्या 18—छठा सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7390/89]

(चार) विवरण संख्या 15—सातवां सत्र, 1986
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7391/89]

(पांच) विवरण संख्या 15—आठवां सत्र, 1987
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7392/89]

(छः) विवरण संख्या 11—आठवें सत्र का भाग 2, 1987
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7393/89]

(सात) विवरण संख्या 10—नौवां सत्र, 1987
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7394/89]

} आठवीं लोक सभा

(आठ) विवरण संख्या 8—दसवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7395/89]
(नौ) विवरण संख्या 4—ग्यारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7396/89]
(दस) विवरण संख्या 1—बारहवां सत्र, 1988
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-7397/89]

सामान्य बजट, 1989-90 के प्रस्तुतीकरण के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन को सूचित करना चाहूंगा कि जैसा प्रचलित है आज सदन 4.30 म० प० पर आधे घण्टे के लिए स्थगित होगा और सामान्य बजट प्रस्तुत करने के लिए पुनः 5.00 म० प० पर समवेत होगा।

12.12 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सोनीपत में दो रेल फाटकों पर ऊपरी पुलों या निचले पुलों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री धर्मपाल सिंह मलिक (सोनीपत) : सोनीपत हरियाणा राज्य का एक जिला मुख्यालय होने के अतिरिक्त एक बड़ा औद्योगिक नगर भी है। सोनीपत नगर को दिल्ली-अम्बाला रेल लाइन दो बराबर भागों में विभाजित करती है और बाहर का यातायात भी बहुत अधिक है। दिल्ली से पंजाब को जाने वाली मोटर गाड़ियां आदि भी सोनीपत होकर ही जाती हैं। सोनीपत में दो रेलवे फाटक हैं, जो सवारी और मालगाडियों के आने-जाने के कारण अक्सर बन्द रहते हैं। ऐसी स्थिति में भारी यातायात को नियन्त्रण में रखने के लिए इन रेल फाटकों पर ऊपरी पुल या भूमिगत पथ बनाने की जरूरत है। अतः दोनों रेल फाटकों पर ऊपरी पुल या भूमिगत पथ की मंजूरी दे दी जाए और सामान्य रूप से जनता के हित और सुरक्षा के लिए थोड़े समय मे पूरा किया जाए।

(दो) भारत सरकार की ई० और आई० योजना के अधीन मध्य प्रदेश में कतिपय सड़कों की मरम्मत किए जाने तथा उनको चौड़ा और मजबूत किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष जी, विदिशा-रायसेन संसदीय क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ही खराब है एवं विगत कुछ वर्षों से उनके नवीनीकरण तथा मरम्मत के कार्य न होने तथा

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

अधिक वर्षा होने के कारण इन सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है, जिसके कारण परिवहन एवं नागरिकों के आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।

भोपाल से विदिशा अशोकनगर मार्ग जो राष्ट्रीय मार्ग नं० 3 के बीच का प्रमुख राजमार्ग है, इस पर तो विगत करीब 10-15 वर्षों से कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है, जिसके कारण बसों एवं ट्रकों के आवागमन में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है। इसी तरह से विदिशा से ग्यारसपुर, सागर का मार्ग है। राष्ट्रीय राज मार्ग नं० 12 से राष्ट्रीय राज मार्ग न० 3 को जोड़ने वाली प्रमुख लिंक रोड बुदनी, रेहेटी, नसरूल्लागंज, इन्दौर के भी शीघ्र ही नवीनीकरण और मजबूतीकरण की नितान्त आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार के भूतल एवं परिवहन मन्त्री जी से अनुरोध है कि म० प्र० के इन प्रमुख राजमार्गों के उन्नयन के लिए भारत सरकार की जो आर्थिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण मार्गों को विकसित करने की जो ई. एण्ड आई. योजना है. के अन्तर्गत लेकर स्वीकृति प्रदान करें जिससे इन महत्त्वपूर्ण सड़कों को चौड़ा करने एवं मजबूतीकरण तथा नवीनीकरण के कार्य को राज्य सरकार जल्द से जल्द पूरा कर सके।

(तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच किए जाने हेतु एक समिति का गठन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश में कार्यान्वियन के लिए नए विचार लाने तथा इनके लिए प्रावधान करने के लिए गठित किया गया ताकि उच्च शिक्षा संस्थाओं की सहायता और मार्गदर्शन हो।

इस बात का खेद है कि जो लोग कालेज तथा अन्य संस्थाएं चलाते हैं उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से समय पर सहायता प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती है। विश्र्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य के सम्बन्ध में जनता में गहरा असन्तोष है।

केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करे और सहायता देने में होने वाले विलम्ब के कारणों का पता लगाए जिनके कारण अनुदान प्राप्त करने वालों में बहुत असन्तोष व्याप्त हुआ है।

(चार) दिल्ली में पूर्णतः आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एक विशेषज्ञ कैंसर चिकित्सा अस्पताल खोले जाने तथा सरकारी अस्पतालों, विशेषकर सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का वर्जा बढ़ाए जाने और सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा "धूम्रपान से खतरा" विषय पर फिल्में दिखाई जाने की मांग

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदय, दिल्ली में कैंसर के मामलों में तेजी वृद्धि हो रही है। कैंसर रोगियों को जिस प्रमुख समस्या का सामना करना पड़ता है वह यह है कि वे इलाज के

लिए कहां जाएं क्योंकि उपयुक्त अस्पतालों की बहुत कमी है। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल और कैंसर औषधियां बहुत ही मंहगी हैं। कैमोथरेपी इलाज में 20,000 रुपये से 60,000 रुपये की लागत आती है। इसके अलावा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है। दिल्ली के बहुत से सरकारी अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए बहुत कम उपकरण हैं और इनमें विशेषज्ञ सर्जनों की भी बहुत कमी है। अतः कैंसर के रोगियों को बम्बई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में जाना पड़ता है जहां इलाज मुफ्त और उच्च विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में कैंसर के विशेषज्ञ डाक्टरों की आवश्यकता है। अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए एक करोड़ रु० के बजट की आवश्यकता है जबकि वर्तमान में यह राशि केवल नौ लाख रुपए वार्षिक है।

मैं सरकार से दिल्ली में कैंसर के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल अस्पताल, बम्बई जैसा एक विशिष्ट अस्पताल खोलने की मांग करता हूं। वर्तमान सरकारी अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली का कैंसर के इलाज के लिए दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए। अन्तिम किन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि धूम्रपान के खतरों का शीघ्र पता लगाने और छाती के कैंसर के कारणों पर बनी फिल्में सभी सरकारी प्रचार माध्यमों द्वारा दिखाई जानी चाहिए।

(पांच) उड़ीसा के कालाहान्डी और बोलनगीर आदि जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए समयोचित और प्रभावी उपाय किये जाने की मांग

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहान्डी) : महोदय, उड़ीसा राज्य के कालाहान्डी, बोलनगीर, पदुमपुर, और साम्बलपुर जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों में भयंकर सूखे की स्थिति विद्यमान है जिससे पहले से ही निरन्तर सूखे की स्थिति में जकड़े लोगों की अत्यधिक दुर्दशा हो गई है।

वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रभावी उपायों के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 371 के अधीन हमारी संविधानिक प्रतिबद्धता के रूप में इन क्षेत्रों में पर्याप्त केन्द्रीय वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित समयबद्ध रूप में सभी प्रयास किए जाने चाहिएं। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं और जल प्रबन्ध के माध्यम से जल ससाधनों का उपयोग करने और शुष्क खेती, भू-सरक्षण, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण आदि उपाय किए जाने चाहिए। कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। मनुष्य और पशुओं दोनों के लिए पीने के पानी का स्थायी हल निकाला जाना चाहिए।

12.19 म० प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : सदन अब 23 फरवरी, 1989 को श्री बी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत किए गए और श्री आर० एल० भाटिया द्वारा अनुसमर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगा :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

[उपाध्यक्ष महोदय]

"कि सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 21 फरवरी, 1989 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

श्री उमाकांत मिश्र।

[हिन्दी]

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्मरण किया है। महात्मा गांधी ने जब स्वतन्त्रता संग्राम छेड़ा तो उनके साथ देश के बड़े-बड़े नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहर नेहरू, सरहदी गांधी, सरदार बल्लभभाई पटेल, सब उनके साथ थे। और आजादी मिली। किन्तु आजादी के बाद इस देश के नव-निर्माण की आधारशिला रखने का महान कार्य, इस देश में लोकतन्त्र की स्थापना का काम, योजनाबद्ध विकास का कार्य देने का काम, विदेश नीति देने का काम और विकास की नयी शुरुआत करने का काम पं० जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। पं० नेहरू जी ने जो रास्ता बनाया, उस रास्ते का भारत के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने पं० नेहरू जी के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त की है, उससे हम सब प्रसन्न हैं और उसका समर्थन करते हैं। हम सभी लोग, सारा देश और सारा विश्व उस महान नेता का कृतज्ञ है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही है। उसने पिछले वर्षों में आर्थिक स्थिति को ठीक बनाए रखा, आर्थिक विकास की स्थिति ठीक बनाए रखी। कृषि, शिक्षा, विज्ञान-टैक्नोलोजी और अन्य क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ा है और भारत की स्थिति मजबूत हुई है। इसके लिए हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी जी बधाई के पात्र हैं। पिछले वर्ष हमारे प्रधानमन्त्री जी ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत ही उच्चकोटि की उपलब्धियां प्राप्त की हैं। विश्व में शांति की स्थापना, विश्व में अस्त्र-शस्त्रों के विस्तार में कमी और युद्ध की स्थिति पैदा न हो, यह भारत की मूल नीति है। इसको दुनिया के लोगों ने माना है और महसूस किया है कि दुनिया की दो बड़ी शक्तितों का मिलन हुआ है और मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों में कमी करने का निर्णय लिया गया है। उसमें भारत के प्रधानमन्त्री का स्पष्ट प्रभाव रहा है। भारत और चीन एशिया के दो बड़े भाग मिले और एशिया में अच्छे युग की शुरुआत हुई। इसका श्रेय भारत के प्रधानमन्त्री जी को जाता है, इसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक बड़ी चिन्ता व्यक्त की है कि कहीं भौतिकवाद की आंधी में हम अपने सनातन मूल्यों और आदर्शों को न भूल जाएं। उनकी चिंता सही है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा हजारों साल से दुनिया को रोशनी दी है और रास्ता दिखाया है। भारत हजारों वर्ष से विश्व का चारित्रिक गुरु रहा है।

"एतद्देशे प्रसूतस्य सकाशाद ग्रजन्मनः

स्वंस्वं चरित्रम् शिक्षेरण् पृथिव्याम् सर्वमानवाः।"

इस देश के अग्र जन्मा मानव ने विश्व को चरित्र की शिक्षा दी है और देता रहा है। दुनिया के लोगों ने शिक्षा ली है और इसका उदाहरण इस युग में भी रहा है। स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गांधी, पं० जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उस महान परम्परा का निर्वाह किया है और दुनिया को रास्ता दिखाया है तथा शिक्षा दी है सामाजिक, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत रूप से, और यही कारण है कि राष्ट्रपति जी ने चिन्ता व्यक्त की है कि आज भौतिकवाद की दौड़ में जो उपभोक्ता संस्कृति है और जो हमारे प्राचीन सनातन मूल्य हैं वे अलग न हो जाएं, भारत की जो पहचान है वह लुप्त न हो जाएं। इसके लिए हम राष्ट्रपति जी के अत्यन्त आभारी हैं। हमारे प्रधानमन्त्री जी भी बराबर कहते हैं कि हम अपनी पुरानी विरासत की रक्षा करें, यह कर्तव्य है। हमारी पुरानी विरासत लुप्त होगी तो भारत की पहचान लुप्त होगी। इसलिए डा० इकबाल ने कहा है :

"यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से,

कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।"

यही बात है कि हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है। हमारे बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े मौलवीय, बड़े-बड़े महात्मा और नेता जो हमारी प्राचीन विरासत है, परम्परा है, संस्कृति है, मार्ग है उस पर चले हैं और उसकी रक्षा की है और दुनिया को उस रास्ते पर चलने के लिए अध्यात्मवाद पर चलने के लिए रास्ता बताया है। इसलिए हमारी हस्ती सुरक्षित रही है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने एक निर्णय लिया है, एक विचार करना शुरू किया है कि लोकतन्त्र को नीचे बुनियाद पर ले जाना चाहिए। गांव के लोग, गांव पंचायत बनाकर अपना काम करें। हम नगर स्तर पर, ब्लाक स्तर पर, गांव स्तर पर योजना बनायें और वहीं स्वीकृत करें और इस पर अमल भी नीचे के लोग करें। इस विचारधारा को जनता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनाया है। महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि देश में पचायती राज की स्थापना हो और जनता अपने विकास का निर्णय स्वयं करे और उसका पालन करे। हमारे नेता पंडित नेहरू जी ने 1960 में इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर देश में पंचायती राज की व्यवस्था की थी। अभी भी काफी राज्यों में यह है, लेकिन जिस रूप में होनी चाहिए वैसी नहीं है। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने पंचायती राज को, स्थानीय इकाइयों को मजबूत करने का निर्णय किया है और उस पर चर्चा चलाई है उसका सारा देश स्वागत करता है और यह एक अच्छा लक्षण है। देश की जनता इस विषय पर बहुत प्रसन्न है। पंचायती राज की स्थापना हो और स्थानीय इकाइयों को अधिकार मिले, लेकिन देश में इस समय बाहुबल और जनबल के कारण कहीं-कहीं स्थानीय इकाइयों में लोकतांत्रिक निर्णय नहीं हो पाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां भी चुनाव हों वह सीधे चुनाव कराये जायें, अप्रत्यक्ष रूप से न हों। चाहे ग्राम सभा के चुनाव हों, चाहे ब्लाक स्तर के चुनाव हों या जिला परिषद के अध्यक्षों के चुनाव हों सब सीधे चुनाव कराये जायें। अप्रत्यक्ष चुनावों में बाहुबल और धनबल काम कर जाता है और सही निर्णय नहीं हो पाता है। बे-ईमान और अवांछित लोग इन पंचायतों पर कब्जा कर लेते हैं। इसलिए पचायती राज की स्थापना के साथ-साथ मेरा सुझाव है कि सरकार सारे चुनाव जनता से सीधे कराये।

बहुत दिन से इस बात की प्रतीक्षा थी कि विज्ञान और टेक्नोलोजी सारी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैली है और फैल रही है, इसके बारे में हम भी कुछ कहें। आज विज्ञान और टेक्नोलोजी से दुनिया ने बहुत तरक्की की है, हमारे देश ने भी तरक्की की है, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र मे और साइंस के क्षेत्र में। विज्ञान के बिना आज का मानव न आगे बढ़ सकता है और न अपने समाज और

[श्री उमाकांत मिश्र]

राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है। विज्ञान और टेक्नोलोजी को किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में, किसानों, मजदूरों और खेतिहर मजदूरों में इसका लाभ पहुंचाएं इस पर भी हमारे प्रधानमन्त्री जी ने एक निर्णय लिया है और चर्चा शुरू की है। क्योंकि जब तक इनका लाभ इन लोगों को नहीं मिलेगा तो कुछ स्वार्थी लोग इसका लाभ उठाएंगे। हमारे प्रधानमन्त्री जी ने ऐसी कोशिश की है कि विज्ञान और टेक्नोलोजी का लाभ गांवों के किसानों को मिले। इस बारे में कई टेक्नोलोजी मिशन कायम किये गए हैं, पेयजल के विषय में, निरक्षरता को दूर करने के क्षेत्र में आदि विभिन्न क्षेत्रों में कई मिशन अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि जो ये मिशन स्थापित किए गए हैं इनकी निगरानी भी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि इन पर काफी धन खर्च हो रहा है। जनता के धन का सही उपयोग हो और उसका लाभ जनता को मिले इसलिए इसकी सही-सही निगरानी होनी चाहिए। विज्ञान और टेक्नोलोजी के लाभ के द्वारा गांव की जनता को फायदा पहुंचे, यह जो कदम उठाया गया है प्रधानमन्त्री द्वारा उसका हार्दिक स्वागत है और हम उसका अभिनन्दन करते हैं। आशा है कि साइंस और टेक्नोलोजी की मदद से हमारे गांवों और शहरों का विकास होगा। हमारे देश के प्रधानमन्त्री जी ने बेरोजगारी और गरीबी दूर करने का संकल्प लिया है और इस दिशा में काम भी हो रहा है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कई योजनाएं, जैसे एन०आर०ई०पी, आर०एल०ई०जी०पी, आई०आर०डी०पी० इत्यादि कई कार्यक्रम चल रहे हैं। गरीबी निवारण की दिशा में भी काम चल रहा है किन्तु देश में शिक्षित बेरोजगारों की स्थिति बहुत गम्भीर हो रही है। हाई स्कूल पास, इंटर पास, बी०ए०पास, एम०ए०पास, पी-एच०डी० पास लोगों की बात तो छोड़िए, इस देश में डाक्टर, इंजीनियर, डिप्लोमा होल्डर, बी० टी० सी०, आई०टी०आई० ट्रेड, बी० ई० आदि प्रशिक्षित लोग, टैक्निकल शिक्षा प्राप्त लोग बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं और उनमें भारी क्षोभ पैदा हो रहा है, असन्तोष पैदा हो रहा है। मेरा निवेदन है कि हमें योजनाओं में ऐसा सुधार करना चाहिए, आठवीं योजना ऐसी बनानी चाहिए ताकि देश के शिक्षित और प्रशिक्षित लोगों को काम मिल सके। वरना जिस गति से उनकी फौज बढ़ती जा रही है, एक दिन वह विस्फोटक रूप ले सकती है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले ही सरकार उनकी तरफ ध्यान दे। खासकर प्रशिक्षित लोगों, डाक्टर्स, इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स आदि लोगों को तत्काल काम की व्यवस्था होनी चाहिए. अन्यथा देश में स्थिति गम्भीर हो सकती है। मुझे आशा है कि सरकार इस दिशा में कदम उठाएगी।

अन्त में दो शब्द मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। लोकतन्त्र में विपक्ष का बड़ा महत्व होता है और उसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। विपक्ष देश में लोकतन्त्र के विकास में, लोकतन्त्र की सफलता में साझीदार होती है किन्तु दुर्भाग्य से हमारे देश का विपक्ष बड़ा गैर-जिम्मेदार है, वह कोई रचनात्मक काम नहीं करता, कोई रचनात्मक सुझाव नहीं देता बल्कि विध्वंसक काम करता है, विध्वंसात्मक सुझाव देता है। उसका रवैया डेस्ट्रक्टिव हो गया है। वैसे तो वह खुद बंटा हुआ है, लेकिन न तो उसकी कोई दिशा है, न कोई आधार है, न सिद्धान्त हैं न कार्यक्रम हैं। केवल कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए इस देश का विपक्ष किसी भी निचले स्तर तक जाने के लिए तैयार है। हमारे विपक्ष ने देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, लोगों में क्षेत्रवाद, भाषावाद, विघटनवाद और आतंकवाद फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस तरह के विपक्ष के कारण न तो देश में लोकतन्त्र सुरक्षित रह सकता है और न देश का विकास हो सकता है। देश में समाजवाद भी स्थापित नहीं हो सकता। हमें एक स्वस्थ विपक्ष की आवश्यकता है। आज वह कई हिस्सों में बंटा हुआ है, जैसे कोई

दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, कोई मध्यम पंथी है, कोई सम्प्रदायपंथी है, और न जाने उसके कितने पंथ है। उसका एक हिस्सा ही इस देश को डैमोक्रेसी को, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने, नष्ट करने के लिए काफी है, लेकिन जहां 15-20 ग्रुप ऐसे बने हों तो उनसे हमें और खतरा है। विपक्ष के इस रवैये से देश की जनता क्षुब्ध है। पिछले वर्ष विपक्ष के लोगों ने इस देश की चुनी हुई सरकार और करोड़ों लोगों के चुने हुए लोकप्रिय नेता पर लांछन लगाकर राष्ट्र पर लांछन लगाया है, राष्ट्र को बदनाम करने की कोशिशकी है, दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। अतः विपक्ष का रवैया बड़ा घणित और निन्दनीय है। इस तरह का विपक्ष यदि देश मे रहा तो लोकतन्त्र खतरे मे पड़ सकता है। इसलिए, श्रीमन्, मैं फिर एक शेअर अर्ज करना चाहता हूं :—

बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है,

हर शाख पर उल्लू बैठा है, अन्जाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा।

यदि इसी तरह हर शाखा पर विपक्ष बैठा रहा तो देश में लोकतन्त्र का भविष्य अच्छा नहीं है। जनता जानती है कि राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसा दल है जो देश में लोकतन्त्र की रक्षा कर सकता है, देश को मजबूत कर सकता है, देश को आगे ले जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (उधमपुर) : जनाबे वाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस पर मुझे बोलने का मौका दिया क्योंकि इस वक्त जो तहरीक है, मैं उसकी ताइद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये साल वाजह तौर पर पण्डित जवाहर लाल नेहरू की शताब्दी का साल है और हमें आज उनको याद करना चाहिए इसलिए कि अगर जवाहर लाल नेहरू हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टर न होते, तो आज हिन्दुस्तान की मौजूदा सूरत नहीं होती। जो नजरिया उन्होने हिन्दुस्तान को दिया, उसके अच्छे नतीजे आज हमारे सामने हैं। आजादी हासिल करने के बाद जो जम्हूरियत, सोश्यलिज्म, सैकुलरिज्म और डेमोक्रेसी का नजरिया पण्डित जी ने रखा और नान अलाइनमेंट का जो उनका नजरिया था; उस पर हमने अपने नए हिन्दुस्तान की तामीर की और आज यह कहा जाता है कि हिन्दुस्तान में शिद्दत है, कई किस्म के मजहब हैं, उनकी जबानों में इख्तिलाफ होने के बावजूद, इलाकों में इख्तिलाफ होने के बावजूद आज हिन्दुस्तान एक है, तो उसकी वजह एक ही है कि हमें जवाहर लाल नेहरू की कयादत में जो एक नजरिया मिला था, उसकी वजह से आज हिन्दुस्तान एक है और जो सदियों की बीमारियां हैं उनका इलाज ही यही था कि हिन्दुस्तान में ऐसी हुकूमत हो जिसमें सभी किस्म के लोगों के लिए, सभी प्रान्तों के लिए इंसाफ हो और उस पर हम आज तक चले हैं। आज इतने मसायल के बावजूद, मुश्किलात के बावजूद हिन्दुस्तान इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर खड़ा है। हमें फख्र है इस बात का कि आज तक जो भी हुआ, पिछले 103 साल की जो तारीख है, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की और हिन्दुस्तान की जो तारीख है, इसमें जो कामयाबियां हुई हैं, उन पर हमें वाजह तौर पर फख्र करना चाहिए। ये कामयाबियां हमारी कामयाबियां हैं। अगर उसमें कोताहियां रहीं, तो हमने उन कमजोरियों और कोताहियों से सबक हासिल किया और फिर हम आगे बढ़े।

मुझे याद है कि पं० जवाहर लाल नेहरू ने इसी ऐवान में एक दिन कहा था "कि कुछ इस तरह तय की है हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे और फिर चल पड़े।" हमने अपनी कोताहियों से, अपनी कमजोरियों से सबक हासिल किए हैं और हम आगे बढ़े हैं। आज भी जो हमारे मुखलिफ दोस्त हैं, हमें उनसे कोई डर नहीं है। मैं बिलकुल साफ बात कहना चाहता हूं। हमें अपनी कमजोरियों का अहसास

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

होना चाहिए, एप्रेजल करना चाहिए और फिर हमें एक नए इरादे से आगे बढ़ना है और उसके लिए हमें देखना है कि जो एक ढांचा, जो एक तरजे हुकूमत है, जो हमें पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने दी थी, उसमें अगर कहीं कमजोरियां आ गई हैं, उसमें कहीं सूरत बिगड़ गई। तो आज कुछ लोग जाती अगराज के लिए या सस्ती लीडरशिप हासिल करने के लिए हमारी उन कमजोरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आज कहीं रीजनल लेवल पर कुछ डिस्पैरिटीज हैं या कहीं और किस्म की कमजोरियां हैंतो हमें उनकी एसेस्मैंट करनी है। आज सवाल यह है, जहां हमें फख्र इस बात का है कि एक खामोश इंकलाब आ रहा है, हमने बड़ी-बड़ी टैक्नोलाजी में, मशीनरी में, एनर्जी में हर मैदान मे तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। रूरल डैवलपमैंट के सिलसिले में भी शुबाह नहीं है कि कुछ कमजोरियां हैं लेकिन जब हम देहात में जाते हैं तो एक खामोश इंकलाब-सा देखते हैं। आज हमारे मवेशियों की नस्ल बेहतर हो रही है। फसल के मामले में जहां पहले कुछ नहीं होता था वहां पर आज हमारी टैक्नोलाजी और साइंटिफिक-एड की वजह से फसलें ज्यादा हो रही हैं और हमारे किसानों की पैदावार बढ़ रही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी आबादी है जो कि बिलो पावर्टी लेवल गरीबी की रेखा से नीचे है और हम कोई साधन जरूर करना चाहते हैं ताकि जब हम 21 वीं सेन्चुरी में जा रहे हैं तो हम आबादी की गरीबी का बहुत ज्यादा बोझ लेकर न जाएं। पोपूलेशन का आज एक बोझ हो रहा है, इकोलोजिकल इम्बैलेंसेज माहोलियाती अदम तवाजुन है। इसका ख्याल रखना चाहिए। कही-कही पर इरिटेशन हैं, इरिटेन्ट्स हैं उनको हमें रिमूव करना चाहिए और उनको सही परस्पैक्टिव मे देखना चाहिए। खुदगर्ज लीडरशिप जो है, या कुछ अपोजिशन के लोग हैं, उनको रोकना पड़ जाता है कहीं सिसैशनिस्ट बन जाते हैं, उनको मौका नहीं दिया जाए कि वह एक्स्प्लायट करें। क्योंकि हमारे अवाम कहीं-कहीं जजबात में आकर बह जाते हैं इसलिए हमारा फर्ज है कि हम जहां-जहां भी डिस्टार्शन्ज हैं, डिफार्मेटीज हैं या कुछ कमजोरियां हैं, उनको दूर करें।

काश्मीर के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर सिसेशनिस्ट हैं। यह ठीक है, आज से नहीं बहु अर्से से हैं लेकिन हमको उनका मुकाबला करना है। लेकिन हमारी मरकजी सरकार ने, पिछले साल राजीव गांधी ने जिस तरह बाकी जगहों पर इनीशियेटिव लिए जैसे असम है, श्रीलका है या और जगहों पर इस तरह की बातें कीं, काश्मीर में भी उन्होंने एक एकार्ड किया और वह एकार्ड इस वक्त चल रहा है। लेकिन आज कुछ लोग इस एकार्ड के खिलाफ हैं, वे चाहते हैं कि इन बातों से इस एकार्ड को कमजोर करें। हो सकता है कि कुछ कमजोरियां हों, कुछ फालोअप एक्शन जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लेने थे, उसमें कुछ कमजोरियां जरूर आई हैं लेकिन हमें नए तजुर्बात में नहीं जाना चाहिए कि रोज-रोज नए तजुर्बात करें बल्कि मौजूदा एरेन्जमेंट चलाना चाहिए और जहां सिसैशनिस्ट है, हमें उनका मुकाबला करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन-सी बातें हैं जिनकी वजह से हमारे मुखालिफों को मौका मिलता है कि वहां पर फिसाद करें।

हमारे सोज साहब ने जो बातें कही, इनमें सिम्पैथेटिक एटीट्यूड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर 4 दिन तक ब्लैक-आउट काश्मीर वैली में हो तो लोगों को दुख जरूर होगा। अगर एक दिन बारिश पड़े और 10, 15 दिन तक सड़क बन्द रहे तो आप सोच सकते हैं कि वहां किस तरह से सिविल सप्लाई हो सकेगी। किस तरह लोगों को वहां कारोबार मिलेगा और वह किस तरह आत्मनिर्भर होंगे 9 हमारे नौजवान जो कि पहले ही 6 महीने बर्फ पड़ने की वजह से बेकार रहते हैं और फिर बाकी 6 महीने वह बेकार रहे यह एक विचारणीय विषय है।

आप कब तक जम्मू-कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ देंगे यह मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस वक्त केवल रेल केवल जम्मू तक आ रही है। जम्मू से आगे काश्मीर तक बिलकुल नक्शा साफ है। हालांकि उधमपुर में रेलवे ट्रैक बन रहा है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इस वक्त मौजूदा लिंक जो जम्मू और कश्मीर के बीच है, बारिशों और बर्फ पड़ने की वजह से 15-15 दिन तक बन्द रहता है। इससे सारा कारोबार बन्द हो जाता है। इसका फायदा ससैशनिस्ट लोग उठा लेते हैं। आप इस पर इत्मीनान करके नहीं बैठ सकते हैं। कश्मीर के लोगों की हमेशा कश्मीर के प्रति रिवायत बुलन्द रही है। आज आप पण्डित जवाहरलाल नेहरू जी की सैंटिनरी मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर के लोगों के अन्दर उनके प्रति जातीय अकीदत है। उसकी वजह से आज जम्मू-कश्मीर हिन्दुस्तान का एक हिस्सा है और हमें इस बात का फख्र भी है। 1947 में गांधी जी को कश्मीर से ही रोशनी की किरण दिखाई दी थी। उस समय लोगों के सामने कुछ उसूल थे और वह यह सोचते थे कि अगर हमारा इलहाक हो सकता है तो हिन्दुस्तान के साथ ही हो सकता है।

हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है, हमें चाहिए कि हम उसे बढ़ावा दें। हमने सुना है कि पैंगकौंग लेक, टसोमोरेरीलेट और लेह-मनाली रोड पर टूरिज्म शुरू हो रहा है। यह एक अच्छी बात है। ऐसा होना भी चाहिए। मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा नूबरा-चौथौंग पर भी इसको शुरू करना चाहिए और वहां टूरिस्ट की इजाजत मिलनी चाहिए। इसी तरह कटरा-वैष्णो देवी जहां पर 20 लाख लोग रोज जाते हैं वहां रेल ट्रैक होना चाहिए। आपको इनकी तरफ तवज्जह देनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[شری محمد ایوب خان (اود هم پور) : جناب والا مین آپ کا شکر گزار هوں که آپ نے اس صدارتی خطبه کے شکریے پر مجھے بولنے کا موقع دیا کیونکه اس وقت جو تحریک هے مین اس کی تائید کرنے کے لئے کھڑا هوا هون - یه سال واضح طور پر پنڈت جواهر لال نهرو کی صدی کا سال هے اور همین آج ان کو یاد کرنا چاهئے اس لئے که اگر جواهر لال نهرو هندوستان کے پرائم منسٹر نه هوتے تو آج هندوستان کی موجوده صورت نهین هوتی - جو نظریه انهون نے هندوستان کو دیا اس کے اچھے نتیجے آج همارے سامنے هین - آزادی حاصل کرنے کے بعد جو جمهوریت سوشلزم سیکولرازم اور ڈیموکریسی کا نظریه پنڈت جی نے رکھا اور نان الائنمنٹ کا - وه ان کا نظریه تھا اس پر هم نے اپنے نئے هندوستان کی تعمیر کی اور آج یه کها جاتا هے که هندوستان مین شدت هے کئی قسم کے مذهب هین ان کی زبانون مین اختلاف هونے کے با وجود علاقون مین اختلاف هونے کے باوجود آج هندوستان ایک هے تو اس کی وجه ایک هی هے که همین جواهر لال نهرو کی قیادت مین جو ایک نظریه ملا تھا اس کی وجه سے آج هندوستان ایک هے اور جو صدیون کی بیماریان هین ان کا علاج هی یهی تھا که هندوستان مین ایسی حکومت هو جس مین سبھی قسم کے لوگون کے لئے سبھی پرانتون کے لئے انصاف هو اور اس پر هم آج تک چلے هین - آج اتنے مسائل کے باوجود مشکلات کے باوجود هندوستان اکیسوین صدی کی دهلیز پر کھڑا هے - همین فخر هے اس بات کا که آج تک جو بھی هوا پچھلے ایک سو تین سال کی جو تاریخ هے اس مین جو کامیابیان هوئی هین ان پر همین واضح طور پر فخر کرنا چاهئے - یه کامیابیان هماری کامیابیان هین - اگر اس مین کوتاهیان رهین تو هم نے ان کمزوریون اور کوتاهیون سے سبق حاصل کیا اور پھر هم آگے بڑھے -

مجھے یاد ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے اسی ایوان میں ایک دن کہا تھا کہ خوشی ہے ہمیں ہم نے منزلیں طے کیں ۔ منزلیں طے کرتے وقت گر پڑے گر کر اٹھے اور پھر چل پڑے ۔ ہم نے اپنی کوتاہیوں سے اپنی کمزوریوں سے سبق حاصل کئے ہیں اور ہم آگے بڑھے ہیں ۔ آج بھی جو ہمارے مخالف دوست ہیں ہمیں ان سے کوئی ڈر نہیں ہے ۔ میں بالکل صاف بات کہنا چاہتا ہوں ۔ ہمیں اپنی کمزوریوں کا احساس ہونا چاہئے ایپریزل کرنا چاہئے اور پھر ہمیں ایک نئے ارادے سے آگے بڑھنا ہے اور اس کے لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو ایک ڈھانچہ جو ایک طرز حکومت ہے جو ہمیں پنڈت جواہر لال نہرو نے دی تھی اس میں اگر کہیں ڈیفارمٹیز آ گئی ہیں، اس میں کہیں ڈسٹارشن ہیں تو کچھ لوگ ذاتی اغراض کیلئے یا سستی لیڈر شپ حاصل کرنے کے لئے ہماری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ۔ اگر آج کہیں ریجنل لیول پر کچھ ڈیفیشینسیز ہیں، یا کہیں اور قسم کی کمزوریاں ہیں تو ہمیں ان کی ایمپھیسائز کرنی ہے ۔ آج سوال یہ ہے جہاں ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ایک خاموش انقلاب آ رہا ہے ہم نے بڑی بڑی ٹیکنالوجی میں مشینری میں انرجی میں ہر میدان میں ترقی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ۔ رورل ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں بھی شبہ نہیں ہے کہ کچھ کمزوریاں ہیں لیکن جب ہم دیہات میں جاتے ہیں تو ایک خاموش انقلاب سا دیکھتے ہیں ۔ آج ہمارے مویشیوں کی نسل بہتر ہو رہی ہے ۔ فصل کے معاملے میں جہاں پہلے کچھ نہیں ہوتا تھا وہاں پر آج ہماری ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ایڈ کی وجہ سے فصلیں زیادہ ہو رہی ہیں اور ہمارے کسانوں کی پیداوار بڑھ رہی ہے ۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی آبادی ہے جو کہ بیلو پاورٹی لیول ہے اور ہم کوئی سادھن ضرور کرنا چاہتے ہیں تاکہ جب ہم اکیسویں صدی میں جا رہے ہیں تو ہم آبادی کا بہت زیادہ بوجھ لیکر نہ جائیں ۔ پاپولیشن کا آج ایک بوجھ ہو رہا ہے ایکولوجیکل امبیلینسز میں اسکا خیال رکھنا چاہئے ۔ کہیں کہیں پر اریگیشن میں اور ریٹیشن میں ان کو ہمیں ریمو کرنا چاہئے اور ان کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہئے ۔ خود غرض لیڈر شپ جو ہے یا کچھ اپوزیشن کے لوگ ہمیں ان کو روکنا پڑ جاتا ہے کہیں سینٹیمنٹس بن جاتے ہیں ان کو موقع نہیں دیا جائے کہ وہ ایکسپلائیٹ کریں کیونکہ ہمارے عوام کہیں کہیں جذبات میں آکر بہہ جاتے ہیں اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم جہاں جہاں بھی ڈسٹارشنز ہیں ڈیفارمیٹیز ہیں یا کچھ کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں ۔

کشمیر کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہاں پر سینٹیمنٹس ہیں ۔ یہ ٹھیک ہے آج سے نہیں وہ عرصے سے ہیں لیکن ہم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے ۔ لیکن ہماری مرکزی سرکار نے پچھلے سال راجیو گاندھی نے جس طرح باقی جگہوں پر انیشیٹو لئے جیسے آسام ہے شری لنکا ہے یا اور جگہوں پر اس طرح کی باتیں کیں کشمیر میں بھی انہوں نے ایک اکارڈ کیا اور وہ اکارڈ اس وقت چل رہا ہے ۔ لیکن آج کچھ لوگ اس اکارڈ کے خلاف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان باتوں سے اس اکارڈ کو کمزور کریں ۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمزوریاں ہوں کچھ فالو اپ ایکشن جو سینٹرل گورنمنٹ نے لینے تھے اس میں کچھ کمزوریاں ضرور آئی ہیں لیکن ہمیں نئے تجربات میں نہیں جانا چاہئے کہ روز روز نئے تجربات کریں بلکہ موجودہ ایرینجمنٹ کا خیال کریں اور جہاں سینٹیمنٹس ہیں ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہئے ۔ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے مخالفوں کو موقع ملتا ہے کہ وہاں پر فساد کریں ۔

ہمارے سوز صاحب نے جو باتیں کہیں ان میں سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہئے سینٹرل گورنمنٹ کا اگر چار دن تک بلیک آؤٹ کشمیر ویلی میں ہو تو لوگوں کو دکھ ضرور ہوگا ۔ اگر ایک دن بارش پڑے اور دس پندرہ دن تک سڑک بند رہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کس طرح سے سول سپلائی ہو سکے گی ۔ کس طرح لوگوں کو وہاں کاروبار ملے گا اور وہ کس طرح آتم نربھر ہوں گے ہمارے نوجوان جو کہ پہلے ہی چھ مہینے برف پڑنے کی وجہ سے بیکار رہتے ہیں اور پھر باقی چھ مہینے وہ بیکار رہے یہ ایک وچار نیے وشے ہے ۔

آپ کب تک جمّو کشمیر کو ریل لائین سے جوڑ دین گے یہ مین آپ سے جاننا چاہون گا ۔
اسوقت کے صرف ریل صرف جمون تک آ رہی ہے ۔ جمّو سے آگے کشمیر تک بالکل نقشہ صاف ہے ۔
حالانکہ اودھم پور مین ریلیے ٹریک بن رہا ہے لیکن اس کی رفتار بہت دھیمی ہے اس وقت موجود
لنک جو جمّو اور کشمیر کے بیچ ہے بارشون اور برف پڑنے کی وجہ سے پندرہ پندرہ دن تک بند
رہتا ہے ۔ اس سے سارا کاروبار بند ہو جاتا ہے ۔ اسکا فائدہ سیشنسٹ لوگ اٹھا لیتے
ہین ۔ آپ اس پر اطمینان کر کے نہین بیٹھ سکتے ہین ۔ کشمیر کے لوگون کی ہمیشہ کشمیر کے
پرتی روایات بلند رہی ہے ۔ آج آپ پنڈت جواہر لال نہرو جی کی سینٹینری منا رہے ہین ۔
اس موقع پر مین یہ کہنا چاہتا ہون کہ کشمیر کے لوگون کے اندر ان کے پرتی ذاتی عقیدت ہے
اس کی وجہ سے آج جمّو کشمیر ہندوستان کا ایک حصّہ ہے اور ہمین اس بات کا فخر ہے ۔
سنہ ۱۹۴۷ء مین گاندھی جی کو کشمیر سے ہی روشنی کی کرن دکھائی دی تھی ۔ اس وقت
لوگون کے کچھ اصول تھے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہمارا الحاق ہو سکتا ہے تو ہندوستان کے
ساتھ ہی ہو سکتا ہے ۔

ہماری جو ٹورسٹانڈسٹری ہے ہمین چاہئیے کہ ہم اسے بڑھاوا دین ۔ ہم نے سندا
وہ دو پہنگوتون لیک ۔ شوموریری لیک پر اور لیہہ منالی روڈ پر ٹورزم شروع ہو رہا ہے ۔ یہ
ایک اچھی بات ہے ۔ ایسا ہونا بھی چاہئیے ۔ مین آپ سے یہ گزارش کرون گا نوبرا ۔ چوتھونگ
پور بی اس کو شروع کرنا چاہئیے اور وہان ٹورسٹ کو جانے کی اجازت ملنی چاہئیے ۔ اسی طرح کٹرا
ویشنو دیوی جہان پر بیس لاکھ لوگ روز جاتے ہین وہان ریل ٹریک چاہئیے ۔ آپ کو ان کی
طرف توجہ دینی چاہئیے ۔

[ان ہی لفظون کے ساتھ مین اپنی بات ختم کرتا ہون ۔]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने जो अपना अभिभाषण पार्लियामेंट में रखा और उस पर जो धन्यवाद प्रस्ताव यहां पेश हुआ, उसका मैं समर्थन करता हूं। जिस तरीके से राजीव गांधी जी ने पिछले साल खास तौर से राजस्थान की तरफ ध्यान दिया और हमारी मदद की है उतनी आज तक 40 साल में कभी किसी ने मदद नहीं की।

पिछले 40 सालों में राजस्थान में बराबर अकाल पड़ता रहा है और हम बराबर अकाल से पीड़ित रहे हैं। इसकी वजह से न तो पीने का पानी मिल पाता है और न ही खाने को अनाज मिल पाता है व न ही जानवरों के लिए चारा। इन अभावों में जिस तरीके से राजस्थान के लोग रह रहे हैं, और जिन लोगों की इस कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी के नेतृत्व में पिछले साल जिस प्रकार से मदद की है, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। पिछले साल राजस्थान की 650 करोड़ रुपये की मदद राजीव गांधी की सरकार ने की है। पिछले 40 सालों में जितने भी अकाल पड़े हैं, उनमें 650 करोड़ रुपये की मदद भारत सरकार ने कभी नहीं की। उनका टोटल भी कर लिया जाय तो भी 650 करोड़ नहीं बनता और पिछले साल कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के लोगों को जिन्दा रखने के लिए, राजस्थान के जानवरों को जिन्दा रखने के लिए काम-काज खोल कर, पीने के पानी की व्यवस्था करके, अनाज की व्यवस्था करके, जानवरों के लिए घास की व्यवस्था करके, अलग-अलग कैम्प स्थापित करके जो व्यवस्थाएं पिछले साल की गई हैं, वह निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अकेले राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रान्तों के अन्दर, जहां अकाल था, चाहे गुजरात समझ लीजिए या दूसरे इलाके समझ लीजिए, वहां पर भी पूरे तरीके से भारत सरकार ने मदद की है। हम जिस तरीके से राजस्थान के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, मैं

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान से भी ज्यादा गुजरात की मदद भारत सरकार ने की है, करीब 750 करोड़ के आसपास भारत सरकार की तरफ से, राजीव गांधी की सरकार की तरफ से गुजरात की मदद की गई है। पिछले साल हिन्दुस्तान के बहुत-बड़े इलाके में अकाल था और उन सारे इलाकों में बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही दिलचस्पी के साथ हमारे देश के प्रधान मन्त्री ने गांव-गांव में घूमकर सारी जानकारी की, सारे देश की, लोगों की और जिस तरीके से सहायता की, वह निश्चित तरीके से बहुत ही प्रशंसनीय है।

इसी तरह जहां-जहां फ्लड्स आये, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में मदद की गई है। पिछले साल में अकेले 2500 करोड़ रुपये के आसपास भारत सरकार ने अकाल के लिए और बाढ़ के लिए अलग-अलग प्रान्तों को मदद करके वहां के लोगों को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने की जिस प्रकार से कोशिश की है, वह निश्चित तरीके से बहुत ही प्रशंसनीय है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल से लड़ने के लिए हमें पूरी तरह से व्यवस्थाएं दी जायें। साठे साहब यहां बैठे हुए हैं और इनसे हम बार-बार निवेदन करते हैं कि आप उन इलाकों में, जहां पर कि रेत है. वहां पर पांच-पांच सौ फीट नीचे पानी निकलता है और बिना बिजली के पानी ऊपर नहीं आ सकता लेकिन यह बिजली देने में कोताही करते हैं। अभी यह हमारे यहां कोटा जिले में गैस के कारखाने का उद्घाटन करने गए थे, तब हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि 4 कोयले पर आधारित बिजली के कारखाने हमको दीजिए। आपने पता नहीं उसके सम्बन्ध में क्या स्टेटमेंट दिया मगर अखबारों में यह निकला कि इन्होंने मना कर दिया।···

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : उपाध्यक्ष जी, मैंने तो खुलासा किया लेकिन खुलासा नहीं चलता। आपको तो मालूम है, जो अपने खिलाफ हैं, वही बात जोर से छपती है। मैंने उस वक्त भी वहां यह कहा था कि 4 जो स्टेशन मांगे हैं उसके बारे में कोल लिंकेज के बारे में जानकारी मांगी है कि कहां से कोल लिंकेज मिलने वाला है। इन प्रिंसिपल हमें कोई आब्जेक्शन नहीं, हमने तो अन्ता का प्लाण्ट दिया, हमीं ने जल्दी से जल्दी करवाया और भी ज्यादा प्लाण्ट हम देने को तैयार हैं। 30 मेगावाट सोलर थर्मल भी देने को कह रहे हैं, गैस तुम्हारे निकलेगी, उसमें भी, राजस्थान के लिए तो ब्लैंक चैक है, हमारी तरफ से जितनी पावर लेना चाहो, लो। मैं खुद कह रहा हूं लेकिन आप कोल बेस पावर प्लाण्ट लगाना चाहते हैं और कोल कहां से आने वाला है, यह भी बताइये, आप नहीं बतायेंगे तो हम क्लियर क्या करेंगे ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : कोल आयेगा हमारे कपूरड़ी के अन्दर से।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो इनको इसी के लिए प्रोत्साहित किया था कि ये यहां पर कुछ खुलासा करेंगे। इन्होंने वाकई में उस बात को पूरा किया, हम इनके बहुत आभारी हैं। हमारे वृद्धि चन्द्र जी बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोयले के बारे में जैसा ये कह रहे हैं, वह कोल अलग है, वह कोल तो लिग्नाइट है। उस कोल से तो बाड़मेर और एलाना में लिग्नाइट बेस कुछ कारखाने लगेंगे। निश्चित तरीके से उनके मामले में तो आप कार्यवाही कर रहे हैं और 2 कारखाने वहां पर एटॉमिक बेल्ड भी लग रहे हैं, उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। कोटा जिले में 4 थर्मल यूनिट्स सैंक्शन की हैं, दूसरी लग चुकी है, तीसरी लग चुकी है और चौथी और लगेगी

लेकिन उससे भी हमारी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए, माननीय साठे साहब, हमने कहा कि 4 और दीजिए···

12.54 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

और सवाल यह कि कोल कहां से आएगा, तो कोल जहां पैदा होता है वहीं से आएगा, और कहां से आएगा। या तो बिहार से आएगा, या आन्ध्र प्रदेश से आएगा या पश्चिम बंगाल से आएगा। आप लाइए और कोयला बेस्ड कारखाने स्थापित कीजिए ताकि राजस्थान के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके। आप हमारे अध्यक्ष महोदय से पूछिये, सीकर और झुंझुनूं में कितने लोग दुख पा रहे हैं। हमारा जितना भी डैजर्ट का इलाका है, उसमें बिजली के बिना काम नहीं चल सकता और इसलिए आप हमें बिजली दीजिए, चार कारखाने निश्चित तरीके से जल्दी से जल्दी आप राजस्थान के अन्दर लगाइए ताकि वहां के किसान खेती की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें। और उनकी आर्थिक उन्नति में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इस तरीके की व्यवस्था करने की नितान्त आवश्यकता है।

श्री वसंत साठे : मैंने पहले भी कहा कि बार-बार गलतफहमी मत करवाइये मेहरबानी करके, व्यासजी। मैं बिल्कुल तैयार हूं, आप 4 नहीं 8 प्लान्ट लगाइये, वह स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन कोल लिंकेज आपको मिलाना है, मुझे नहीं मिलाना है। आप कोल लिंकेज मिलवाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिना उसके कैसे लगायेंगे ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं बार-बार इनसे निवेदन करना चाहता हूं—ये जो झुंझलाहट करते हैं—हमारा काम है आपसे मांगने का, हम तो मागेंगे आपसे और आपको देना पड़ेगा। हमारे राजीव गांधी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह सरकार अगर हमारी मदद नहीं करेगी तो किसकी मदद करेगी ? क्या इन विरोधियों की मदद करेगी ? क्या इनके प्रान्तों में जाकर बिजली के कारखाने देंगे ? राजस्थान, जहां पर आपकी सरकार है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है उसकी मदद न करके विरोधियों की सरकार जहां चलती है, उनको मदद करेंगे ? (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : आपकी यह बात भी गलत है। हमारे लिए तो सारा देश बराबर है। विरोधियों का प्रान्त और हमारा प्रान्त—ऐसा भेदभाव हम नहीं करते। हमारे लिए सारा देश बराबर है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात कभी नहीं कहो कि यह प्रान्त विरोधियों का है और यह हमारा है। सारे प्रान्त हमारे हैं, यह देश हमारा है, और हम सब एक हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप लोग तो बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आप सारे देश पर राज करते हैं। हम तो गरीब आदमी, गरीब किसान के प्रतिनिधि हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप बिजली हमे दें।

अध्यक्ष महोदय : इनको हम दबाएंगे कि हमें बिजली दें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं यह निवेदन कर रहा हूं, हमारे प्रधान मन्त्री जी से भी हमने निवेदन किया, बार-बार यह कहा कि आप राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शक्ति दीजिए, ताकत

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

दीजिए, बिजली दीजिए, ताकि हम ताकतवर बन सकें और अपने गरीब लोगों को रोटी दे सकें। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां रोटी की ही है। ये राजीव गांधी जी अगर नहीं होते, तो हम सब के सब मर जाते। इन्होंने जितनी मदद की है, निश्चित तौर से, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, वह कम है। इसलिए मैं इनसे कहता हूं कि हमारी मदद करो और ये जो हम पर झुंझलाहट करते है कि कोल कहां से आएगा, तो कोल लाना, आपका काम है। हमारा काम नहीं है। हमको तो आप बिजली दीजिए ताकि हमारे राजस्थान की प्रगति हो सके।

अध्यक्ष महोदय: बस, बस। हमने 210 मेगावाट का पावर हाउस अभी भिजवाया है।

प्रधान मन्त्री द्वारा 27 फरवरी, 1989 को प्रश्नकाल के दौरान की गई कतिपय टिप्पणियों को स्पष्ट करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी): अध्यक्ष महोदय, कल प्रश्न काल के दौरान मैंने कतिपय टिप्पणियां की थी। और आज सुबह समाचार-पत्र पढ़ते समय मुझे यह महसूस हुआ कि कोई गलत संदेश छप गया है जो मेरे कहे के बिलकुल विपरीत था।

प्रथमतः, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने किसी भी स्थान पर यह नहीं कहा था या ऐसा संकेत दिया या इन शब्दों का प्रयोग किया कि विपक्ष देश भक्त नही है या राष्ट्र विरोधी है। मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरा कहने का तात्पर्य यह नहीं था। जो कुछ मैंने कहा, जिस मैं फिर से कहने में भी नहीं हिचकिचाता, वह यह है कि विपक्ष में से कम से कम एक सदस्य खालिस्तान का मामला उठा रहा है और संघ के ही भीतर ही राज्यों के पुनर्गठन की बात कर रहा है। मैंने विपक्ष मे किसी भी व्यक्ति को यह मामला उठाते हुए नहीं देखा। मैंने विपक्ष पर खालिस्तान का मामला उठाने का आरोप नहीं लगाया है और मैं उन पर ऐसा करने का आरोप भी नहीं लगाता हूं। किन्तु यदि वे वास्तव में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए वचनबद्ध हैं तो मैं चाहूंगा कि वे उस सदस्य के खिलाफ कार्रवाई करें।

महोदय, मुझे विपक्ष के बहुत ही वरिष्ठ सदस्यों से भी कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने आतंकवादियों के प्रति नरमी का बर्ताव करते हुए कुछ कार्रवाई किए जाने की अपील की है। और यही वह दो तरफा नीति है जिससे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में कठिनाई होती है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि कल बहस की गरमा गरमी में मैंने मा० क० पा० का उल्लेख किया। मैं सभी कम्यूनिस्ट पार्टियों का उल्लेख करना चाहता था क्योंकि सी० पी० आई०, सी० पी० एम० और अन्य वामपन्थी पार्टियां आतंकवादियों के खिलाफ लड़ती आ रही हैं और राष्ट्रीयतावादी रवैया अपना रही हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और वामपन्थी पार्टियों के अतिरिक्त अन्य पार्टियों के भी बहुत से लोग मारे गए हैं और उनके लिए हमारे हृदय में बहुत दुख है। वे सभी देश भक्त थे। वे हमारे राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए मर-मिटे।

अन्त में, यदि विपक्ष इस मामले में स्पष्ट रवैया अपनाना चाहता है तो मैं यह चाहूंगा कि वे आतंकवादियों के खिलाफ वास्तविक विरोध प्रकट करें। मैं उनसे यह उम्मीद करूंगा कि वे राष्ट्र को यह बता दें कि वे किसी भी तरह किसी भी विपक्षी सदस्य को आतंकवादियों की सहायता करने या उनके प्रति नरमी बरतने की अनुमति नहीं देंगे।

यदि मेरी किसी बात से विपक्षी सदस्यों को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं किन्तु मैं उनसे यह अपेक्षा रखता हूं कि वे इसे कर्म करके ठीक करें।

अध्यक्ष महोदय : सदन की बैठक मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म० प० तक के लिए स्थगित की जाती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे
म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.06 म० प० पर पुन: समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

—[जारी]

उपाध्यक्ष महोदय : व्यास जी, मैं समझता हूं आप अपना भाषण पूरा कर चुके हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : महोदय, मैंने अभी अपना भाषण पूरा नहीं किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही 12 मिनट ले चुके हैं। अब इसे दो या तीन मिनट में पूरा करने की कोशिश करें। मैं यह समय विशेष मामले के रूप में दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिजली की बात कर रहा था। अब मैं राजस्थान में पीने के पानी और जो अन्य प्रकार की कठिनाइयां हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

भारत सरकार ने टेक्नोलोजी मिशन कायम किया है और उसके जरिए से पीने का पानी उपलब्ध कराने की बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। राजस्थान में अभी भी पांच हजार गांव ऐसे हैं जिनमें पीने का पानी नहीं है। इन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए टेक्नोलोजी मिशन

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

को बहुत बड़ी योजना बनानी चाहिए। ताकि राजस्थान के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

इसी प्रकार टेक्नोलोजिकल मिशन एडल्ट एजुकेशन और शिक्षा के सम्बन्ध में भी काम कर रहा है। मान्यवर राजस्थान ही एक ऐसा प्रांत है जहां शिक्षा सबसे कम प्राप्त है। वहां क 20 प्रतिशत पुरुषों और 12 प्रतिशत महिलाओं को ही शिक्षा प्राप्त है। इसलिए वहां शिक्षा पर भी सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। टेक्नोलोजिकल मिशन को इसके लिए भी सबस ज्यादा प्रयास करना चाहिए ताकि वहां के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा ग्रहण करके इस देश को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने में अपना योगदान कर सकें।

इसी प्रकार से डेयरी डवलपमेंट भी राजस्थान में सहायक हो सकता है। क्योंकि राजस्थान का आधा हिस्सा डेजर्ट एरिया है और वहां पशु-पालन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस टेक्नोलोजिकल मिशन को भी डेयरी डवलपमेंट के लिए बहुत अधिक काम करना चाहिए। ताकि राजस्थान के लोगों को आर्थिक उन्नति करने का मौका मिल सके और वहां के किसानों को तरक्की के साधन उपलब्ध हो सकें।

इन तीनों चीजों में टेक्नोलोजिकल मिशन के जरिए से राजस्थान को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। हमारे नेता प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी बड़े पैमाने पर टेक्नालाजी मिशन्स द्वारा इन प्रान्तों और देश को बढ़ाने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं, इसलिए इन व्यवस्थाओं की नितान्त आवश्यकता है।

हमारे यहां पर पब्लिक सेक्टर में दो व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। मैं प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले उन्होंने राजस्थान मे जिंक स्मेल्टर प्लान्ट का शिलान्यास किया है, 750 करोड रुपए की यह योजना है। लेकिन माइका पेपर कारखाने की माग वहां बहुत दिनों से पेंडिंग है, अभी तक उस मांग को पूरा नहीं किया गया है और यह योजना मेरे जिले भीलवाड़े की ही है। इस तरह के कारखाने बिहार आन्ध्र प्रदेश में लगा दिए गए हैं, लेकिन राजस्थान में अभी इसको शुरू नहीं किया गया है। इसकी वहां पर बहुत आवश्यकता है ताकि लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकें। कोआपरेटिव सेक्टर में एक कारखाना और लगाना चाहिए और वह है तिलहन का कारखाना। मूंगफली का तेल निकालने का कारखाना वहां पर लगाना चाहिए। वहां पर कोआपरेटिव सोसायटी बनाई गई है और इस तरह के 6-7 कारखाने कोआपरेटिव सेक्टर में लगाए गए हैं, पंजाब, यू० पी०, गुजरात आदि मे लगाए गए हैं, लेकिन राजस्थान मे अभी यह व्यवस्था नहीं हो पाई है। जब प्रधानमन्त्री जी ने हमारे राज्य का दौरा किया था तो उस समय उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस योजना को देखकर इस कारखाने की स्थापना यहां पर की जाएगी, इसलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस व्यवस्था को स्वीकृत किया जाना चाहिए, जिससे प्रदेश को बहुत फायदा होगा।

पंचायती राज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं भी पचायती राज का ही प्रोडक्ट हूं। सबसे पहले मैं सरपन्च बना, फिर तहसील प्रधान, एम० एल० ए० और फिर एम० पी० बना। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूं जो सीधा एम० पी० या एम० एल० ए० बन जाता है, मैं तो गरीब किसान था, जिसने अपना जीवन नीचे से शुरू किया है। मैं पंचायती राज में पूरी तरह से शामिल

रहा हूं, इस पंचायती राज को मजबूत बनाना नितान्त आवश्यक है। अगर हम गरीब किसान को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न बनाना चाहते हैं तो पंचायती राज के थ्री टायर सिस्टम को जिसके बारे में प्रधान मन्त्री जी ने कहा है, अपनाना बहुत आवश्यक है। सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। भारत सरकार योजनाएं बनाती है, राज्य सरकारें योजनाएं बनाती हैं, लेकिन ये योजनाएं पता नहीं कहां चली जाती हैं, गांव तक नहीं पहुंचती है। अगर पंचायत, ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद आदि को मजबूत किया जाए और डिस्ट्रिक्ट फण्ड्स उनको उपलब्ध कराए जाएं तो निश्चित तरीके से पंचायत मजबूत हो सकती है। यदि हमारा दृष्टिकोण गरीबी हटाने का और बेरोजगारी दूर करने का है तो यह तभी पूरा हो सकता है जब पंचायती राज को मजबूत और सशक्त बनाया जाए। इसमें भी जैसा कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि गलत आदमी घुस गए हैं, ये लोग इसका दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचकर पंचायती राज की सहूलियतें दी जानी चाहिए। कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिए से बेरोजगारी दूर हो सकती है और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस कार्य को जल्दी ही पूरा किया जाना चाहिए ताकि हमारी योजनाएं भी जल्दी पूरी हों, अगले साल तक इस कार्य को कर दिया जाना चाहिए।

मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर आपकी आज्ञा है, समय कम है इसलिए अन्त में मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गाडगिल ने जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

आज इस देश के अन्दर नेहरू शताब्दी मनाई जा रही है और हमारी सरकार ने जिस तरह से देश को आगे बढाने के लिए कदम उठाए हैं, वे सराहनीय हैं। हमारे नेता राजीव गांधी जी ने सारे संसार का दौरा किया, संसार के देश जो पंचशील की नीति को मानते हैं। उसके आधार पर सारे संसार को जो मार्गदर्शन हिन्दुस्तान से मिला है वह शायद ही किसी और देश से प्राप्त हुआ हो। आज हमारे देश के प्रधान मन्त्री जी ने मालद्वीप पर जब हमला हुआ तो उसे बचाने का पूरा प्रयत्न किया जिससे वहां पर शान्ति से शासन कायम रह सके। श्रीलंका, नेपाल व अन्य पड़ोसी देशो के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए। इसके लिए राजीव जी बधाई के पात्र हैं। राष्ट्रपति जी के भाषण में पंजाब में उग्रवाद का जिक्र किया गया है। यह उग्रवाद किसी देश की मदद से चल रहा था जो आज भी कायम है, इसके खिलाफ लड़ने का ऐलान हमारे देश के नेता ने किया है जिसका जिक्र राष्ट्रपति जी के भाषण में भी हुआ है कि जब तक वहां पर उग्रवाद समाप्त नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस सिलसिले में जो कदम उठाए गए वे बहुत ही सराहनीय हैं। पाकिस्तान में लोकतन्त्र की स्थापना के बाद श्रीमती बेनजीर भुट्टो के साथ वार्ता हुई और हमारे ताल्लुकात बढ़े हैं। काश्मीर में भी जो उग्रवाद फैल रहा है, उसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयत्न करेगी। हिमाचल प्रदेश, यू० पी० का टिहरी गढ़वाल और पंजाब के साथ जो बार्डर एरिया है वहां की राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा केन्द्र की ओर से मदद मिलनी चाहिए ताकि इन राज्यों में से इस तरह के हालात पैदा न हो सकें। आज विपक्ष के लोग यहां नहीं हैं। हमारे नेता ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि वे देश के साथ नहीं हैं और खालिस्तान के हमदर्द हैं बल्कि सी. पी. एम. और सी. पी. आई. ने पंजाब के मामले में हमेशा साथ दिया है। इनके लिए तो लोकतन्त्र तभी बहाल होता है जब ये फेयरफैक्स या राजीव जी को हटाने की बात हैं। हमने इन्दिरा जी के समय पर भी देखा है। सारे विपक्ष के लोग कहते थे कि इन्दिरा हटाओ और देश बचाओ। यह इनका नारा था। इनके पास कोई भी नेता नहीं

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

है। एक-एक सदस्य का भी दल बना हुआ है। कई ऐसे हैं जो लोक सभा में नहीं हैं लेकिन अपना दल बना रखा है। इस तरह के लोग राष्ट्र को क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं। बेरोजगारों के लिए हमारी सरकार ने जो निर्णय लिया है वह सराहनीय है। जहां आप पढ़े-लिखे लोगों को रोजगार देंगे, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कदम उठायेंगे वहां गांव के जो हरिजन-आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं चाहे राजपूत, ब्राह्मण या किसी भी कम्युनिटी के हों उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूरदराज के इलाकों में पढ़ाने के लिए कोई मास्टर नहीं जाता और उस इलाके लोग थर्ड डिवीजन में ही पास होते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि वे किसी मुकाबले में नहीं आ पाते और उनके नाम भी एम्पलायमेंट एक्सचेंज में दर्ज नहीं होते जबकि वे देश को मजबूत करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं। किसान के पास इतनी भूमि नहीं होती है कि वे अपना गुजारा कर सकें। इसलिए नौकरी जरूरी है। नौकरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनमें ग्रामीण लोग बहुत कम आ पाते हैं, हरिजनों, आदिवासियों और देहात के लोग नहीं आ सकते, क्योंकि वहां प्रतियोगिता होती है और इनको इतने अवसर उपलब्ध नहीं हैं कि वह प्रतियोगिता में भाग ले सकें। इस कारण बैंकों में काफी रिक्त स्थान पड़े रहते हैं और सरकार बैकलाग को पूरा नहीं करती। जितने भी भारत सरकार के उपक्रम हैं उनमें भी यही हालत है। वहां भी हरिजनों और आदिवासियों का बैकलाग पूरा न होने की वजह से इनको मौका नहीं मिलता। यह बात नहीं है कि ये लोग प्रतियोगिता में नहीं आ सकते अगर पूरे साधन इनको मिलें तो ये भी आ सकते हैं, लेकिन सरकार बैक लाग पूरा नहीं करती और उन्हें सारे साधन मुहैया नहीं कराए जाते। आपको इसको देखना चाहिए। अगर राष्ट्र को आगे ले जाना है और सब लोग इसको समझते हैं तो इस कमी को दूर करना होगा। आज यहां पर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी नहीं हैं, वह कहते हैं कि 18 साल के लोगों को मतदान देने का अवसर हमने उपलब्ध कराया है। मैं कहना चाहता हूं कि कुछ समय पहले मद्रास में हमारा सेशन हुआ था और कांग्रेस पार्टी के उस सेशन में हमारे नेता ने नौजवानों को यह हक देने का फैसला किया। इसलिए यह कांग्रेस पार्टी का यह फैसला है कि 18 साल के लड़के-लड़कियों को मत देने का अधिकार दिया जाए। जिससे वह राष्ट्र को और मजबूती प्रदान करें। हमारे पुराने स्पीकर ढिल्लों साहब ने भी यहां पर कहा कि मैं टेलीविजन रोज देखता हूं उसमें लड़की 18 साल हो गई है और उसे शादी के काबिल मान लिया जाता है लेकिन लड़के की शादी करने की उम्र 21 साल जरूरी है तो क्यों नहीं दोनों की उम्र एक कर दें जिससे दोनों पति-पत्नी एक साथ वोट डाल पर्ची सुलझे हुए लोगों ने यहां पर ऐसा कहा है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता दल के नेता हैं पहले वे हमारे यहां पर थे और यहां से भागकर वहां चले गए और उनके नेता बन गए। पता नहीं इनके पास कोई नेता नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे यहां से जाता है वही इनका नेता हो जाता है और फिर बयान देते हैं बाहर और कहते हैं कि न तो मैं प्रधान मन्त्री बनूंगा और न कोई मन्त्री, मैं तो एक किनारे रहूंगा।...यही बात वे यहां भी कहते थे।

मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं वहां पर किसानों ने अपना उत्पादन बढ़ाकर सेब, आलू और सब्जियों को पूरे भारत में सप्लाई किया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन आज भी दूर-दराज में जहां पर किसान रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में वे बड़ी मुसीबत में हैं। वहां पर सड़कों का अभाव है। वह गांव से अपनी पीठ पर बोझा लादकर रोड तक लाते हैं और फिर वह माल मार्केट में आगे जा पाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उनके गांव तक रोड्स का प्रबन्ध होना चाहिए जिससे उनको अपने उत्पादन

का सही भाव मिले और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। वहां पर आदिवासियों और हरिजनों को जमीन के पट्टे दे दिए गए हैं, लेकिन कब्जा उन्हें नहीं मिला है। वह कुछ दूसरे लोगों ने ले लिया है। इसकी सरकार की जांच करानी चाहिए, जिससे कब्जा उचित लोगों को मिले और वे गरीब लोग अपना काम करके अपने परिवार की उदर पूर्ति कर सकें। हमारे यहां 20 हजार मेगावाट बिजली पैदा करने की शक्ति है, पहाड़ी दरियाओं में हमारे नेता ने हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट की स्वीकृति देकर बहुत सराहनीय काम किया है। वह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 1500 मेगावाट बिजली तैयार होगी। वैसे ही कोल डैम है, जो हमारी सरकार और रशया के सहयोग से बनेगा। इन दो बड़ी परियोजनाओं के अलावा अन्य कई परियोजनाओं का सर्वे हो चुका है, मैं चाहूंगा कि उन सब पर भी काम शुरू किया जाए।

अब मैं अपने इन्फार्मेशन एण्ड ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि हम शिमला में दूरदर्शन का शक्तिशाली बड़ा केन्द्र स्थापित कराना चाहते हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के अधिक-से-अधिक लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने की सुविधा मिल सके। हमारे यहां बोर्डर एरिया भी हैं, वहां भी लोगों को देश के अन्य हिस्सों के बारे में पता चल सके। हिमाचल में कई जिले ऐसे हैं, जैसे किन्नौर का इलाका, रामपुर का इलाका, कुल्लू का इलाका, और दूसरे इंटीरियर के इलाके, यहां तक कि शिमला का ऊपरी इलाका, जहां दूरदर्शन के प्रोग्राम ठीक प्रकार से दिखायी नहीं देते, न उन इलाकों में दूरदर्शन का कोई केन्द्र बना है। मेरा निवेदन है कि सर्वे के बाद, आप हमें कुछ दूरदर्शन केन्द्र दें ताकि सभी लोगों को दूरदर्शन के कार्यक्रमों का लाभ मिल सके। दूसरे, हिमाचल प्रदेश में दूर-संचार की व्यवस्था भी बहुत खराब है। हिली एरियाज में जितने नए डाकखाने खोले जाने का निर्णय ले लिया जाता है, दो-दो और तीन-तीन साल तक उनका उद्घाटन भी नहीं किया जाता। दो-दो और तीन-तीन साल तक वे नहीं खुलते। मैं मन्त्रीजी से कहूंगा कि जहां डाकखाने खोले जाने का निर्णय ले लिया गया है, वहां तत्काल डाकखाने खोले जायें और जिन डाकखानों को बन्द कर दिया गया है, हमारे कई टाउन पोस्ट आफिस बन्द कर दिए गए, वहां से पोस्ट-मास्टरों को हटा दिया गया, मैं नही समझ सका कि जो डाकखाने ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे थे, उनको बन्द करने की क्या आवश्यकता महसूस की गयी, मैं चाहूंगा कि उन तमाम डाकखानों को फिर से खोला जाए और लोगों को बहाल किया जाए।

हिमाचल में कई कैन्टोनमेंट छावनियां अंग्रेजों के समय से चली आ रही हैं, शायद कुल मिला-कर उनकी संख्या 7 है। उनमें सिविल लोग भी रहते हैं परन्तु कैन्टोनमेंट के प्राधिकारी सिविलियनों के सामने बड़ी प्रौब्लम पैदा कर रहे हैं। उनकी अपनी कोई दुकान नहीं है। हर दुकान की प्रति वर्ष औक्शन की जाती है, यह बन्द होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उन इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी मर्जी से मकान बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। आज वे कैन्टोनमेंट एरिया में अपने मकान नहीं बना सकते, आर्मी वाले बनने ही नहीं देते। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी उन इलाकों के सिविलियन लोगों की दिक्कतों को दूर करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। कसौली, सपाटू, जतोग, डगशाई कैंट आदि सभी कैन्टोनमेंट इलाकों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां के निवासी अपना बिजिनस ठीक ढंग से चला सकें और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

बीस सूत्री कार्यक्रम की यहां बहुत चर्चा हुई और राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख आया है लेकिन कैन्टोनमेंट एरियाज में वह लागू नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को को वहां भी लागू किया जाना चाहिए। बिना किसी इलाके का भेदभाव किए बीस सूत्री कार्यक्रम से देश भर के तमाम गरीबों, आदिवासियों और पिछड़े लोगों को फायदा मिलना चाहिए। कैन्टोनमेंट

[श्री के० डी० सुल्तानपुरी]

एरिया में अनेक हरिजन, आदिवासी और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग आज तक इस प्रोग्राम से वंचित रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जितने सरकारी कर्मचारी हैं, वैसे तो उन्हें पंजाब सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिए जाते हैं, परन्तु हिली एरिया होने की वजह से मैं चाहता हूं कि आप उन्हें कुछ और सहूलियतें दें ताकि वे आए दिन एजीटेशन न करते रहें और प्रदेश के विकास में लगें। इन शब्दों के साथ मैं समय देने के लिए आपका आभारी हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : मोहतरिम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। गाडगिल साहब राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव इस सदन में लाए हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले मैं अपने माननीय प्रधानमन्त्री, श्री राजीव गांधी जी, को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पिछले दिनों हमारे राजस्थान में सूखे के कारण ऐसे हालात पैदा हो गए थे, जो शायद इतिहास का सबसे भयकर सूखा था।

राजस्थान का आधे से ज्यादा पशुधन, राजस्थान का हर व्यक्ति उससे पीड़त हुआ था, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमन्त्री जी ने राजस्थान का जगह-जगह दौरा करके वहां की हालत का जायजा लेकर भारत सरकार की तरफ से साढ़े 6 करोड़ रुपए की धनराशि दी। इस साढ़े 6 करोड़ की धन-राशि में राजस्थान सरकार ने भी 2 करोड़ रुपए की धनराशि मिलाई और उस राशि से राजस्थान बच सका। राजस्थान इस सूखे का मुकाबला कर सका, पशु धन को हम बचा सके, लोगों की आर्थिक हालत को मजबूत कर सके। वहां पर इस बड़ी रकम से बहुत ही पाएदार काम हुए हैं। खासकर पानी के लिए सिंचाई के लिए कुओं का बन्दोबस्त हुआ, स्कूल निर्माण किए गए।

मैं और राजस्थान के लोग हमारे माननीय प्रधानमन्त्री के आभार को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। वैसे राजस्थान का एक इतिहास रहा है कि राजस्थान के लोग हमेशा वफादार रहे हैं। इस मुल्क की खिदमत के लिए राजस्थान के लोग बड़ी-से-बड़ी कुर्बानी देने में कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। राजस्थान के लोगों में देशभक्ति का एक बहुत बड़ा जज्बा रहता है। हमारी दूसरी पार्टियो में अदरूनी और बहरूनी मुल्कों में जो खतरात हैं, उनके बारे में हमें सोचना होगा। आज अगर हम मुल्क को बचा नहीं सके, तो यह अच्छी बात नहीं होगी। जिस बड़ी कुर्बानी के बाद हमें आजादी मिली है, भट्टी में तपकर हमें जो आजादी मिली, उस विरासत को, आजादी रूपी वरदान की अगर हम हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं कर सकेंगी। इसलिए हम मुल्क की हिफाजत के लिए हर चीज को भूलें और मुल्क की सलामती के लिए सबसे आगे आएं।

एक वक्त था जब अपोजीशन के लोगों ने हमारे मुल्क की खिदमत के लिए जो हथियार खरीदे गए थे, उनका भी उन्होंने इस तरह से प्रचार किया जो एक शर्मनाक बात है। जो मुल्क की हिफाजत के लिए हथियार खरीदे हों, उनको हम खुद ही बदनाम करें, क्या यह देशभक्ति हो सकती है?

देश के अन्दर ऐसे मीर जाफर और जयचन्द जैसे लोग जो पैदा हुए हैं, वे कभी इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों में न डाल सकें, यदि ऐसा हुआ तो हमें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। अगर मुल्क के ये ठेकेदार लोग अपने स्वार्थ की खातिर अपने मुल्क को बेचना चाहेंगे, तो यह मुल्क और इसकी

आने वाली नस्लें कभी हमें माफ नहीं कर पाएंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रधानमन्त्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि हमारे देश के चारों तरफ जो खतरात थे, उनका मुकाबला जिस तरह से उन्होंने किया है, उसके लिए वे तारीफ के पात्र है। उन्होंने चायना, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश में जो हमारे मुल्क के खिलाफ हालात पैदा हो रहे थे, उन पर काबू पाया। मुल्क के अन्दर पंजाब, असम, मिजोरम और नागालैंड की समस्याओं को सुलझाया. यह फख्र की बात है। हमारे देश की फौज ने किस तरह से मालदीव में जाकर उस देश की डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार की रक्षा करके न केवल देश में बल्कि दुनिया मे अपनी मिसाल कायम की है। फौज ने यह बता दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के एक इशारे पर हम अपना कार्य पूरी मुस्तैदी और होशियारी से करते हैं। इस प्रकार से देश और इसके आसपास के हालात को प्रधानमन्त्री महोदय ने जिस प्रकार से संभाला है, वह सराहनीय है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं उन लोगों की बात करूंगा जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, खासकर वे लोग जो अपोजीशन में बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि वे अपने स्वार्थ की खातिर इस मुल्क को बेचना चाहेंगे। यदि वे ऐसा करेंगे, तो क्या भारत की पवित्र धरती उनको माफ कर सकेगी? इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान का इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं झुन्झुनू से आता हूं। झुन्झुनू में एक मिल्क डेयरी प्लांट लगा हुआ है, पूरी मशीनें हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लांट बन्द पड़ा हुआ है, पता नहीं किस बिना पर बन्द पड़ा है। उसको ओपन किया जाए। उसके बन्द होने मे इलाके के किसानों को भयंकर रूप से दूध की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि इसको चालू करने के लिए मन्त्री जी उचित कार्यवाही करेंगे। मैं अपने प्रधानमन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगा और श्री भगत जी को भी कि हमारे झुन्झुनू में जो काफी दिनों से एक टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने की मांग थी, जिसका पीछे हमारे माननीय मन्त्री श्री कृष्ण कुमार जी ने वहां जाकर उद्घाटन किया, उसके लिए हमारे झुन्झुनू की जनता उनका बहुत ही आभार प्रकट करती है।

झुन्झुनू में एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सैंटर के लिए मैं माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि झुन्झुनू फौजियों और किसानों का इलाका है. मैंने लिखकर भी वहां पर एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर की अपील की है, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी वहां इसे जल्दी खोलने का काम करेंगे।

रेल के सम्बन्ध में हमारा राजस्थान आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। इस रेल बजट में भी राजस्थान का बहुत कम खयाल किया गया है। झुन्झुनू और शेखावाटी इलाके मे आज भी दिन के समय दिल्ली आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है और अभी भी उसका कोई बन्दोबस्त नहीं किया जा सका है। मेरी प्रार्थना है कि कोई ऐसी लिंक ट्रेन जोड़ी जाए जिससे शेखावाटी, सीकर और झुन्झुनू से दिल्ली आने के लिए कोई बन्दोबस्त हो। डाबरा से सिंहाना तक कापर प्रोजेक्ट के लिए रेलवे लाइन बिछी थी, जिस पर मालगाड़ी जाती है। मैं 4 साल से लगातार मांग कर रहा हू कि उस मालगाड़ी म एक सवारी डिब्बा जोड़ा जाए ताकि उस क्षेत्र के लोगों को जो कि कापर प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उनको भी इस ट्रेन स लाभ हो सके, लेकिन अफसोस है कि इस बजट के अन्दर भी उसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कम-से-कम उस मालगाड़ी में एक सवारी डिब्बा लगाने का बन्दोबस्त किया जाए ताकि वहां के कर्मचारी और उस क्षेत्र के लोग उसमें आ सके और सफर कर सकें।

मेरे क्षेत्र में शेखावाटी और खेतड़ी पहाड़ी इलाका है। इस पूरे इलाके में वैसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिएं जो पहाड़ी इलाकों को मिलती हैं। यहां पानी, बिजली और सड़कों की समस्या है।

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

इसके लिए पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

मेरे क्षेत्र में दो इलाके ऐसे हैं जिनमें डार्क जोन अभी तक है उसमें किसानों को कोई सुविधा और सबसीडी नहीं मिलती है। जो सबसीडी विकास के कार्यों के लिए खासकर गहरे कुएं खोदने के लिए है, वह किसानों को नहीं मिल रही है। मैं डार्क जोन की इस बात को लगातार उठाता रहा हूं। उदयपुर राज्य में चिड़ावा क्षेत्र ऐसा है जहां डार्क जोन अभी तक मुक्त नहीं हुआ है। मेरा आग्रह है कि इसे मुक्त किया जाए।

हमारे क्षेत्र में आटो एक्सचेंज जरूर लगा है लेकिन एस०टी०डी० फैसिलिटी झुन्झुनू के क्षेत्र को अभी तक नहीं मिली है। मेरा निवेदन है कि वह सुविधा भी हमको मिलनी चाहिए।

उस इलाके में बिजली की बहुत समस्या है। पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाका होते हुए वहां सोलर बिजली और विंड का पावर स्टेशन लग सकता है जिससे आसानी से किसानों को बिजली मिल सकेगी उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

हमारे इलाके में पानी का स्तर काफी नीचे है और वहां पीने का पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। काफी से ज्यादा इलाका खारी पानी का है वहां पर मीठा पानी लाने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया है वह नाममात्र का है। इन्दिरा गांधी कैनाल हमारे इलाके से काफी दूर से गुजरती है। अगर इन्दिरा गांधी कैनाल का पानी उस इलाके के लोगों को मिल सके तो वहां की जनता महसूस करेगी कि इतने दिनों बाद हमें मीठा पानी पीने को मिला।

हमारा इलाका ऐसा है जिसमें खून सस्ता और पानी मंहगा है। वहां एक मिसाल मशहूर है, लेकिन वहां के लोग नाशुक्र नहीं होते। वे देशभक्त हैं और देश की एकता और अखण्डता के लिए काम करते हैं। वे अपने नेता के पक्के वफादार हैं और वहां के लोग मुसलमान के नाते अपने खुदा और रसूल के नाते हम अपने नेता को मानते हैं। अगर हमारा नेता हुक्म दे कि आग के ढेर पर कूद जाओ तो हम उसका अंजाम सोचने वाले नहीं हैं। इस तरह से हम अपने नेता को सम्मान और आदर की निगाह से देखते हैं। दूसरी पार्टियों के लोग अपने स्वार्थ की खातिर अपने मुल्क को बेचना चाहते हैं, हमारे मुल्क के टुकड़े-टुकड़े करना चाहते हैं। फेयरफैक्स के मामले में किस तरह से इन लोगों ने बाहर के लोगों से संगठन किया है, क्या यह देश कभी इसे भूलेगा कि कई लोगों ने किस तरीके से इस मुल्क से गद्दारी की। आने वाली नस्लें उनको माफ नहीं करेंगी। मैं इतना ही कहते हुए अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आपसे आग्रह करूंगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री निर्मल खत्री (फैजाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का समय दिया। मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहूंगा।

राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार की कार्य प्रणाली, सरकार की नीति, पिछले दिनों में हुए कार्य और आने वाले कल में किए जाने वाले कार्यों की झलक हमारे सामने रखता है और इन

सारे मुद्दों पर अपने-अपने विचार केन्द्रित करने की इस लोकतन्त्र की जो सबसे बड़ी संस्था है. यह संसद, यह लोकसभा, उसके माध्यम से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान सत्ता पक्ष और विपक्ष के माध्यम से सामने आता है। दुर्भाग्य है कि कल से विपक्ष इस बहस में शामिल नहीं है। यह भी दुर्भाग्य है कि आज यही तस्वीर को, सही तथ्य को अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हिन्दुस्तान का विपक्ष तैयार नहीं है। सदन के बाहर एक तरफ ऐसे भी नेता हैं विपक्ष के, राष्ट्रीय मोर्चे के, जो सदन के बाहर पटना के मैदान में अगर किसी आरोप को लगाते हैं तो सदन में उसको दोहराने का वह साहस नहीं रखते, लोगों के कहने के बावजूद भी। यह ऐसे नेता हैं जिन्होंने आदर्श और मर्यादा की बात सामने रखी या जो उनका दृष्टांत रहा है जो विपक्ष के सिरमौर देखे जा रहे हैं. माने जा रहे हैं और बड़ी दूसरी तरह इस देश के प्रधानमन्त्री, कांग्रेस पार्टी के नेता, जनता के नेता राजीव गांधी इस लोकतन्त्र की सर्वोच्च संस्था में अगर इस बात को उनके सामने रखते हैं कि हिन्दुस्तान में आतंकवादी गतिविधियों में विशेष तौर पर पंजाब की आतंकवादी गतिविधियों में विपक्ष किसी-न-किसी तरीके से सम्बन्धित है — चाहे वह मौन स्वीकृति के माध्यम से हो, चाहे खालिस्तानियों की मांग करने वाले व्यक्ति को अपने साथ बैठाकर रखने की बात हो या कोई रास्ता उस आतंकवाद पर काबू लाने के लिए सामने रखने की बात से हो वह रास्ता अख्तियार करते हैं वाकआउट के द्वारा। उस आरोप को, उस विचार को जो उनके सामने प्रधानमन्त्री जी द्वारा रखा गया, सदन के नेता के द्वारा रखा गया, उसके जवाब में वह कुछ कह नहीं पाते। वास्तविकता जिसको वह उचित समझते हैं उसको हिन्दुस्तान की संसद के माध्यम से देश के सामने रख सकें इस पर वह महत्व नहीं देते।

मैंने विद्वानों से यह सुना था कि मानव शरीर की जो संरचना की गई उसमें आंखें दो दी गई इसलिए कि जिस चीज को देखो उसको चारों तरफ से देखने की कोशिश करो, कान दो इसलिए दिए गए कि जिस चीज को सुनो उसको भी हर दृष्टिकोण से सुनने की व समझने की कोशिश करो लेकिन जीभ सिर्फ एक दी गई कि बोलते वक्त सोच-समझकर अपने विचारों को रखो। ऐसा न करो, जैसा कि आज से डेढ़ वर्ष पहले राष्ट्रीय मोर्चे के नेताओं ने किया। कहा गया कि जिन्दगी भर में किसी पद को नहीं लूंगा, लेकिन उस पद को उन्होंने सात-आठ महीने के बाद ही प्राप्त किया। विद्वानों ने मनुष्य की संरचना की व्याख्या अगर इस ढंग से की, यह सोच अगर उन्होंने अगर उचित बताई तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को अपनी उस जिह्वा को, अपनी उस वाणी को जिसका इस्तेमाल समय-समय पर हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री पद पर आसीन राजीव गांधी जी के विरुद्ध, कांग्रेस की हुकूमत के विरुद्ध, हिन्दुस्तान की व्यवस्था के विरुद्ध उन्होंने किया, तो उसके इस्तेमाल करने में उन्हें सोचना चाहिए, तथ्यों को देखना चाहिए और प्रमाणों का बटोरना चाहिए तथा वस्तुस्थिति को देखना चाहिए, फिर उसके बाद उत्तर देना चाहिए। इस बिन्दु से हटकर मैं वापिस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की ओर जाता हूं।

राष्ट्रपति जी ने हमारे समक्ष अपना अभिभाषण रखा है, उसमें अगर एक तरफ हमारे देश की प्रगति की झलक सामने रखी है, वहीं दूसरी ओर सरकार के विकास के प्रति, देश की अखण्डता और स्थिरता के प्रति जो वचनबद्धता है उसके प्रति विश्व में भारत का उचित स्थान बने उसके प्रति भी, इन सारी बातों का एक संकल्प सरकार का उस अभिभाषण के माध्यम से होता है। वह इन प्रमाणों के आधार पर दीखता है कि सरकार का वह दृढ़ संकल्प जिसने सूखे की विषम परिस्थिति में भी सरकार को यह नतीजा हासिल करने में मदद पहुंचाई कि इस सूखे की स्थिति के बावजूद भी हमारी अर्थ व्यवस्था में 3.6 परसेंट की वृद्धि हुई है। हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास हुआ है। किसानों के

[श्री निर्मल खत्री]

लिए बैंक ऋण की सीमा 17 परसेंट बढ़ाने की बात, जो बढ़ाई गई, वह भी सरकार की नीति की ओर इशारा करती है। किसान जो देश की रीढ़ है, उसकी मजबूती और उसकी तरक्की खेती के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नए तकनीकों का इस्तेमाल—ये सारी चीजें इस देश को मजबूती दे सकती हैं और आगे बढ़ा सकती हैं। हमने इस चीज की भी झलक इस अभिभाषण में पाई है। सिर्फ इस अभिभाषण में ही नहीं व्यवहार में भी हमने देखा है। सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए मजबूती से कदम उठाए। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सबको उसमें समेटा गया और मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की गई। संभवतः हिन्दुस्तान के राजनीतिक परिवेश में हम लोगों ने जितना देखा, समझा और पाया, एक नौजवान हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री राजीव गांधी प्रधान मन्त्री पद की कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले जो उन्होंने आह्वान हम लोगों ने देखा और समझा कि उनमें एक कशिश पाई थी हमने कशिश आज भी देखी है हमने, कि भ्रष्टाचार हिन्दुस्तान में जो घुसा है, उसको समाप्त करना है और उसके लिए हमें कोशिश करनी है। राजनीतिक क्षेत्र में यह कोशिश हुई, अगर दलबदल भ्रष्टाचार को पनपाता है तो हमें उसको भी रोकना है। चुनाव में हमें इस बात की भी कोशिश करनी है कि अगर बड़े-बड़े अपराधों के सरगना इस व्यवस्था का लाभ उठा कर, इस व्यवस्था के ठेकेदार बन रहे हैं तो उनको भी हम किस तरह से दूर रखें। इस दिशा में चुनाव सुधार की ओर एक कदम उठाया गया। नौजवानों की ओर से मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान के नौजवानों को राजीव गांधी जी ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, 18 वर्ष की आयु सीमा, मत देने के अधिकार को प्रदान किया है। लेकिन इसी के साथ मैं इस सन्दर्भ मे कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। एक तरफ अगर तह आवश्यक है कि चुनाव मे सुधार के नाम पर जो व्यवस्थाएं पिछले बिल में की गई, वे जरूरी थीं, वहीं हमें इस चीज को भी देखना है कि जो हमारी चुनाव की मशीनरी है, उसका जो तंत्र है, उसको इस तरह विकसित किया जाए कि चुनाव सूचियों में जो संशोधन करने का काम होता है, उसमें बढ़ोतरी का काम या घटाने का काम लगातार होना चाहिए और यह नहीं होना चाहिए कि चुनाव आयोग के नोटीफिकेशन के बाद 10-15 दिनों में उनका संशोधन किया जाए। हर वक्त यह काम चालू रहना चाहिए और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई वोट देने की आयु सीमा में पहुंचता है, उसको घटाने और जोड़ने का जो काम है, यह चलते रहना चाहिए। इसके लिए अलग से तंत्र बनाने की आवश्यकता है।

आज हम जवाहर लाल नेहरू की जन्म शती मना रहे हैं। उनके जमाने में हिन्दुस्तान में लोकतंत्र और प्लानिंग का एक साथ समावेश हुआ था। पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उसकी एक झलक हमें इस अभिभाषण के माध्यम से दिखाई देती है लेकिन जो इसमें पूंजी निवेश हुआ है, उसको हमें देखना है कि हिन्दुस्तान के किस प्रान्त में कितनी जनसंख्या है और उस आधार पर उस प्रान्त में पूंजी निवेश पब्लिक सेक्टर का किया गया है या नहीं। बिहार का आंकड़ा मेरे सामने है। जबकि हिन्दुस्तान की आबादी का 10.3 प्रतिशत बिहार में है, पूंजी निवेश पब्लिक सेक्टर में 2.6 प्रतिशत के आसपास है। इसी तरीके की बात उत्तर प्रदेश के बारे में है। हमें यह देखना है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं, हैं, उनमें पब्लिक सेक्टर के कारखाने स्थापित किए जाएं। किस तरीके से हम इसको करें, यह सोचने की बात है। जनसंख्या के आधार पर हम प्रदेशों को मदद देने की बात भी हम सोचें। इसी सन्दर्भ में मैं यह अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश मे फैजाबाद जनपद, जहां से मैं चुनकर आता हूं, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर पब्लिक सेक्टर का कोई उद्योग

लगाया जाए, जिससे उस जनपद का विकास भी हो सके और उत्तर प्रदेश को भी उसका फायदा मिल सके।

पंचायती राज व्यवस्था के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने पिछले दिनों कहा है। उनको किस तरीके से अधिकार दिए जाएं, यह हमें सोचना है। साथ ही साथ आर्थिक रूप से हमें इन संस्थाओं को इतना मजबूत बनाना है कि वे जिले के विकास का काम कर सकें। अभी हमारे यहां जिला परिषदों और ब्लाक समितियों के चुनाव हो गए लेकिन उनके पास किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है जिससे वे सडकों का रख-रखाव कर सकें या को: निर्माण कर सकें। डी० आर० डी० ए० में उन्हें कुछ अंशदान देने की बात हो सकती है या अलग से अंशदान देने की बात हो सकती है, अगर उनकी वाकई मदद करनी है, तो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा उसके लिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा फंड देने होंगे ताकि वे अपने यहां की समस्याओं को हल करने की दिशा में आगे बढ़ सकें।

आज शाम को बजट आने वाला है। नौजवानों के सामने जो बेरोजगारी की समस्या है, वह एक अहम मामला है। इस बजट के माध्यम से नौजवानों की इस समस्या का निदान करने का कुछ न कुछ संकेत मिलेगा और ठोस नतीजा मिलेगा और नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में हम कुछ न कुछ कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके आदेश का पालन करते हुए, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय गाडगिल साहब द्वारा रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साल भर में जो कुछ भी हमारी सरकार की उपलब्धियां हुई हैं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन इस अभिभाषण में किया गया है। जो भी कार्य सरकार द्वारा जनहित मे किए गए हैं, उन सब कार्यों की सराहना करते हुए, हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने विदेश नीति में जिस प्रकार से मोड़ लाकर के चीन, श्रीलंका और पाकिस्तान से अपने देश के सम्बन्ध सुधारे हैं यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण घटना है। पूरे उपमहाद्वीप के लिए यह महत्त्वपूर्ण घटना है।

इसी के साथ-साथ जिस प्रकार का हमारे विरोधी दलों का आजकल आचरण रह रहा है वह निंदनीय है। इन लोगों के पास कोई नीति नहीं है। ये कोई न कोई किस्से गढ़ कर के सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, उसके कार्यकर्त्ताओं को बदनाम करना चाहते हैं, प्रधान मन्त्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ये किसी न किसी प्रकार से सत्ता में आ जाएं। इनकी क्या आर्थिक नीति होगी, ये क्या करेंगे, कैसे देश की स्थिति को सुधारेंगे, कहीं पर भी इनका खुलासा नहीं है। अलावा आलोचना के इनके पास को भी कार्यक्रम नहीं है। जबकि हमारी सरकार ने गुजरात और राजस्थान में जो लगातार चार-पांच वर्ष से सूखा था उसमें एक अभूतपूर्व मदद देकर के लाखों आदमियों की जानें बचायीं और लाखों पशुओं को मौत के मुंह में जाने से रोका। प्रधान मन्त्री जी ने जबरदस्त रुचि ले करके हम रास्थान निवासियों को मदद पहुंचाई जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने वहां की कृषि व्यवस्था को चौपट होने से बचाया, उसको बिगड़ने नहीं दिया। किसानों के कर्जे 18 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक बढ़ाए। यह भी स्वागत योग्य बात है।

[श्री शांति धारीवाल]

लेकिन किसानों की समस्याएं ऐसी हैं जिनका निराकरण हम आज तक नहीं कर पाए हैं। खास करके उपज का जो उचित मूल्य मिलना चाहिए वह उनको न मिल करके, कम मूल्य मिलता है। मूल्य में उनका शोषण किया जाता है, मंडियों में उनका शोषण किया जाता है। वहां कई प्रकार के उनसे टेक्सिज लिए जाते हैं। उनको जो राहत पहुंचायी जानी चाहिए वह नहीं पहुंचायी जाती।

आज मेरे क्षेत्र में जो किसान हैं, चाहे वे गन्ना बोने वाले किसान हों या दूसरे हों, उनको जितना मूल्य मिलना चाहिए, वह मूल्य नहीं दिया जाता है। उनको मूल्य देने में कहीं न कहीं डिफेक्ट है जिस पर कि आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि किसानों की उपेक्षा न हो। उनको सही दाम मिल पावे। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। इस प्रकार का कोई न कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए। उनको सिंचाई की सुविधाएं वक्त पर उपलब्ध करानी चाहिएं।

मेरे पूर्व वक्ता ने अभी बतलाया था कि किसानों की हजारों दरख्वास्तें बिजली के कनेक्शन के लिए पड़ी हुई हैं। वे पम्प सेट के लिए कनेक्शन चाहते हैं। एक तहसील में जिसकी जनसंख्या कम से कम एक लाख होती है वहां पर मुश्किल से बीस या तीस कनेक्शन दिए जाते हैं। जहां आप इतने बड़े-बड़े काम करने जा रहे हैं वहां आप छोटे-छोटे किसानों के लिए पम्पसेट की सुविधा भी उपलब्ध कराएं। अव्वल राजस्थान में पानी उपलब्ध नहीं होता। जहां पर पानी उपलब्ध है वहां पर आप कनेक्शन नहीं देना चाहते। वहां पर भी किसानों को दस-दस साल इन्तजार करना पड़ता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह किसानों का देश है। अगर किसानों की स्थिति को ऊपर नहीं उठाया गया तो किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो पायेगी।

कई इस प्रकार की ज्यादतियां की जाती हैं अफसरशाही की तरफ से कि कहा नहीं जा सकता। जैसे मसलन जब मण्डी में किसान अनाज बेचता है तो मण्डी की जितनी भी आमदनी है वह एक सीमित क्षेत्र में जाकर खर्च की जाती है। यह नहीं देखा जाता है कि कौन किसान कहां से माल लेकर आया है। जहां से वह माल लेकर आता है वहीं पर उसका उचित उपयोग होना चाहिए। उनको उसी क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए, उसको एक सीमित क्षेत्र में लगाया जाना चाहिए। इससे किसानों में बड़ा भारी असन्तोष व्याप्त होता है। इन छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान हमें देना चाहिए।

आपने कई इस प्रकार की योजनाएं चलायी हैं, जैसे कि कुटीर ज्योति योजना चलायी है। इसका विस्तार करना चाहिए। इस योजना के अन्तर्गत गरीब तबके के लोगों, शेड्यूल्ड कास्ट्स और जनजाति के लोगों को लाभ पहुंचाना चाहिए।

3.00 म० प०

इस टारगेट को बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ग्रामीण इलाकों को सड़कों से जोड़ने की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आज गांवों की हालत क्या है, किसान अपनी उपज मण्डी तक नहीं ले जा पाते। कोई ब्लाक ऐसा नहीं है जिसके आधे से ज्यादा गांव मुख्य सड़क से जुड़े हों। इसलिए इस कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जब तक सड़क गांव तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम गांव की उन्नति की बात कैसे कह सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण विकास के लिए अधिक फण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए सम्पर्क सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकार ने 18 साल के युवक-युवतियों को मताधिकार देकर बहुत अच्छा काम किया है। यह

काम काबिले-तारीफ है। योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि योजनाएं तो सरकार सारी अच्छी बनाती है, लेकिन नौकरशाही उन पर हावी हो जाती है। वर्कर्स का एनवाल्वमेंट और स्थानीय लोगों का पार्टीसिपेशन उसमें नहीं होगा तब तक योजनाओं का कार्यान्वियन सही तरीके से सम्भव नहीं हो सकता। जब तक चेंक एण्ड बैलेंम नहीं रखा जाएगा, जन प्रतिनिधियों का सहयोग इसमें नहीं लिया जाएगा तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकेगी। सैल्फएम्प्लायमेंट की बहुत अच्छी स्कीम ह, लेकिन सारी अफसरों पर छोड़ दी गई है। अफसर जिसको चाहते हैं लोन देते हैं, इस तरह से उचित व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता। योजनाएं सारी अच्छी चल रही हैं, लेकिन उनका कार्यान्वियन सही नहीं हो पाता, इसके अभाव में उनका लाभ नहीं मिल पाता।

3.02 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

पब्लिक मैक्टर और खासकर बैंक्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत तेजी से विकास के कार्य किए गए हैं, काफी लोगों को लोन दिए गए हैं, सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन इनमें करप्शन बहुत बढ़ गया है। लोगों को हर जगह पैसा देना पड़ता है। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तब तक इसके जरिए से बदनामी बढ़ेगी और इसका हम लोगों को नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए अविलम्ब इस बात को न टालते हुए बैंक्स फंक्शन में आमूलचूल परिवर्तन किया जाना चाहिए, अच्छे लोगों का सहयोग लेकर इसमें सुधार लाया जाना चाहिए और रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार को बैंकों से दूर किया जाना चाहिए।

पंचायती राज के बारे में मैं आखिर में कुछ निवेदन करना चाहता हूं, प्रधान मन्त्री जी ने भी कहा है कि पंचायती राज मजबूत हो और होना भी चाहिए, आज देश की मांग है कि पचायती राज मजबूत हो। लेकिन सिर्फ नारों से या भाषणों से यह काम नहीं हो सकता। जब तक गांव के पंच और सरपच को वित्तीय अधिकार और मंजूरी के अधिकार नहीं दिए जाएंगे तब तक सिर्फ बातों में पंचायती राज मजबूत नहीं वाली है। कहने को राजस्थान में पंचायतों के चुनाव करवा दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव करवा देने से पंचायती राज मजबूत नहीं हो जाता। पिछले दो साल से राज्य सरकार से उनको अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। 80 परसेंट ग्राम पंचायत भवनों पर ताले पड़े हुए हैं। पंचायतों के पास सफाई कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र स्रोत राज्य सरकार से मिलने वाला अनुदान है। इसलिए अगर ग्राम पंचायत को मजबूत करना है तो उसको शक्तियां प्रदान करनी होंगी, वित्तीय शक्तियां प्रदान करनी होंगी। इस सेशन में पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए बिल लाने की बात कही गई है। हमें पहले यह देखना होगा कि जहां पर पचायती राज के चुनाव करवाए गए हैं और जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके साथ वहां की सरकारें किस तरह से पेश आ रही हैं। उनको क्या अधिकार दिए गए हैं। पिछले अधिकारों से कुछ बढ़ोत्तरी की गई है या घटा दिए गए हैं। वहां पर बी० डी० ओ० या डी० डी० ओ० का इतना वर्चस्व है कि वे चाहे जो कुछ कर सकते हैं जबकि चुने हुए प्रतिनिधियों के पास कोई पावर नही होती है। पंचायत राज के पास अपने स्रोत हों और उनको एक बंधी हुई रकम किसी भी एजेंसी के द्वारा दी जानी चाहिए ताकि वे साल भर की प्लानिंग कर सकें कि इतनी आमदनी से इस प्रकार के विकास के कार्य कर पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक आंखों में धूल झोंकने से नुकसान ही होगा। जितना पैसा अरबन डवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है, उतनी रकम रूरल डवलपमेंट के लिए भी खर्च होनी चाहिए। जब तक यह नहीं कर पाएंगे तब तक इस देश की उन्नति और प्रगति नहीं हो पायेगी। समूचे

[श्री शांति धारीवाल]

विकास के लिए ग्रामीण विकास को तरजीह देनी पड़ेगी। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए वित्तीय अधिकार देने पड़ेंगे ताकि राज्य सरकार का उसमें इंटरफिरेंस न हो और पंचायतों के फैसले को आखिरी माना जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति जी, मैं श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा रखे गए राष्ट्रपति जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतिहास साक्षी है कि हमारे देश को पिछले तीन सालों में कभी फ्लड और कभी ड्राउट जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उसके साथ-साथ उन ताकतों की साजिश भी थीं जो भारत की एकता और अखण्डता को छिन्न-भिन्न करना चाहती थीं। लॉ एण्ड आर्डर की प्राबलम इस देश में रही। इसके बावजूद भी एक मजबूत नेतृत्व में, हमारे प्रधानमन्त्री श्री राजीव जी के नेतृत्व में भारत ने तरक्की की है। यह सराहनीय है और इसके लिए हमारा शासन और समस्त सम्बन्धित लोग बधाई के पात्र हैं। इन तमाम परेशानियों के बावजूद हमारा ग्रोथ रेट 3.5 परसेन्ट से बढ़कर नौ परसेन्ट हुआ है। इन्फलेशन में जहां तक होलसेल प्राईस इन्डैक्स का सवाल है वह दस परसेन्ट से घटकर पांच परसेन्ट हुआ है। जहां तक कंज्युमर प्राइस इंडेक्स का सवाल है वह दस परसेन्ट से घटकर आठ परसेन्ट हुआ है। इसी प्रकार से बैंकों द्वारा खेती के लिए जो टारजेट हमने रखे थे उसमें भी सत्रह परसेन्ट इन्क्रीज किया है। इसी प्रकार से नाबार्ड के जो कर्जे थे उसमें तीस परसेन्ट का इजाफा किया है जो कि 18 सौ करोड़ से बढ़कर 2550 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र हैं। इसी प्रकार से आई. आर. डी. पी. में 25 मिलियन बेनीफिशियरीज हमारे सामने आएं हैं और एन. आर. इपी. पी. के अन्दर भी बहुत अच्छे काम सरकार द्वारा किए गए हैं। लेकिन तमाम उपलब्धियां हमारे प्रधानमन्त्री जी इस देश में लाना चाहते है। जो लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के द्वारा जिला स्तर पर योजनाओं के द्वारा इस देश के अन्दर एक नई आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते है। इन तमाम कार्यों में सबसे बड़ी बाधा, परेशानी और तकलीफ है तो वह हमारे देश की नौकरशाही है। हमें रुकावटें, तकलीफें और दुःख कहीं और से नहीं आते, बल्कि उन लोगों द्वारा आते हैं जिनके हाथों हमने इन नीतियों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंप रखी है हमारे सारे दावे, हमारे सारे कार्यक्रम और क्रान्ति आज तक इस नौकरशाही पर कोई अंकुश नहीं लगा सके यह दुःख की बात है। शायद भविष्य की पीढ़ी इस बात के लिए हमें माफ नहीं करेगी। भारत में जिस तेजी से क्रान्ति की लहर जिस ताकत के साथ दौड़नी चाहिए थी, उतनी ताकत के साथ नहीं दौड़ पाई, जिसका सपना हमने देखा था और इसके लिए इतिहास शायद हमको माफ नहीं कर पाएगा। मैं लोन के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र सतना में लोन मेला जिला प्रशासन और वहां के बैंक अधिकारियों द्वारा आयोजित किया गया। आज से लगभग सात-आठ महीने पहले की बात है, जिसकी सूचना मुझे नहीं दी गई और न मुझसे इस बारे में कोई सलाह ली गई। उस लोन के बांटने में हर प्रकार की गड़बड़ी वहां की गई। अगर पांच सौ रुपए की भैंस ली गई तो वह किसान को पन्द्रह सौ रुपए में दी गई, एक हजार में ली गई तो वह दो हजार रुपए में दी गई मैंने तमाम एफीडेबीट्स के साथ कोशिश करके शासन को कहा, लोग पकड़े गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है! अगर हम ऐसे लोगों के साथ रियायत बरतें और कोई कार्यवाही उनके खिलाफ करें तो ये सारी बातें, सारी उपलब्धियां, सारे दावे जिनकी चर्चा हम करते हैं, सब बेकार सिद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में बेरोजगारी और कीमतों के सम्बन्ध में कहा है। उस

तरफ भी मैं इशारा करना चाहूंगा। इनमें उपलब्धियों के बाद भी इस मुल्क में बेरोजगारी की समस्या हल करने में हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। मैं अपने क्षेत्र सतना और विंध्य प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं। जहां अनेक बड़े-बड़े पूंजीवादी मौजूद हैं, जिन्होंने सीमेंट की फैक्टरीज लगाई हुई हैं, लेकिन दुःख की बात है कि उसे विन्ध्य क्षेत्र के लोगों को जो वहां की धरती के बेटे हैं उनको उनमें काम नहीं मिलता है और उनकी आवाज, उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। मैं भी उनकी फरियाद सुनकर थक चुका हूं, जो वहां और लोग हैं, समाज सेवी संस्थाएं काम कर रही हैं वे भी थक चुकी हैं, लेकिन वहां के लोगों को उन कारखानों में रोजगार नहीं मिल पाता है। हम पर्यावरण में सुधार की बात करते हैं और पोल्यूशन समाप्त करने की बात भी कही है, अच्छा है कि उद्योग मन्त्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, पूरे इलाके में जहां-जहां वे सीमेंट की फैक्टरीज हैं वहां मौत धुंआ और धूल बनकर लोगों पर बरसती है, क्योंकि उन बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जहां कैंसर, टी० बी०, आंखों और आंतों की बीमारियां आदि तमाम बीमारियां होती हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। वहा सीमेंट बनने पर जो धुंआ पैदा होता है वह उसे इलाके में बीस-बीस मील की दूरी तक जाती है, लेकिन उसकी रोकने की कोशिश नहीं की गई, कागज पर तो कहते हैं कि कोशिश की गई है, लेकिन वास्तव रूप से नहीं की गई। वहां पर जो अधिकारी हैं चाहे राज्य सरकार के हों या केन्द्र सरकार के हों, उनकी आंखों को न वह धूल दिखाई देती हैं और न सीमेंट के कतरे दीखते हैं और हर बार कारखानों के मालिकों को क्लीन चिट दे दी जाती हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी की जन्म शताब्दी का उल्लेख किया है और उन तमाम कार्यों का उल्लेख किया है जिस साल को हम नेहरू शताब्दी साल के रूप में मना रहे है। मैं यहां एक कमी की ओर इशारा करना चाहता हूं कि जहां इस साल हम देश में, इस देश के ही नहीं, ससार के महान नेता पण्डित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनायी, मैं समझता हूं कि उसमें कुछ और काम होना चाहिए, लेकिन मौलाना आजाद और सरहदी गांधी बादशाह खान अब्दुल गफ्फार खां की शताब्दियां भी उनकी सालगिरह पर मनानी चाहिए। उनके बारे में अभी तक कोई विशेष काम यहां नहीं हो पाया है। मौलाना आजाद की याद में यहां आजाद भवन बनाया गया था, जिसमें मौलाना आजाद की परसनल लायब्रेरी की तमाम किताबें डोनेट कर दी गयीं। आजाद भवन बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि वह हमारी संस्कृति, सभ्यता कल्चर और एकाडेमिक एक्टिविटीज का केन्द्र होगा और वेस्ट एशिया तथा संसार के दूसरे देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने म हमारी सहायता करेगा। उसी तरह पण्डित जवाहर लाल नेहरू की याद मे तीन मूर्ति भवन बनाया गया था। मैं चाहूंगा कि शासन देखे, दो महान नेताओं की याद मे दिल्ली में आजाद भवन और तीन मूर्ति भवन बनाए गए, उनके काम करने के तरीकों में कितना अन्तर है। यदि शासन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, यदि शासन के कान सुन सकते हों तो पता कराए कि मौलाना आजाद की याद में बना आजाद भवन सिर्फ सिंगर्स और डांसर्स की एक्टिविटिज का अड्डा बनकर रह गया है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि जिनमें गाने की टेलैंट हैं, डांस की टैलेंट हैं, ऐसे कलाकारों की हर तरह से सहायता की जानी चाहिए, संरक्षण दिया जाना चाहिए, पेटरेनाइज करना चाहिए लेकिन पेटरेनाइज का मतलब यह नहीं है कि बाकी सारे काम खत्म करके केवल नाच-गाने के प्रोग्राम ही होते रहें और जिस उद्देश्य को लेकर आजाद भवन बना था, वह पूरा न हो सके। यहां तक कि उनके परसनल कोरेस्पोंडेंस और लेटर्स भी प्रिजर्व नहीं किए गए हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और कुछ कार्यवाही करे।

उसी तरह बादशाह खां की शताब्दी का साल आ रहा है, उस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। अभी से उनके लिए ऐसे कार्यक्रम तैयार होने चाहिएं जो सारे देश के लिए राह दिखाने

[श्री अज़ीज कुरेशी]

वाले हों। मैंने पहले भी मांग की थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर गफ्फार खां यूनिवर्सिटी रख दिया जाए। हाउस में नियम 377 के अन्तर्गत और दूसरे रूप में मैंने कई बार इस मामले को उठाया और शासन की ओर से मुझे जवाब भी मिला कि विचार कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करूंगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर बादशाह खां के नाम पर रखा जाए ताकि देश के एक बड़े स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी को हम सही रूप से श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

इसी तरह सतना में मैंने एक टी. वी. केन्द्र स्थापित करने की मांग पिछले चार सालों में अनेक बार की है। अनेकों बार की ओर से, मन्त्री महोदय की ओर से आश्वासन भी दिया गया कि सतना में शीघ्र ही टी. वी. केन्द्र शुरू कर दिया जाएगा, पता नहीं कौन से कारण हैं कि चार साल साल बाद भी उस क्षेत्र की ओर आपका ध्यान नहीं गया जो शताब्दियों से आतंकवाद का शिकार रहा है, आतकवाद जहां के लोगों का खून चूम रहा है। मालूम नहीं स्वतन्त्र भारत में आधुनिक सुविधा देने में देरी क्यों की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि सतना में शीघ्र टी० वी० केन्द्र स्थापित किया जाए।

सतना के नौजवान, इंडस्ट्रियल लेबर, किसान और खिलाड़ियों में ऐसी टेलेंट मौजूद है यदि हम उनका सही तरीके सहयोग करें, संरक्षण दें तो शायद खेल की दुनिया में वे काफी नाम कर सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि सतना में नौजवान उदीयमान खिलाड़ियों के लिए, इण्डस्ट्रियल लेबर और एग्रीकल्चरल लेबर के लिए, एक इन्डोर स्टेडियम केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को विशेष सहायता देकर, आर्थिक मदद देकर कायम करना चाहिए। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण की शुरुआत माननीय राष्ट्रपति जी ने पं० जवाहर लाल नेहरू के आधारभूत सिद्धान्तों के ढांचे से की है। इसलिए मैं सबसे पहले उन्हीं बातों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा। पंडित जी की यह सेंटेनरी इयर है और स्वाभाविक है कि देश का हर आदमी जो उनके प्रयासों से आई इस स्वतन्त्रता का लाभ भोग रहा है, उनको याद करे और उनकी आधारभूत नीतियों को अपनाए। उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने देश के लिए लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष, गुटनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतन्त्रवादी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। लेकिन जिन महत्वपूर्ण सिद्धांतों की उन्होंने शुरूआत की, जिन आधारभूत नीतियों के ऊपर चलने की उन्होंने हिदायत दी, उनके ऊपर हम बहुत मजबूती से कायम नहीं रह पाए हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि उन नीतियों का इरोजन हो रहा है। आज यह सभी लोगों के लिए बहुत सोचने की बात है। समय आ गया है जब हम इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। जहां तक धर्मनिरपेक्षता का दावा है, सैकुलरिज्म को हमने इस राष्ट्र की नीति के रूप में अपनाया है, लेकिन हम देखते हैं कि जो ऊंचे-ऊंचे धार्मिक नेता हैं वे चाहे किसी भी धर्म के हों, चाहे मौलाना बुखारी हों, चाहे पुरी के शंकराचार्य हों, आज जिस लाइट हार्टेड वे में धर्म का बात का उठा रहे हैं और इसका डिसएडवांटेज ले रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है। सभी के सोचने की बात है। आज जो परेशानी जो इस देश को भुगतनी पड़ रही है वह संकुचित भावना की वजह से है। आज देश में संकुचित भावनाएं पनप रही हैं, जो ठीक नहीं हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से विचार करें।

सभापति महोदय, जहां तक सामान्य नागरिक का सवाल है, वह अभी भी अपनी जगह पर कायम है। आज पंजाब में खून खराबा हो रहा है, हम ऐसी खबरें रोज सुनते हैं। लेकिन जनता अपनी जगह पर कायम है। हिन्दू सिख अपनी जगह पर कायम हैं। यह किसी नेता के कारण नहीं है बल्कि बरसों पुरानी जो हमारी परम्पराएं हैं, उनके कारण ऐसा है। यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्र को चलाने वाले बड़े-बड़े नेता अपनी परम्परा पर कायम नहीं हैं, जबकि जनता अपनी परम्परा पर कायम है। इसलिए इस बात पर सभी वर्ग के लोगों को जिम्मेदारी से विचार करना चाहिए कि आज हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में जो लाइट हार्टेडनैस आ गई है, सीरियसनैस नहीं रही है, इसके कारण क्या हैं। मैं इसी बात पर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करूंगा।

सभापति महोदय, एक उदाहरण मैं अपने राजस्थान के बारे में अपनी कांस्टीट्यूएंसी से सम्बन्धित ही देना चाहता हूं। इसी पार्लियामेंट के चुनावों के बाद, पिछले चार सालों में वहां हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए हैं। कम्युनल टेन्शन्स हुए हैं। चार-पांच आदमी भी मरे हैं और वहां पर कटुता का वातावरण भी बना है। यह बात आज से 40-50 साल पहले नहीं थी। मैंने राजाओं के राज को भी बड़े करीब से देखा है। मैं अनुभव करता हूं कि आज ये धार्मिक भावनाएं, हमारी कोशिश के बावजूद क्यों कटुता पैदा कर रही हैं। उस टाइम पर राजस्थान में करोड़ों करोड़ लोग पाकिस्तान से आए और हिन्दुस्तान से पाकिस्तान करोडों आदमी गए। यह आपको मालूम होगा, यह हिस्ट्री का एक चैप्टर है, यह दिल्ली के आस पास के कुछ क्षेत्र को छोड़कर अन्य किसी भी जगह पर कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन आज वहां मेरे छोटे से क्षेत्र में ही 3-4 बार दंगे हो चुके है और इसके पीछे जो व्यक्ति हैं, उनमें कुछ राजनीतिक नेता भी लिप्त हैं। वास्तविकता की बात है कि इन झगड़ों मे कोई बूढ़ा आदमी इन्वाल्व नहीं है बल्कि आज के पढ़े लिखे नौजवान उनमें इन्वाल्व हैं और जो खतरे की बात है कि आजादी के बाद की जो औलादें हैं जिसको ज्यादा सैकुलर होना चाहिए था वह ज्यादा इसमे संकीर्ण हुई है। यह सोचने की बात है। इसी सन्दर्भ में मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूं।

मनोहर थाना के एक गांव में झगड़ा हुआ और 4 आदमी मारे गए। मैं उस झगड़े के 3, 4 दिन बाद उस गांव में पहुंचा। वहां जाकर मैंने उन हिन्दू और मुसलमानों से बात की जो उस समय टैंशन में थे। मैंने उनसे कहा कि तुम सदियों से साथ रह रहे हो, तुमने किस बात पर झगड़ा कर लिया। उन्होंने कहा कि हमने झगड़ा नहीं किया और न हम करना चाहते थे, हम तो शांति से रह रहे हैं। इसी दौरान मेरे मे किसी ने जिक्र किया कि 5, 7, 10 दिन के बाद जो दशहरे का पर्व होने वाला है, उसमें रावण को मारने के लिए हमारे यहां का पटेल जाएगा और वह रावण को मारेगा। वह पटेल मुसलमान था। मैंने उनसे पूछा कि जब तुम दंगा करके बैठे हो, 4 आदमी मारे गए हैं, आपस म टैंशन है क्या इस टाइम से 5 दिन बाद भी रावण को मारने तुम्हारा पटेल जाएगा? उन्होंने कहा कि गांव की यही परम्परा है, वह पटेल ही जाएगा और वही राम बनकर रावण को मारेगा। वहां इस टैंशन के बावजूद भी इस तरह की भावना मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम बहुत मजबूत हैं लेकिन बाहर के आदमियों ने हमारे गांव में झगड़ा कराया है। उसके बाद पटेल ने कहा कि पिछले साल जो हनुमान जी की छतरी बनी है मैंने उसमें भी कंट्रीब्यूशन किया है। यह मुसलमान पटेल की बात थी।

मैंने निवेदन किया कि आज से 40, 40 बरस पहले यहां के राजा धर्म के नाम पर शासन चलाते थे। हिन्दू राजा का राज था जो कि ब्रज राज जी के नाम से चलता था, उस समय तो उनके अन्दर इस तरह की सद्भावना थी कि वहां का एक मुसलमान पटेल रावण को मारने जाए और बहुत कम लोग धार्मिक भावना एक्सप्लायट करें। आज आजादी के बाद जब हमारा धर्म सैकुलर हो गया

[श्री जुझार सिंह]

है, उसमें इतना डिवीजन हो गया है कि आज हमारे मूल्यों को जिनको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जन्म दिया, जिनकी सैंनेटरी हम मनाने जा रहे हैं, उसमें इतनी गिरावट आ गई है। मैं निवेदन करूंगा कि हम जो राजनीति में हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम किसी भी पार्टी को बिलांग करते हों, हमारा बहुत बड़ा दायित्व है जिसको हम सीरियसली नहीं ले रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है।

लोकतंत्र के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह सही है कि 5 बरस में चुनाव होते हैं लेकिन इनमें अब वायोलेंस होने लग गया है, इनमें पैसे का भी जोर होता जा रहा है। मैंने 1952 में भी चुनाव लड़ा और उसके बाद बराबर चुनाव लड़ता आ रहा हूं। मैंने वह टाइम भी देखा है और आज भी देखा सब मेरी आंखों के सामने है। मैं महसूस करता हू कि जिस भावना से चुनाव पहले होते थे, 40 बरस पहले चुनाव लड़े जाते थे, आज वह भावना नहीं है। चुनाव जीतते हैं लेकिन उस चुनाव में जनता की भावना नहीं जीतती। आज कई तरह के प्रलोभन हैं जिनके बारे मे हमें सोचने की बात है। इसको हमें लाइट हार्टेडवे में नहीं लेना चाहिए। आज डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए हम सबको सोचना होगा।

माननीय प्रधान मन्त्री जी द्वारा जो नई नीतियां चलाई गई है, उन पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात पर वह बहुत एम्फेसीस दे रहे हैं और वह है पंचायती राज को मजबूत करने का। यह उनका अच्छा और वैलकम डिसीजन है। हम पंचायती राज को मजबूत करना चाहते हैं।

इस बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि आज गांव में काफी एजूकेटेड आदमी हो गए हैं। उनमें इतने ही एजूकेटेड आदमी हैं जितने आज हम यहां पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। उनमें गांव का प्रधान, सरपंच है और प्रमुख हैं और वे काफी क्वालीफाइड हैं। उनके अन्दर ऐसे आदमी मिल जाएंगे जो ज्यादा जिम्मेदारी से बात करते हैं क्योंकि वह उस जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आज समय आ गया है कि उनको ज्यादा पावर दी जाए, यह अच्छी चीज है।

मैं एक बात जरूर कहूंगा कि राजस्थान पंचायत राज के 3 टायर सिस्टम है, यह बहुत अच्छी चीज है। इसको दूसरी जगहों में भी शुरू किया जाए। परन्तु अनुभव मे यह आया है कि गांवों में प्रधानों के चुनाव में या जिला प्रमुख के चुनाव में शहरों में रहने वाले आदमी घुस जाते हैं। जो व्यक्ति गांवों की इकाइयों से जुड़ा हो, वहीं उसका धंधा हो और वहीं वह रहता हो उनको ही केवल चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। 6 महीने हुए हमारे यहां चुनाव हुए। वहां यह देखने में आया कि उनमें गलत आदमी पार्टी का टिकट लेकर घुस आए। नतीजा यह हुआ कि पंचायत राज की भावना समाप्त हो गई है। हमारे प्रधान मन्त्री जी जिस भावना से पंचायती राज को ताकत देना चाहते हैं वैसी ताकत व वैसी भावना गांवों में अवश्य पहुंचनी चाहिए। अगर किसी तरह कार्यों में जोड़-तोड़ करके गांवों के चुनावों में शहरों के लोग जाने लग गए तो वैसी ही राजनीति गांवों में पहुंच जाएगी जैसी कि शहरों में है और इससे गांवों का ढांचा बिगड़ जाएगा। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप पंचायती राज को मजबूत करें और गांवों के लोगों को प्राथमिकता दें व बाहर के आदमियों का उसमें समावेश न होने दें।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने महिलाओं को हर क्षेत्र में काफी प्राथमिकता देने की तैयारी की है

और उनके लिए नई नीति भी चलायी है। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि महिलाओं की उन्नति के बिना इस देश की उन्नति नहीं हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप महिलाओं को हर क्षेत्र में उचित प्रतिनिधित्व दें। परन्तु कि आज गांवों में पढ़ी-लिखी महिलाए बहुत ही कम मिल पाती हैं।

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी (खजुराहो) : महिलाओं के पास अगर डिग्री नहीं है तो योग्यता तो है। वह आपसे अच्छा काम कर सकती हैं।

श्री जुझार सिंह : मैं महिलाओं की भावनाओं की कद्र करता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि उन्हें हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। परन्तु जब रिजर्वेशन की बात चलती है तो उससे समाज में सामाजिक टैंशन उत्पन्न हो जाता है। इस टैंशन को आप दूर करें। आप गरीबों, महिलाओं और शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को अवश्य ही प्रैफरैंस दें लेकिन एक बात पर अवश्य ध्यान दें इसके प्रति समाज में जो टैंशन बढ़ रहा है वह दूर हों। आज सही बात को सुनने की किसी मे सहन शक्ति नहीं है अच्छी चीजों के साथ जो गलत भावना उत्पन्न हो रही है उसको मिटाने की आप कोशिश करें। इससे देश का फायदा होगा।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने एक और बहुत अच्छी चीज की शुरुआत की और वह है फूड प्रोसैसिंग की। इससे गांवों का विकास होगा और काश्तकारों को अपनी चीजों के अच्छे भाव मिल सकेंगे। मेरा इस बारे में यह आग्रह है कि प्रोसैसिंग यूनिट गांवों में ही लगनी चाहिए। अगर आप इसे शहरों में लगायेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब से यह मिनिस्ट्री कायम हुई है तब से मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि···(**व्यवधान**) मैं कहना चाहता हूं कि ओरेंज का प्रोडक्शन, साइट्रस प्लान्ट बहुत ज्यादा तादाद में हैं और वहां पर बहुत बड़ी वेस्टेज है। करोड़ों की फसल बिगड़ जाती है, मैंने उनसे निवेदन किया था कि मेहरबानी करके प्रोसैसिंग यूनिट भिवानी मंडी झालवाड़ा में लगा दें। इससे वहां पर शुरुआत भी हो जाएगी और लोगों को मालूम भी पड़ेगा कि एक नया डिपार्टमेंट खोला है।

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। मैं थोड़ा और बोलना चाहता था, वैसे भी मैं कभी-कभी ही बोलता हूं. समय नहीं हैं और आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं इस महीने की 21 तारीख को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के समक्ष दिए गए माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत और श्री भाटिया द्वारा समर्पित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

राष्ट्रपति जी ने आर्थिक व्यवस्था का सर्वेक्षण किया है और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने लोगों में आशाओं का संचार किया है। राष्ट्रपति जी महसूस करते हैं और मैं उनसे सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है और उनकी विकास दर संतोषजनक है। राष्ट्रपति जी ने यह भी महसूस किया है कि पिछले चार वर्षों में औद्योगिक विकास दर में प्रति वर्ष आठ प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है; बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में, अच्छी शुरुआत की गई है। परमाणु कार्यक्रम के अनुसार, भारत की विश्व के नक्शे में संतोषजनक स्थिति है।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

लोकतांत्रिक प्रक्रिया और योजना के लाभ को निम्न स्तर तक ले जाने का प्रधानमन्त्री का स्वागत-योग्य है। मैं कार्मिक सम्बन्धी सलाहकार समिति का सदस्य हूं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमन्त्री करते हैं और एक उप-समिति बनाई गई थी जिसने इन सिफारिशों को सूत्रबद्ध किया था। मुझे यह जानने का विशेष अधिकार है कि प्रधानमन्त्री जी पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर, खण्ड स्तर और जिला स्तर पर किस प्रकार अच्छा योगदान देना चाहते हैं। जिला भारत में सभी प्रकार के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु है और विकास का लाभ उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। इसलिए, माननीय राष्ट्रपति ने इस विचार पर अधिक ध्यान दिया है और मुझे इसकी बहुत खुशी है।

अब मैं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के बारे में कहूंगा। राष्ट्रपति जी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमन्त्री ने चीन के साथ अपने अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। मैं यह नहीं कहूंगा सम्बन्धों में एक नया मोड़ आया है लेकिन चीन के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण होने की सम्भावना है और यह बात ही खुशी की बात है।

प्रधानमन्त्री जी ने सार्क की बैठक में पाकिस्तान के साथ भी सम्बन्ध सुधारने की पहल की और आशा है उनके साथ भी हमारे सम्बन्ध सुधारेंगे। अन्तत. पाकिस्तान में सैनिक शासन की तुलना में लोकतन्त्र शासन होना हमारे लिए अच्छी बात है। मुझे आशा है कि कुछ दकियानूसी तत्वों द्वारा जोर डालने के बावजूद भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के और निकट आएंगे।

मुझे आशा थी कि राष्ट्रपति जी कुछ क्षेत्रों का जिक्र करेंगे। यदि उनका जिक्र संक्षिप्त रूप से भी किया गया होता तब भी ठीक होता लेकिन राष्ट्रपति जी ने इन विषयों पर चर्चा नहीं की है। मैं अब ग्रामीण स्तर पर गरीबी के बारे में बोलूंगा। यह एक विस्तृत क्षेत्र है।

वास्तव में गरीबी रेखा की परिभाषा फिर से की जाने की आवश्यकता है। जो आंकड़े दिए गए हैं जो मुझे उसे स्वीकार्य नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत से लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं लेकिन गांव में गरीबी बढ़ रही है क्योंकि धनी लोग और धनी होते जा रहे हैं और योजना में यही कमी है। इस विषय पर मैं बाद में बोलूंगा।

महोदय, हमारे देश का विकास सही ढंग से नहीं हुआ हैं। मैं महसूस करता हूं कि इसका श्रेय जवाहर लाल नेहरू को जाता है अगर वे एक दशक तक और जीवित रहते तो जो योजना उन्होंने शुरू की थी। उसकी प्रक्रिया में उन्होंने अवश्य संशोधन किया होता विकास अनियमित है कुछ क्षेत्र पूर्णतया: सामन्तवादी है और कुछ क्षेत्र पूर्णतया पूंजीवादी है। यदि मैं बताऊं कि बड़े व्यापारियों के घर में कुत्तों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो मुझे गन्दी बस्तियों की याद आती है जहां पुरुष, महिलाएं और सूअर एक साथ रहते हैं और पुरुषों और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नही किया जाता। निसन्देह हमारा देश लोकतान्त्रिक देश है। हमने योजनाएं बनाई है और इसका अधिक श्रेय हमें मिलना है। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए। लेकिन यह स्थिति भी है। मुझे दु;ख है कि राष्टपति ने गन्दी बस्तियों के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है जो न केवल कलकत्ता तथा बम्बई में अपितु दिल्ली में भी बढ़ रही हैं जहां पर बड़े उद्योग नहीं हैं। हमने इन शहरों में बढ़ रही गन्दी बस्तियों पर रोक नहीं लगाई है। आर० के० पुरम में गन्दी बस्तियां किस तरह बढ़ रही है। मेरी इच्छा थी कि माननीय राष्ट्रपति जी गन्दी बस्तियों का जिक्र करते और बताते कि इन्हें कैसे हटाया जा

सकता है। महोदय, ऐसे बहुत से और क्षेत्र हैं जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है और मैं उनके बारे में अब कुछ कहना नहीं चाहता।

महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने हमारे समाज की नई शिक्षा नीति के बारे में जिक्र किया है। मेरे विचार से शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि यह चहुंमुखी विकास के लिए जरूरी है। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय अब केवल शिक्षा मन्त्रालय ही नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मन्त्रालय है और इस मन्त्रालय को शिक्षा नीति की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और हमें इन योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए तथा हमें यह समीक्षा करनी है कि क्या यह नीति मन्त्रालय के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। मानव संसाधन मन्त्रालय को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज-कल, विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? वे विश्वविद्यालयों को ढील दे रहे हैं। मैं इस सदन को हैरत में नहीं डालूंगा। मुझे सूचित करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट की कई वर्षों से कोई बैठक नहीं हुई। क्या उप-कुलपति को बैठक नतीं कराने का अधिकार है? संसद के कई सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य हैं। मैं जवाजवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की कोर्ट का सदस्य हूं, वहां नियमित रूप से बैठकें होती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप-कुलपति को कोर्ट की मीटिंग न कराने का क्या अधिकार है? क्या यह सहनीय है? क्या इसका लाइसेंस उप-कुलपति को दिया जा सकता है? मानव संसाधन विकास क्या करता है? आप देखिए लोग पद मिलने के बाद किस तरह से पद से हटने से इन्कार करते हैं? इस पद पर बने रहने म उनका कुछ स्वार्थ निहित है। अब वह इस पद को खाली करने से इन्कार कर रहे हैं राष्ट्रपति जी को जिक्र करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों की अदालतें होनी चाहिए और उन अदालतों को नियमित रूप से बैठक होनी चाहिए। यही उप-कुलपति अपने सेवाकाल में बढ़ोतरी के लिए कहीं और जाकर कहें:—

[हिन्दी]

उर्दू के बचने की सिर्फ यही उम्मीद है कि उसका रस्मे ख़त बदला जाए।

[اردو کے بچنے کی صرف یہی امید ہے کہ اس کا رسم الخط بدلا جائے-]

[अनुवाद]

यह स्वीकार्य नहीं है। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं है। लेकिन हम लिपि कभी भी नहीं बदल सकते। यह आवश्यक बात है। उर्दू को उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितना उसे मिलना चाहिए। उन्हीं उप कुलपति ने राष्ट्रपति के समक्ष, जो कि उस विश्वविद्यालय के विजीटर है, कहा कि कोर्ट की मीटिंग नहीं हो रही है। यह इस सभा का भी अपमान है क्योंकि इस सभा के छ: सदस्य अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट के सदस्य हैं और उप-कुलपति तानाशाह बन गया है उन्हें उस पद से हटाया जाना चाहिए और संसद के समक्ष जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति को ऐसा करना चाहिए था।

जम्मू और काश्मीर की अर्थव्यवस्था के बारे में राष्ट्रपति ने उल्लेख नहीं किया है सभापति महोदय, कुछ लोगों ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेन्स आफ जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट के बीच हुए समझौते के बारे में उगूंली उठाई है। वे बहुत गलत कर रहे हैं यह समझौता बना रहेगा क्योंकि यह समझौता उस पिछड़े राज्य की जनता के उत्थान के लिए किया गया मेरी पार्टी पूरी तरह से इस समझौता का,

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

जो न केवल श्री राजीव गांधी और डा फारूख अब्दुला के बीच बल्कि कांग्रेस (आई) और नेशनल कांफ्रेन्स के बीच हुआ है, तहेदिल से समर्थन करती है।

अंततः ये दोनों दल धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रीयवादी दल है और उन्होंने हमेशा धर्मनिरपेक्षता राष्ट्रीयता और लोकतन्त्र का समर्थन किया है। उनकी राय में कोई अन्तर नहीं था। अतः हमने विवाद समाप्त करने का प्रयास किया और यह समझौता बना रहेगा क्योंकि इस समझौते के माध्यम से हम इस पिछड़े राज्य का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। लेकिन महोदय, कुछ समस्याएं हैं जिन पर केन्द्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहली समस्या यह है कि यह एक बहुत गलत बात है। जम्मू और काश्मीर राज्य को दिए गए अनुदान और ऋण के अनुपात के बारे में कई वर्षों तक विवाद रहा है। अगर आप हिमाचल प्रदेश और जम्मू और काश्मीर राज्य की तुलना करे—मैं पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि यहां धन किस प्रकार किया जाता है उससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं, लेकिन वह एक बड़ा प्रश्न है वहां धन का अपव्यय होता है और वहां भ्रष्टाचार है लेकिन में अभी इस बारे में विस्तार से नहीं कह सकता। लेकिन दो राज्यों की तुलना की जाए तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर राज्य आकार की दृष्टि से समान है। निःसन्देह, हिमाचल प्रदेश अच्छी स्थिति में है क्योंकि यह दिल्ली और पंजाब से जुड़ा हुआ है यहां अच्छी मार्ग व्यवस्था है और यह भारत की राजधानी के नजदीक है और इसे सरकारी क्षेत्र के उद्योग में बहुत से लाभ मिले हैं। परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य पिछड़ गया है। फिर भी हिमाचल प्रदेश 90 प्रतिशत धनराशि प्राप्त कर रहा है। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सम्पूर्ण धन-राशि का 90% भाग हिमाचल प्रदेश अनुदान के रूप में प्राप्त करता है और 10% भाग ऋण के रूप में प्राप्त करता है। और जम्मू और काश्मीर राज्य 70 प्रतिशत धनराशि को ऋण के रूप में प्राप्त करता है और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त करता है। और कुछ व्यक्ति जो कि सम्भवतः सरकार में हैं अधिक बुद्धिमान होने का दावा करते हैं और हमें यह कहते हैं कि आप क्यों चिन्ता करते है? केन्द्रीय सरकार से किसी न किसी रूप में धनराशि प्राप्त हो जाती है। उनकी बात पूर्णतः गलत है। मैं अर्थ-शास्त्र का विद्यार्थी हूं। जब आप योजना आबंटन करते हैं तो आप मूलराशि के द्वारा इसके एक भाग को और ब्याज द्वारा प्रमुख भाग को निकाल लेते हैं और हमें केवल मजदूरी विधेयक मिलता है। जम्मू और कश्मीर राज्य में विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं एक वैर-भाव रखने वाले व्यक्ति की तरह नहीं लड़ रहा हूं। नहीं; हम मित्र हैं परन्तु हमें यह भी समझना चाहिए कि हम इस योजना मन्त्री अथवा वित्त मन्त्री के विवेक पर नहीं छोड़ सकते। हमें एकजुट होना चाहिए और इसे समझना चाहिए क्योंकि जम्मू और कश्मीर समाज का औसत व्यक्ति इस प्रकार के व्यवहार के कारण केन्द्रीय सरकार से बहुत अप्रसन्न है क्योंकि हमारे पास विकास के लिए धनराशि नहीं है। यह विकास का एक प्रश्न है और उन व्यक्तियों को यह सलाह नहीं देनी जानी चाहिए क्योंकि चापलूसी से इस देश को कोई लाभ नहीं होगा आप युद्ध अभ्यास की बात पर आ जाइए और एक राष्ट्रवादी के तौर पर स्थिति को समझिए। जम्मू और कश्मीर राज्य भारत का एक अभिन्न अंग हैं और दुनिया की कोई भी ताकत इसे भारत से अलग नहीं कर सकती। यह हमारा अभिन्न अंग है। परन्तु एक बात यह है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर का विकास इस महान देश के एक अभिन्न अंग के रूप में किस प्रकार हो।

महोदय, मैं आज इस मुद्दे को उठा रहा था और श्री कल्पनाथ राय से मैं असहमत था। हमारे यहां बिजली नही है। आपकी विद्युत सम्भाव्यता बहुत अधिक अर्थात 16 मेगावाट से अधिक है।

मैं यह नहीं कहता कि उस सम्पूर्ण सम्भाव्यता को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए उपयोग कीजिए। आप उसका उपयोग सम्पूर्ण देश के लिए कीजिए। एक नेशनल ग्रिड स्थापित होना चाहिए परन्तु आप हमें कुछ बिजली दीजिए। वहां एक सप्ताह में चार दिन बिजली बन्द रहती है। इससे उन गुंडों की हरकतें बढ़ जाती हैं जो वहां होहल्ला मचाते हैं और इस कठिनाई को दूर किया जाना चाहिए। मैंने श्री कल्पनाथ राय से विवाद इसीलिए किया और श्री साठे से प्रश्न का उत्तर लेना चाहा क्योंकि जब वह मन्त्री बने तो उन्हें अपने पद पर विश्वास नहीं था और उन्होंने यह कहते हुए हमें परिपत्र जारी कर दिए कि 'सुझाव दीजिए'। मैंने एक-दो परिपत्र को तो कूड़ेदान में डाला परन्तु तीसरे परिपत्र का उत्तर देने में मुझे तीन घण्टे लगे और इसके बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। वह एक तमाशे की स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकते। बिजली बन्द होने पर मेरे द्वारा इस समस्या को उठाने के बाद उन्हें श्रीनगर जाना चाहिए था क्योंकि अक्सर बिजली गुल रहती है। मैंने श्री साठे को कहा कि हमें बिजली दीजिए। सलाल परियोजना से पर्याप्त मात्रा में विजली मिल रही है। वहां ट्रांसमिशन लाइन न होने के कारण हम उस बिजली को नहीं ले जा सके। श्री कल्पनाथ राय यहां शेखी नहीं बघार सकते। वह एक मन्त्री है और मेरे प्रति तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों के प्रति जवाब देह हैं। उन्हें कार्य अवश्य करना चाहिए। आप जम्मू और कश्मीर राज्य में क्यों नहीं जाते हैं जहां सप्ताह म चार दिन बिजली बन्द रहती है? और आप यहां एक वक्तव्य देंगे और मुझे इस बारे मे जानकारी देने का प्रयास करेंगे।

महोदय, यदि बिजली की कमी ट्रांसमीशन लाईन के कारण है तो उसके लिए किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। हमारे यहां ट्रांसमीशन लाइनें क्यों नहीं हैं? श्री साठे ने निश्चित रूप से यह वक्तव्य दिया था कि वह इस तकलीफ से अवगत हैं और वह इसका कोई समाधान ढूंढ लेंगे। परन्तु ऐसा करने में काफी समय लगेगा। तब तक कौन इंतजार करेगा। आपको निकट भविष्य में ही हमें कुछ राहत देनी चाहिए।

हमारी एक बहुत बड़ी समस्या शिक्षित बेरोजगारी की है। इसका कारण यह है कि भारत के बहुत से राज्यों द्वारा सुधार कार्य आरम्भ किए जाने से पहले हम लोगों ने उत्प्रेरणात्मक एजेण्ट की भूमिका निबाही थी। भारत के कई राज्यों में कोई भूमि सुधार कार्य नहीं किया गया है। इसका श्रेय शेर-ऐ-कश्मीर, शेख अब्दुल्ला को जाता है जिन्होंने भूमि-सुधार कार्य को आरम्भ किया और भूमि जोतने वाले व्यक्तियों को भूमि दी। इसी तरह, हम पहली कक्षा से एम०, पी० एच० डी० तक शिक्षा निःशुल्क कर दी। हमारी स्थिति अब बहुत हास्यापद हो गई है। यदि भारत सरकार हमारी रक्षा नहीं करती, तो यह समस्या वहां बनी रहेगी। प्रेस, निश्चित रूप से स्थिति के बारे म बहुत कटु बातें लिखती है। वे हर समय जम्मू और कश्मीर की स्थिति की तुलना पंजाब की स्थिति से करते है। ऐसी तुलना करने का कोई प्रश्न नहीं है। समस्या यह है कि जब वहां बिजली नहीं है, सड़कें बन्द पड़ी है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है कभी-कभी पेट्रोल भी हवाई जहाज द्वारा भेजा जाता है और शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है तो किसी न किसी व्यक्ति को इसका समाधान ढूंढ़ना चाहिए। अतः मुझे इसका श्रेय प्रधानमन्त्री महोदय को देना चाहिए जोकि स्थिति का समाधान करने का प्रयास करते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि नौकरशाह इसके लिए तैयार नहीं है। यह कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि मैं इस बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करूं कि इस देश का संचालन राजनीतिज्ञ कह रहे हैं या फिर नौकरशाह। इसे प्रधानमन्त्री महोदय ने कई बार हमसे वायदे किए। उन वायदों को पूरा किया जा रहा है। एक सचिव की मेरे साथ कहा सुनी गई थी क्योंकि इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पाता। इससे राज-

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

नीतिज्ञों पर प्रभाव पड़ता है। अतः प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा जम्मू और कश्मीर के लोगों को किए गए वायदों को पूरा किया जाना चाहिए।

अन्ततः मैं यह अनुभव करता हूं कि देश में मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण हमें सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। दुर्गम भू-क्षेत्र होने के कारण हमें सबसे अधिक कष्ट उठाना पडता है और हम परिवहन लागत भी वहन करते हैं। अतः जम्मू और कश्मीर में मुद्रास्फीति सबसे अधिक है।

अन्ततः विचारोत्तेजक अभिभाषण देने के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी का धन्यवाद करता हूं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, मैं 21 फरवरी, 1989 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण के सम्बन्ध में श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा प्रस्तुत तथा श्री रघुनन्दन लाल भाटिया द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

3.54 म० प०

[**श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुईं**]

अपने भाषण के आरम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय माननीय प्रधानमन्त्री ने अत्यन्त असामान्य परिस्थितियों के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री का दायित्व सम्भाला था उस समय इस देश में व्याप्त परिस्थितियों की तुलना में इस सरकार का कार्य-निष्पादन प्रशंसनीय रहा है और राष्ट्रपति महोदय ने गत एक वर्ष के अन्तर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का उचित सार प्रस्तुत किया है। और उन्होंने गत 40 वर्षों के दौरान इस देश में किये गए सम्पूर्ण विकास की उचित समीक्षा की है। चूंकि यह वर्ष स्वर्गीय पंडितजी की जन्म शताब्दी वर्ष है, यह ध्यान देना एक खुशी की बात है कि हमारी आधुनिक राष्ट्रीयता के वास्तविक स्तम्भ लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, समाजवाद और गुट-निरपेक्षता की जड़ें इस देश में काफी गहरी जम चुकी हैं। जैसाकि हम सभी लोग जानते हैं, चार वर्ष पहले इस देश के सबसे ज्यादा अंधकारमय समय के दौरान श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के अवसाद के समय कांग्रेस को भारी जनादेश दिया गया था और हमारे गतिशील प्रधानमन्त्री श्री राजीव जी ने हमारे प्रशासन की बागडोर सम्भाली। हमें देश के अन्दर और बाहर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसा कि कई माननीय सदस्यों द्वारा और राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका और बंगलादेश के साथ हमारे देश की सीमा पर भारी समस्याएं हमारे सामने थीं। परन्तु हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि हमने बहादुरी से उन समस्याओं का सामना किया और हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा पहल किए जाने के बाद आज हम स्वतन्त्रता के 40 वर्षों से जारी कार्य को समेकित करने की बेहतर स्थिति में हैं।

चार वर्ष पहले प्रश्न हमारे देश के वास्तविक विकास का नहीं था। उस समय प्रश्न हमारे देश के अस्तित्व को बनाए रखने, इस देश की एकता और अखण्डता को कायम रखने और एक राष्ट्र के रूप में कठिनाइयों का सामना करने का था। परन्तु सौभाग्य से गत चार वर्षों के दौरान, हमारे प्रधानमन्त्री के गतिशील नेतृत्व में आज हमारा देश एक महान राष्ट्र है। विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रपति

के अभिभाषण और आर्थिक समीक्षा में हमारी अर्थव्यवस्था के बहुत ही उज्ज्वल स्वरूप का पता चलता है। देश में अभूतपूर्व सूखा तथा कुछ भागों में प्राकृतिक प्रकोप के बावजूद भी आर्थिक समीक्षा मे सम्पूर्ण विकास में 9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। इसस स्पष्ट है कि 1985 में शुरू की गई उदार औद्योगिक नीति के अच्छे परिणाम निकले हैं। लगातार पांचवें वर्ष भी औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक रिकार्ड है। ये उपलब्धियां नई औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन अर्थात औद्योगिक विकास के लिए प्रक्रिया सम्बन्धी रुकावटों में कमी, क्षमता में वृद्धि पर बल देने और प्रौद्योगिकी आदि का दर्जा बढ़ाए जाने का परिणाम है। विगत अनेक वर्षों मे पहली बार थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों में मुद्रास्फीति की दर मे पर्याप्त गिरावट आई है। तथापि आर्थिक समीक्षा में हमें दो प्रमुख क्षेत्रों के प्रति सजग रहने की चेतावनी दी है वे क्षेत्र भुगतान शेष और औद्योगिक रुग्णता है। निर्यात में 24 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद भी 6,600 करोड़ रुपये का व्यापार घाटा होने का अनुमान लगाया गया है। यह दिखाया गया है कि यह घाटा अधिकतर आयात में वृद्धि के कारण हुआ है जो 27.54 प्रतिशत के लगभग बैठता है। जब तक कि आयात-निर्यात नीति पर बहुत ही सावधानीपूर्वक निगरानी नहीं रखी जाती, तब तक इस वृद्धि के बावजूद भी भुगतान शेष पर अधिक दबाव पड़ेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारी नीति इस ढंग से बनाई जाए जिसमें उत्पादन में और अनावश्यक चीजों को जमा करने में यथासम्भव विदेशी मुद्रा को प्रोत्साहन न मिलता हो।

आर्थिक समीक्षा में यह भी बताया गया है कि बढती हुई औद्योगिक रुग्णता एक बहुत ही गम्भीर समस्या बन सकती है। यह बताया गया है कि 1,60,000 ऐसी रुग्ण इकाइयां हैं जिनमें अकेले राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी लगी हुई है। इन रुग्ण इकाइयों पर 67८0 करोड़ रुपए का बैंक ऋण बकाया है। यह वास्तव में बड़े दुःख की बात है कि इन इकाइयों की रुग्णता के वास्तविक कारणों का पता लगाने तथा उन्हें उपयोगी बनाने के लिए कोई प्रयास अथवा अध्ययन नहीं किया गया है। मैं एक क्षेत्र बताना चाहता हूं जहां अर्थात कपड़ा उद्योग में ऐसी रुग्णता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई। लोक सभा के विगत अधिवेशन में एक प्रश्न के जवाब में बताया गया था कि 750 करोड़ रुपए में से लगभग 650 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं परन्तु आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में कोई वास्तविक परिणाम नही निकला है। इस सभा में यह भी जवाब दिया गया कि इसके लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है, कोई निगरानी नहीं रखी गई है तथा आधुनिकीकरण के बावजूद भी इसमें पर्याप्त रूप से सुधार नहीं हुआ है। इस प्रकार 750 करोड़ रुपए की धनराशि लगभग बेकार हो गई। एक अध्ययन दल के साथ मैं एक कपड़ा मिल देखने कलकत्ता गया। कामगारों से मिलने पर हमने उनसे उस विशेष मिल की समस्याओं के बारे में पूछा। कामगारों ने बताया कि इसके लिए बिजली की कमी, कच्चे माल का अभाव तथा अपर्याप्त कार्यचालन पूंजी जैसे अनेक कारण हैं। (व्यवधान) उन्होंने कहा था कि आधुनिकीकरण के अतिरिक्त रुग्णता के ये कारण हैं। यह दुःख की बात है कि आधुनिकीकरण के लिए 750 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए परन्तु कच्चे माल के उपलब्ध न होने जैसी अड़चनें दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मिलों को कार्यचालन पूंजी के लिए पर्याप्त धनराशि तथा पर्याप्त बिजली देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जब तक इन बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मुझे आशंका है कि वांछनीय फल प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए यह मेरा पुरजोर निवेदन है कि स्थिति सुधारने के लिए इस सम्बन्ध मे एक अध्ययन किया जाए। मेरा सुझाव है कि जब विभिन्न उद्योगों को धनराशि दी जाए तो वित्तीय संस्थाओं उनकी प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कहा जाए। इन उद्योगों के विकास के लिए वास्त-

[श्री ए० चार्ल्स]

विक समस्याओं का पता लगाया जाए और उनका सुधार किया जाए।

मैं एक पहलू का उल्लेख करते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं। जब ये सब विकास किए जा रहे हैं तो विगत चार वर्षों में जो विपक्ष ने भूमिका निभाई है उसे बताने में मुझे दुःख होता है। रचनात्मक विपक्ष होने के बजाय उन्होंने हमेशा सरकार की आलोचना करने की कोशिश की है। कल और आज जो कुछ हुआ उसे हम जानते है। विगत दो वर्षों से वे प्रधानमन्त्री पर हर प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय मोर्चा और दूसरे विपक्ष का एक ही कार्यक्रम है कि प्रधानमन्त्री को किसी प्रकार सत्ता से हटाया जाए। आम जनता के उत्थान के लिए उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके पास इस देश के विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। उनके पास बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी तथा निरक्षरता आदि की समस्या के समाधान हेतु कोई कार्यक्रम नहीं है। बल्कि उनका एक ही कार्यक्रम है कि प्रधानमन्त्री को किसी प्रकार सत्ता से हटाया जाए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो उस पद को प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। तीन दिन पहले जब भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में चर्चा हो रही थी तो विपक्षी नेताओं में से एक ने असंगत टिप्पणी की थी और कुछ बातें कहीं। यह कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन पांच साल पहले अर्थात 1985 में 300 मिलियन डालर देने को राजी थी यदि उस धनराशि को बैंक में जमा कर दिया गया होता तो यह 500 मिलियन डालर हो जाती। परन्तु एक तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह कहा गया था कि 300 मिलियन डालर की धनराशि का 10-20 वर्षों मे भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार सम्पूर्ण बात को तोड़-मरोड़कर बताया गया और उसमें यह दिखाया गया कि सरकार को असहाय लोगों की चिन्ता नहीं है। मेरा कहना है कि विपक्ष को ऐसी निष्क्रिय आलोचनात्मक भूमिका के बजाय सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में सहयोग देने के लिए आगे आना चाहिए। इस अवसर पर सम्पूर्ण देश को संगठित होना चाहिए क्योंकि हमारा सम्पूर्ण प्रयास कमजोर और सबस निर्धन लोगों का उत्थान करना है। इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं तथा इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर): मैं श्री गाडगिल द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। संसद की दोनों सभाओं में राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। इससे आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन का पता चलता है। राष्ट्रपति ने प्रत्येक विषय का उसके उचित परिप्रेक्ष्य में उल्लेख किया है। इसमें विकट राजनैतिक समस्याओं के समाधान में सरकार की सफलता का जिक्र किया गया है जिनसे बहुत अधिक रक्तपात हुआ है चाहे वह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह की समस्या है अथवा दार्जिलिंग मे गोरखाओं का हिंसक आन्दोलन है हमारे प्रधानमन्त्री ने उन्हें बातचीत के माध्यम से हल किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र और दार्जिलिंग में शांति है। आपको याद होगा कि विगत वर्ष दार्जिलिंग मे कितनी हिंसा हुई तथा दो वर्ष पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र मे क्या स्थिति थी इन क्षेत्रों में जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें आप अच्छी तरह देख सकते हैं। निष्पक्ष प्रेक्षक इससे सहमत होगा कि वहां की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। यह राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार द्वारा जागरूक नीतियों के पालन का परिणाम है। पंजाब में भी पिछले वर्ष या उससे पहले वर्ष जैसी स्थिति नहीं है। सरकार जितनी सख्ती से आतंकवादियों से निपटी है उसके निश्चित रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा पंजाब की स्थिति के लिए कोई भी प्रेक्षक इस बात से सहमत होगा कि आतंकवादियों का मनोबल गिरा है और काफी आतंकवादी मारे गए हैं। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि

सरकार इस समस्या के समाधान हेतु पंजाब की जनता पर निर्भर है जिन्होंने इस समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया है। मुझे पूरी आशा है कि पंजाब के शांतिप्रिय लोगों के कारगर सहयोग से आतंकवाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार लोगों की शिकायतों पर उचित ध्यान देगी। यदि पंजाब के युवा युवक-युवतियों को शिकायत है तो उन्हें सुनने तथा दूर करने के लिए वहां सरकार विद्यमान है। उन्हें इस बारे में शंका नहीं करनी चाहिए। अब आवश्यकता इस बात की है कि इन भ्रमित युवा लोगों को हिंसा और टकराव के रास्ते से हटाने के लिए एक राजनैतिक हल ढूंढ़ा जाए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण ने देश के सम्मुख अर्थव्यवस्था का अत्यन्त अच्छा चित्रण किया है। गत चार वर्षों के दौरान सरकार ने अर्थव्यवस्था के विकास को तेज करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। औद्योगिक लाइसेंसों के देने में उदारता, उत्पादन आदि बढ़ाने के लिए आवश्यक नाजुक सयंत्रों के आयात के लिए अधिक सुविधा देना इस दिशा में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। ऐसे कार्यों से अर्थ-व्यवस्था को बढ़ावा मिला और आज इसका अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। औद्योगिक उत्पादन, योजना लक्ष्य को पार करने की ओर अग्रसर है। जब यह उदार नीति अपनाई गई तो विपक्ष में मेरे मित्रों ने बहुत शोर-शराबा किया था लेकिन हमारे कार्य का परिणाम आप सबके सामने है। इसी प्रकार कृषि का विकास भी प्रशंसनीय है। देश के अनेक भागों में गम्भीर सूखे के बावजूद कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं होती तो हम सूखे के प्रभाव को निष्प्रभाव करने में सफल नहीं होते। अर्थव्यवस्था इसलिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियां ठीक थीं। इन तथ्यों से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की विदेशी मामलों में उपलब्धियां बताई गई हैं। वास्तव में हमारे द्वारा श्रीलंका और मालद्वीव में उठाए गए कदमों के लिए विश्व नेताओं ने प्रशंसा की है। जब प्रधानमन्त्री ने भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजने का निर्णय लिया तो कुछ लोगों ने इसकी आलो-चना की थी। लेकिन समय ने यह साबित कर दिया है कि प्रधानमन्त्री ठीक थे। भारतीय शांति सेना के समय पर हस्तक्षेप ने श्रीलंका को विघटन से बचा लिया। यहां तक कि श्रीलंका में भारत विरोधी लोगों ने भी यह स्वीकार किया है कि भारतीय शांति सेना ने बहुत अच्छा कार्य किया है। मालद्वीव के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। जब उस देश की अखण्डता को खतरा था तो हमने अपनी सेनाएं भेजकर उनकी रक्षा की। भारत की इस क्षेत्र में जो एक भूमिका है और हमने यह भूमिका प्रशंनीय तरीके से अदा की है। प्रधानमन्त्री द्वारा समय पर उठाए गए कदमों के कारण ही यह परिणाम मिला है।

अब राज्यपाल के पद की आलोचना हो रही है। विपक्षी शासन वाले सभी राज्यों में मुख्यमंत्री, राज्यपाल के पद की आलोचना कर रहे हैं। इन सभी राज्यों में राज्यपाल के पद पर एक ही तरीके से प्रहार हो रहा है। राज्यपाल, राष्ट्रपति के एजेण्ट हैं और उन्हें यह देखना होता है कि उनका राज्य संवैधानिक निर्देशों के मुताबिक चल रहा है। यदि कोई ऐसा राज्य है जो सदा देश विरोधी कार्यों में लगा रहता है और देश-विरोधी कार्य करता है तो स्वाभाविक ही है कि संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि तथा संविधान के संरक्षक अर्थात राज्यपाल को इस पर कार्यवाही चाहिए। अतः यह तो केवल एक राजनैतिक प्रलोभन है।

ये राज्य राजनैतिक उद्देश्यों के कारण केन्द्र-विरोधी अभियान चला रहे हैं। लेकिन वे देश का अत्यधिक अहित कर रहे हैं। इससे देश में अस्थिरता होगी। कुछ विपक्षी नेता कहते हैं कि राज्यपालों

[श्री पी० ए० एन्टनी]

की नियुक्ति सम्बन्धित मुख्यमन्त्रियों से सलाह करके की जाए। अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमन्त्री से सलाह ली जाती है और यदि मुख्यमन्त्री एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति पर सहमत नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति के लिए उस स्थिति में क्या विकल्प है ? उन्हें वही व्यक्ति नियुक्त करना है। अतः यह तो विरोधाभास है। इस तर्क में कोई तथ्य नहीं है। इस आलोचना की मंशा अच्छी नहीं है। वे केन्द्र के खिलाफ एक राजनैतिक अभियान चलाना चाहते थे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में पंचायती राज के बारे में बल दिया गया है। हमारे प्रधानमन्त्री, हमारे स्थानीय निकायों को निचले स्तर से ही मजबूत करना चाहते थे। निःसन्देह यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति है यद्यपि इसे स्वाधीनता से भी पहले महात्मा गांधी ने प्रचारित किया था और कहा था कि इन पंचायतों को पुनर्गठित करके इन्हें छोटी पंचायतों और स्वशासन मे बदला जाए। लेकिन कुछ लोग शक्ति के इस विकेन्द्रीकरण के लिए प्रधानमन्त्री की आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही वे केन्द्र से और अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन वे इस शक्ति को स्थानीय निकायों के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। यदि लोकतन्त्र को बनाए रखना है तो निचले स्तर पर शक्ति तथा उसका विकेन्द्रीकरण करना ही पड़ेगा। जब कभी भी विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित करना होता है तो सफलता मिलती है और लोगों के लिए अधिक कार्य किया जा सकता है।

मैं अपने स्थान का एक उदाहरण देता हूं। मेरे अपने शहर में नगरपालिका परिषद एक स्थानीय निकाय है जो उस क्षेत्र के लिए विद्युत विभाग का संचालन करती है। इसका मतलब यह है कि इसे भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत लाइसेंस मिला हुआ है। मैं भी इसका एक सदस्य था। केरल में बिजली वितरण करने के लिए बहुत से स्थानीय लोगों को इसमें लिया गया है और उन्हें अधिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। केरल में राज्य बोर्ड की तुलना में यह सबसे अधिक कुशल संस्था है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साधारण लोगों की प्रशासन में पहुंच है और वे ही इस स्थानीय निकाय पर नियन्त्रण रखते हैं। अन्ततः यदि आप लोगों को अधिकार बांट सकते हैं तो यह एक महान कार्य होगा जोकि हम कर सकते हैं। हम देश पर दिल्ली से अथवा राज्यों पर राज्यों की राजधानियों से शासन नहीं चला सकते हैं। केवल स्थानीय निकाय ही लोगों पर शासन करके उनकी सेवा कर सकते हैं।

अतः मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसके लिए प्रधानमन्त्री तथा विशेषकर राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के संयुक्त अधिवेशन को अपने अभिभाषण द्वारा अनुगृहीत किया है, उसके लिए सदन उनके प्रति कृतज्ञ है और इसके साथ ही सदन के माननीय सदस्य श्री गाडगिल जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और माननीय सदस्य श्री आर० एल० भाटिया जी ने जिसका अनुमोदन किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

भारतीय प्रजातन्त्र का मूल आधार सोशल इवोल्यूशन है, सामाजिक रूपांतरण है, सोशल ट्रांस्फारमेशन है। सोशल ट्रांसफारमेशन, विकासात्मक पद्धति के द्वारा ही हमारे अग्रजों ने इसको

स्वीकार किया है ।

यह इवोल्यूशनरी प्रासेस प्रजातांत्रिक ढांचे पर आधारित है और उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे सामने लक्ष्य रखे हैं, उनमें सबसे पहला लक्ष्य यह है कि हम समाज को सामाजिक न्याय दे सकें ।

संविधान के आमुख में, प्रीएम्बल में देश की जनता के प्रति संविधान के निर्माताओं ने और संविधान सभा ने राष्ट्र को जो आश्वासन दिया है उसमें प्रथम आश्वासन यह है कि हम जस्टिस देंगे और वह जस्टिस ही सबसे पहला सोशल, पोलिटिकल और इकनामिक होगा । इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय प्रजातन्त्र में सबसे पहला उत्तरदायित्व इस सदन का और भारत सरकार का यह है कि समाज में हम एक समता दें, इक्वल स्टेट्स दें । इससे समाज का प्रत्येक नागरिक अपने आप में गौरवान्वित अनुभव करते हुए एक समता का भाव अपने में अर्जित कर सके ।

सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के साथ-साथ उसके आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि संविधान के प्रीएम्बल में जहां सोशल जस्टिस की प्रतिबद्धता है, वचनबद्धता है, उसके साथ-साथ यह भी वायदा किया गया है कि हम राष्ट्र को इकनामिक जस्टिस दे सकेंगे और उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, उन्होंने इस देश के सामने योजनाबद्ध विकास के माध्यम से देश के आम आदमी की आर्थिक अवस्था को ऊंचा उठाने के लिए एक नक्शा, एक खाका, एक ढांचा इस राष्ट्र को दिया है । हमें खुशी है कि प्रजातन्त्र में इस योजनाबद्ध विकास के माध्यम से एक नया अन्वेषण, एक नया एक्सपेरीमेंट जो पंडित जी ने किया, वह आज अपने आप में बहुत कामयाब सिद्ध हुआ है और उसको जो दूसरे समाजवादी देश चाहे रशिया हो, या चाइना हो, वह भी अनुभव करते हैं कि वास्तव में पंडित जी ने अपने तरीके से एक नया ढांचा जो देश को दिया वह उन पद्धतियों के मुकाबले में ज्यादा कारगर है, ज्यादा सफल है और ज्यादा कामयाब है और अधिक से अधिक राष्ट्र के लोगों को उसका लाभ मिल सका है ।

जहां तक आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का प्रोग्राम है उसमें पंडित जी ने जो हमें नक्शा दिया और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जिसको अमली जामा पहनाया और गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम जो राष्ट्र को दिया, इसके साथ-साथ हमारे लोकप्रिय नेता श्री राजीव गांधी जी ने घर-घर और गांव-गांव तक जाकर स्वयं उन लोगों से मिलकर व सम्पर्क करके उनकी व्यथाओं को सुनकर उसको नया रूप दिया और नए तरीके से उसको लागू करके एक प्रोग्राम बनाया है । इस प्रोग्राम के तहत हम गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना चाहते हैं । सबसे पहला हमारा काम उनके आइडेंटिफिकेशन का होना चाहिए । मैं भारत सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रोग्राम में व गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम में सबसे पहली आवश्यकता यह है कि हम इस तरह का प्रोग्राम बनाएं सरकार के लेवल पर जिससे गरीब लोगों को आइडेंटिफाई कर सकें । आज गरीब लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो माध्यम रखा गया वह है ग्राम पंचायतें । अक्सर ग्राम पंचायतों के चुनावों में दलबंदी, धड़ेबंदी और गुटबंदी पैदा हो जाती है जिससे सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है । आप एक इकनामिक सर्वे देहात का कराएं और उस इकनोमिक सर्वे में जो गरीब परिवार हैं उनके स्टैटिस्टिक्स तैयार करें । फिर उसी के आधार पर पंचायत समिति लेवल पर उसको रखें या फिर जिला लेवल पर उसे रखें । जिन-जिन लोगों को एतराज हो उनको एतराज करने का मौका दें । उन सबका समावेश होने के बाद निश्चित रूप से आपके पास ऐसा डाटा तैयार हो जाएगा जो कि इस बात को

[श्री राम सिंह यादव]

बतला सकेगा कि कौन से ग्राम में, कौन-सी पंचायत में, कौन से ब्लाक में और कौन से जिले में कितने ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। समय-समय पर उसका रीविजन भी होना चाहिए। यदि कोई परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आ चुका हो आप उसे उस सूची से निकालकर वहां यह लिख दें कि यह परिवार अब गरीबी रेखा से नीचे नहीं रहता। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आप गरीब लोगों की सही पहचान नहीं कर सकेंगे।

हम कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए अधिकतर विकास अधिकारी पर ही निर्भर करते हैं। मेरा सुझाव है कि एक इकोनमिक सर्वे देहात का, ग्रामीण क्षेत्र का आप कराएं और गरीब लोगों का आइडेंटिफिकेशन करें।

अगर हम अपने देश की आर्थिक उन्नति करना चाहते हैं तो किसानों, मजदूरों और देहात के लोगों को इनफ्रास्ट्रक्चर दें। जब तक इसे मुहैय्या नहीं कराएंगे तब तक बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकेंगे। बेरोजगारी इस राष्ट्र की प्रमुख समस्या है। इस समस्या की तरफ महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका उल्लेख भी किया है। इसको दूर करने के लिए हमें सार्थक कदम उठाने चाहिएं। इसके लिए जरूरी है कि हम हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक इण्डस्ट्री एस्टेट स्थापित करें। इससे वहां के नौजवानों को वहीं काम मिल सकेगा।

आप तो जानते हैं कि जमीन पर 75 फीसदी आदमी काम कर रहे हैं। उससे अधिक लोगों को वहां काम नहीं मिल सकता है आबादी के बढ़ते अनुपात को देखते हुए अगर उद्योग धन्धों में अधिक लोगों को खपाएंगे तो बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकेगा। मेरा अपने निवेदन है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डस्ट्रियल एरियाज कायम करें।

देहातों के अन्दर जो आज आवासीय समस्या है उसको भी दूर करना चाहिए। गरीब आदमियों के पास आज रहने के लिए मकान नहीं है। हमने राष्ट्रीय आवास नीति का निर्धारण किया लेकिन राष्ट्रीय आवास नीति को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार को खुद इस समस्या को हाथ में लेना होगा और उन गरीब आदमियों के लिए जमीन एक्वायर करके वह जमीन ग्राम पंचायतों व स्थानीय निकायों को दें जिससे वहां पर अधिक से अधिक गरीब आदमियों को रहने के लिए मकान की सुविधा मिल सके।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि जो गरीब आदमी गांवों में रहता है उसको साधन मुहैय्या कराने के लिए ग्राम पंचायतों को हमारे प्रधान मन्त्री जी अधिक अधिकार देना चाहते हैं। हमने लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की कल्पना भी की है। लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का मतलब यह है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए और सत्ता का विकेन्द्रीकरण केवल राष्ट्रीय राजधानी में या राज्यों की राजधानी में न होकर ग्रामीण स्तर तक होना चाहिए, पंचायत के स्तर तक होना चाहिए। उस सत्ता के लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से यह जरूरी है कि हम एक तीन सीढ़ी (सोपान) को स्वीकार करें, 3 टायर सिस्टम को स्वीकार करें और उस 3 टायर सिस्टम में जहां ग्राम पंचायत, पचायत समिति और जिला परिषद, इन तीनों को ही इस तरह की शक्तियां दी जाएं, इस तरह की दी जाय कि वह वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए इस 3 टायर सिस्टम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जो प्रोग्राम हमारे प्रधानमन्त्री जी ने दिया है, मैं चाहूंगा

कि उसके ऊपर सदन गम्भीरता से विचार करे और इस तरह के सिस्टम को इंवोल्व करे, स्वीकार करे, उसको अमली जामा पहनाए कानून के रूप में, जिससे सत्ता का विकेन्द्रीकरण सही रूप से हो सके। सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक दृष्टि से भी ग्राम पंचायतों, ब्लाक और साथ-साथ जिला परिषदों को औद्योगिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा सुविधाओं के क्षेत्र में भी शक्ति मिले, सत्ता दी जाए जिससे कि वे लोग अधिक से अधिक आम आदमी की सेवा कर सकें, ग्रामीण जनता की सेवा कर सकें, देहाती क्षेत्र का विकास कर सकें।

हमारे यहां जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें आज सबसे बड़ी चिन्ता का विषय है, सोचने की बात है वह हमारे आयात और निर्यात व्यापार में एक बहुत बड़े असन्तुलन का होना है। इस असन्तुलन को दूर करने के लिए,हमको अथक प्रयास करने होंगे। वही सरकार अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकती है, सुदृढ़ कर सकती है, जिसके आयात और निर्यात के अन्तर एक अनुपात हो, एक सन्तुलन हो, एक बेलेंस हो। आज हमारा इम्पोर्ट एक्सोर्ट के मुकाबले में 6501 करोड़ अधिक है। अप्रैल, 1988 से लेकर दिसम्बर, 1988 तक हमारा जो इम्पोर्ट बजट है उसमें 6601 करोड़ रुपया हममें अधिक खर्च किया है और हमारा एक्सपोर्ट कम है। यह इस बात को जाहिर करता है कि अभी तक हमारी कामर्स मिनिस्ट्री या एक्सटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री इसको पूरी तरह कण्ट्रोल नहीं कर पाई है। इसको कण्ट्रोल करने की आवश्यकता है क्योंकि जो चीजें हम यहां पैदा कर सकते हैं, या किस तरह से हम कम कम कर सकते हैं, अपने पैसे को बाहर जाने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें गम्भीरता से सोचना चाहिए।

अन्त में मैं अपनी भारतीय सेना के नौजवानों और अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने श्रीलंका में आई० पी० के० एफ० के माध्यम से और साथ-साथ मालदीव में प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों को मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए उन्होंने जो सहयोग दिया है, उन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य की प्रशंसा पूरे देश के अन्दर ही नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में की जा रही है। इसलिए भारतीय सेना के जवान, भारतीय सेना के अधिकारी और प्रधानमन्त्री जी अपनी सूझ-बूझ के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने राष्ट्र के सम्मान की और राष्ट्र की उस पद्धति को कि हम प्रजातन्त्र को केवल अपने देश में ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों में मजबूत करना चाहते हैं, इस भावना को एक बल दिया है।

इसके साथ-साथ ही सार्क देशों के बीच में बैठकर हमारे प्रधान मन्त्री जी ने सहयोग की भावना को बढ़ाया है, खास तौर से पड़ोसी देशों के साथ मैत्री सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध चीन और पाकिस्तान के साथ स्थापित किए हैं उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम सदन की ओर से राष्ट्रपति जी के साथ-साथ प्रधानमन्त्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दिया है।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जैसा कि पहले घोषणा की जा चुकी है सभा अब स्थगित होती है और सामान्य बजट पेश किए जाने के लिए 5 बजे म० प० पर पुनः समवेत होगी।

4.29 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा 5 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.00 म० प०

लोक सभा 5 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट 1989-90

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मन्त्री जी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : अध्यक्ष महोदय...

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : यह तो परम्परा रही है, कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : परम्पराओं से सारा कुछ होता है। परम्परा तोड़ने की बात मैंने नहीं कही। बोलिए।

श्री बालकवि बैरागी : शंकर राव जी से मुझे एक ही बात कहनी है। हमारे शंकर राव जी बजट पेश कर रहे हैं। शंकर हमारे बजट पेश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है :

"बगिया की रंगत बनी रहे
फूलों को तंग नहीं करना
माली का रुतबा बना रहे
हे शंकर, ताण्डव मत करना।।"

अध्यक्ष महोदय : चव्हाण साहब, भरत नाट्यम से काम चलेगा।

[अनुवाद]

वित्त मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं वर्ष 1989-90 के लिए बजट प्रस्तुत करने के वास्ते उपस्थित हुआ हूं। एक सुनियोजित विकास के बुनियादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जिनमें मुख्यतः विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय शामिल है, बजट एक साधन का काम करता है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में हमने बहुत प्रगति की है। नवें दशक के दौरान हमारी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की दर में तेजी आने के स्पष्ट संकेत विद्यमान हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने जिन नीतियों का अनुसरण किया है उनके फलस्वरूप आधुनिकीकरण की गति में, विशेष रूप से उद्योग और आधारभूत ढांचे की गति में अत्यन्त वृद्धि हुई है। निर्यात में हुई सतत वृद्धि से आत्म-निर्भरता की दिशा में हमारे प्रयास बराबर कायम रहे हैं। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि

गरीबी-विरोधी तथा रोजगार कार्यक्रमों और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने जो प्रमुख उपाय किए हैं उनमें समाजिक न्याय के लक्ष्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता स्पष्ट झलकती है। वर्ष 1989-90 का बजट तैयार करने में ये दीर्घावधिक उद्देश्य हमारे आधार हैं।

2. अल्पावधिक आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में ही इन दीर्घावधिक उद्देश्यों का वार्षिक बजट में अनुसरण किया जाना है। अभी कुछ दिन पहले सदन के पटल पर रखी गई वर्ष 1988-89 की आर्थिक समीक्षा में, आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से चर्चा की गई है। मैं उनमे से केवल कुछेक का ही जिक्र करूंगा।

3. पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के कार्य निष्पादन में निःसन्देह मजबूती के लक्षण दिखाई दिए हैं। पहला यह है कि गम्भीर सूखे और बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न अव्यवस्था के बावजूद अर्थ-व्यवस्था में लचीलापन बना रहा है। पिछले वर्ष, मेरे पूर्ववर्ती ने, बजट प्रस्तुत करते समय इसका उल्लेख किया था और यह संकेत दिया था कि सकल घरेलू उत्पाद में सम्भवत: 1 से 2 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए खुशी है कि सूखे वर्ष 1987-88 मे आर्थिक कार्य निष्पादन के नवीनतम अनुमानों से यह पता चलता है कि, सूखे के बावजूद, सकल घरेलू उत्पाद में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सूखे के वर्ष में इस सराहनीय कार्य निष्पादन के बाद चालू वर्ष में हुई तेज प्रगति से उम्मीद है कि सकल घरेलू उत्पाद में वस्तुत: 9 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की वृद्धि होगी। सूखे के वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर तथा सूखे के बाद के वर्ष मे प्राप्त हुई प्रगति की दर, दोनों ही सूखे की पिछली अवधियों को दरों के मुकाबले काफी अधिक हैं। मैं यह बता दूं कि योजना के पहले चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 5 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक होगी।

4. इन विगत दो वर्षों में कृषि क्षेत्र मे हुए कार्य निष्पादन से आशाएं बंधने लगी हैं। पिछले वर्ष, गम्भीर सूखे और बाढ़ के बावजूद, खाद्यान्न का उत्पादन 1380 लाख मी० टन हुआ, जो उससे पिछले वर्ष के उत्पादन से मामूली सा कम है, जिससे यह पता चलता है कि सूखे को नियन्त्रण में रखने के लिए हमारे द्वारा अपनाई गई नीतियां सफल रहीं। इस वर्ष, उम्मीद है कि खाद्यान्न उत्पादन 1660 लाख मी. टन के लक्ष्य को पार कर जाएगा। आशा है कि तेलहनों, कपास और चीनी का उत्पादन रिकार्ड स्तर पर पहुंच जाएगा। इस क्षेत्र में विकास की ऊंची क्षमता के लक्षण बने हुए है।

5. दबावपूर्ण कठिन समय में उत्पादन में वृद्धि, सरकार द्वारा खाद्य अर्थ-व्यवस्था का सावधानीपूर्वक प्रबन्ध और कृषि उत्पादन को बढ़ाने तथा सूखे से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए किए गए विशेष उपायों के परिणामस्वरूप थोक कीमत सूचकांक द्वारा यथामापित मुद्रा-स्फीति की दर, 1988-88 में 10.6 प्रतिशत तक ही सीमित रही। चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर, जनवरी, 1989 के अन्त तक, घटकर 5 प्रतिशल से कम रह गई है। कीमतों पर जो दबाव बना हुआ है उसके प्रति सरकार चिन्तित है। परन्तु यह कुछ संतोष की बात है कि यह दबाव पूर्ववर्ती सूखों की अपेक्षा सामान्य रूप से कम है। सरकार इस महत्वपूर्ण विषय के प्रति पूर्णत: जागरूक है और मुद्रा-स्फीति को प्रभावी ढंग से यियन्त्रण में रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है।

6. हाल ही के वर्षों में आर्थिक कार्य निष्पादन का एक दूसरा उत्साहवर्धक लक्षण, औद्योगिक क्षेत्र में सतत प्रगति व आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में सुधरा हुआ कार्य निष्पादन है। लगातार

[श्री एस० बी० चव्हाण]

पिछले चार वर्षों से, विनिर्माण क्षेत्र में 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की दर से वृद्धि हुई है जिससे सरकार की औद्योगिक नीति की पुष्टि होती है। उद्योग के क्षेत्र में आशावादी लक्षण विद्यमान हैं जो निगमित क्षेत्र के सामान्यतः अच्छे कार्य निष्पादन और पूंजी बाजार मे वृद्धिकारी स्थितियों में परिलक्षित हैं। बिजली के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है और तापीय सयंत्रों में संयत्र भार अनुपात, जो 1984-85 में 50.1 प्रतिशत था, वह 1987-88 मे बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गया। सातवीं योजना में विद्युत क्षेत्र के लिए सृजन क्षमता के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। रेलों द्वारा ढोयी गई माल की मात्रा में सातवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में जो वृद्धि हुई है वह पिछले 10 वर्षों की अवधि में हुई कुल वृद्धि के बराबर है। इससे भी अधिक महत्व-पूर्ण बात यह है कि इन वर्षों के दौरान उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि हुई है। एक विशेष रूप से स्वागत योग्य बात बुनियादी सामग्री वाले उद्योगों के कार्य निष्पादन में सुधार होना है। इस वर्ष के पहले 9 महीनों में, पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के मुकाबले, एकीकृत इस्पात सयंत्रों द्वारा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में 10.1 प्रतिशत, सीमेंट के उत्पादन में 12 प्रतिशत नाइट्रोजनी उर्वरकों के उत्पादन में 26.2 प्रतिशत और फासफेटी उर्वरकों के उत्पादनमें 64.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

7. केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। इस वर्ष के प्रथम छः महीनों में 179 कार्यचालन उद्यमों के अस्थाई परिणामों से पता चलता है कि 1987-88 की तद-नुरूप अवधि में हुआ 59.79 करोड़ रुपए का उनका निवल लाभ बढ़कर इस वर्ष 694.19 करोड़ रु० हो गया है।

8. हम अपने सरकारी क्षेत्र के विकास को समर्थन प्रदान करने की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं। किन्तु हम इस बात को मानते हैं कि कार्य निष्पादन का उच्चतर स्तर सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रूप से संसाधन निर्माण के क्षेत्र में, कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। उनके दायित्वों के अनुरूप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर रही है। सहमति ज्ञापन मे, कतिपय वास्तविक, वित्तीय और संसाधन निर्माण सहित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में उद्यमों की जिम्मदारियों तथा सरकार की ओर से, उद्यमों के लिए निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति में उद्यम को समर्थन प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1989-90 के लिए सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उप-क्रमों ने सरकार के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। वर्ष 1989-90 के लिए सरकारी क्षेत्र के सात और उपक्रम सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर देंगे। सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली कम्पनियों के कार्य निष्पादन तथा सहमति ज्ञापन के अन्तर्गत अपना दायित्व पूरा करने में प्रशासनिक मन्त्रालयों के काम का मूल्यांकन करने के लिए सरकार ने मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है।

9. मैंने अर्थ-व्यवस्था में लचीलेपन तथा उद्योग और आधारभूत ढांचे में सुधरी हुई प्रगति का उल्लेख इसलिए किया है क्योंकि यही वह शक्ति है जिससे हम गरीबों के रहन-सहन स्तरों को सुधारने के अपने बुनियादी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और अधिक तेजी से कार्य करने तथा अपने देश की आर्थिक स्वायत्तता को मजबूत करने की दिशा में काम कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने कर्तव्य से विमुख हो जाऊंगा यदि सदन का ध्यान कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रों की ओर भी आकर्षित न करूं।

10 एक क्षेत्र जिस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है वह है बचतों को प्रोत्साहन देना तथा बजटीय घाटे को नियन्त्रण में रखना। हमें एक ऐसा राष्ट्र होने का सदा ही गर्व रहा है जहां बचत दर ऊंची रही है और हमारी संस्कृति में सदा ही सादे जीवन और मितव्ययिता के मूल्यों पर जोर दिया गया है। बजटीय नीति में बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस उपायों तथा विलासिता की वस्तुओं की खपत पर नियन्त्रण लगाने के उपायों के जरिए इन मूल्यों पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए। इन दिशा में हमारा प्रस्ताव जो विशिष्ट उपाय करने का है, उनके सम्बन्ध में मैं अपन भाषण में बाद में जिक्र करूंगा।

11. उतनी ही महत्वपूर्ण, बल्कि कुछ अर्थों में उससे भी ज्यादा जरूरी बात तो यह है कि सरकारी व्यय की व्यवस्था सूझबूझ से की जानी चाहिए। कई बार ऐसा मान लिया जाता है कि यह सरकारी व्यय जैसा कि आमतौर पर जाना जाता है, सरकारी कर्मचारियों के वेतनों और उनकी मजूरी पर; और सरकारी विभागों द्वारा अपना कारोबार चलाने के लिए खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय ही होता है। परन्तु ऐसी बात नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि रक्षा और सरकारी प्रशासन पर होने वाला केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्ष खपत व्यय कुल व्यय के एक चौथाई भाग से भी कम ही है। बजट के दसवें हिस्से से भी कुछ कम राशि केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष पूंजीगत व्यय के लिए होती है। बजट व्यय का दो तिहाई भाग वस्तुत: व्यय करने वाले अन्य निकायों को ब्याज, आर्थिक सहायता, अनुदानों और ऋणों आदि के माध्यम से वित्तीय अन्तरणों के रूप में होता है। वास्तव में, जिस राशि को बजट में व्यय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, उस राशि का एक बडा भाग लैखिक व्यवस्था के रूप में रखा जाता है, जिसे एक ओर पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में और दूसरी तरफ ऋणों और सामान्य शेयरों में किए जाने वाले निवेश के रूप में व्यय के अन्तर्गत प्रदर्शित किया जाता है।

12. मैं केन्द्रीय बजट के व्यय पक्ष की व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हू, ताकि यह बात साफ हो जाए कि व्यय के विषय में सूझबूझ बरतने की बात केवल कर्मचारियों, यात्राओं अथवा खरीदारियों के सम्बन्ध में किफायत करने के उद्देश्य से जारी किए गए अनुदेशों का पालन करने की कार्रवाई तक ही सीमित नहीं है। यह अवश्य ही जरूरी बात है। इसके साथ-साथ व्यय की अन्य मदों, अर्थात आर्थिक सहायता, अनुदानों और ऋणों जैसी मदों पर भी विचार करना केवल जरूरी ही नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इनमें से अधिकतर मदें विनिर्दिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों में विन्यास्त हो चुकी हैं। हमें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हम आर्थिक सहायता कि इन मदों, इन योजनाओं और कार्यक्रमों से मौद्रिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से मामलो में, हम वांछित परिणामों को, पहले से बेहतर लक्ष्य निर्धारित करके, अनेक कार्यक्रमों को समेकित करके, स्थानीय साधन जुटाकर उनका अधिक विकेन्द्रीयकरण करके और तुलनात्मक दृष्टि से कम लागत खर्च करके भी हासिल कर सकते हैं। अत: हम इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे कि ऐसा मूल्यांकन ही उन योजनाओं/कार्यक्रमों का आधार बने जो आठवीं आयोजना में शामिल किए जाएंगे।

13. भुगतान शेष का क्षेत्र चिन्ता पैदा करने वाला दूसरा क्षेत्र है। ऐसी हालत मे जबकि पूंजी के निवेश और आधुनिकीकरण की अविलम्बनीय आवश्यकताएं हमारे सामने उपस्थित हों जिनके लिए आयात में वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक हो, वैदेशिक भुगतानों की स्थिति पर कुछ हद तक दबाव अपरिहार्य है। इसी वजह से सरकार ने, अर्थ-व्यवस्था के लिए आवश्यक आयतित वस्तुओं के मूल्य का भुगतान करने के लिए निर्यात में वृद्धि करने के उपायों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

[श्री एम० बी० चव्हाण]

इस दिशा में हमारी नीतियां बहुत सफल रही हैं और पिछले दो वर्षों में हमारे निर्यात में काफी तेजी से वृद्धि हुई है—अर्थात् वर्ष 1987-88 में 25 प्रतिशत से ज्यादा और चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों में 24 से 25 प्रतिशत के बीच। लेकिन इसके साथ ही आयात के मूल्य में भी तेजी से वृद्धि हुई है, खासतौर पर ऐसी वृद्धि इस वर्ष की पहली छमाही में अधिक हुई है। आयात के बिल में यह वृद्धि, अंशत: खाद्यान्नों और खाद्य तेलों के आयात के कारण, जो कि पिछले वर्ष के सूखे की स्थिति के कारण आवश्यक हुआ और अंशत: धातुओं, रासायनिक पदार्थों और खाद्य तेलों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि होने के कारण हुई है। इसके अलावा ऋण की वापसी अदायगी का हमारा दायित्व भी अपेक्षतया ज्यादा रहा है। रियायती शर्तों पर वित्त की सीमित उपलब्धि होने के कारण हमें विवश होकर वाणिज्यिक उधार का अधिक आश्रय लेना पड़ा है। किन्तु हमने उधारों को उतनी ही मात्रा में सीमित रखने का प्रयास किया है, जो हमारे वश से बाहर न हो। वैदेशिक ऋणों के शोधन की व्यवस्था करने में हमें कठिनाई नजर नहीं आती।

14. भारतीय अर्थ-व्यवस्था सक्षम और सामर्थ्य सम्पन्न है। औद्योगिक क्षेत्र की सतत वृद्धि से और आधुनिकीकरण तथा स्तरवर्धन के कार्यों में किए गए पूंजी निवेश से निर्यातों में वृद्धि का सद्-परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। वस्तुतः भुगतान शेष की समस्या का ठीक समाधान भी यही है। मुझे पूरी आशा है कि निर्यात की वृद्धि की गति न केवल बराबर कायम रहेगी बल्कि इसमें वृद्धि होगी। जरूरत पड़ने पर हमें कतिपय क्षेत्रों में कुछ हद तक घरेलू उपभोग पर अंकुश लगाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए ताकि निर्यात के लिए माल उपलब्ध किया जा सके।

15. व्यापक आधार पर आयात के लिए लाइसेंस प्रणाली के जरिए तदर्थ आयात विनियमन के माध्यम से भुगतान-शेष की अल्पावधिक कठिनाइयों को दूर करने के प्रलोभन से अभी हम बचे रहे हैं। ऐसी व्यवस्था अपने पांव पर स्वयं आघात करने के समान होगी, क्योंकि इससे अर्थ-व्यवस्था को आघात पहुंचेगा, निर्यात की वृद्धि रुक जाएगी और उद्योगों के आधुनिकीकरण के हमारे प्रयास कमजोर पड़ जाएंगे। नवें दशक में हमारे आयात के स्वरूप और गठन में भारी परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1980-81 में हमारे कुल आयातों में से 65 प्रतिशत भुगतान, कुछ थोक वस्तुओं अर्थात् खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, उर्वरकों और पैट्रोलियम तथा धातुओं के आयात के लिए करना पड़ता था, जबकि विदेशी मुद्रा के आवंटनों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप में आयात का विनियमन करना अपेक्षतया आसान है। वर्ष 1987-88 में इन थोक वस्तुओं का आयात मूल्य कुल आयात मूल्य के केवल 33 प्रतिशत के बराबर था। अन्य आयातों के अन्तर्गत, विविध प्रकार की कच्ची सामग्री, पूंजीगत वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ और औद्योगिक संघटक भी शामिल हैं। विदेशी मुद्रा आवंटनों के माध्यमों से इनका प्रत्यक्ष विनियमन करना कठिन है। इससे विलम्ब और अकार्यकुशलता पैदा हो सकती है। इसलिए थोक-भिन्न आयात के मूल्य की अदायगी की व्यवस्था, अपरोक्ष साधनों का पहले से ज्यादा कारगर प्रयोग करके करनी होगी।

16. इस भाषण में, बाद में, मैं ऐसी कम प्राथमिकता वाली वस्तुओं के आयात को निरुत्साहित करने के कतिपय उपाय आपके समक्ष रखूंगा, जिनका उपभोग ऊंची आय के वर्गों के द्वारा किया जाता है। सफरी सामान-बंदी सभ्यता पर आधारित उपभोग को बढ़ावा देना हमारी औद्योगिक और व्यापारिक नीति का उद्देश्य नहीं है। इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

17. ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जिनको आयातित वस्तुओं के स्थान

पर प्रयोग किया जा सके, औद्योगिक नीति को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, सरकार इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था करेगी कि विदेशों से भारी मात्रा में मगवाई जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि की जाए और इस व्यवस्था में जो व्यवधान उपस्थित हों उन पर पुनर्विचार करके दूर कर दिया जाए।

18. अब मैं उन क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा, जिन पर इस बजट में विशेष रूप से जोर दिया गया है।

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम

19. उत्तरोत्तर बजटों के माध्यम से गरीबी और बेरोजगारी की बुनियादी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से दूर करने के प्रयास किए जाते रहे हैं और वर्ष 1980-81 के बाद से इन प्रयासों में पहले से ज्यादा वृद्धि हुई है। ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवाओं और खाद्य तथा वस्त्रों सम्बन्धी आर्थिक सहायता पर उस वर्ष केन्द्रीय बजट के अनुसार 1,971 करोड़ रुपए का वास्तविक व्यय हुआ। इन क्षेत्रों में अधिकतर व्यय की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लक्ष्यबद्ध कार्यक्रमों के लिए है, जो गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों जैसे समाज के कमजोर और निर्बल वर्गों को रोजगार प्रदान करने और उनकी आयोपार्जक क्षमता में वृद्धि करने, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य देख-रेख और जलपूर्ति जैसी बुनियादी सेवाओं को उपलब्ध कराने और अनिवार्य उपभोग की कतिपय मदों के सम्बन्ध म आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार किए गए हैं। वर्ष 1988-89 में बजट अनुमानों में ऐसे कार्यों के लिए 8,652 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी।

20. मैंने इस कुल व्यय में कृषि और उर्वरकों सम्बन्धी आर्थिक सहायता के उस व्यय को शामिल नहीं किया है, जो वास्तविक रूप में वर्ष 1980-81 में 1,179 करोड़ रुपए था और वर्ष 1988-89 की बजट व्यवस्था में बढ़कर 4,343 करोड़ रुपए हो गया।

21. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 250 लाख से अधिक परिवारों को आमदनी देने वाले काम धंधे करने के लिए सहायता दी गई है। छठी आयोजना के प्रारम्भ से, इस कार्यक्रम पर कुल मिलाकर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका है, जिसमें वित्तीय संस्थाओं द्वारा उपलब्ध किए गए सावधिक ऋण भी शामिल हैं।

22. माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार पैदा करने वाले दो कार्यक्रमों, अर्थात् राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के जरिए वर्ष 1987-88 के दौरान 67 करोड़ जनदिवसों का रोजगार पैदा किया गया जबकि लक्ष्य 50 करोड़ जनदिवसों का रोजगार पैदा करने का था।

23. स्वरोजगार और मजूरी रोजगार के मौजूदा मुख्य कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण निर्धनता की समस्या पर प्रत्यक्ष प्रहार करके उसे दूर करने की हमारी वर्तमान नीति जारी रहेगी और कम लागत से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जाएंगे।

24. रोजगार हमारी जनता की सबसे बड़ी तात्कालिक आवश्यकता है। रोजगार में यह वृद्धि मुख्य रूप में कृषि के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि से और श्रमिक-बहुल कृषि संसाधन उद्योगों तथा सेवाओं की व्यवस्था का विकास करके ही होगी। किन्तु बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए उस पर

[श्री एस० बी० चव्हाण]

प्रत्यक्ष प्रहार करना अत्यावश्यक है। इसलिए रोजगार पैदा करने के समग्र कार्यक्रमों के लिए हम विशेष प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रस्ताव करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, इन दोनों को एक ही सूत्र में पिरो देने का प्रस्ताव है और हम यह चाहते हैं कि इनका कार्यान्वयन विकेन्द्रीयकृत ढंग से किया जाना चाहिए। एक सूत्र में आबद्ध इस कार्यक्रम को समूचे देश में कार्यान्वित किया जाएगा और इस पर होने वाले 75 प्रतिशत व्यय की वित्त-व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाएगी।

25. कुछ असुविधा प्राप्त क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है और विद्यमान रोजगार कार्यक्रम उन आवश्यकताओं से कम हैं। इसलिए पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अतिरिक्त, एक नया गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है, जिसके अन्तर्गत उन 120 चुने हुए जिलों को अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा जो पिछड़े हुए हैं और जहां बहुत ज्यादा बेरोजगारी है।

26. इस वर्ष जबकि हम आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उस पुण्यात्मा को स्मरण करने का इससे बेहतर दूसरा तरीका शायद ही कोई हो कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए हम अपनी कोशिशों को और तेज करें। यह कार्यक्रम उसी दिशा में अग्रसर होने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्यक्रम का नामकरण भी पंडित जी के नाम पर होगा, जो हमारे देशवासियों का उनके प्रति अत्यन्त स्नेह का परिचायक है।

27. इस नए कार्यक्रम से, निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के पूरे अवसर प्राप्त होंगे। इस स्कीम के लिए दिया जाने वाला धन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों के अन्तर्गत जिले के लिए उपलब्ध व्यवस्था के अलावा होगा। इन निधियों को मिला दिया जाएगा और रोजगार अवसरों को अधिकतम बनाने के लिए तथा उत्पादक सम्पत्तियों के सृजन के लिए स्थानीय रूप से उपयोगी स्कीमें शुरू की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि इस नई स्कीम के जरिए रोजगार के लिए व्यवस्था में वृद्धि करने से निर्धनों के रहन-सहन स्तरों में पर्याप्त सुधार और इन क्षेत्रों में उत्पादक तथा सामाजिक रूप से उपयोगी सम्पत्तियों में वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी। इस कार्यक्रम के ब्यौरों की घोषणा बाद में की जाएगी। वर्ष 1989-90 में इस नए कार्यक्रम के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। इस व्यवस्था को शामिल करके वर्ष 1989-90 में रोजगार कार्यक्रम के लिए 1,711 करोड़ रुपए की व्यवस्था होगी। इस नए कार्यक्रम की लागत को पूरा करने के लिए मेरा प्रस्ताव मूलतः उन लोगों से अतिरिक्त साधन जुटाने का है जिनकी पहले ही पर्याप्त आय है और जिन्हें लाभप्रद रोजगार के लाभ प्राप्त हैं। मैं इसके सम्बन्ध में अपने भाषण में पुनः उल्लेख करूंगा।

28. इस दिशा में राज्य सरकारों द्वारा किए गए और प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हाल ही में संविधान में संशोधन करके व्यवसाय कर की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। हम राज्य सरकारों से यह आग्रह करते है कि वे इस समर्थकारी प्रावधान का उपयोग रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए करें।

29. अधिक रोजगार की व्यवस्था गरीब घरानों को अपने जीवनयापन के स्तर को ऊंचा उठाने में मदद देगी। इसके साथ महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए पहले से

अधिक शैन्यक्ष प्रयास भी आवश्यक हैं। इसलिए मैं साधनहीन महिलाओं को साड़ियों का मुफ्त वितरण किए जाने के नए कार्यक्रम का प्रादुर्भाव करने का प्रस्ताव करता हूं। जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है, पहले से चल रहे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम में काफी ज्यादा विस्तार किया जाएगा और इस कार्यक्रम को पहले से इसके अन्तर्गत लिए गए 1700 खण्डों के अलावा 500 और अधिक खण्डों में भी शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब बच्चों के स्वास्थ्य, पोषाहार और शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना है।

30. इस बजट में ग्रामीण विकास, सामाजिक सेवाओं तथा खाद्य और कपड़े के सम्बन्ध में आर्थिक सहायता के लिए 9,374 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर दी गई है।

31. गरीबी-विरोधी तथा सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का कार्यान्वयन मुख्यतः राज्यों की आयोजनाओं के जरिए होता है। इनमें से बहुत से कार्यक्रमों के लिए विदेशों से सहायता प्राप्त होती है। इस समय, विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का 70 प्रतिशत राज्य सरकारों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि राज्यों को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को बढ़ाकर सामाजिक सेवा क्षेत्रों में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं तथा निर्धनता उन्मूलन पर प्रत्यक्षत: प्रभाव डालने वाले कार्यक्रमों के लिए प्राप्त सहायता के 100 प्रतिशत के बराबर किया जा सके। इस निर्णय से, राज्यों को वर्तमान प्रबन्धों के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों मे पर्याप्त वृद्धि हो जाएगी और उन्हें इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतिरिक्त निवेश करने में सुविधा होगी। इस निर्णय से जिन क्षेत्रों को लाभ पहुंचने की उम्मीद है वे हैं: कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, पर्यावरण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, पोषण, महिला विकास, शिक्षा, आवास, जल पूर्ति और शहरी विकास।

कृषि

32. कृषि हमारी जनसंख्या का मुख्य आधार है और हमारी योजनाओं में इस क्षेत्र को प्राथमिकता प्राप्त है। इस समय कृषि उत्पादो और निविष्टयों पर करों का बोझ न्यूनतम है और वस्तुतः केन्द्रीय और राज्यों के बजटों में भारी आर्थिक सहायता दी जाती है।

33. जैसा कि मैंने पहले कहा है, 1980-81 के बाद से, कृषि तथा उर्वरक सहायता पर आयोजना तथा आयोजना-भिन्न व्यय बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस वर्ष भी इस व्यवस्था में वृद्धि की जा रही है और यह खर्चा 5,173 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुच जाएगा।

34. कृषि उत्पादन के लिए ऋण एक मुख्य निविष्टि है। कृषि क्षेत्र मे ऋण के प्रवाह में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र की प्रत्यक्ष वित्त व्यवस्था करने के लक्ष्य को, जिसको पिछले वर्ष उन बैंकों के कुल बकाया अग्रिम के 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत कर दिया गया था, और आगे बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया जा रहा है और इस पर वर्ष 1989-90 के अन्त तक अमल कर लिए जाने का लक्ष्य है। इस अभिवृद्धि के पश्चात्, वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को उपलब्ध किए जाने वाले कुल ऋण की मात्रा में वर्ष 1989-90 में 4,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की वृद्धि होगी। माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि 15,000 रुपए तक के फसल सम्बन्धी ऋणों के ब्याज की दर पिछले वर्ष कम कर दी गई थी और यह कमी 1-1/2 प्रतिशत से लेकर 2-1/2 प्रतिशत के बीच थी। राहत की गुंजाइश को बढ़ाने के

[श्री एस० बी० चव्हाण]

उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक आज 15,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक के फसल सम्बन्धी ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर को 14 प्रतिशत की मौजूदा अधिकतम दर से घटाकर 12 प्रतिशत करने के लिए अनुदेश जारी कर रहा है।

35. राज्यों में सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की गति एक चिन्ता का विषय है। इसके अतिरिक्त, सिंचाई की निर्मित क्षमता तथा उपयोग के बीच कमी को पूरा करने के लिए काफी कुछ करने की गुंजाइश है। कृषि और सिंचाई के लिए बाह्य सहायता की अधिक उपलब्धता की व्यवस्था करने के निर्णय से, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, राज्य आयोजनाओं में इन प्रयोजनों के लिए उपलब्ध निधियों में वृद्धि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इससे सहायता निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने में मदद मिलेगी।

36. हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में आमदनी में तेजी से वृद्धि होने से न केवल अधिक उत्पादन की आवश्यकता होगी बल्कि इसके लिए फसलों के विविधीकरण, बेहतर फसल-कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादों को उच्च कीमत वाले उत्पादों में संसाधित करने आदि की भी आवश्यकता होगी।

37. किसानों और उद्योग के बीच एक गतिशील सम्बन्ध कायम करने के उद्देश्य से, ताकि कृषि उत्पादों का बेहतर उपयोग हो सके, ग्रामीण उत्पाद के मूल्य में अधिक वृद्धि हो सके, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विपुल अवसर प्राप्त हो सकें, ग्रामीण आय के निवल स्तर में वृद्धि हो सके और खाद्य संसाधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा सके, खाद्य संसाधन उद्योग नामक एक नया मन्त्रालय जुलाई, 1988 में गठित किया गया था, जो विकासशील देशों में अपने किस्म का पहला मन्त्रालय है। इस मन्त्रालय का एक अन्य उद्देश्य उन अवशिष्ट पदार्थों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है जो फलों और सब्जियों की कटाई से पहले और बाद में बड़े पैमाने पर व्यर्थ जाते हैं, और इस प्रकार उत्पादित खाद्य पदार्थों की आर्थिक उपयोगिता में सुधार करना और लोगों के लिए उपलब्ध पोषणात्मक निविष्टियों में वृद्धि करना भी है। बाद में मैं अपने भाषण में इन उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ राजकोषीय प्रोत्साहनों का उल्लेख करूंगा।

आवास

38. सरकार आवास को बहुत ऊंची प्राथमिकता देती है। यह एक ऐसा कार्यकलाप है जिससे अत्यन्त आवश्यक जरूरत पूरी होती है और जिससे बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस उद्देश्य के अनुसरण में सरकार ने एक वृहत 'राष्ट्रीय आवास नीति' तैयार की है। आवास वित्त के क्षेत्र में 1988-89 में बहुत से नए उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवास ऋण सबंधी शर्तों को उदार बना दिया है। जीवन बीमा निगम ने 'बीमा निवास योजना' नामक एक नई स्कीम शुरू की है जिससे पालिसीधारकों को फ्लैटों के निर्माण अथवा खरीद के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

39. 'राष्ट्रीय आवास बैंक' की स्थापना की गई है और इसने काम करना शुरू कर दिया है। एक स्वस्थ आवास वित्त प्रणाली को प्रोत्साहित करना और आवास क्षेत्र के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था करना इस बैंक के प्रमुख कार्य हैं। अपनी वित्त नीतियां तैयार करते समय बैंक 'गरीब आदमी

को पहले' के उद्देश्य का पालन करेगा। तदनुसार बैंक ने 40 वर्ग मीटर तक के कम आय वाले आवास के लिए दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त की स्कीम की घोषणा की है। इसी प्रकार, भूमि विकास तथा इसके द्वारा वित्त पोषित आवास परियोजनाओं के सम्बन्ध मे बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रकार विकसित किए जाने वाले प्लाटों अथवा निर्मित किए जाने वाले मकानों का 75 प्रतिशत उन लोगों के लिए हो जो 40 वर्ग मीटर तक का निर्मित आवास प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

40. अपना मकान बनाने की आशा, बचत के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है। इसलिए हमने 'गृह ऋण खाता स्कीम' नामक एक नई स्कीम शुरू करने का निर्णय किया है जिसे अनुसूचित बैंकों के सहयोग से राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा शुरू किया जाएगा। समाज के, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रो के, सभी वर्गों के लोगो द्वारा इसमें भाग लेने को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि मे, इस बचत स्कीम के लिए 30 रुपए प्रतिमास अथवा 360 रुपए प्रतिवर्ष का न्यूनतम अशदान निर्धारित किया गया है। बचतों पर 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष का ब्याज प्राप्त होगा। कोई भी व्यक्ति, जिसका कहीं भी कोई मकान नहीं है, इस स्कीम में शामिल होने का पात्र होगा। न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक बचत करने पर एक सदस्य को संचयित बचतों, जिसमें ब्याज भी शामिल होगा, के गुणकों की राशि तक के बराबर ऋण मिल सकेगा। 'गृह ऋण खाता स्कीम' को सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा भूमि अथवा मकानों के आवटन के लिए रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन बचतों के सम्बन्ध में मैं कुछ रियायत देने का प्रस्ताव करूंगा।

औद्योगिक विकास

41. अब मैं औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा। उद्योगों और आधारभूत क्षेत्र के सफल कार्य-निष्पादन का उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हू। हमें विश्वास है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग, मूल्यों और संवितरण नियन्त्रणों तथा व्यापार नीति के सम्बन्ध में जो परिवर्तन हमने पिछले कुछ एक वर्षों में किए हैं, उनसे हमें बहुत फायदा पहुंचा है। नीति विषयक इन परिवर्तनों का उद्देश्य, स्वदेशी प्रतियोगितात्मक सक्षमता को बढ़ाकर प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देकर, विकास और कुशलता दोनों ही को प्रोत्साहन प्रदान करना रहा है। आज हमारा औद्योगिक ढांचा बहुत जटिल बन चुका है। इसके बहुत से अवयव परिपक्वता की निश्चित अवस्था प्राप्त कर चुके हैं। इस स्थिति में, हमारे लिए यह सम्भव है कि हम विस्तृत विनियमों में ढील देकर भी, राजकोषीय और ऋण सम्बन्धी नीतियों का औचित्यपूर्ण उपयोग करके, विकास की दिशा का नियमन कर सकने में समर्थ हो सकें। इसी पद्धति का अनुसरण करके सरकार ने सीमेंट और एल्युमीनियम के मूल्य और संवितरण पर से तत्काल नियन्त्रण हटा देने का फैसला किया है।

42. दिनांक 28 फरवरी, 1982 से सीमेंट पर से आंशिक रूप में नियन्त्रण हटा दिए जाने के बाद से सीमेंट उद्योग के उत्पादन में प्रभावोत्पादक वृद्धि हुई है। अनुमान है कि सीमेंट का उत्पादन, जो वर्ष 1981-82 में 210.1 लाख मीट्रिक टन था, वर्ष 1988-89 में बढ़कर 435 लाख मीट्रिक टन और वर्ष 1989-90 में और बढ़कर 490 लाख मीट्रिक टन हो जाएगा। इस अवधि में लेवी दायित्व में भी उत्तरोत्तर कमी हुई है और लेवी-सीमेंट के लिए मुनासिब सस्ती कीमत रखी गई है। इन नीतियों के अनुसरण के कारण वर्ष 1985 से सीमेंट का आयात समाप्त हो गया है। वस्तुतः इस समय देश सीमेंट का निर्यात कर सकने की स्थिति में आ पहुंचा है। हमारी दीर्घावधिक नीति के अनुसार हम आठवीं योजना के अन्त तक सीमेंट के उत्पादन को बढ़ाकर 650 लाख मीट्रिक टन और नवीं

[श्री एस० बी० चव्हाण]

आयोजना के अन्त तक 870 लाख मीट्रिक टन करना चाहते हैं। इस समय, लेवी का दायित्व उद्योग के समग्र उत्पादन के 20 प्रतिशत से भी कम ही बैठता है। इसलिए अब यह फैसला किया गया है कि सीमेंट उद्योग पर लगे मूल्यों और संवितरण सम्बन्धी सभी नियन्त्रणों को पहली मार्च, 1989 से समाप्त कर दिया जाए। देश के दूरस्थ और दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में उचित कीमतों पर सीमेंट की उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए आर्थिक सहायता की एक उपयुक्त योजना भी तैयार की जा रही है।

43. राष्ट्रीय एल्युमीनियम कम्पनी (नालको) के उत्तरोत्तर चालू होने से, भारत ने एल्युमीनियम धातु के उत्पादन में बहुत तरक्की की है। वर्ष 1987-88 में 2,78,000 मी०टन का रिकार्ड उत्पादन करने के बाद, वर्ष 1988-89 में उत्पादन में 30 प्रतिशत की वृद्धि होने और यह लगभग 3,60,000 मी० टन होने का अनुमान है। वर्ष 1989-90 के दौरान एल्युमीनियम के उत्पादन में 20 प्रतिशत की और वृद्धि होने तथा यह 4,35,000 मी० टन के स्तर तक पहुंच जाने की उम्मीद है। 'नालको' एल्युमिना तथा कुछ एल्युमीनियम भी निर्यात कर रहा है और वर्ष 1988-89 के दौरान यह लगभग 200 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा। इस प्रकार भारत एल्युमीनियम धातु के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि आने वाले वर्षों में यह निर्यात योग्य अधिशेष का भी उत्पादन करेगा। इस बात को देखते हुए सरकार ने 1-3-1989 से एल्युमीनियम की कीमत और वितरण पर से नियन्त्रण हटाने का निर्णय किया है।

44. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करना हमारी औद्योगिक नीति का मुख्य आधार है। पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मुख्य बाधा आधारभूत ढांचे का अभाव है। हाल ही में सरकार ने 'विकास केन्द्र स्कीम' के रूप में इस सम्बन्ध में एक नए दृष्टिकोण की घोषणा की है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 61 विकास केन्द्रों को चुना जाएगा और वहां उच्च कोटि की आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मैंने वर्ष 1989-90 की आयोजना में इस स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए के केन्द्रीय अंशदान की व्यवस्था की है और इसके कार्यान्वयन की गति को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हुआ तो इसमें और वृद्धि की जाएगी।

45. अब मैं पूंजी बाजार के बारे में कहना चाहूंगा। वैयक्तिक बचतों की एक बहुत बड़ी मात्रा इस बाजार में किए जाने वाले वित्तीय साधनों के कारोबार के जरिए लगाई जाती है। वस्तुतः हमारी वित्तीय प्रणाली की दृढ़ता और विस्तार एक सम्पत्ति है और हमें इसका उपयोग बचतें जुटाने और उन्हें उत्पादक साधनों में लगाने के लिए करना चाहिए। हमारे ग्रामीण लोग बांडों, ऋण-पत्रों और शेयरों के रूप में निवेश करने में अधिक रुचि लेने लगे हैं। तथापि, स्रोत पर कर की कटौती इसमें उत्साह को कम करती है। हमने लाभांशों के मामले में निचली सीमा को बढ़ाकर पहले ही 2,500 रुपए कर दिया है जिस पर स्रोत पर कटौती नहीं की जाएगी। बांडों और ऋण-पत्रों पर ब्याज की अदायगियों के सम्बन्ध में भी मेरा यही करने का प्रस्ताव है।

46. पूंजी बाजार में बचतों का निवेश बहुत हद तक निश्चित ब्याज वाले बांडों और ऋण-पत्रों तक सीमित है। किन्तु, औद्योगिक विकास के लिए इक्विटी के रूप में जोखिम पूंजी भी आवश्यक है। वैयक्तिक बचतों को इक्विटी में निवेश करने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार का इरादा एक 'इक्विटी-संयोजित बचत स्कीम' शुरू करने का है। यह स्कीम यू०टी०आई० और मान्य सांझी

निधियों के माध्यम से संचालित की जाएगी और इसमें किए गए निवेशों को, ऐसी बचतों में होने वाली निवल वार्षिक वृद्धि के आधार पर कर सम्बन्धी कटौती की सुविधा की पात्रता प्राप्त होगी। स्कीम के ब्यौरे की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी।

47. औद्योगिक क्षेत्र में जो गतिशीलता आई है वह काफी हद तक हमारे द्वारा प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम है। तथापि, जैसे-जैसे औद्योगिक पर्यावरण अधिक प्रतियोगी बनता जाएगा, वैसे-वैसे हमें औद्योगिक रुग्णता की समस्याओं से निपटने के लिए प्रभावी उपाय करने आवश्यक होंगे। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत कुछ प्रबन्ध मौजूद हैं। तथापि, यह आवश्यक है कि सक्षम रुग्ण इकाइयों को अपना पुनरुत्थान स्वयं करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करने के वास्ते कदम उठाए जाएं ताकि रुग्णता की स्थिति ही न आए। इस दृष्टि से, सरकार का इरादा कमजोर इकाइयों के लिए एक उत्पाद शुल्क राहत स्कीम तैयार करने का है जिससे कि निर्धारित वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित विविधीकरण, आधुनिकीकरण अथवा पुनरुत्थान पैकेज के एक भाग के रूप में उनकी उत्पाद शुल्क अदायगियों का एक अनुपात उपलब्ध कराया जा सके।

अन्य क्षेत्र

48. अब मैं उन कुछ अन्य क्षेत्रों का जिक्र करूंगा जिनके सम्बन्ध में मेरा कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है।

49. सरकार, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम की इस दृष्टि से जांच कर रही है कि क्या इसने अपना प्रयोजन सिद्ध किया है या नहीं और क्या इसमें किसी संशोधन की जरूरत है। इस जांच को ध्यान में रखते हुए सरकार का प्रस्ताव स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम में संशोधन करने का है ताकि केवल प्राइमरी स्वर्ण पर कुछ नियन्त्रण रखा जा सके। इससे हजारों स्वर्णकारों और दस्तकारों को लाभ होगा जो अपने पुराने परम्परागत व्यवसाय को मुक्त रूप से चला सकेंगे और अपने ग्राहकों को गुणवत्ता, शुद्धता और कीमत की दृष्टि से बेहतर सेवा प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा इससे स्वर्ण आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा जो स्थिर बना हुआ है। ब्यौरे तैयार किए जाएंगे और शीघ्र ही आवश्यक विधान पेश किया जाएगा।

50. मैंने बचतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता का जिक्र किया था और इस प्रयोजन के लिए दो उपायों का पहले ही उल्लेख किया है—'गृह ऋण खाता स्कीम' और 'इक्विटी संयोजित बचत स्कीम'। हाल ही के वर्षों में अल्प बचतों के सम्बन्ध में बहुत से उपाय किए गए हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 1986 में शुरू किए गए इन्दिरा विकास पत्र और वर्ष 1988 में शुरू किए गए किसान विकास पत्र काफी मात्रा में बचतों को आकर्षित कर रहे हैं। इन दो बचत पत्रों के सम्बन्ध में कोई कर रियायत उपलब्ध नहीं है। मेरा प्रस्ताव एक नई राष्ट्रीय बचत पत्र श्रृंखला VIII शुरू करने का है जिस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा और ये धारा 80ग के अन्तर्गत कर रियायत के पात्र होंगे, न कि धारा 80ठ के अन्तर्गत। विद्यमान राष्ट्रीय बचत पत्र श्रृंखला VI और VII को बन्द कर दिया जाएगा। यह बचत प्रोत्साहनों को युक्तिसगत बनाने की प्रक्रिया का एक भाग है।

51. मैं भविष्य निधि में कामगारों की बचतों और उपदान (ग्रेच्युटी) के अधिकार को सुरक्षित रखने की जरूरत के प्रति सजग हूं। न्यूनतम अंशदान 8-1/3 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कर्मचारी

[श्री एस० बी० चव्हाण]

भविष्य निधि अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और यह बढ़ी हुई दर 1-8-1988 से लागू हो गई है। उपदान देयता के अनिवार्य बीमा अथवा आयकर नियमों के अन्तर्गत उपदान निधि स्थापित करने के लिए, जिसके सम्बन्ध में निवेश की पद्धति वही होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी, उपदान अदायगी अधिनियम संशोधित कर दिया गया है। आवश्यक नियम तैयार होते ही इन प्रावधानों को तुरन्त कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

52. जैसाकि माननीय सदस्य जानते ही हैं, सरकार ने पिछले कुछ समय में पेंशनभोगियों की सहायता करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने की इच्छुक है कि पेंशन और पेंशन सम्बन्धी लाभ की स्वीकृति और अदायगी तुरन्त कर दी जानी चाहिए और सवितरण की प्रक्रिया सरल बना दी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सरकार ने सिविल पेंशनरों को पेंशन अदायगी की प्रक्रिया को और सरल बनाने तथा अपनी पेंशन बैंक से लेने के सम्बन्ध मे निर्णय लिया है। प्रस्तावित सरलीकरण के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि महालेखाकार और जिला राजकोषों की दो मध्यवर्ती एजेन्सियों को इस कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा, इसकी देख-रेख वित्त मन्त्रालय में एक नए मुख्य लेखा नियन्त्रक कार्यालय (पेंशन) द्वारा की जाएगी। पेंशन अदायगी और उसके हिसाब-किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है। नई प्रणाली को वर्ष 1989-90 के दौरान लागू करने का प्रस्ताव है।

53. मेरा प्रस्ताव सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए नई बचत स्कीम और परिवार पेंशन के सम्बन्ध में कुछ राजकोषीय राहत प्रदान करने का भी है, जिसके सम्बन्ध मे मैं बाद में उल्लेख करूंगा।

54. हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों ने स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष में महान बलिदान दिए हैं। इस वर्ष में जबकि हम स्वतन्त्रता संघर्ष के एक महानतम सेनानी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं, यह उचित ही होगा कि हम राष्ट्र द्वारा उनके प्रति व्यक्त की गई कृतज्ञता को मूर्त रूप देने के लिए स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 750 रुपए तक कर दें।

55. अब मैं 1988-89 के संशोधित अनुमानों और 1989-90 के लिए बजट अनुमानों के बारे में कहना चाहूंगा।

संशोधित अनुमान, 1988-89

56. चालू वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करने के बाद से, खर्च में कुछ अनिवार्य वृद्धियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान आवश्यक हो गए हैं। केन्द्रीय आयोजना के लिए बजटीय सहायता में 771 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी पड़ी। वृद्धियां मुख्यतः फसल बीमा स्कीम से उत्पन्न दावों के निपटान, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी, विद्युत वित्त निगम के इक्विटी आधार को सुदृढ़ बनाने, पिछली नौवहन विकास निधि समिति द्वारा की गई वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए नौवहन कम्पनियों को अदायगी और वित्तीय संस्थानों को प्रदान की गई विदेशी सहायता के बराबर रुपयों की अदायगी करने से सम्बन्धित हैं।

57. राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता 421 करोड़ रुपए

अधिक होने की आशा है जिसका मुख्य कारण पंजाब को उसके आयोजना परिव्यय के वित्तपोषण के लिए अदा की जाने वाली विशेष सहायता है।

58. आयोजना-भिन्न मदों के अन्तर्गत निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की जानी है। देशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता भी 250 करोड़ रुपए अधिक होगी। रक्षा खर्च में 200 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि की गई है। रक्षा पेंशनों में संशोधन से उत्पन्न वास्तविक दावों के आधार पर रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 497 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता होगी। बाढ़ से प्रभावित राज्यों को अनुदान सहायता में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि करनी होगी। सुरक्षात्मक उपायों के कारण पंजाब में कुछ आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था पर 71 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।

59. कुछ और वृद्धियां भी हुई हैं। इन सभी के कारण आयोजना-भिन्न व्यय में और घाटे की अर्थ-व्यवस्था में कहीं अधिक वृद्धि होती। सरकार ने व्यय में वृद्धि को नियन्त्रित करने तथा प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए बहुत से उपाए किए हैं।

60. मन्त्रालयों और विभागों से कहा गया था कि वे व्यय में वृद्धि को जिसमें सरकारी कर्मचारियों को वर्ष के दौरान स्वीकृत बोनस और महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्तों की देयता शामिल है, यथासम्भव अधिकतम सीमा तक पूरा करने के लिए, बचतों का पता लगाए। पिछले वर्ष जारी किए गए मितव्ययिता सम्बन्धी अनुदेशों को इस वर्ष भी जारी रखा गया। इन उपायों के फलस्वरूप, आयोजना-भिन्न व्यय को सीमित रखा जा सका है।

61. सकल कर राजस्व 776 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होने का अनुमान है। यह वृद्धि मुख्यतः संघ उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और निगम कर में हुई है। कर-भिन्न राजस्व के अन्तर्गत, आयातित खाद्य तेलों में लाभ में काफी कमी होने की सम्भावना है जिसका मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि है। आशा है कि पूंजीगत प्राप्तियों में पर्याप्त सुधार होगा। अब सरकार की कुल प्राप्तियां 67,843 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमानों में यह राशि 66,076 करोड़ रुपए थी। कुल व्यय 75,783 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि बजट अनुमान 73,560 करोड रुपए का था। वर्ष का कुल घाटा अब 7,940 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस प्रकार, बजट पर पड़े अत्यधिक अतिरिक्त बोझ और दी गई बहुत सी रियायतों के बावजूद यह सुनिश्चित किया गया है कि समग्र घाटे में अत्यधिक वृद्धि न हो।

वर्ष 1989-90 के लिए बजट अनुमान

62. अगले वर्ष, सातवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष होने के कारण, यह सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास किया गया है कि विकास के लिए अधिकतम संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। केन्द्रीय योजना के लिए बजटीय समर्थन की राशि, जिसमें नए आर्थिक कार्यक्रमो के लिए 500 करोड़ रु० की विशेष अतिरिक्त व्यवस्था शामिल है, 16,964 करोड़ रु० रखी गई है। केन्द्रीय आयोजना के लिए आन्तरिक तथा बजट बाह्य साधनों की राशि 17,482 करोड़ रुपए का अनुमान है। इस प्रकार 1989-90 के लिए कुल केन्द्रीय आयोजना परिव्यय 34,446 करोड़ रुपए होगा जबकि चालू वर्ष का अनुमोदित परिव्यय 28,715 करोड़ रुपए का है, जो लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

63. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पांच वर्षों की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र का वास्तविक परिव्यय सातवीं आयोजना के मूल परिव्यय का लगभग 115 प्रतिशत होगा।

64. वर्ष 1989-90 की केन्द्रीय आयोजना में, कृषि, ग्रामीण विकास और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है। जलवायु के अनुसार वर्गीकृत विभिन्न कृषि क्षेत्रों के आधार पर कृषि सम्बन्धी आयोजन के लिए एक नवीन नीति प्रतिपादित की गई है। केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत, कृषि और सिंचाई सम्बन्धी व्यवस्था को बढ़ाकर 1408 करोड़ रुपए कर दिया गया है। मैं उर्वरक विभाग के लिए 495 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूं।

65. ग्रामीण विकास के कार्यक्रम आयोजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं। इस नए कार्यक्रम के लिए की गई व्यवस्था सहित, केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र के लिए की जाने वाली कुल मिलाकर व्यवस्था में 28.4 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए, पुनर्गठित खादी ग्रामोद्योग आयोग ने विविध दिशाओं में अपनी गतिविधियों का विस्तार करने की योजना बनाई है। प्रचलित वर्ष में संवर्धन के प्रयोजन से निश्चित किए गए 33 नए उद्योगों के अलावा, भविष्य में 41 अन्य उद्योगों के विकास का काम भी विभिन्न चरणों में शुरू किया जाएगा।

66. केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत सामाजिक सेवाओं के लिए व्यवस्था को बढ़ाकर 3396 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 1989-90 की वार्षिक आयोजना में, समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रारम्भिक शिशु सुश्रूषा सेवाओं की व्यवस्था करने, महिलाओं के उद्धार, असमर्थताओं के निवारण और प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था करने पर जोर दिया जाएगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, एकीकृत शिशु विकास सेवा सम्बन्धी कार्यक्रमों, निर्धन और बेसहारा महिलाओं के लिए आमदनी पैदा करने वाली योजनाओं, शिक्षा और अपंग व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और आर्थिक पुनरुद्धार के कार्यक्रमों में भारी विस्तार करने का विचार है। महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरुकता पैदा करने और उन पर किए गए अत्याचारों और बाल-विवाह, दहेज आदि कुरीतियों तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग आदि के विरुद्ध संघर्ष करने के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।

67. सातवीं आयोजना में मानव संसाधनों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय आयोजना की सोद्देश्य पद्धति, इसकी नीतिमत्ता और उसमें सम्मिलित मुख्य विकासापेक्षी क्षेत्रों के समुत्थान के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निर्धारित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को, जिनको 1987-88 तक कायम रखा गया है, आगे भी जारी रखा जा रहा है। प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने, प्रौढ़ निरक्षरता के उन्मूलन, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, उच्च-शिक्षा के स्तर और उसकी गुणवत्ता में सुधार और समेकित करने तथा तकनीकी शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और उसके अव्यवहार्य विषयों को समाप्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है।

68. हाल ही के वर्षों में हुए विकास की गति को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने आधार-भूत क्षेत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों में बराबर पूंजी लगाते रहें।

इसलिए केन्द्रीय आयोजना के अन्तर्गत, विद्युत-विकास के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था में 38.6 प्रतिशत, रेलवे के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 15.6 प्रतिशत और दूर-संचार के लिए की जाने वाली व्यवस्था में 56.6 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

69. सातवीं आयोजना में सम्मिलित औद्योगिक क्षेत्र की मुख्य सरकारी परियोजनाओं को या तो पूरा कर लिया गया है या फिर आयोजना के अन्तिम वर्ष तक उनको पूरी तरह से कार्यान्वित कर दिया जाएगा। इन परियोजनाओं में, भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण की सम्पूर्ति, उड़ीसा में नालको के एल्युमिनीयम कम्पलेक्स, विजयपुर, आमला और नामरूप III में गैस-आधारित उर्वरक संयंत्रों, उद्योगमण्डल केप्रोलेक्टम परियोजना, दुर्गापुर, बरौनी, पानीपत और भटिंडा के आबद्ध बिजली-घरों की और महाराष्ट्र गैस-क्रेकर कम्पलेक्स की परियोजनाएं शामिल है।

70. औद्योगिक क्षेत्र में, वार्षिक आयोजना 1989-90 के अन्तर्गत, उत्पादक योजनाओं और सातवीं आयोजना के पिछले वर्ष में चालू की जाने वाली विकासाधीन परियोजनाओं के लिए और आठवीं आयोजना के सम्बन्ध में आवश्यक प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू करने के उद्देश्य से पर्याप्त परिव्ययों की व्यवस्था कर दी गई है।

71. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में 10,850 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जबकि इसकी तुलना में चालू वर्ष में 9,714 करोड रुपए की व्यवस्था है। इस प्रकार आयोजना खाते के अन्तर्गत केन्द्रीय बजट से अगले वर्ष कुल मिलाकर 27,814 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा, जबकि चालू वर्ष के बजट में इस व्यय के लिए 25,714 करोड़ रुपए की व्यवस्था थी।

72. सरकार को उन अत्यन्त कठिन परिस्थितियों की जानकारी है, जिसके अन्तर्गत हमारे वीर सशस्त्र सेनाएं हमारे देश की रक्षा करने के अपने कठोर दायित्वों को निभा रही हैं। हमारी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर अन्य मित्र देशों की सहायता करने के लिए आमन्त्रित किए जाने पर हमारे देश का नाम ऊंचा करने के लिए पूरा देश उनके प्रति धन्यवाद का आभारी है। इसके साथ ही हम सब इस बात को मानते हैं कि और रक्षा सम्बन्धी हमारे व्यय में पहले से अधिक लागत सम्बन्धी प्रभावोत्पादकता का समावेश करने के लिए आवश्यक उपायों को कार्यान्वित करने की बराबर जरूरत है। रक्षा मन्त्रालय में मेरे साथियों ने इस व्यय की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए पहले ही बहुत से उपाय लागू किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आगामी वर्ष में रक्षा के लिए 13,000 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की है। मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि अत्यन्त उच्च-स्तरीय सुरक्षा सम्बन्धी तैयारी की सुनिश्चित व्यवस्था करने के मामले में सरकार कभी ढील नहीं बरतेगी।

73. खाद्य पदार्थों, उर्वरकों और निर्यात संवर्धन सम्बन्धी आर्थिक सहायता देने के लिए अगले वर्ष के बजट में 7,472 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 6,841 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अनुमान है कि अगले वर्ष ब्याज प्रभारों की राशि 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी जबकि चालू वर्ष में इन प्रभारों की रकम 14,150 करोड़ रुपए है। अनुमान है कि नवें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यों को चालू वर्ष में दिए गए अनुदानों के मुकाबले 612 करोड़ रुपए अधिक के अनुदान दिए जाएंगे। आम चुनावों के सम्बन्ध में

[श्री एस० बी० चव्हाण]

किए जाने वाले व्ययों के लिए अगले वर्ष 152 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अनुमान है कि डाक विभाग का घाटा चालू वर्ष के घाटे से 97 करोड़ रुपए ज्यादा होगा।

74. आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किया गया है और बहुत ही जरूरी व्यवस्थाओं के लिए न्यूनतम मात्रा में अनुमति दी गई है। अनुमान है कि वर्ष 1989-90 में कुल आयोजना-भिन्न व्यय 54,347 करोड़ रुपए का होगा जबकि चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में 48,877 करोड़ रुपए की व्यवस्था है।

75. जहां तक प्राप्तियों का सम्बन्ध है, अनुमान है कि कराधान की विद्यमान दरों पर सकल कर राजस्व के रूप में 49,588 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी। राज्यों को करों के उनके हिस्से के रूप में 12,054 करोड़ रुपए और राजस्व के समनुदेशन के रूप में संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय निकायों को 50 करोड़ रुपए की अदायगी करने के पश्चात् केन्द्र को अनुमानत: 37,484 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति होगी, जबकि इसके मुकाबले चालू वर्ष में 32,652 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। बाजार उधारों से 7,400 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है जबकि चालू वर्ष में 7,250 करोड़ रुपए की प्राप्ति आंकी गई थी। वापसी अदायगी की रकम घटाकर विदेशी सहायता से 3,722 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि चालू वर्ष में 3,216 करोड़ रुपए की प्राप्ति आंकी गई थी। अन्य प्राप्तियों और व्ययों की घटबढ़ को हिसाब में लेने के पश्चात् कराधान की मौजूदा दरों के अनुसार अगले वर्ष के बजट में अनुमानतः कुल मिलाकर 8240 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

76. अब मैं वर्ष 1989-90 के लिए अपने कर प्रस्तावों की ओर आता हूं।

77. अधिकांश लोगों के लिए कराधान कष्टप्रद है। मैं केवल यही कहूंगा कि हम एक व्यापक सामान्य प्रयोजन की प्राप्ति के लिए कराधान के जरिए संसाधन जुटाते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि लोगों को उस लागत से अधिक लाभ प्राप्त हों जो उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती है।

78. मेरे बजट प्रस्ताव उन्हीं उद्देश्यों और आर्थिक परिप्रेक्ष्यों से मार्गदर्शित हैं जिनका मैंने पहले उल्लेख किया है। विशिष्टत: मेरे प्रस्ताव निम्नलिखित उद्देश्यों के प्रति अभिमुख हैं :

—उत्पादक रोजगार का संवर्धन ;

—गरीबों के खपत के स्तरों का संरक्षण ;

—गैर अनिवार्य विलासिता खपत को हतोत्साहित करना, विशेष रूप से यदि वस्तुओं का आयात किया जाता हो ;

—मध्यम आय वाले करदाताओं को कुछ राहत प्रदान करना ;

—औद्योगिक आधुनिकीकरण और विकास की गति को बनाए रखना ;

—वर्ष 1989-90 के बजटीय घाटे को नियन्त्रण में रखना।

79. अब मैं प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में बजट प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

80. माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सरकार उत्पादक रोजगार के सृजन को उच्च प्राथमिकता देती है। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए रोजगार पैदा करने के वास्ते बहुत सी स्कीमें पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं तथापि हमारा मत है कि अब समय आ गया है कि बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी ढग से समाधान करने के लिए उपाय किए जाएं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जैसा कि मैंने पहले बताया है, सरकार का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना नामक एक नये गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को शुरू करने का है। इस कार्यक्रम के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उन आवासीय कर दाताओं पर जिनकी वर्ष 1990-91 से कर निर्धारण वर्ष के लिए 50,000 रुपए से अधिक की आय हो, 8 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाने का है। मुझे विश्वास है कि अपने ऐसे समाज में जहां पर बहुत से लोग रोजगार से वंचित हैं, जिन लोगों को रोजगार का सौभाग्य प्राप्त है, वे अपने से कम भाग्यवान व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के हित में प्रसन्नतापूर्वक यह त्याग करेंगे।

81. सरकार ने पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष करों की दरों में स्थिरता बनाए रखी है। तथापि प्रायः ऐसा कहा जाता रहा है कि प्रारम्भ में 25 प्रतिशत कर के फलस्वरूप ऐसे बहुत से कर-दाताओं को हतोत्साहन मिलता है जो स्वेच्छा से कर देना चाहते हैं। तदनुसार, 18,000-25,000 रुपए के प्रारम्भिक आय खंड वाले व्यक्तियों के लिए कर की दर को वर्तमान 25 प्रतिशत की दर से घटा कर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

82. सदन इस तथ्य से अवगत है कि वर्ष 1987 में पड़े सूखे और 1988 में उसके बाद के प्रभावों से सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से आय कर और धन कर पर अधिभार लगाया गया था। मैं वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 से क्रमशः धनकर और आयकर के अधिभार को जारी रखने का प्रस्ताव नहीं करना चाहता हूं।

83. रोजगार अधिभार के सम्बन्ध में मैं जो प्रस्ताव कर रहा हूं उनका तथा दर संरचना में में परिवर्तनों का मिलाजुला प्रभाव यह होगा कि 56,000 रुपए से नीचे की कर योग्य आय वाले व्यक्ति को वर्तमान की तुलना में कम कर देना पड़ेगा। अतिरिक्त प्रत्यक्ष कर का सम्पूर्ण बोझ उन व्यक्तियों पर पड़ेगा जिनकी कर योग्य आय 56,000 रुपए से अधिक है। इस अधिभार से 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि सदन सामाजिक प्रगति के इस उपाय का स्वागत करेगा।

84. अत्यधिक खपत को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव व्यय कर अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत व्यय कर की दर को, जो कुछ होटलों पर लागू है, 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का है। इसके फलस्वरूप 30 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होगी।

85. अब मैं राहत प्रदान करने के लिए कुछ उपायों का जिक्र करूंगा।

86. नागरिकों की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना सरकार का एक महत्वपूर्ण नीति-विषयक उद्देश्य रहा है। वर्ष 1987-88 के लिए अपने बजट भाषण में प्रधान मन्त्री ने आवास क्षेत्र के लिए उच्च प्राथमिकता प्रदान करने की बात कही थी और एक राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की थी। इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून पारित हो गया है और राष्ट्रीय आवास बैंक ने काम करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय आवास बैंक को उसकी प्रारम्भिक अवस्था में

[श्री एस० बी० चव्हाण]

संसाधन जुटाने में मदद देने के उद्देश्य से मेरा यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय आवास बैंक की "गृही ऋण खाता स्कीम" में जमा की जाने वाली राशि और साथ ही बैंक से लिए गए आवास ऋण की वापसी अदायगी, आयकर अधिनियम की धारा 80ग के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कटौती के लिए पात्र होगी। 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक के निवेश पर धन कर से भी छूट प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त करदाताओं को अब पूंजी लाभ पर धारा 54 ङ के अन्तर्गत कर रियायत प्राप्त होगी यदि विक्रय से प्राप्त राशि का निवेश राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों और ऋण पत्रों में कर दिया जाएगा।

87. मुर्गीपालन का व्यवसाय पोषण तत्व बढ़ाने और रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप बनता जा रहा है। इसलिए मेरा प्रस्ताव मुर्गीपालन व्यवसाय से होने वाली आय पर ऐसी आय के 33-1/3 प्रतिशत की दर से कर में छूट देने का है। इस उपाय से इस व्यवसाय में निवेश को प्रोत्साहित करने में बढ़ावा मिलेगा।

88. सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी प्राय: ऐसे निवेश अवसरों की तलाश में रहते हैं जहां से अच्छा उत्तर-कर प्रतिफल प्राप्त हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी जमा स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है जिसमें सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी अपने सेवा निवृति लाभों को पूर्ण रूप में अथवा आंशिक रूप में तीन वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं। इस निवेश पर प्राप्त होने वाला ब्याज आय कर से मुक्त होगा। इसके अतिरिक्त यह निवेश धन कर से भी मुक्त होगा। कुछ विनिर्दिष्ट रूपों में धन के सम्बन्ध में 5 लाख रुपए तक की धन को छूट की वर्तमान सीमा भी ऐसी जमाराशि पर लागू नहीं होगी।

89. मृत कर्मचारियों की विधवाओं और उनके उत्तराधिकारियों को राहत प्रदान करने के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव आय कर अधिनियम की व्यवस्थाओं को संशोधित करने का है ताकि परिवार पेंशन के प्राप्तिकर्त्ताओं के लिए भी 12,000 रुपए की अधिकतम सीमा तक 33-1/3 प्रतिशत की दर से मानक कटौती का लाभ प्राप्त हो सके। इसी प्रकार, स्थायी रूप से शारीरिक दृष्टि से विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले से उपलब्ध 15,000 रुपए की कटौती का लाभ मानसिक रूप से अवरुद्ध व्यक्तियों को भी प्रदान करने का प्रस्ताव है।

90. माननीय सदस्यों को यह ज्ञात होगा कि संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत व्यवसायों पर कर की अधिकतम सीमा को 250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है ताकि राज्य सरकारें अतिरिक्त संसाधन जुटाने में समर्थ हो सकें। मुझे उम्मीद है कि राज्य इसका पूरा लाभ उठाएंगे, मेरा प्रस्ताव है कि "वेतनों" के अन्तर्गत आय का हिसाब लगाने में इस कर को एक कटौती के रूप में छूट दे दी जाए।

91. वर्ष 1988-89 के लिए बजट भाषण में की गई घोषणाओं के अनुसरण में सरकार ने एक्सचेंज जोखिम प्रशासन निधि स्थापित करने के सम्बन्ध में स्कीमें तैयार की हैं और उद्यम पूंजी कम्पनियों/निधियों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं ताकि नए उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके। इन निधियों के लिए राजकोषीय समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उन्हें कतिपय कर रियायतें प्रदान करने का है।

92. प्रस्तावित राहत उपायों के फलस्वरूप राजस्व हानि, यदि कोई हुई तो, बेहतर अनुपालन और बेहतर संग्रहण के जरिए पूरा हो जाने की उम्मीद है।

93. 7 नवम्बर, 1988 को जारी की गई राष्ट्रपति की एक अधिसूचना द्वारा आयकर अधिनियम वर्ष 1989-90 के कर निर्धारण वर्ष से सिक्किम राज्य पर भी लागू हो जाता है। कुछ कार्यचालक सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अब मेरा प्रस्ताव आयकर अधिनियम 1961 को वर्ष 1990-91 के कर निर्धारण वर्ष से ही सिक्किम राज्य पर लागू करने का है। केन्द्रीय सरकार की एक अधिसूचना द्वारा धन कर अधिनियम और उपहार कर अधिनियम को वर्ष 1990-91 के कर निर्धारण वर्ष से पहले ही लागू किया जा चुका है।

94. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित अपने प्रस्तावों की व्याख्या करूंगा।

95. इन प्रस्तावों को तैयार करने में मैंने अतिरिक्त साधन जुटाने की अनिवार्यता से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। ऐसा करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जन-उपभोग की वस्तुओं पर अनुचित बोझ न पड़े और इन करों का भार मुख्यरूप से जनता के सापेक्षतया समृद्ध वर्गों पर ही पड़े।

96. जैसाकि सदन को ज्ञात है अवमूल्यांकन के जरिए उत्पादन शुल्क के अपवंचन की समस्याओं और सम्बद्ध प्रशासनिक समस्याओं के कारण बहुत-सी वस्तुओं पर मूल्यानुसार शुल्क लगाने की बजाय परिमाणानुसार शुल्क लगाना पड़ता है। वस्तुतः, कुल उत्पाद राजस्व का लगभग 70 प्रतिशत भाग परिमाणानुसार दरों पर शुल्कों वाली वस्तुओं से प्राप्त होता है। बहुत सी वस्तुओं के मामले में जिन पर परिमाणानुसार शुल्क की दरें लागू होती हैं, कर का भार उन पर मूल रूप से निर्धारित किए गए परिमाणानुसार शुल्कों की अपेक्षा काफी कम होता है। एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसके अनुसार सभी परिमाणानुसार दरों को मूल्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाया जा सके। मेरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में इसी बजट से शुरुआत करने का है और बहुत सी वस्तुओं पर वर्तमान दरों में पांच प्रतिशत की मामूली दर पर उपयुक्त रूप से पूर्णांक में बदल कर, विद्यमान परिमाणानुसार शुल्क दरों में वृद्धि करने का है। मैं यहां यह बता दूं कि मैंने यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरती है कि आम खपत की वस्तुओं को इस समायोजन से अलग रखा जाए। जिन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा उनमें चीनी, चाय, काफी, मिट्टी के तेल, डीजल और मोटर स्प्रिट जैसे पेट्रोलियम उत्पाद, बीड़ी, वनस्पति, तेल, बनास्पति, सूती धागे और फेब्रिक्स, जूट धागे और फेब्रिक्स और बिजली के बल्ब तथा फ्लोरेसेंट ट्यूबें शामिल हैं। इसी प्रकार अखबारी कागज तथा पाठ्य पुस्तकों अथवा सामान्य हित की अन्य पुस्तकों के मुद्रण में उपयोग के लिए विशिष्ट कागज पर विद्यमान छूट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

97. आशा की जाती है कि परिमाणानुसार दरों में वृद्धि करने के फलस्वरूप 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पाद राजस्व प्राप्त होगा।

98. कुछ अन्य वस्तुएं भी हैं जिन पर परिमाणानुसार दरों पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और जिनके सम्बन्ध में सामान्य रूप से प्रस्तावित दर की अपेक्षा अधिक दर से समायोजन करने की आवश्यकता होगी। अब मैं इन वस्तुओं के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूंगा।

99. लोहे और इस्पात के मामले में पिछले एक दशक से अधिक समय से शुल्क की

[श्री एस० बी० चव्हाण]

परिमाणानुसार दरों में कोई अधिक वृद्धि नहीं की गई है। राजस्व जुटाने के एक उपाय के रूप में मेरा प्रस्ताव इन मदों पर शुल्क की दरों मे वृद्धि करने का है। पिग आयरन पर शुल्क को 80 रुपए प्रति मी० टन से बढ़ाकर 200 रुपए प्रति मी० टन करने का प्रस्ताव है। स्टनलस स्टील को छोड़कर स्टील की अन्य मदों पर, जैसे कि लोह खण्ड बिलिट्स, सरियों, छड़ों पर, जिन पर इस समय 365 रुपए प्रति मी० टन का शुल्क लगता है, मेरा प्रस्ताव इस शुल्क को बढ़ाकर 500 रुपए प्रति मी० टन करने का है। शीटों, स्ट्रिपों आदि जैसे कतिपय तप्त वेल्लित (हॉट रोल्ड) फ्लैट उत्पादों पर शुल्क को 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए प्रति मी० टन करने का प्रस्ताव है। शीटो और स्ट्रिपो जैसे कतिपय शीत वेल्लित (कोल्ड रोल्ड) फ्लैट उत्पादों के सम्बन्ध में शुल्क को 715 रुपए से बढ़ाकर 900 रु० प्रति मी० टन करने का प्रस्ताव है।

100. ढलाई और गढ़ाई की वस्तुओं के मामले में कुछ कर निर्धारण सम्बन्धी विवाद हैं क्योंकि शुल्क की दरें वर्गीकरण के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं। इन्हें युक्तिसंगत बनाने के एक उपाए के रूप में और ऐसे विवादों की रोकथाम करने के लिए मेरा प्रस्ताव इस्पात गढ़ो वस्तुओं पर 800 रु० प्रति मी० टन और इस्पात ढली वस्तुओं पर 600 रुपए प्रति मी० टन की एक समान दर से शुल्क लगाने का है।

101. स्टेनलेस स्टील के मामले में जिस पर शुल्क का बोझ अपेक्षाकृत कम है मेरा प्रस्ताव स्टील पिंडों, अर्ध निर्मित उत्पादों और तप्त वेल्लित (हाट रोल्ड) उत्पादों पर शुल्क की वर्तमान दरों को बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति मी० टन और कुछ शीत वेल्लित (कोल्ड रोल्ड) उत्पादों पर 715 रुपए प्रति मी० टन से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति मी० टन करने का है। स्टनलेस स्टील ढली वस्तुओं और गढ़ी वस्तुओं पर भी 1500 रुपए प्रति मी० टन का शुल्क लगेगा।

102. लौह तथा इस्पात की अन्य मदों पर भी ऐसे ही शुल्क सम्बन्धी समायोजन करने का प्रस्ताव है। शुल्क योग्य तैयारशुदा उत्पादों के मामले में, लौह स्टील मदों पर मोडवाट-क्रेडिट उपलब्ध होता रहेगा।

103. इन उपायों के फलस्वरूप अतिरिक्त उत्पाद राजस्व के रूप में 150 करोड़ रुपए तक की और सीमा शुल्क राजस्व के रूप में 18 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

104. कोई भी वित्त मन्त्री इस प्रलोभन से अछूता नहीं रह सकता कि वह उत्पाद राजस्व में वृद्धि करने के लिए सिगरेट पीने वालों की ओर न देखे। मुझे यह स्वीकारना होगा कि मेरे अधिकांश पूर्ववर्तियों की तरह मैं भी इस प्रलोभन से नहीं बच सका हू। मेरे विचार में जो धूम्रपानकर्त्ता अपने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सांविधिक चेतावनी पर ध्यान नही देते हैं उन्हें कम से कम राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिक अंशदान करना चाहिए। मेरा प्रस्ताव सिगरेटों पर शुल्क की दरों को पुनर्गठित करने का है। यद्यपि शुल्क दरों में यह वृद्धि सामान्य रूप से की जा रही है तथापि 70 मि. मी. से अधिक लम्बाई की फिल्टर सिगरेटों क मामले में यह वृद्धि ज्यादा होगी। 60 मि. मी. तक की लम्बी गैर-फिल्टर सिगरेटों पर 10 सिगरेट के प्रति पैकिट पर एक रुपए की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। इन उपायों से 101 करोड़ रुपए तक का उत्पाद राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

105. सिगरेटों पर शुल्क प्रणाली में संशोधन करने के बाद मैं पान मसाला उपयोग करने वालों को भी निराश नहीं करूंगा कि हमने उनका साथ छोड़ दिया है। मेरा प्रस्ताव तम्बाकू रहित पान मसाले पर, कीमत पर आधारित विद्यमान दो स्लैबों के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के वर्तमान उत्पाद शुल्क को क्रमशः 20 रुपए और 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से दोगुना करने का है। इसके साथ ही मेरा प्रस्ताव तम्बाकू वाले पान मसाले पर उत्पाद शुल्क को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने का है। इन उपायों के फलस्वरूप 8 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

106. जैसा कि सदन को ज्ञात है, शराब बनाने के लिए शीरा (मोलेस्स) एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। इसके अन्ततः उपयोग को ध्यान में रखते हुए मेरा मत है कि शीरे पर वर्तमान की तुलना में अधिक शुल्क उगाया जा सकता है। इसलिए मेरा प्रस्ताव शीरे पर उत्पाद शुल्क को 60 रुपए प्रति मी. टन से बढ़ाकर 120 रुपए प्रति मी. टन करने का है। मेरा प्रस्ताव अल्कोहल का उपयोग रसायनों के विनिर्माण में किए जाने पर इस समय उपलब्ध मुद्रा की क्रेडिट में उपयुक्त वृद्धि करने का है। अनुमान है कि इस उपाय से 11 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त उत्पाद राजस्व प्राप्त होगा।

107. यात्रा कर के सम्बन्ध में मेरे कुछ एक प्रस्ताव है।

108. आजकल, निकटवर्ती देशों की यात्रा करने के लिए 50 रुपए प्रति टिकट की दर से और अन्य देशों की यात्रा करने के सम्बन्ध में 100 रुपए प्रति टिकट की दर से विदेश यात्रा कर लगाया जाता है। इन दरों में सन् 1979 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा प्रस्ताव कर की उपरोक्त दरों को बढ़ाकर क्रमशः 150 रुपए और 300 रुपए करने का है।

109. जैसा कि सदन को जानकारी है, सरकार ने हमारे हवाई अड्डों को विकसित करने और वहां आधारभूत ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने पर काफी राशि का निवेश किया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, कुछ एक सुविधा सम्पन्न व्यक्तियों को, जो देश के अन्दर हवाई यात्रा कर सकते हैं, राजस्व में वृद्धि करने के लिए कर के रूप में थोड़ी सी अतिरिक्त राशि अदा करने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा इरादा मूल किराए पर 10 प्रतिशत की दर से "अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर" नामक एक नया कर लगाने का है। किन्तु मेरा प्रस्ताव विदेशी मुद्रा में हवाई किराया अदा करने वाले यात्रियों को इससे मुक्त रखने का है। कुछ पात्र विशेष श्रेणी के यात्रियों को भी इस कर से मुक्त रखने की व्यवस्था होगी।

110. यात्रा कर मे सम्बन्धित प्रस्तावों को लागू करने की तारीख बाद में अधिसूचित की जाएगी और इससे 85 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

111. विमानों में यात्रा करने वालों के बारे में कहने के बाद अब मैं उन लोगों के बारे में उल्लेख करूंगा, जो गाड़ी चलाते है, अर्थात् अब मैं आटोमोबाइल क्षेत्र के सम्बन्ध में अपने प्रस्तावों का उल्लेख करूगा।

112. जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, इस समय 1000 सी. सी. से अनधिक क्षमता वाले इंजिन की ईंधन बचत वाली कारों के सम्बन्ध में 25 प्रतिशत और 1000 सी. सी. से अधिक क्षमता वाले इंजिन की ऐसी कारों के सम्बन्ध में 30 प्रतिशत की रियायती दर से उत्पाद शुल्क लगता है जबकि अन्य कारों के सम्बन्ध में वह दर 35 प्रतिशत है। मेरा मत है कि ईंधन बचत वाली कारों ने अपना आधार कर प्राप्त लिया है और अब इन रियायती दरों को और आगे जारी रखने की कोई

[श्री एस० बी० चव्हाण]

जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा प्रस्ताव सभी मोटर कारों पर 35 प्रतिशत की एक समान दर से शुल्क लगाने का है। यह दर वैनों और जीपों पर भी लागू होगी। इस उपाय के फलस्वरूप 100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।

113. आजकल 100 सी. सी. से अनधिक इंजन क्षमता वाली दो-पहिया गाड़ियों पर 15 प्रतिशत की दर से और अन्यों पर 25 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव दो-पहियों पर चार स्लैबों में उत्पाद शुल्क को पुनर्गठित करने का है। 50 सी. सी. तक के दो-पहियों पर शुल्क की दर 15 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर ही रहेगी। 50 और 100 सी. सी. के बीच दो-पहियों पर कर को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है। 100 और 150 सी. सी. के बीच दो-पहियों पर 25 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 150 सी० सी० से ऊपर वाले दो-पहियों पर शुल्क की दर 30 प्रतिशत होगी। इस उपाए के फलस्वरूप लगभग 26 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

114. इनके घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव इस क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में कुछ रियायतें देने का है।

115. इसके बाद मेरा प्रस्ताव फ्यूल इंजेक्शन उपस्कर, जो आटोमोबाइल क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संघटक है के विनिर्माण के लिए आयतित मशीनरी पर 40 प्रतिशत का रियायती शुल्क भी निर्धारित करने का है। फ्यूल इंजेक्शन उपस्कर के विनिर्माण के लिए आयतित संघटकों पर भी यही दर लागू होगी। रियायती दर केवल उन्हीं यूनिटों को उपलब्ध होगी जो एक अनुमोदित क्रमिक विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत बिनिर्माण करेंगे।

116. आटोमोटिव क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में रियायत देने से राजस्व पर 19 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

117. अब मैं इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र के सम्बन्ध में उपायों के पैकेज का उल्लेख करूंगा। हमारी अर्थव्यवस्था में यह एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और यह राजकोष में और अधिक अंशदान करने की स्थिति में है। इस क्षेत्र से सम्बन्धित मेरे प्रस्ताव स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को और अधिक तेजी प्रदान करने के प्रति अभिमुख हैं।

118. सदन के सदस्यों को जानकारी है कि टेलीविजन से लोगों का काफी मनोरंजन होता है। यह अनुकूल ही होगा कि टेलीविजन का उपयोग करने वाले व्यक्ति, जो ऐसा मनोरंजन प्राप्त करते हैं, सरकार के संसाधनों में और इस प्रकार राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों में और अधिक अंशदान करें।

119. इस समय 15 से. मी. से अधिक और 36 से. मी. तक के स्क्रीन वाले काले और सफेद टेलीविजन सेट उत्पाद शुल्क से पूरी तरह मुक्त हैं। ऐसे सेटों पर छूट को जारी रखते हुए मेरा प्रस्ताव ऐसे सेटों की पिक्चर ट्यूब पर उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 200 रुपए प्रति ट्यूब करने का है। 36 से. मी. से अधिक स्क्रीन वाले काले और सफेद टेलीविजन सेट पर 300 रुपए प्रति सेट का उत्पाद शुल्क लगता है। मेरा प्रस्ताव इस दर को बढ़ा कर 500 रुपए प्रति सेट करने का है।

120. जहां तक रंगीन टेलीविजन सेटों का सम्बन्ध है इस समय 5,000 रुपए तक के

निर्धारित मूल्य के प्रति सेट पर 1,500 रुपए और 5,000 रुपए से अधिक निर्धारित मूल्य के प्रति सेट पर 2,000 रुपए का शुल्क लगता है। इस शुल्क प्रणाली से मूल्यांकन सम्बन्धी कुछ विवाद उत्पन्न हुए हैं। बाजार में कुछ ऊंची कीमत वाले सेट भी आ चुके हैं, इसलिए रंगीन टेलीविजन सेटों पर शुल्क संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा प्रस्ताव बिना दूरस्थ नियन्त्रण वाले प्रति सेट पर 2250 रुपए का, दूरस्थ नियन्त्रण वाले प्रति सेट पर 2500 रुपए का और "पिक्चर इन पिक्चर" सुविधा वाले टेलीविजन के प्रति सेट पर 4000 रुपए का शुल्क निर्धारित करने का है।

121. मेरा प्रस्ताव रेडियो, टू-इन-वन, कैसेट रिकार्डर और संगीत सम्बन्धी प्रणालियों पर वर्तमान 15 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत की दरों के मुकाबले 20 प्रतिशत की एक समान दर निर्धारित करने का है।

122. मेरा प्रस्ताव कम्प्यूटरों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ा कर 15 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का है। इसके साथ ही कम्प्यूटरों को लघु उद्योग के लिए छूट की सामान्य स्कीम से हटाया जा रहा है।

123. आजकल विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रानिक संघटकों के विनिर्माण के लिए आयतित विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री और हिस्से-पुर्जों पर क्रमशः 35 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क लगता है। शुल्क की इस रियायती दर को पहले से अधिक मदों के सम्बन्ध में लागू करते हुए मेरा प्रस्ताव इन दरों को बढ़ाकर क्रमशः 40 प्रतिशत और 60 प्रतिशत करने का है।

124. इलेक्ट्रानिक मदों से सम्बन्धित इन प्रस्तावों से उत्पाद शुल्क में 158 करोड़ रुपए तक और सीमा शुल्क में 36.5 करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

125. मैं इलेक्ट्रानिकी क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में कुछ रियायतों की भी घोषणा कर रहा हूं। पिछले वर्ष के बजट में, दूर संचार, उपग्रह संचार, डाटा संचार दूरदर्शन प्रसारण और स्टूडियों तथा ध्वनि प्रसारण के लिए बड़ी संख्या में उपस्करों के सम्बन्ध में 100 प्रतिशत के आयात शुल्क की एक समान दर निर्धारित की गई थी। मेरा प्रस्ताव इस रियायत को 35 और विनिर्दिष्ट उपस्करों तक बढ़ाने का है।

126. आप्टिकल कम्यूनिकेशन केबल दूर संचार के लिए आवश्यक हैं। देश में ऐसे केबलों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मेरा प्रस्ताव उनके विनिर्माण के लिए आवश्यक विनिर्दिष्ट कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क को 130 से लेकर 300 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न वर्तमान दरों से घटाकर 80 प्रतिशत करने का है।

127. वृहद समेकित सर्किट, माईक्रोप्रोसेसर तथा अन्य माइक्रो इलेक्ट्रानिक मद जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मशीनरी की 22 मदों पर 15 प्रतिशत का रियायती आयात शुल्क लिया जाता है। मेरा प्रस्ताव इस रियायत को मशीनरी की पांच और मदों तक बढ़ाने का है।

128. इलेक्ट्रानिक क्षेत्र के लिए सीमा शुल्क में रियायतों से राजस्व पर 33 करोड़ रुपए का प्रभाव पड़ेगा।

129. पूंजीगत वस्तुओं से सम्बधित सीमा शुल्क व्यवस्था के बारे में मेरे बहुत से उपाए हैं।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

130. वर्ष 1987 का बजट प्रस्तुत करते समय माननीय प्रधानमन्त्री ने पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग के महत्व पर जोर दिया था और कहा था कि हमारे समस्त प्रयास आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और इस क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही केन्द्रित होने चाहिएं। उस वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में उठाए गए। इन उपायों को लागू करने से जो सफलता हमें प्राप्त हुई है, उससे इसी रास्ते पर और आगे बढ़ते रहने का प्रोत्साहन हमें मिलता है। इसलिए मेरा पहला प्रस्ताव यह है कि प्रौद्योगिकी के स्तरवर्धन की योजना के अन्तर्गत, पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माता उद्योगों के लिए किए जाने वाले मशीनरी के आयात पर जो शुल्क रियायत पहले दी गई है, उस रियायत को चार और क्षेत्रों में लागू कर दिया जाए। ये क्षेत्र कर्तक औजारों, वाणिज्यिक औजार कक्षों, वस्त्र-उद्योग सम्बन्धी मशीनरी और कागज तैयार करने की मशीनरी के हैं। इसके आलावा, जहां तक मशीनी औजारों के क्षेत्र का सम्बन्ध है, मैं ऐसी मशीनरी की मदों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं जिन पर रियायती दर से शुल्क लिया जाता है।

131. मैं पूंजीगत वस्तुओं के आयात टेरिफ की व्यवस्था को भी युक्तिसगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। सामान्य परियोजनाओं और मशीनरी पर लगने वाले आयात-शुल्क की दर को इस समय प्रवर्तमान 90 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से कम करके 80 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है। संघटकों पर शुल्क की दर जो मशीनरी पर लागू होने वाली दर से 15 प्रतिशत कम है, भी उतनी ही कम हो जाएगी।

132. इस दिशा में अगला कदम विनिर्दिष्ट मशीनरी पर लगने वाले रियायती आयात-शुल्क की दर को युक्तिसंगत बनाना है, जो कि इस समय 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत के बीच कमोबेश होती रहती है। इस दर को इकट्ठा करके 40 प्रतिशत मूल्यानुसार के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है किन्तु उर्वरकों से सम्बन्धित परियोजनाओं के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विद्युत परियोजनाओं के मामले में यह वृद्धि पांच प्रतिशत अंशों की रहेगी।

133. इन सब परिवर्तनों का लागू करने का औचित्य यह है कि जहां तक सम्भव हो सके टेरिफ की दरों में उत्पन्न होने वाले विक्षेप को कम किया जाए। इसलिए मैं 60 प्रतिशत मूल्यानुसार की दर से शुल्क के एक मध्यस्थ स्तर का निर्माण कर रहा हूँ। यह दर मशीनरी की उन कतिपय विनिर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में लागू होगी, जिनका विनिर्माण अपने ही देश में होता है जिनमें आबद्ध विद्युत संयंत्र, कतिपय किस्मों के जेनरेटिंग सेट और जूट उद्योग में काम आने वाले वृत्तक लूम जैसी मदें सम्मिलित हैं।

134. आधुनिक मशीनरी का आयात करके अपनी प्रौद्योगिकी का स्तरवर्धन करने के लिए निर्यात-प्रधान क्षेत्रों को पर्याप्त सुविधा देने के उद्देश्य से, विनिर्दिष्ट महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में काम आने वाली मशीनरी के सम्बन्ध में समय-समय पर शुल्कों की रियायती दरें निर्धारित की जाती रही हैं। मैं यह रियायत रबड़ और कैनवास फुटवीयर क्षेत्र को भी देना चाहता हूं और इसी प्रयोजन के लिए वस्त्रोद्योग तथा रेशम कीट-पालन उद्योग क्षेत्रों की मशीनरी की विद्यमान सूची का भी विस्तार करना चाहता हूं।

135. अनुमान है कि पूंजीगत वस्तुओं के सम्बन्ध में इन उपायों को लागू करने से लगभग 117 करोड़ रुपए के सीमा-शुल्क राजस्व की हानि होगी।

136. जैसा कि मैंने अपने भाषण में पहले कहा है, एल्युमीनियम के मूल्य-निर्धारण और संवितरण पर से नियन्त्रण तत्काल समाप्त किया जा रहा है। किन्तु इस सन्दर्भ में मैं एल्युमीनियम के ढलों और तन्तु छड़ों (वायर रॉड) के उत्पाद-शुल्क को 18 प्रतिशत मूल्यानुसार के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसमे प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से 2500 रुपए और जोड़ दिए जाएंगे। चूंकि प्रारम्भिक एल्युमीनियम के सम्बन्ध में मोडवाट क्रेडिट कारखानों में तैयार हुए शुल्क-निर्धारण योग्य उत्पादों के सम्बन्ध में उपलब्ध होगा, इसलिए मैं ऐसे अधिकतर उत्पादों के शुल्क में दस प्रतिशत अंश की वृद्धि करना चाहता हू। एल्युमीनियम की छड़ों पर लगने वाले बुनियादी और सहायक सीमा-शुल्कों से भी छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। एल्युमीनियम की छीजन (स्क्रैप) पर लगने वाले बुनियादी सीमा-शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत किया जा रहा है। इन उपायों से कुल मिलाकर 50 करोड़ रुपए के निवल राजस्व की प्राप्ति होगी।

137. कतिपय वस्तुएं ऐसी भी हैं, जिन पर इस समय कम दर से सीमा-शुल्क लगाया जाता है और इसीलिए इन वस्तुओं के शुल्क पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं लकड़ी के गूदे, रद्दी कागज, कम राख वाले कोयले, कच्चे पेट्रोलियम, कोक और कतिपय रसायनों के आयात-शुल्क की मौजूदा दरों में पांच प्रतिशत अंश की वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं यह प्रस्ताव भी रखता हूं कि बेन्जीन के बुनियादी सीमा-शुल्क की वर्तमान शून्य दर को बढ़ाकर 25 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए। इन प्रस्तावों से 39 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

138. मैं काचित अखबारी कागज (ग्लेज्ड न्यूजप्रिंट) के बुनियादी सीमा-शुल्क को 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन की मौजूदा दर से बढ़ाकर 30 प्रतिशत मूल्यानुसार करना चाहता हूं। इससे लगभग 12 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व का लाभ होगा।

139. इस समय, घड़ियों और उनके संघटकों पर 2 प्रतिशत मूल्यानुसार की कम दर के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। यह दर घड़ियों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए निर्धारित की गई थी। यह उपाय सफल रहा। मेरा विचार है कि अब वह समय आ गया है जब घड़ी विनिर्माता उद्योग अपेक्षतया ऊंचे उत्पाद-शुल्क के भार को सहन कर सकता है। मैं शुल्क दर को बढ़ाकर 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

140. अब मैं कृषि पर आधारित और तत्सम्बद्ध अन्य उद्योगों के बारे में प्रतिपादित अपने प्रस्तावों का भी उल्लेख करूंगा।

141. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है खाद्य संसाधन और पैकेजबंधन उद्योग की वृद्धि कृषि-उत्पादों के मूल्य में और अधिक संवर्धन करने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के लिए अनिवार्य है। पिछले वर्ष खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए शीतागारों की स्थापना करने मे प्रयुक्त होने वाले घटकों और सहायक पुर्जों के उत्पाद-शुल्क को बजट-प्रस्तावों के माध्यम से 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था। अब मैं 15 प्रतिशत की इस रियायती दर को प्रशीतक एप्लाएंस और मशीनरी के हिस्सों तथा कम्प्रेसरों पर भी लागू करना चाहता हू, जिनका उपयोग खाद्य पदार्थों और डेरी उत्पादों के परिवहन के लिए बनाई जाने वाली प्रशीतित गाड़ियों मे किया जाता है।

142. इस समय खाद्य संसाधन और पैकेजबंधन मशीनरी की 34 विनिर्दिष्ट मदों पर 35

[श्री एस० बी० चव्हाण]

प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाया जाता है। मैं शुल्क की इस रियायती दर को मशीनरी की कुछ और विनिर्दिष्ट मदों, अर्थात परिवहन प्रशीतन एककों और अंडा संसाधन मशीनरी के सम्बन्ध में भी लागू करना चाहता हूं। जैसा कि पहले कहा गया है, शुल्क की इस रियायती दर को अब 40 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित किया जा रहा है।

143. मैं मखनिया दूध के पाउडर और सघनित दूध पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू। इसके साथ-साथ मखनिया दूध के पाउडर के एक किलोग्राम के डिब्बे पर दी गई उत्पाद-शुल्क की छूट को भी वापस लिया जा रहा है। कतिपय अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पाद-शुल्क की दर को भी, जैसे मछली, मांस से बने डिब्बाबन्द टेपिओका तथा सागो, पदार्थों के शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है। भुजिया और चबेना जैसे नमकीन खाद्यपदार्थों और इडली सम्मिश्र (मिक्स) तथा बड़ा सम्मिश्र जैसे तुरन्त पकाए जा सकने वाले विनिर्दिष्ट सम्मिश्रों को उत्पाद शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

144. समुद्री खाद्य पदार्थ क्षेत्र के लिए उपयोगी मशीनरी की कतिपय विनिर्दिष्ट मदों के लिए 61 प्रतिशत की रियायती आयात-शुल्क की दर निर्धारित है। मैं इस दर को और कम करके 40 प्रतिशत करने और रियायत प्राप्त वाली मदों की सूची को उसमें मत्स्य ग्रहण सम्बन्धी मशीनरी की तीन और मदें जोडकर पहले से ज्यादा विस्तृत बनाने का प्रस्ताव रखता हू। इसके अतिरिक्त मैं मछली पकड़ने के जाल तैयार करने के काम आने वाली मशीनरी के आयात-शुल्क को 90 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

145. सितम्बर, 1988 में घोषित बीज विकास सम्बन्धी नई नीति में विहित प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव का सम्बन्ध बीज उत्पादन और संसाधन तथा कोटि नियन्त्रण के काम आने वाली ऐसी मशीनों और ऐसे उपस्करों के आयात-शुल्क में कमी करने से है, जिनके लिए प्रौद्योगिकी का स्तरवर्धन आवश्यक है। मैं ऐसी मशीनरी और ऐसे उपस्करों की 12 विनिर्दिष्ट मदों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू।

146. मुर्गीपालन के लिए आवश्यक मुर्गी दाने की गुणावस्था में सुधार करने के उद्देश्य से मैं दो विनिर्दिष्ट एमिनो एसिडों के आयात-शुल्क को 147.25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 70 प्रतिशत के स्तर पर निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हू।

147. जूट उद्योग को राहत देने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी पंजीबद्ध हथकरघा सहकारी समितियों अथवा संगठनों को सप्लाई किए गए जूट के यार्न पर उत्पाद-शुल्क से छूट दे दी जाए, जिनको सरकार ने स्थापित या अनुमोदित किया हो। यह छूट जूट के थैलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फेब्रिक से भिन्न फेब्रिकों के विनिर्माण के लिए हथकरघों के विकास के प्रयोजन की सिद्धि के लिए उपलब्ध की जाएगी। मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और बोर्डों के द्वारा स्थापित किए गए एककों के सम्बन्ध में भी इस छूट को दिए जाने का प्रस्ताव करता हूं।

148. वजन के अनुसार कम-से-कम 75 प्रतिशत बगैसी कागज और गत्ते पर उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट मिली हुई है। कागज के विनिर्माण के लिए गैर-परम्परागत कच्चे माल के उपयोग को और बढ़ावा देने के प्रयोजन से और वनजात कच्ची सामग्री का अधिकाधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति

को कम करने के लिए मैं उत्पाद-शुल्क की इस रियायत को कागज और गत्ते की उन किस्मों पर भी लागू करना चाहता हूं, जिनके निर्माण में कच्ची जूट अथवा मेस्ता से बना कम-से-कम 75 प्रतिशत गूदा इस्तेमाल में लाया जाता है। प्रासंगिक रूप से यह उपाय जूट उद्योग के लिए सहायक सिद्ध होगा।

149. किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलवाने में सहायता करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि दालचीनी के बुनियादी सीमा-शुल्क की दर को 20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाकर 90 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जाए, जिसमें प्रति किलोग्राम के हिसाब से 20 रुपए और जोड़ दिए जाएं और लौंग के बुनियादी सीमा-शुल्क की दर को 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बढ़ाकर 95 रुपया प्रति किलोग्राम कर दिया जाए।

150. खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के उत्पादों की बिक्री को भारी बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं ऐसे उत्पादों के सम्बन्ध में जिन पर खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और बोर्डों का ब्रांड नाम अंकित हो, छोटे पैमाने के उत्पादन से सम्बन्धित रियाहत को विशेष रूप से जारी रखे जाने का प्रस्ताव करता हूं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा अथवा उसकी सहायता से बेचे जाने वाले ग्रामीण उद्योगों म बने उत्पादों के सम्बन्ध मे इस समय जो रियायत उपलब्ध है वही रियायत फर्नीचर और चीनी मिट्टी के उत्पादों के सम्बन्ध में भी दी जा रही है।

151. कृषि पर आधारित और तत्सम्बद्ध उद्योगों से सम्बन्ध रखने वाले इन उपायों के परिणामस्वरूप 5 करोड़ रुपए के सीमा-शुल्क राजस्व और 8 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क राजस्व की हानि होने का अनुमान है।

152. दियासलाई उद्योग के उत्पाद-शुल्कों के ढांचे पर पुनर्विचार करने के पश्चात मैं महसूस करता हूं कि इस उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में निर्धारित शुल्क-दरों में संशोधन करने की आवश्यकता है। इस समय इस उद्योग के यंत्रचालित, अर्द्ध-यंत्रचालित, यंत्र व्यवस्था विहीन और कुटीर स्तर के क्षेत्रों पर क्रमश: 5.85 रुपए, 4.15 रुपए, 3.50 रुपए और 1.60 रुपए प्रति गुर्स बक्सों के हिसाब से उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है। मैं उपर्युक्त दरों को कम करके क्रमश: 4.50 रुपए, 3.00 रुपए, 2.50 रुपए और 1.10 रुपए प्रति गुर्स करने का प्रस्ताव रखता हूं। इसके साथ ही मैं पोटाशियम क्लोरेट के उत्पाद-शुल्क को भी, जो कि दियासलाइयों के विनिर्माण के काम में आने वाली अनिवार्य कच्ची सामग्री है, 15 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर जो कि स्थूलतया 2 रुपया प्रति किलोग्राम के बराबर बैठता है, 5 रुपया प्रति किलोग्राम करना चाहता हूं। शुल्क दरों को पहली जून, 1989 से प्रति 100 बक्सों के हिसाब से मीट्रिक पद्धति अनुसार तथा परिमाणानुसार रूपान्तरित कर दिया जाएगा। इन प्रस्तावों के कारण 11 करोड़ रुपए के उत्पाद-शुल्क राजस्व की हानि होगी।

153. सूखे के कारण कपास की कमी हो जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष बजट प्रस्तावों के माध्यम से सूत के साथ सम्मिश्रण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बिस्कस स्टेपल फाइबर के सम्बन्ध में 5.22 रुपया प्रति किलोग्राम की रियायती शुल्क की दर निर्धारित की गई थी। किन्तु इस वर्ष कपास की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने के कारण इस रियायत को और आगे जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस रियायती दर को वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं और बिस्कस स्टेपल फाइबर के सम्बन्ध में 8.35 रुपए प्रति किलोग्राम की एक समान दर के हिसाब से शुल्क आरोपित करना चाहता हूं। इस उपाय से 14 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

154. मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों के द्वारा आयात की जाने वाली कच्ची ऊन पर शुल्क की पूरी छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखता हूं।

155. कच्चे रेशम की सीमा-शुल्क दर को 75 प्रतिशत मूल्यानुसार से घटाकर 50 प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है।

156. रंजक पदार्थ (डाइस्टफ) वस्त्र संमाधन की प्रक्रिया में काम आने वाले महत्वपूर्ण साधक पदार्थ हैं। इन पर इस समय 35 प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क लगता है। मैं संश्लिष्ट आर्गेनिक रंजक पदार्थों के उत्पाद-शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर देने का प्रस्ताव रखता हूं। इस प्रस्ताव के कारण, जिससे वस्त्रोद्योग से सम्बद्ध उद्योग धन्धों को लाभ पहुंचेगा, 19 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

157. 60 रुपए प्रति वर्गमीटर तक के मूल्य के संश्लिष्ट शोडी कम्बलों के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा रही है।

158. मैं विनिर्दिष्ट जीवन रक्षक औषधों और औषधिक मध्यवर्ती पदार्थों के सीमा-शुल्क में कतिपय रियायतें देने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूं। इस क्षेत्र में दी जाने वाली रियायतों के परिणामस्वरूप लगभग 7 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

159. उर्ध्वाकार शाफ्ट वाले भट्टों का उपयोग करने वाले सीमेंट के एककों को राहत देने के प्रयोजन से मैं ऐसे एककों के द्वारा विनिर्मित सीमेंट पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क की सामान्य प्रभावी दर में 100 रुपया प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव रखता हूं। इस प्रस्ताव से 10 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होगी।

160. ऊर्जा के संरक्षण के उद्देश्य से मैं उच्च दाब युक्त सोडियम वॉपर लैम्पों के उत्पाद-शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। इसी के साथ-साथ मैं ऐसे लैम्पों के विनिर्माण में काम आने वाली चार विनिर्दिष्ट निविष्टियों पर भी 50 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाए जाने का प्रस्ताव रखता हूं। इन रियायतों के परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्क राजस्व में 2.5 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्क राजस्व में 5 करोड़ की हानि होगी।

161. बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वीडियो के माध्यम से की जाने वाली दस्युता के कारण फिल्म उद्योग पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसलिए मैं वृत्त चित्रों के उत्पाद-शुल्क की दरों की पुनः व्यवस्था करना चाहता हूं। संशोधित प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक वृत्त चित्र के पहले 30 प्रिंटों पर उत्पाद-शुल्क की पूरी छूट प्राप्त होगी, जबकि इस समय ऐसी छूट पहले 12 प्रिंटों के सम्बन्ध में उपलब्ध है। बाद के प्रिंटों पर लगने वाले शुल्क की दरों को भी कम किया जा रहा है।

162. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग व्यक्तियों के पुनर्वास के कार्य में जुटे हुए कुछ संगठन ऐसे व्यक्तियों को रोजगार मुहैय्या करने के लिए विनिर्माण का कारोबार भी करते हैं। इस समय ऐसे संगठनों को उत्पाद-शुल्क की उतनी ही छूट प्राप्त करने का हक है, जितनी छूट छोटे पैमाने के उद्योग क्षेत्र में विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सम्बन्ध में उपलब्ध है। मैं इन संगठनों के द्वारा उत्पादित ऐसी वस्तुओं को पूरी छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

163. रसायन उद्योगों और पर्यावरणिक नियन्त्रण से सम्बन्धित क्रियाकलापों में सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मैं 25 विनिर्दिष्ट उपस्करों अर्थात खतरनाक रासायनिक पदार्थों अथवा गैसों और विशेष दाहक संरचनाओं आदि जैसे उपस्करों पर 40 प्रतिशत की रियायती दर से आयात-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

164. पैराक्सिलीन एक ऐसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है, जिसका उपयोग डी० एम० टी० और पी० टी० ए० के विनिर्माण में किया जाता है और इन उपरोक्त पदार्थों का उपयोग आगे चलकर पोलिएस्टर उद्योग द्वारा किया जाता है। पैराक्सिलीन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के क्षेत्र में प्रवर्तमान हाल ही की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं पैराक्सिलीन के आयात शुल्क की दर को 120 प्रतिशत से घटाकर 90 प्रतिशत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

165. सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने और शुल्कों के अपवंचन की रोकथाम करने के लिए भी कुछ एक उपाय किए जा रहे हैं।

166. इस समय पेट्रो-रासायनिक कारखानों को कतिपय रियायतें प्राप्त करने का हक है, जिनमें नेफ्था के सम्बन्ध में उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी वह रियायत भी शामिल है जो उपर्युक्त कारखानों को उस समय प्राप्त होती है जबकि उनको शोधनशालाओं के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इस वर्तमान योजना पर फिर से विचार किया गया है और मैं इन रियायतों को, कारखानों को शोधनशाला घोषित करने की शर्त से जोड़े बिना कुछ परिवर्तनों के साथ बराबर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। साथ-साथ में कच्चे नेफ्था के शुल्क की रियायती दर को 30 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 60 रुपया प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत करता हूं। कतिपय कारखानों को शोधनाशालाओं के रूप में घोषित किए जाने के लिए जारी किए गए आदेशों को रद्द किया जा रहा है।

167. छोटे एककों को 30 लाख रुपए मूल्य के उत्पादन तक उत्पाद-शुल्क से तब छूट दी जाती है जब वे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ के एक से अधिक शीर्षों के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं का विनिर्माण करते हों। मैं इस योजना को पुन: व्यवस्थित करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिससे कि 30 लाख रुपए के मूल्य के उत्पादन पर उसी दशा में छूट दी जा सके, जबकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टेरिफ के एक से अधिक अध्याय के अन्तर्गत सम्मिलित वस्तुओं का विनिर्माण उनमें किया जाता हो।

168. जिन उपायों की घोषणा की गई है, उनके राजस्व-विषयक प्रभाव का ब्यौरा वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिया गया है।

169. सहायक सीमा-शुल्कों और विशेष उत्पाद शुल्कों को मौजूदा दरों पर लागू रखने की व्यवस्था वित्त-विधेयक में की जा रही है।

170. उपर्युक्त प्रस्तावों के अलावा मैंने उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क टेरिफ में परिवर्तन करने के आशय से वित्त विधेयक में कतिपय संशोधन करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। ये संशोधन मात्र सक्षमता प्रदान करने वाले उपबन्ध हैं और राजस्व-उर्पाजन की दृष्टि से इनका कोई महत्व नहीं है। इसके अतिरिक्त कुछ एक मौजूदा अधिसूचनाओं में भी संशोधन करने के प्रस्ताव किए जा रहे हैं। इस सदन का मूल्यवान समय बचाने के लिए मैं उन सब प्रस्तावों को दोहराना नहीं चाहता।

171. कुल मिलाकर संक्षेप में सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों की व्यवस्था में प्रस्तावित इन

[श्री एस० बी० चव्हाण]

परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पाद-शुल्कों से 863.20 करोड़ रुपए और सीमा-शुल्कों से 117.06 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है। जिन रियायतों और राहतों की घोषणा की गई है उनके अनुसार सीमा-शुल्कों के क्षेत्र में कुल मिलाकर 237.12 करोड़ रुपए और उत्पाद-शुल्कों के क्षेत्र में 71.02 करोड़ रुपए की रियायतें और राहतें दी जा रही हैं। इस प्रकार उत्पाद-शुल्कों से 792.18 करोड़ रुपए के निवल अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। सीमा-शुल्कों के सम्बन्ध में 120.06 करोड़ रुपए के राजस्व की निवल हानि होगी। इसके अतिरिक्त विदेश यात्रा कर में किए जाने वाले परिवर्तनों और अंतर्देशीय यात्रा कर को आरोपित करने से 85 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी। अतैव, अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाले 757.12 करोड़ रुपए के कुल निवल अतिरिक्त राजस्व में केन्द्र के हिस्से में 373.13 करोड़ रुपए और राज्यों के हिस्से में 383.99 करोड़ रुपए की राशि आएगी।

172. औषधीय और प्रसाधन निर्मिति (उत्पाद-शुल्क) अधिनियम, संविधान के अनुच्छेद 268 के अन्तर्गत अधिनियमित एक ऐसा कानून है जिसके उपबन्धों के अनुसरण में शुल्क तो संघीय सरकार के द्वारा आरोपित किए जाते हैं, किन्तु उनका संग्रह और विनियोग राज्यों के द्वारा किया जाता है। मद्यसार (अल्कोहल), मादक द्रव्य तथा मादक औषधों से युक्त औषधीय और प्रसाधन सामग्री पर लगने वाले शुल्कों की दरों में वर्ष 1982 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि इन दरों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए और इनमें उपयुक्त संशोधन भी किए जाने चाहिएं। यद्यपि मैं शुल्कों की मूल्यानुसार दरों में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता तथापि मैं शुल्क की परिमाणानुसार दरों में मौजूदा दरों के लगभग 50 प्रतिशत के बराबर की वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। अनुसूची में किए गए परिवर्तनों का विवरण वित्त विधेयक के व्याख्यात्मक ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है।

173. प्रवर्तमान सीमा-शुल्कों और उत्पाद-शुल्कों के परिवर्तनों को पहली मार्च, 1989 से प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जारी की जाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतियों को उचित समय पर सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

174. प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में जिन परिवर्तनों का प्रस्ताव मैंने किया है, उनके आधार पर केन्द्र को 903 करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान है। इनको हिसाब में लेने के पश्चात अनुमान है कि अगले वर्ष के सम्बन्ध में वर्ष के अन्त तक 7,337 करोड़ रुपए का घाटा रहेगा।

175. महोदय, जो प्रस्ताव अभी मैंने प्रस्तुत किए है, वे समग्र रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना करने के हमारे सतत अन्वेषण के उद्देश्य की पूर्ति की ओर अग्रसर होने वाले मार्ग में गुणात्मक आधार पर एक नए चरण के परिचायक हैं। यह नया रोजगार कार्यक्रम, जो कुछ समय पश्चात दूर-दूर तक फैल जाएगा, जनता का अपना कार्यसाधक शस्त्र है, जिसका प्रयोग निर्धनता के बन्धनों से मुक्त समाज का अंग बनाने के लिए जनता स्वयं कर रही है। ये बजट प्रस्ताव आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सरकार के दृढ़ संकल्प के भी परिचायक हैं। हम निर्यात संवर्धन, भारतीय उद्योगों के आधुनिकीकरण और कुशल आयात-प्रतिस्थापन की नीतियों को जोरदार ढंग से कार्यान्वित करने के लिए दृढ़संकल्प हैं। इन बुनियादी नीति सम्बन्धी परिमितियों के अन्तर्गत रहते हुए आयात के परिमाण को उचित स्तरों तक सीमित रखने के लिए समस्त प्रयास किए जाएंगे। विकास के मार्ग की ये यात्रा बड़ी कठिन

और लम्बी है। इसके लिए बलिदान देना पड़ता है। अब प्रश्न यह उठता है कि भावी विकास और समृद्धि के लिए ऐसा बलिदान कौन करेगा। प्रस्तुत बजट प्रस्तावों में इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट और निश्चित रूप से दे दिया गया है। सापेक्षिक रूप से समृद्ध लोगों को ही अधिकांश भार सहन करना होगा ताकि समाज के कमजोर वर्गों के लोग समृद्धि के मधुर फल को प्राप्त करने के हिस्सेदार बन सकें।

176. मैं इस बजट को स्वीकृति के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

वित्त विधेयक, 1989*

6.34 म० प०

वित्त मन्त्री (श्री एस०बी०चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं विधेयक पुरःस्थापित@ करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक, 1989 पुरःस्थापित कर दिया गया है।

6.35 म० प०

तत्पश्चात लोकसभा बुधवार, 1 मार्च, 1989/10 फाल्गुन 1910 (शक) के 11.00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

---

* दिनांक 28 फरवरी, 1989 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 2 में प्रकाशित।

@ राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिन्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित